# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF

## 4th
## LOK SABHA DEBATES

[ सातवां सत्र ]
[ Seventh Session ]

[ खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं ]
[ Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 24, शुक्रवार, 21 मार्च, 1969/30 फाल्गुन, 1890 (शक)
*No. 24, Friday, March 21, 1969/Phalguna 30, 1890 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | | | |
| **ता० प्र० संख्या**<br>**S. Q. Nos.** | | | |
| 631. अति पौष्टिक प्रकार के नमक का अनुसंधान | Research in High Nutritional Variety of Salt | .. | 1—4 |
| 632. हुगली नदी की नौगम्यता | Navigation of Hooghly River | .. | 4—7 |
| 634. दिल्ली का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण | Techno-Economic Survey of Delhi | | 7—10 |
| 635. भारत आने वाले पाकिस्तानी लोग | Pakistanis visiting India | .. | 10—17 |
| 637. भारत से प्रतिभा प्रवास | Brain Drain from India | | 17—19 |
| **अ० सू० प्र० संख्या**<br>**S. N. Q. No.** | | | |
| 8. पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर बी० ओ० ए० सी० के एक विमान में पकड़ा गया सोना | Gold Seized in a B.O.A.C. Aircraft at Palam Airport, New Delhi | .. | 19—30 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | | |
| **ता० प्र० संख्या**<br>**S. Q. Nos.** | | | |
| 633. विकास कार्यों के लिये लाटरी आरम्भ करना | Introduction of Lottery System for Development purposes | .. | 31 |
| 636. अखिल भारतीय कृषि सेवा | All India Agricultural Service | .. | 31—32 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 638. | योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अमरीका तथा इंगलैंड से पुनः भारत आने के लिये आकर्षित करना | Attracting qualified persons from USA and UK back to India .. | 32—33 |
| 639. | 19 सितम्बर, 1968 को दिल्ली पुलिस कार्यवाही की फोटो लेने की हिदायतें | Instruction of taking photographs of Police action in Delhi on the 19th September, 1968 .. | 33 |
| 640. | केरल मुस्लिम लीग की गतिविधियां | Activities of Kerala Muslims League .. | 33 |
| 641. | हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi .. | 34—35 |
| 642. | मिनिकाय द्वीप समूह में पुलिस के अत्याचार | Police Excesses in Minicoy Islands .. | 35—36 |
| 643. | अखिल भारतीय प्राथमिक स्कूल अध्यापक संघ का मांगपत्र | Memorandum of demands from all India Primary School Teachers' Federation .. | 36 |
| 644. | दिल्ली नगर निगम में घाटा | Deficit in Delhi Municipal Corporation .. | 36—37 |
| 645. | पाकिस्तान को गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र | Aligarh Muslim University Students leaving for Pakistan .. | 37 |
| 646. | एयर इंडिया के विमान | Aircrafts owned by Air India | 37—38 |
| 647. | शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार आदि के मामले | Cases of Corruption etc. in Education Ministry .. | 38—39 |
| 648. | संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथली और नेपाली भाषाएं शामिल करना | Inclusion of Maithili and Nepali Languages in Eighth Schedule of Constitution .. | 39 |
| 649. | दिल्ली का हरियाणा के साथ मिलाया जाना | Merger of Delhi with Haryana .. | 39—40 |
| 650. | पारादीप पत्तन | Paradeep Port .. | 40 |
| 651. | दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकेतर कर्मचारी | Non-teaching staff of Delhi University .. | 40 |
| 652. | नक्सलवादी गतिविधियों के साथ निपटने के लिये कानून का बनाया जाना | Legislation to meet Naxalite activities .. | 41 |

| विषय | Subject | | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या** | | | |
| **S. Q. Nos.** | | | |
| 653. सरकारी होटलों में ठहरने वाले यात्रियों की संख्या | Occupancy in Government Hotels | .. | 41 |
| 654. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठिये | Pak Intruders in Assam | .. | 42 |
| 655. विदेशी ईसाई मिशनों का भारतीयकरण | Indianisation of Foreign Christian Missions | .. | 42—43 |
| 656. इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन द्वारा लाभांश | Dividend by IAC | .. | 43 |
| 657. उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय पर राजभाषा अधिनियम लागू होना | Application of official languages Act to Supreme Court/High Courts | .. | 43 |
| 658. काकीनाडा बन्दरगाह | Kakinada Port | .. | 44 |
| 659. फिजी द्वीप के लिए विमान सेवा | Air Service to Fiji Island | .. | 44 |
| 660. सफाई सेवाओं में ऊंचे पद | Higher posts in conservancy Services | .. | 44—45 |
| **अता० प्र० संख्या** | | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | | |
| 3870. गुजरात में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस | C.R.P. in Gujarat | .. | 45 |
| 3871. गुजरात में पुरानी ऐतिहासिक कलात्मक वस्तुओं की चोरी | Theft of ancient Historical Art Pieces in Gujarat | .. | 45—46 |
| 3872. गुजरात में सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य | Survey and Excavation work in Gujarat | .. | 46 |
| 3873. गुजरात में खुदाई कार्य | Excavation work in Gujarat | .. | 46—47 |
| 3874. पाकिस्तानी घुसपैठियों की सहायता करना | Help to Pakistani Infiltrators | .. | 47 |
| 3875. पर्यटन व्यवसाय में प्रशिक्षण की संस्थायें | Institutes for training in Tourists Trade | .. | 48 |
| 3876. एयर इण्डिया | Air India | .. | 48—50 |
| 3877. राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 का मार्ग परिवर्तन | Diversion of National Highway No. 6 | .. | 50 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 3878. इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रेंडशिप विमान | Fokker Friendship Aircrafts of Indian Airlines corporation .. | 51 |
| 3879. मध्य प्रदेश में पुराने स्मारकों की मरम्मत | Repairs of ancient monuments in Madhya Pradesh .. | 51 |
| 3880. मध्य प्रदेश में पर्यटक केन्द्रों का विकास | Development of tourist centres in Madhya Pradesh .. | 51—52 |
| 3881. सरकारी कर्मचारियों की स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति | Voluntary retirement of Government Employees | 52 |
| 3882. मंत्रालयों, सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध तकनीकी व्यक्तियों को सौंपना | Manning of Ministries public under takings by Technical Personnel .. | 52 |
| 3883. पोलैण्ड के एक नागरिक के रिहायशी पर्मिट का नवीकरण | Renewal of residential permit of a polish National .. | 53 |
| 3884. सरकारी कर्मचारियों की सेवा वार्धक्य की आयु | Superannuation Age of Government Employees .. | 53 |
| 3885. पालघाट मन्दिर | Palghat Temple .. | 54 |
| 3886. गुजरात में सीमा सड़कों का निर्माण | Construction of Border Roads in Gujarat .. | 54—55 |
| 3887. संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारियों पर व्यय | Expenditure on staff in Union Territories .. | 55 |
| 3888. समितियों और आयोगों से सम्बन्धित भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश | Former Chief Justices of India associated with committees/Commissions .. | 55—56 |
| 3889. भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् | Indian Council for cultural Relations .. | 56—57 |
| 3891. गुरु नानक की पांचवीं जन्म शताब्दी | Fifth Birth Centenary of Guru Nanak Dev .. | 57—58 |
| 3892. गुरु नानक की पांचवी जन्म शताब्दी | Celebration of Guru Nanak's Quincentenary .. | 58 |
| 3893. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में भर्ती | Recruitment on Education and Youth Services Ministry .. | 58 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 3894. अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संस्था विशेषज्ञ दल | Expert team of international association of ports and Harbours .. | 58—59 |
| 3895. दिल्ली के कालेजों में विद्यार्थियों का दाखिला | Admission of students in Delhi Colleges .. | 59 |
| 3896. सरदार पटेल स्मारक निधि से धन का दुरुपयोग | Misuse of money from Sardar Patel Memorial Fund .. | 59 |
| 3897. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय और वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग की पदोन्नति समिति | Promotion Committee on Central Hindi Directorate and CSTT .. | 60 |
| 3898. बच्चों की शिक्षा | Child Education .. | 60 |
| 3899. सरकारी सेवा का श्रेणीवार वर्गीकरण | Classwise categorisation in Government Service .. | 61 |
| 3900. दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियर और चिकित्सा स्नातक | Unemployed Engineers and Medical Graduates in Delhi .. | 61—62 |
| 3901. दिल्ली परिवहन द्वारा डिपुओं और बसों का गिरवी रखा जाना | Mortgage of Depots and Buses by DTU .. | 62 |
| 3902. भारतीय जहाजों द्वारा माल का लाना ले जाना | Cargo Carried by Indian Ships .. | 63 |
| 3903. दिल्ली में अपराध | Crimes in Delhi .. | 63—64 |
| 3904. दिल्ली परिवहन की बसों में अपराध | Crimes in DTU Buses .. | 64 |
| 3905. मंत्रालयों में हिन्दी में कार्य करने के लिये नये कर्मचारी | New Staff for Hindi work in Ministries .. | 64—65 |
| 3906. सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति के लिये निर्धारित अभ्यंश | Quota fixed for direct recruitment and departmental promotion in the Central Secretariat Service .. | 65 |
| 3907. एयर इंडिया में अनुसूचित जाति के कर्मचारी | Scheduled caste employees in Air India .. | 65—66 |
| 3908. स्वतंत्र तामिलनाडु के लिये आन्दोलन | Agitation for Swatantra Tamilnadu .. | 66 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 3909. | केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अपने क्षेत्राधिकार में लिया जाना | Taking over of Primary education by Centre .. | 66 |
| 3910. | लक्कदीव प्रशासन में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार | Employment for local people in Laccadive Administration .. | 66—67 |
| 3911. | गोंडा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें | Complaint against Gonda police Inspector .. | 67—68 |
| 3912. | वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग का भण्डार कक्षा का स्थानान्तरण | Shifting of Store room of CSTT .. | 68 |
| 3913. | कुन्निक्कल नारायणन | Kunnikkal Narayanan .. | 68 |
| 3914. | दिल्ली प्रशासन की योजनायें | Schemes for Delhi Administration | 69 |
| 3915. | दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त न्यायिक संवर्ग | Joint judicial cadres of Delhi and Himachal Pradesh .. | 69 |
| 3916. | केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी | Central Government Employees .. | 70 |
| 3917. | दिल्ली में विशेषज्ञ और अदालती प्रयोगशालाओं की कमी | Lack of Expert and Forensic Laboratories in Delhi .. | 70 |
| 3918. | एयर इंडिया द्वारा सम्पूर्ण विश्व में विमान द्वारा यात्रा का प्रबन्ध | Round the world service by Air India .. | 71 |
| 3919. | नाविकों के लिये चिकित्सा व्यवस्था | Medical arrangement for seamen .. | 71 |
| 3920. | सेंटर इन्टरनोजिओनेल रेडियो मेडिको को सहायता | Assistance to Centre Internauzionale Radio Medico .. | 72 |
| 3921. | भारतीय जहाजों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण | Training of personnel to man Indian ships .. | 72—73 |
| 3922. | बम्बई पत्तन | Bombay Port .. | 73 |
| 3923. | तटीय माल भाड़े की दरें | Coastal Freight Rates .. | 74 |
| 3924. | मोटर गाड़ियों पर लिये जाने वाले करों से सड़कों और सड़क परिवहन का विकास | Development of Roads and Road Transport out of taxes on motor vehicles .. | 74—75 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 3925. श्री गोलवालकर का राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय | Shri Golwalkar's Decision to enter politics .. | 75 |
| 3926. राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी | National academy of administration .. | 75 |
| 3927. व्यवहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था की कार्यकारी परिषद् के सभापति पद पर नियुक्ति | Appointment of Chairman of Executive Council of Institute of Applied Manpower Research .. | 76 |
| 3928. मैनपावर रिसर्च 1967 | Manpower Research 1967 .. | 76 |
| 3929. पश्चिमी सीमा पर झड़पें | Clashes on Western Border .. | 76—77 |
| 3930. राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता से चुराई गई पुस्तकें | Books stolen from National Library, Calcutta .. | 77 |
| 3931. त्रिपुरा में केरल के कुछ परिवारों को बसाने की योजना | Resettlement of Kerala Families in Tripura .. | 78 |
| 3932. हिन्दी भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों का सम्मेलन | Conference of Vice-Chancellors of Hindi speaking Areas .. | 78—79 |
| 3933. चौथी योजना में नौवहन क्षमता का लक्ष्य | Shipping targets in Fourth Plan .. | 79 |
| 3934. केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सीधे भर्ती किये गये सहायकों की पदोन्नति | Promotion of directly recruited Assistants in the Central Secretariat Service .. | 79—80 |
| 3935. विदेशी पर्यटकों की खींचने की आदतों और दिशात्मक प्रवृत्तियों का अध्ययन | Study of spending habits and directional tendencies of foreign tourists .. | 80 |
| 3936. कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के कर्मचारी | Employees of Asiatic Society Calcutta .. | 80—81 |
| 3937. भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला | International book fair in India .. | 81 |
| 3938. इंगलैंड में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में रिक्त स्थान | Vacant space in Indian High Commission in U.K. .. | 81—82 |
| 3939. बिहार में गोथेनी घाट पर पुल | Bridge at Gotheni Ghat in Bihar .. | 82 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 3940. अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघ | All India Port and Dock Workers' Federation .. | 82—83 |
| 3941. बंगाली मासिक पत्रिका 'अमृत' द्वारा कामोत्तेजक साहित्य का प्रकाशन | Publication of Pornographic Literature by Bengali Monthly Amrita .. | 83 |
| 3942. नई दिल्ली में अधातु की मणियों (नान मैटेलिक-क्रिस्टल्स) सम्बन्धी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन | International conference on Science and Technology of Non-Metallic Crystals held in New Delhi .. | 83—84 |
| 3943. मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारी | Personnel staff of Ministers .. | 84 |
| 3944. विश्व हिन्दी सम्मेलन | World Hindi Conference .. | 84—85 |
| 3945. पिलानी (राजस्थान) में टेलीविजन सेटों का निर्माण | Manufacture of Television sets at Pilani (Rajasthan) .. | 85 |
| 3946. नागा विद्रोहियों द्वारा कर की जबरन वसूली | Forced Tax collection by Naga Hostiles .. | 85 |
| 3947. गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ता | Dress Allowance to Officers of Intelligence Bureau .. | 85—86 |
| 3948. केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बंगलौर विश्वविद्यालय | Bangalore University as a Central University .. | 86 |
| 3949. लक्षद्वीप के निवासियों की शिकायतें | Grievances of Laccadive Inhabitants .. | 87 |
| 3950. इंजीनियरों के लिये रोजगार | Employment of Engineers .. | 87—88 |
| 3951. डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन पर पर्यटक केन्द्र | Tourist centre at Diamond Harbour Railway Station .. | 88 |
| 3952. उच्च अध्ययन के लिये अमरीका जाने वाले छात्र | Students going to USA for Higher Studies .. | 88—89 |
| 3953. प्रधान मंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा | P.M's Visit to West Bengal .. | 89—90 |
| 3954. इटावा और भिंड के बीच यमुना और चम्बल नदियों पर पुल | Bridges over Yamuna and Chambal Rivers Between Etawah and Bhind .. | 90 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| 3955. विश्वविद्यालयों में मानसिक रूप से दुर्बल छात्रों के लिये पाठ्यक्रम | Syllabus for Mentally weak University students .. | 90 |
| 3956. भ्रष्टाचार के आरोप वाले एक व्यक्ति को जनवरी, 1969 में पद्मश्री की उपाधि | Award of Padma Shri in January 1969 to a person charged for corruption .. | 90—91 |
| 3957. ग्वालियर में पर्यटक बंगला | Tourist Bungalow at Gwalior .. | 91 |
| 3958. दिल्ली नगर निगम को दिया गया ऋण | Loans given to Delhi Municipal Corporation .. | 91—92 |
| 3959. रेवती विमान | Revathi Aircraft .. | 92—93 |
| 3960. श्रीमती कोरेटा किंग को गांधी हत्या स्थल देखने जाने से रोका जाना | Mrs. Coretta King prevented to visit Gandhiji's lace of Assassination .. | 93 |
| 3961. इम्फाल में भूमि का आवंटन | Allotment of land in Imphal .. | 93—94 |
| 3962. मनीपुर के स्कूलों में स्नातक प्रधानाध्यापकों के वेतनक्रम | Pay scales for graduate headmasters in Manipur Schools | 94 |
| 3963. सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन का न दिया जाना | Non-payment of penspions to retired teachers .. | 94—95 |
| 3964. नई दिल्ली में विश्व अन्ध कल्याण परिषद् का सम्मेलन | Assembly of world council for the Welfare of the Blind in New Delhi .. | 95 |
| 3965. चाणक्य पुरी और तीन मूर्ति क्षेत्र में सभाओं पर प्रतिबन्ध | Ban on Meetings in Chanakyapuri and Teen Murti Areas | 95—96 |
| 3966. मंत्रालयों विभागों के अधीन खोले गये नये कार्यालय | New Offices Created under Ministries Departments | 96 |
| 3967. मनीपुर के कर्मचारियों को विशेष वेतन | Special pay to Manipur Employees | 96—97 |
| 3968. उर्दू | Urdu Language .. | 97 |
| 3969. मनीपुर के लिये राजस्व | Revenue for Manipur | 97—98 |
| 3970. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियुक्तियां | Appointment in Aligarh Muslim University.. | 98—99 |
| 3971. दिल्ली के लिये विधान सभा | Vidhan Sabha for Delhi .. | 99 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 3972. भारत से ईरान को माल भेजा जाना | Transport of goods from India to Iran .. | 99 |
| 3973. टैगोर की रचनाओं पर स्वामित्व | Royalty on the works of Tagore | 99—100 |
| 3974. राज्य सड़क परिवहन उपक्रम | State road transport undertakings .. | 100 |
| 3975. वाइकाउंट विमानों की उड़ानों को बन्द किये जाने की मांग | Demand for Grounding of Viscount .. | 100—101 |
| 3976. उर्दू भाषा के बारे में राज्यों को निदेश | Directive to States regarding Urdu Language .. | 101—102 |
| 3978. राजस्थान में पब्लिक स्कूल के पाठ्यक्रम से एक पाठ्य पुस्तक को हटाना | Exclusion of a text book from the Syllabus of a public school in Rajasthan .. | 102 |
| 3979. आजाद भवन, नई दिल्ली के निकट बम का पाया जाना | Grenades found near Azad Bhavan New Delhi .. | 102 |
| 3980. हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों और संसद सदस्यों पर मुकदमें | Prosecution of Members of Parliament and Employees for participation in Strike .. | 103 |
| 3981. कर्मचारियों की पुन: नियुक्ति | Reinstatement of employees .. | 103—104 |
| 3982. मंगलौर बम्बई विमान सेवा के लिये अग्रिम बुकिंग | Advance Air Bookings for Mangalore Bombay Flight .. | 104—105 |
| 3983. दण्ड प्रक्रिया संहिता में शान्ति भंग होने से रोकने के लिये उपबन्ध | Provision under CPC to Check Breach of peace .. | 105 |
| 3984. राष्ट्रीय राजपथ | National Highways .. | 105—106 |
| 3985. कोटा (राजस्थान) के लिये विमान सेवा | Air Service to Kotah (Rajasthan) .. | 106 |
| 3986. अर्जन्तीना में फ्री स्टाइल और ग्रीक रोमन स्टाइल की कुश्तियों में भारत द्वारा भाग लिया जाना | Participation of India in Free Style and Graeco-Roman Style wrestling in Argentina | 106 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 3987. जम्मू तथा काश्मीर राज्य को दिये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन | Verification of antecedents of IAS and IPS Officers allotted to J and K .. | 106—107 |
| 3988. मद्यशाला के लाइसेसों का नवीकरण | Renewal of Bar Licences .. | 107 |
| 3989. डमडम हवाई अड्डे पर 'टर्मिनल' भवन का निर्माण | Construction of Terminal Building at Dum Dum Airport .. | 107—108 |
| 3990. इम्फाल जेल में राजनैतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार | Ill Treatment of Political Prisoners in Imphal Jail .. | 108—109 |
| 3991. मजलिस-ए-मुशावरत और जमात-ए-इस्लामी की गतिविधियां | Activities of Majlis-E-Mushawarat and Jamaite Islami .. | 109 |
| 3992. भारतीय इंजीनियर सेवा | Indian Service of Engineers .. | 109 |
| 3993. बस्तर क्षेत्र में अमरीकी लोग | Americans in Baster Region .. | 110 |
| 3994. पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना | Formation of separate Telengana State .. | 110—111 |
| 3995. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये पदों का आरक्षण बढ़ाना | Enhancement in Reservation for Scheduled Caste/Scheduled Tribe Students .. | 111 |
| 3996. गुजरात में जहाज बनाने का कारखाना | Shipyard in Gujarat .. | 112 |
| 3997. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय जनपथ, नई दिल्ली | Regional Transport Authority office Janpath, New Delhi .. | 112 |
| 3998. प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय जनपथ, नई दिल्ली को अन्यत्र से लाना | Shifting of Regional Transport Authority Office, Janpath, New Delhi .. | 113 |
| 3999. संयुक्त सलाहकार व्यवस्था सम्बन्धी नीति | Policy towards joint Consultation .. | 113—114 |
| 4000. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को सहायता | Aid to Colleges by UGC .. | 114 |
| 4001. बेरोजगार इंजीनियर, डाक्टर आदि | Unemployed Engineers, Doctors etc. .. | 114—115 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|---|
| 4002. | मधुकेश्वर मन्दिर, बनवासी, मैसूर | Madhukeshwara Temple Banavasi Mysore .. | 115—116 |
| 4003. | प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा बेचे गये ट्रान्समीटर | Transmitters sold by Regional Research Laboratory, Hyderabad | 116 |
| 4004. | उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप | Charges Against Orissa Ministers | 117 |
| 4006. | कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना | Establishment of Kumaon University .. | 117—118 |
| 4007. | राज्यों का पुनर्गठन | Reorganisation of States | 118 |
| 4008. | दिल्ली में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मेला | Science and Technology fair in Delhi .. | 118—119 |
| 4009. | बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान, बीचपुरी (आगरा) के शिक्षकों के वेतन मान | Pay scales of teachers of Balwant Vidyapeeth Rural Institute, Bichpuri (Agra) .. | 119 |
| 4010. | भारतीय सर्वेक्षण विभाग | Survey of India .. | 120—121 |
| 4011. | इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये नया विमान | New Plane for IAC .. | 121 |
| 4012. | संघ लोक सेवा द्वारा चुने गये कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना | Termination of Service of Employees selected by UPSC .. | 121—122 |
| 4013. | बिना कारण बताये सेवा समाप्त करना | Termination of service without assigning any reasons .. | 122—123 |
| 4014. | विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये अंशकालिक नौकरियां | Part time jobs for University students | 123 |
| 4015. | अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की पराजय | India's defeat in international Games .. | 123—124 |
| 4016. | भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी | Female IAS/IPS Officers .. | 124 |
| 4017. | दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान | Pay scales of judicial officers in Delhi .. | 124—125 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 4018. | रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता — Financial Assistance for Diploma Course in Chemical Technology | .. 125 |
| 4019. | पश्चिम बंगाल के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मंत्री का वक्तव्य — Statement of Secretary, West Bengal C.P.M. | 126 |
| 4020. | आसाम में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बहाली — Reinstatement of Central Government Employees in Assam | .. 126—127 |
| 4021. | ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाना — Road Building in Rural Areas | .. 127 |
| 4022. | चतुर्थ श्रेणी के मैट्रिक पास कर्मचारियों की पदोन्नति — Promotion of Class IV Matriculate Employees | .. 128 |
| 4023. | भारत और थाईलैंड में नगरों के समान पौराणिक नाम — Common Mythological Names of cities in India and Thailand | .. 128—129 |
| 4024. | विमान चालकों के विरुद्ध विमान परिचारिकाओं की शिकायतें — Complaints from Air Hostesses against Pilots | .. 129 |
| 4026. | मंत्रालयों में प्रशिक्षित अभिलेखापाल की नियुक्ति — Appointment of trained Archivists in Ministries | .. 129—130 |
| 4027. | संघ राज्य क्षेत्रों में चौकीदारों के वेतनक्रम — Pay scales of Chowkidars in Union Territories | .. 130—131 |
| 4028. | पश्चिम बंगाल में पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधायें — Transport Facilities for Tourists in West Bengal | .. 131 |
| 4029. | पश्चिमी बंगाल जाने वाले विदेशी पर्यटक — Foreign Tourists visiting West Bengal | .. 132 |
| 4030. | पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों का विकास — Development of National Highways in West Bengal | .. 132 |
| 4031. | पश्चिम बंगाल में होम गार्ड — Home Guards in West Bengal | .. 132—133 |
| 4032. | चौथी योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना — Establishment of a central University during Fourth Plan | .. 133 |
| 4033. | गृह-कार्य मंत्रालय को संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तर — Replies to letters sent by Members of Parliament to Ministry of Home Affairs | .. 133—134 |

| विषय<br>अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 4034. शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तर | Replies to letters sent by Members of Parliament to Minister of Education and Youth Services .. | 134 |
| 4035. केन्द्रीय युवक सेवा बोर्ड | Central Youth Services Board .. | 134—135 |
| 4036. मंगलौर होकर बम्बई से बंगलौर के लिये विमान सेवा | Air Services from Bombay to Bangalore via Mangalore | 135 |
| 4037. भारतीय विश्वविद्यालयों में वाणिज्य और व्यापार प्रबन्ध | Commerce and Business Management in Indian Universities .. | 135—136 |
| 4038. दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार | Darbhanga Sanskrit University, Bihar .. | 136 |
| 4039. लन्दन में एयर इण्डिया के अधिकारी की गिरफ्तारी | Arrest of Air India Official in London .. | 136—137 |
| 4040. हिन्दी सुपरवाइजरों तथा हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा | Examination for appointment of Hindi Supervisors and Officers .. | 137—139 |
| 4041. हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा दी गई डिग्रियों को मान्यता | Recognition of Degree Awarded by Hindi Sahitya Sammelan .. | 139—140 |
| 4042. हिन्दी सुपरवाइजरों तथा हिन्दी अधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा | Examination for appointment of Hindi Supervisors and Officers | 140 |
| 4043. संसद की अनौपचारिक सलाहकार समितियां | Informal Consultative Committee | 141 |
| 4044. अशोक होटल्स लिमिटेड नई दिल्ली में मजूरी बोर्ड पंचाट की कार्यान्विति | Implementation of wage board award in Ashoka Hotels Ltd. New Delhi .. | 141 |
| 4045. अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में बनाया गया नया रेस्टरां पीकाक | Peacock Restaurant in Ashoka Hotels Ltd. New Delhi .. | 142 |
| 4046. सिलचर से एजल तक विमान सेवा | Air Service from Silchar to Aijal .. | 142 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 4047. गोहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम | Medium of Imparting of Instructions in Gauhati University | .. 142—143 |
| 4048. पर्यटन केन्द्र के रूप में सुन्दरबन | Sunderban as Tourist Centre | 143 |
| 4049. पटना के निकट गंगा पर रेल एवं सड़क पुल | Rail-cum-road bridge over Ganga Near Patna | .. 143—144 |
| 4050. कलकत्ता पत्तन के नवीकरण के बाद जीर्णोद्धार के लिये धन का नियतन | Allotment of Funds for renovation and remodelling of Calcutta Port | .. 144 |
| 4051. भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार | National Archives of India | .. 144—145 |
| 'बसुमती' एक बंगाली दैनिक पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न | Question of Privilege against 'Basumati' a Bengali Daily | .. 145—146 |
| सभा-पटल रखे गये पत्र | Papers Liad on the Table | .. 146 |
| राज्य सभा से सन्देश | Message from Rajya Sabha | .. 146 |
| विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति | President's Assent to Bill | .. 146 |
| सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति | Leave of Absence from Sittings of the House | .. 146—147 |
| निदेश 115 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वक्तव्य और मंत्री द्वारा उसका उत्तर | Statement by Member under direction 115 and Minister's reply thereto | .. 147—151 |
| श्री ई० के० नायनार | Shri E. K. Nayanar | .. 147—149 |
| श्री गोविन्द मेनन | Shri Govinda Menon | .. 149—151 |
| कार्य मंत्रणा समिति— | Business Advisory Committee— | |
| 32 वां प्रतिवेदन | Thirty-second Report | .. 151 |
| ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं, आदि के बारे में | Re. Calling Attention Notices, etc. | .. 151—152 |
| विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1969—पुरःस्थापित | Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1969—Introduced | .. 152 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider | 152 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | .. 152—153 |
| श्री स्वैल | Shri Swell | .. 153 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री गणेश घोष | Shri Ganesh Ghosh | 153 |
| श्री स० मो० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee | 153—154 |
| श्री नन्द कुमार सोमानी | Shri N. K. Somani .. | 154—155 |
| श्री वेणी शंकर शर्मा | Shri Beni Shanker Sharma | 155 |
| श्री नाथू राम अहिरवार | Shri Nathu Ram Ahirwar .. | 155 |
| श्री जार्ज फरनेन्डीज | Shri George Fernandes .. | 155—156 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | 156 |
| श्री ना० रा० पाटिल | Shri N. R. Patil | 156 |
| डा० रानेन सेन | Dr. Ranen Sen .. | 156 |
| श्री पीलु मोदी | Shri Piloo Mody .. | 157 |
| श्री गा० शं० मिश्र | Shri G. S. Mishra .. | 157 |
| श्री एस० कण्डप्पन | Shri S. Kandappan .. | 157 |
| श्री क० नारायण राव | Shri K. Narayana Rao .. | 157 |
| डा० राम सुभग सिंह | Dr. Ram Subhag Singh | 157—159 |
| खण्ड 2,3 और 1 | Clauses 2, 3 and 1 | 159 |
| पारित करने का प्रस्ताव | Motion to Pass | 160 |
| सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक | Customs (Amendment) Bill .. | 160—162 |
| खण्ड 2 | Clause 2 | 162 |
| विधेयक पुरःस्थापित | Bill introduced | 162 |
| संविधान (संशोधन) विधेयक— | Constitution (Amendment) Bill— | |
| (अनुच्छेद 280 का संशोधन) (श्री शिवचन्द्र झा का) | (Amendment of article 280) by Shri Shiva Chandra Jha | 162—163 |
| राजनीतिक दल लेखा प्रकाशन विधेयक—वापस लिया गया (श्री श्रीचन्द गोयल का) | Publication of Political Party Accounts Bill—Withdrawn by Shri Shri Chand Goyal .. | 163—164 |
| विचार करने का प्रस्ताव | Motion to Consider | 163 |
| श्री गोविन्द मेनन | Shri Govinda Menon .. | 163—164 |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shri Chand Goyal .. | 164 |
| केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रों द्वारा भाग लेना) विधेयक (श्री मधु लिमये का) | Central Universities (Students' Participation) Bill by Shri Madhu Limaye .. | 164—176 |

| विषय | Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| परिचालित करने का प्रस्ताव | Motion to Circulate | .. 164 |
| श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | .. 164—166 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | .. 166—167 |
| श्री बलराज मधोक | Shri Balraj Madhok | .. 167—168 |
| श्री जयपाल सिंह | Shri Jai Pal Singh | .. 168—169 |
| श्री एस० कण्डप्पन | Shri S. Kandappan | .. 169—171 |
| श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा | Shrimati Tarkeshwari Sinha | .. 171—172 |
| डा० एम० संतोषम | Dr. M. Santosham | .. 172—173 |
| श्री शशि भूषण | Shri Shashi Bhushan | .. 173—174 |
| श्री झारखण्डे राय | Shri Jharkhande Rai | .. 174—175 |
| श्री यमुना प्रसाद मण्डल | Shri Yamuna Prasad Mandal | .. 175 |
| श्री रघुवीर सिंह शास्त्री | Shri Raghuvir Singh Shastri | .. 175—176 |
| श्री शिव नारायण | Shri Sheo Narain | .. 176 |
| आधे घण्टे की चर्चा | Half-an-hour Discussion | .. 177 |
| भारत में छात्र असन्तोष | Students' unrest in India | .. 177—182 |
| श्री श्रीचन्द गोयल | Shri Shri Chand Goyal | .. 177 |
| डा० वी० के० आर० वी० राव | Dr. V. K. R. V. Rao | .. 179—182 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**शुक्रवार, 21 मार्च, 1969/30 फाल्गुन, 1890 (शक)**
*Friday, March 21, 1969/Phalguna 30, 1890 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### अति पौष्टिक प्रकार के नमक का अनुसंधान

+

*631. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री प० मु० सईद :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर स्थित नमक तथा समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्था में अति पौष्टिक किस्म के नमक के सम्बन्ध में अनुसंधान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नमक का उपयोग किन कामों के लिये किया जाता है; और

(ग) क्या व्यापारिक स्तर पर नमक बनाने के लिये योजनायें चलाई जायेंगी ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) जी हां। संस्थान ने केलशियम, लोहा और लाइसिन जैसे पोषक पदार्थों के साथ सामान्य नमक के प्रबलीकरण की एक प्रक्रिया तैयार की है।

(ख) परीक्षणों के बाद सफल पाये जाने पर प्रबलीकृत नमक का उपयोग जनता के कमजोर वर्गों में अनिवार्य पोषक तत्वों की आम कमी को दूर करने के लिये किया जा सकता है।

(ग) पोषक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद और केन्द्रीय खाद्य टेक्नोलोजी अनुसंधान संस्थान, मैसूर में पोषक परीक्षण चल रहे हैं।

पोषक और उपभोक्ता स्वीकार्यता परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के प्रयत्न किये जायेंगे।

**Shri Manibhai J. Patel:** The names of the countries which have carried out Marine Chemical Research in this regard? Are Government prepared to initiate correspondence with the Governments of Sweden and Scandinavia where research is being carried out and if so, the nature thereof?

Secondly, is there any salt specialist or any other authority in the All India Medical Institute? If so, have you consulted him and what is his report?

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** मुझे खेद है कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी। मुझे पता नहीं कि किन-किन देशों में क्या-क्या अनुसंधान हो रहा है तथा मेडिकल इंस्टीट्यूट में कोई विशेषज्ञ है। तथ्य तो यह है कि हैदराबाद प्रयोगशाला तथा केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में कुछ व्यक्ति पोषक-तत्वों से युक्त नमक पर अनुसंधान कर रहे हैं।

**Shri Manibhai J. Patel:** There are countries like Sweden and Scandinavia in the world where research on salt is being carried out. They have made research on salt of deep sea water. Sufficient information and facility can be made available from those countries if you have correspondence with them.

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी कहते हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है और आप उन्हें सूचना दे रहे हैं।

**Shri Manibhai J. Patel :** Are there salt specialists in the All India Medical Institute? In this connection have you got any research conducted by them? If so, the time spent so far and likely to be spent and also the amout spent thereon?

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** जहां तक इस इंस्टीट्यूट का सम्बन्ध है उसने अनुसंधान किया है तथा सामान्य नमक में कैलशियम और लाइसिन मिलाने की विधि जान ली है। इसे केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान में भेजा है। उन्होंने छः महीने तक कैलशियमयुक्त नमक पर प्रयोग किया है तथा यह पता लगाया है कि छोटे बच्चों के विकास पर इसका प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है। सामान्य उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर अब इसका उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। हैदराबाद की पोषण-तत्व प्रयोगशाला में कैलशियम तथा लाइसिन को लेकर प्रयोग हो रहे हैं। इनके परिणाम प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई की जायेगी। मैं नहीं जानता कि अखिल भारतीय चिकित्सा संस्था से इसका कोई सम्बन्ध है।

**श्री प० मु० सईद :** इस योजना के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा तथा इस पर कितनी धनराशि व्यय की जायेगी? ऐसी सूचना मिली है कि अधिक मूल्यवान पौष्टिक पदार्थों से युक्त

नमक बनाने के लिये गहरे सागर का जल विशेष रूप से उपयुक्त पाया गया है। क्या यह संस्था इसका पता लगाने में समर्थ हो गई है ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** मैं नहीं जानता कि गहरे सागर के जल में ये अन्य पोषक-तत्व स्वतः होते हैं। यह प्रयोग तो नमक तथा अन्य पोषक-तत्वों को मिलाने के लिये है। जहां तक समय का प्रश्न है, भावनगर कारखाने में पहले से ही कैलशियम की अधिक मात्रा से युक्त नमक का बड़े स्तर पर उत्पादन होने लगेगा, और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की ओर से वर्ष 1968-69 के लिये उन्हें अनुदान भी दिया गया है। इस कार्य के लिए उन्हें आगामी वर्ष में भी अनुदान मिलेगा। इस स्थिति में अब यह बताना मेरे लिये कठिन है कि इसके लिये कितना समय लगेगा।

**श्री लोबो प्रभु :** मुझे आश्चर्य है क्योंकि मैं समझता था कि ज्यों-ज्यों आप वृद्ध होते जाते हैं, नमक का उपयोग कम करते हैं क्योंकि यह हृदय पर प्रभाव डालता है। शक्तिवर्धन के प्रश्न के सम्बन्ध में प्रश्न उठता है कि क्या नमक ही शक्तिवर्धन का उपयुक्त साधन है, जब इसे बहुत ही कम अथवा अत्यल्प मात्रा में लिया जाये ? शक्तिवर्धन के लिये क्या शक्कर अथवा भोजन आदि अन्य पदार्थ नहीं हैं क्योंकि कैलशियम तो इनमें भी मिल सकता है ? अब वे इसे वाणिज्यिक स्तर तक ले जा रहे हैं। प्रबलीकृत नमक का प्रयोग व्यक्तियों पर किस सीमा तक किया गया है तथा इससे उन्हें कितना लाभ हुआ है ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** जहां तक इसके प्रथम भाग का सम्बन्ध है, यह वृद्ध व्यक्तियों के लिये अभिप्रेत नहीं है, यह तो बच्चों के लिये है। इसका परीक्षण नमक से न करके शक्कर अथवा भोजन से इसलिये नहीं किया जाता, क्योंकि भावनगर कारखाना नमक संस्थान है तथा वहां नमक का काम होता है।

क्योंकि नमक शक्कर से अधिक सर्वजनीय है। यही कारण है इसका नमक पर परीक्षण होता है। जहां तक परीक्षण का सम्बन्ध है मैं अपने लिखित उत्तर में बता चुका हूं कि परीक्षण कर लिए गए हैं तथा खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था के द्वारा छः महीने तक जांच करने के पश्चात यह पता लग गया है कि बच्चों में दृष्टिगोचर विकास हुआ है।

**श्री सोनावने :** क्या सरकार यह समझती है कि दूसरे देशों में पोषक नमक को लेकर जो भी विकास हुआ है। उसे ग्रहण करना उपयुक्त है ; और यदि हां, तो इस अनुसंधान की पुनरावृत्ति तथा इस पर व्यय होने वाले धन की बचत करने के लिए क्या मंत्री महोदय यह पता लगायेंगे कि विदेशों में पोषक नमक पर हुआ अनुसन्धान हमारे लिए लाभकारी रहेगा ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय नमक तथा समुद्री रासायनिक अनुसन्धान संस्था अन्यत्र हो रहे इस प्रकार के कार्य से अवश्य सम्बद्ध होंगे। यदि केवल अन्यत्र हुए कार्य भी नकल मात्र करके तथा उसके लिये धन देने का प्रश्न है तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये परीक्षण किये होंगे।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : मंत्री महोदय चिकित्सक नहीं हैं अपितु अर्थशास्त्र के डाक्टर हैं। नमक के विषय में वह जो कुछ कहते हैं वह मान्य नहीं हो सकता। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि किन जानवरों पर ये परीक्षण किए जा रहे हैं ? क्या ये परीक्षण छोटे बच्चों, खरगोशों तथा चूहों पर किये जा रहे हैं ? इन परीक्षणों की स्थिति क्या है ? मेरा अनुरोध है कि या तो तथ्यों के साथ उत्तर दिया जाय अथवा मंत्री महोदय इसे स्थगित कर दें तथा किसी और दिन इसका उत्तर दें।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : मैं समझता हूं कि मैंने यथातथ्य इसका उत्तर दिया है। केन्द्रीय खाद्य टैक्नोलोजिकल अनुसन्धान संस्था ने जुलाई से दिसम्बर 1968 तक कैलसियम प्रबलीकृत नमक से पौष्टिक परीक्षण किए हैं तथा बच्चों पर इसका वर्धित विकास होता पाया है। प्रश्न वण्टमूषक अदि का नहीं है। मैं आदरणीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उन्हें यह सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे देश में पोषक तत्वों की बहुत अधिक कमी है और यदि ये परीक्षण सफल हो जायेंगे तो हम अपने बच्चों का ठीक प्रकार पालन कर सकेंगे।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : मंत्री महोदय अनुसन्धान अन्यत्र करवा रहे हैं। क्या यह परीक्षण यहां पर नहीं किये जा सकते ? संसद् सदस्य भीम क्लब जाते हैं। क्या वह इस पर ध्यान नहीं दे सकते कि वे दूसरों की तुलना में क्या सेवन करते हैं ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : संविधान बच्चों को लोक सभा का सदस्य बनने की की अनुमति नहीं देता।

**Shri Onkar Lal Berwa :** There are two ways of making salt, it is made of se: Secondly, there is a soil in Rajasthan whereupon if water is spread salt is produced, si digging dry soil in Falaudi. Will any survey be made on dry deposits as is being marine water salt?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए बहुत क जैसा कि कहा जा चुका है, मैं जीव रसायन आदि जैसे विषय का डाक्टर नहीं हूं, मैं तो का डाक्टर हूं, किन्तु मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि यदि एक बार परीक्ष हो जाता है···

## हुगली नदी की नौगम्यता

+

*632. **श्री स० चं० सामन्त** :
**श्री यशपाल सिंह** :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के निक नदी की नौगम्यता बनाये रखने के संबंध में प्राक्कलन समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पहले ही समिति की 15वीं रिपोर्ट में दी गई है। कलकत्ता के निकट हुगली नदी में नौगम्यता को बनाये रखने के लिए उथले भागों का तीव्र निकर्षण और नदी साध कार्य लगातार किये जा रहे हैं। इसके अलावा स्थायी हल के रूप में बारहमासी शीर्ष जल सप्लाई की व्यवस्था के लिए फराका बांध का निर्माण कार्य हो रहा है और उसके 1971 के शुरू में पूरा होने की संभावना है। भागीरथी और हुगली में नौगम्यता के सुनिश्चयन के लिए पत्तन ने नदी साध कार्यों की योजनाएं बनाई हैं। ये सुधार निर्माण कार्य पत्तन आयुक्त के जलीय अध्ययन विभाग द्वारा किये गये अध्ययनों के आधार पर किये जा रहे हैं। पत्तन आयुक्त केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान स्टेशन पूना और राज्य सरकार नदी अनुसंधान संस्थान के साथ निरन्तर निकट संपर्क बनाये रखते हैं।

**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि कलकत्ता पत्तन में एक से अधिक निष्कर्ष कार्य कर रहे हैं, निकर्षित मिट्टी नदी में डाली जाती है, नदी में ज्वार भाटा आने के कारण वह सारी मिट्टी कलकत्ता के आस-पास आ जाती है जिससे अवरोध हो जाता है; और यदि हां तो क्या सरकार निकर्षक से मिट्टी को निकाल कर मैदान में लायेगी जिससे कि वहां अवरोध उत्पन्न न हो सके ?

**श्री इकबाल सिंह** : मिट्टी के जमाव के सम्बन्ध में इसका अध्ययन किया जा रहा है। यह सत्य है कि कलकत्ता में लगभग 12 निकर्षक हैं। यदि हम मिट्टी को अत्याधिक दूर ले जायेंगे तो निकर्षक की कार्यक्षमता कम हो जायेगी तथा मिट्टी का जमाव बढ़ जायेगा। इसके लिए हमने स्थानों का चयन कर लिया है जहां मिट्टी डाली जायेगी।

**श्री स० चं० सामन्त** : मंत्री महोदय ने कहा है कि फरक्का बांध जल प्रवाह से नदी में नौगम्यता बनाये रखने में सहायता मिलेगी। क्या सरकार ने पश्चिमी बंगाल के सिंचाई तथा जल मार्ग मंत्री के द्वारा उठाई गई इस आशंका को समझा है जिसमें उन्होंने यह व्यक्त किया है कि इस कार्य के लिए गंगा के ऊंचे भाग में अधिक जल चला जाने के कारण गंगा नदी से हुगली नदी में जल पर्याप्त मात्रा में नहीं आयेगा, और यदि हां, तो क्या इस शंका का समाधान कर दिया है तथा इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री इकबाल सिंह** : मैं इसे सत्य नहीं मानता।

**Shri Yashpal Singh** : Will Government tell as to how many sand bars are there between sand head and Calcutta ? Is Government aware of the fact that the problem of Hooghly will not be removed unless water from Farrakka is taken ?

**Shri Iqbal Singh** : It is true. There are 14 bars ; and dredging is done to keep these bars properly. It is also true that the problems of Calcutta and Hooghly will not be solved unless Farrakka Barrage has been completed.

**डा० रानेन सेन** : क्या यह सही है कि भागीरथी नदी में से गाद निकालने के लिये, जिससे इस नदी की नौगम्यता पर अनवरत प्रभाव पड़ता है, कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के द्वारा खरीदे गये निकर्षकों को यह जानते हुये भी कि गाद के कारण नौगम्यता पर गहरा प्रभाव पड़ा है, या तो उन्हें भारत सरकार के दूसरे पत्तनों को बेच दिया है अथवा वहां भेज दिया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार अथवा पत्तन आयुक्तों ने इन निकर्षकों के दूसरे पत्तनों को दिये जाने अथवा हस्तान्तरण करने के क्या कारण हैं ?

**श्री इकबाल सिंह** : कलकत्ता पत्तन पर छः विशाल निकर्षक हैं, तथा निकर्षण कार्य जोरों पर चल रहा है। केवल कलकत्ता पत्तन से ही निकर्षकों को दूसरे स्थानों पर नहीं भेजा जाता है बल्कि कभी-कभी उन स्थानों से निकर्षकों को कलकत्ता लाया जाता हैं। यही वस्तुस्थिति है। निकर्षण के समस्त कार्य में पूर्ण रूप से प्रचुर उन्नति हुई है। वर्ष 1964-65 में कुल 100 करोड़ टन मिट्टी निकाली गई तथा अब लगभग 170 करोड़ टन निकाली गई है ?

**डा० रानेन सेन** : मेरा प्रश्न है कि क्या कुछ निकर्षक अन्य पत्तनों पर भेजे गये। मैंने यह नहीं पूछा है कि निकर्षण कार्य कितना हो गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि कभी-कभी कुछ निकर्षक वहां से भेजे जाते हैं तथा कभी-कभी अन्य पत्तनों से उन्हें लाया भी जाता है।

**डा० रानेन सेन** : वह यह बतायें कि दो वर्ष पूर्व कितने निकर्षक उपलब्ध थे, तथा इस समय कितने हैं।

**श्री इकबाल सिंह** : इस समय लगभग 12 निकर्षक हैं। दो वर्ष पूर्व इनकी कितनी संख्या थी मैं नहीं जानता :

**Shri Yamuna Prasad Mandal**: It is known to all that Calcutta is a big port but it is not a good harbour and that is why Farrakka Barrage was constructed. How far these doubts are correct that Farrakka Barrage would not be able to do this work ? The Hon. Minister must give the figures regarding number and size of the dredgers and either they are sending small dredgers or big ones ; also the progress made in dredging the silt from the river bed ?

**Shri Iqbal Singh**: As far as the question of doubt is concerned, the problem facing Calcutta and Hooghly will be solved after Farrakka Barrage has been constructed. Therefore the Farrakka Barrage is being constructed in such a big manner.

So far as the question of dredgers is concerned Calcutta Port has got sufficient quantity of dredgers, it needs. This is a big question that even the biggest dredger of the world cannot dredge out silt from the river which takes 19 million tonnes cubic feet silt unless more water is sent to the river and that these bars would remove of their own. Even then maximum efforts are being made for dredging Calcutta Port.

**श्री समर गुह** : क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता महानगर संगठन द्वारा हाल में प्रकाशित किये गये एक प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि कलकत्ता पत्तन में इस

समय जितने ड्रेजर उपलब्ध हैं यदि उनका ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाये तो कलकत्ता पत्तन की क्षमता कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है क्योंकि प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कलकत्ता पत्तन में इस समय जितने ड्रेजर उपलब्ध हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ? प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि यदि ड्रेजरों का ठीक-ठीक इस्तेमाल करने के साथ कुछ फीडर नहरें भी बनाई जायें, तो कलकत्ता पत्तन में होने वाले विलम्ब को कम किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**श्री इकबाल सिंह :** तलकर्षण का मुख्य उद्देश्य कलकत्ता पत्तन के ड्राफ्ट को 26 फुट रखना है, और इसी उद्देश्य से लगातार तलकर्षण किया जाता है। यह देखना कि तलकर्षण कहां किया जाये, इंजीनियरों का काम है।

जहां तक कुल क्षमता का प्रश्न है इसमें वृद्धि हुई है। वर्ष 1964-65 में 1 करोड़ मीटरी टन से कुछ अधिक मिट्टी निकाली गई थी और अब 1 करोड़ 70 लाख मीटरी टन मिट्टी निकाली गई है। इससे सिद्ध होता है कि तलकर्षण कार्य में निरन्तर सुधार हो रहा है।

**श्री समर गुह :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता महानगर संगठन के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें कहा गया है कि यदि ड्रेजरों का ठीक ढंग से इस्तेमाल किया जाये तो कलकत्ता पत्तन की क्षमता में तुरन्त 20 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

**श्री इकबाल सिंह :** जहां तक अधिक क्षमता के निर्माण का प्रश्न है, मूल संगठन उसी के लिये है। उसका बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया जा रहा है।

**श्री समर गुह :** क्या माननीय मंत्री को विशेषज्ञों द्वारा प्रकट किये गये इस मत की जानकारी है कि ड्रेजरों का गलत ढंग से इस्तेमाल किये जाने के कारण हलदिया पत्तन की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई है और फरक्का से पानी आने पर भी रेत को दूर नहीं किया जा सकेगा तथा कुछ ही वर्षों में हल्दिया पत्तन की स्थिति खतरनाक हो जायेगी ?

**श्री इकबाल सिंह :** मुझे अभी तक विशेषज्ञों द्वारा प्रकट किये गये किसी मत की जानकारी नहीं है।

**दिल्ली का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण**

+

*634. **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने भी दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण कराने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इस प्रकार का सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) क्या योजना आयोग ने भी दिल्ली में सर्वेक्षण कराने के विचार का अनुमोदन किया है; और

(घ) इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली ने दिल्ली के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से सम्बन्धित कार्य आरम्भ कर दिया है।

(ख) परिषद् ने नेफा, दण्डकारण्य तथा सिक्कम के अतिरिक्त सभी 16 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, पाण्डीचेरी तथा गोवा, दमन व द्वीव का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण पहिले ही पूरा कर लिया है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सर्वेक्षण, संघ राज्य क्षेत्रों के तकनीकी तथा आर्थिक प्राप्य साधनों की जांच करने तथा 10-15 वर्ष की अवधि के लिये उचित विकास कार्यक्रम की भावी योजना बतलाने के लिये किया जायेगा।

**श्री चेंगलराया नायडू** : माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का उस सर्वेक्षण को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन सर्वेक्षणों को योजना आयोग के पास भेजा गया है और क्या योजना आयोग ने उन्हें चौथी पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : सामान्यतया इन अध्ययनों के पूरा होने पर संगत भांगों को संबंधित अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है। विकास सम्बन्धी योजनायें बनाते समय वे उन पर विचार करते हैं।

**श्री चेंगलराया नायडू** : सर्वेक्षण पर इतना अधिक धन खर्च किये जाने के बाद भी यदि केन्द्रीय सरकार इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही है और योजना आयोग को इसे क्रियान्वित करने की सलाह नहीं दे रही है, तो इसका क्या लाभ हुआ ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कम से कम राज्य सरकारों को इसे क्रियान्वित करने की सलाह देगी ? यदि राज्य सरकारें इसे क्रियान्वित करना भी चाहें, तो भी उन्हें योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें योजना आयोग के पास भेज रही है और चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्हें शामिल करने और क्रियान्वित करने को कह रही है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : जैसा कि मैंने कहा है सर्वेक्षणों का मुख्य उद्देश्य योजना के लिये प्राप्य साधनों की जांच करना तथा परियोजनाओं के लिये उनकी व्यवहारिता का पता लगाना है । उपयुक्त अधिकारियों द्वारा उनकी जांच-पड़ताल करने पर ही यह निर्णय किया जायेगा कि समूचे संसाधनों को ध्यान में रखते हुये किन-किन परियोजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जा सकता है और किन-किन को पांचवी पंचवर्षीय योजना तक स्थागित किया जाता है । इसके यह अर्थ नहीं हैं कि सर्वेक्षणों के पूरा होने पर सरकार उनमें दिलचस्पी नहीं लेती है । हम इस मामले में आगे कार्यवाही जरूर करेंगे ।

**Shri Onkar Lal Berwa** : On what matters the survey is being made ? Secondly will the Central Government give any financial help to the Union Territory of Delhi after the report is received. The time by which the report is likely to be received, and whether Central Government has made provisions to render help to State Governments ?

**Shri Vidya Charan Shukla** : Normally we help them. A period of about 18 months is likely to be taken in completing this study. Matters taken in the study are rise in population, growth in agriculture, Iudustries, Power, Transport, Water Supply, Urban Housing, Education, Health, Financial Resources and such other matters which are closely connected with the daily life of a citizen are under study. There are about 11-12 total subjects.

**Shri Onkar Lal Berwa** : I want to know whether the Central Government could help the State Government when the survey report will be sent to them ? I am asking about financial help.

**Shri Vidya Charan Shukla** : Matters regarding financial help are decided in consultation with Planning Commission. These surveys have no direct bearing with these matters. These matters are decided keeping in view the total resources and needs.

**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका यह बहुमूल्य अनुभव इस तथ्य का साक्षी है कि दिल्ली जैसे देश के कुछ भागों, तथा सारे पिछड़े क्षेत्रों, और देश के कुछ भागों में जहां गहन विकास हुआ है तथा अन्य पिछड़े भागों के बीच बढ़ती हुई असमानताओं के कारण पिछड़े प्रदेशों में असन्तोष बढ़ रहा है । इन असमानताओं को दूर करने के लिये क्या दिल्ली प्रशासन तथा संघ राज्यों ने क्षेत्रीय योजना के आधार पर एक टैक्नोआर्थिक सर्वेक्षण कर लिया है, जिसे बाद में अखिल भारतीय स्तर पर ग्रहण किया जा सके, तथा क्या योजना आयोग के उपाध्यक्ष के विशिष्ट प्रदर्शन में 'वारधा' नामक योजना से इसकी भी समानता की जा सकती है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैंने अपने मूल उत्तर में यह बता दिया था कि यह सर्वेक्षण केवल कुछ विषयों की तकनीकी तथा आर्थिक व्यवहारिकता को जानने के लिये किया था । यह किसी अन्य सम्बन्ध में नहीं है ।

**श्री स्वैल** : यह सुन कर सन्तोष हुआ है कि नेफा में तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है । नेफा अतिविस्त्रित तथा कठिन क्षेत्र है तथा वहां संचार व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है । मैं

जानना चाहता हूं कि यह सर्वेक्षण किस प्रकार किया गया, इसमें कितना समय लगा, तथा नेफा की संभावनायें क्या है, तथा क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान वहां कोई कारखाने अथवा यंत्र लगाए जायेंगे ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मुख्य प्रश्न दिल्ली से सम्बंधित है । यदि आदरणीय सदस्य नेफा के विषय में अलग से प्रश्न पूछेंगें तो मैं उनको पूर्ण जानकारी दूंगा ।

**श्री स्वैल** : अपने उत्तर में उन्होंने नेफा का भी निर्देश किया था और इसीलिए मैंने नेफा के विषय में प्रश्न किया था ।

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय उनके पास ब्योरे नहीं हैं ।

**Shri Shiv Charan Lal :** The Jhuggi Jhonpri dwellers were removed a few days back and their Jhuggies were demolished. I want to know from the Hon. Minister that in order to solve the housing problem of the affected dwellers permanently has the survey team recommended for proper site for their housing where they may live ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** All these things are included in the subjects under study ?

**Shri Kanwar Lal Gupta :** The Hon. Minister has indicated that a Survey of Delhi will be done and that the requirements of Delhi will be assessed. The money will be spent in accordance with the directives of the Planning Commission. Whether Delhi Administration, after making Survey, has sent a list of their requirements and problems to Central Government and whether it is a fact that the funds allocated for Delhi under Fourth Five Year Plan is not sufficient for its development ? In view of this what is the use of your surveying the area when you cannot fulfil the requirements suggested to you by Delhi Administration and what steps Government is going to take to see that the amenities being given to a State are not reduced ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** As far as this General question is concerned, I shall give detailed information after getting it collected if the Hon. Member takes a separate question. But so far as the study is concerned investigation will be made regarding economically feasible resources of this Union Territory, its possibilities will be taken into account during survey period and also the extent of funds to be spent in a particular area will also be decided. We are making study to decide the extent of resources to be used in these matters.

**Pakistanis Visiting India**

+

*635. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :**
**Shri Onkar Singh :** **Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the particulars of those Pakistanis, who came to India one month before and one month after the convention organised by Sheikh Abdullah in Kashmir and were issued visas to visit India ;

(b) their names and the reasons for issuing visas to them ; and

(c) the names of those persons out of them who took part in the said convention ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) to (c). A statement giving the information in respect of Pakistanis who came to the States and Union Territories, other than the States of Bihar, Rajasthan, West Bengal and Uttar Pradesh, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-437/69.]** None of the Pakistani nationals mentioned in the statement took part in this convention.

The information in respect of Pakistanis who came to the States of Bihar, Rajasthan, West Bengal and Uttar Pradesh is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Hon. Minister be pleased to state whether it is a fact or not that a man Rashid by name and Ex-Finance Minister of occupied Kashmir participated in this convention. First of all he went to America and then he came here from America after getting visa of Indian Embassy. Is it also a fact that some of the relatives of General Yahya Khan Commander-in-Chief of Pakistan had come here ? In case the Hon. Minister is not aware of this fact, will he arrange for an enquiry ?

Secondly, I want to know whether Sheikh Abdullah had requested the Government to allow him to invite some Pakistanis. The names of those Pakistanis who requested the Government to allow them to participate in the convention ? The steps Government took in this connection ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** I shall definitely examine the matter about those persons about whom the Hon. Member has informed me. So far as I am aware, we have no such information that any Pakistani National came here and took part in the convention, and this I have already indicated in my original answer.

Regarding request made by Sheikh Abdullah for giving permission to some people of Pakistan to take part in the convention, we may say that it is against our policy and thus we did not give any such permission.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Sheikh Abdulla demanded Plebiscite in Kashmir, immediately after this demand of the Sheikh, the Foreign Minister of Pakistan declared that they will take up Kashmir issue to Security Council. Shri Jai Prakash Narain, Chairman of the Convention in his address there, put forward the suggestion that this problem could be solved only within Indian Constitution. Rajaji also uttered some thing similarly. Since instability has been created in the minds of the people, because of the convention, I want the Hon. Minister to assure these three things :

(1) that Kashmir is a settled matter, and it is an integral part of India.

(2) that the Constitutional relation with Kashmir should not be allowed to slack, rather it should be strengthened ; and

(3) that Government will not surrender before any foreign pressure, however powerful it might be and will have no bargaining about Kashmir.

**Shri Vidya Charan Shukla :** The matter raised by the Hon. Member have already been discussed in the House earlier. But in case the Hon. Member wants to listen these things pointedly I shall repeat them. Kashmir is an integral part of our country and it is not at all a disputed territory. So far as the question of our relations with Kashmir is concerned, question

does not arise, relations will be definitely strengthened. Regarding the question of foreign pressure, nothing will be done which may go against the interests of the country.

**Shri Bansh Narain Singh :** During the conflict between India and Pakistan in 1965, the Mohammedans living along the Rajasthan border had gone to Pakistan. Have these people who have come back after the fighting was stopped, been again allowed to stay there and are cultivating land ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** The matter has been thoroughly discussed regarding such Indian Nationals who went to Pakistan during conflict. Those who are still living in Pakistan and have indulged in anti-national activities, we have not accepted them as Indian Nationals and whatever action is called for according to law is being taken against them.

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने काश्मीर सरकार से जानकारी ली है अथवा सूचना के अपने साधनों से पता लगाया है कि क्या किसी पाकिस्तानी ने प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में भाग लिया ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैंने पहले ही अपने मूल उत्तर में कह दिया है कि किसी पाकिस्तानी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो एक महीने पहले वीसा (प्रवेश-पत्र) पर भारत आया है, को सम्मेलन में भाग नहीं लेने दिया गया ।

**श्री हेम बरुआ :** आदरणीय मंत्री ने अभी कहा है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । यह तो ठीक है । यदि यह भारत का अभिन्न अंग है तो सरकार संसार के देशों की राजधानियों जैसे वाशिंगटन, लन्दन, मास्को तथा ताशकन्द में काश्मीर की राजनीतिक स्थिति के विषय में क्यों विचार-विमर्श करती है ? क्या इससे काश्मीर की जनता के मन में एक प्रकार की मानसिक, राजनीतिक अस्थिरता नहीं पैदा होती ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** यह प्रश्न कि क्या काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पूर्णरूप से निर्विवाद है तथा इस विषय पर हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत नहीं करते ।

**श्री हेम बरुआ :** परन्तु यह सरकार काश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति के विषय में विश्व की विभिन्न राजधानियों में विचार-विमर्श करती रही है । अब वह कहते हैं कि वे बात करते ही नहीं, ताशकन्द में सरकार ने क्या किया ? ताशकन्द घोषणा की पहली धारा ही काश्मीर की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में है ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** मैं वर्तमान स्थिति को बता रहा हूं ।

**श्री नाथपाई :** यह अन्तिम स्थिति है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल :** आज हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है अथवा नहीं । हमने इसे भारत का अभिन्न अंग माना है और मानते रहेंगे ।

**Shri Ramji Ram :** I want to know from the Hon. Minister whether any visa is required in order to come to Kashmir from the so called Azad Kashmir ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** At present I have no information on this subject.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है । इस सम्बन्ध में मैं शेख अब्दुल्ला के द्वारा दिए गये वर्तमान वक्तव्य की ओर इनका ध्यान दिलाता हूं, जिसमें उसने पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को निष्क्रान्त सम्पत्ति दी जाने के विषय में काश्मीर विधान सभा में पेश हुए विधेयक के बारे में अपना मत व्यक्त किया है । और इस बारे में भारत सरकार और काश्मीर सरकार को धमकी दी है । यदि वह इससे अवगत हैं तो सरकार इस विषय में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हम शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के वक्तव्यों तथा उसकी गतिविधियों से पूरी तरह अवगत हैं तथा इन मामलों पर घनिष्ट निगरानी रख रहे हैं । उपयुक्त समय आने पर हम उचित कदम भी उठायेंगे ।

**श्री प० गोपालन** : ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें कि अपने सम्बन्धियों से मिलने इस देश में आये हुए पाकिस्तानियों को पुलिस बेकार में तंग करती है । कभी-कभी तो उनको पकड़कर हिरासत में ले लेते हैं । कुछ दिन पूर्व दिल्ली में 3 पाकिस्तानियों को पकड़ लिया तथा बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जबकि उनके पास उचित प्रवेश-पत्र तथा पार-पत्र थे । इस पृष्ठभूमि में इन निरीह-सीधे पाकिस्तानी नागरिकों को, जो भारत में अपने सम्बन्धियों से मिलने आते हैं, अनावश्यक रूप से तंग न करा जाए इस दिशा में सरकार क्या कदम उठाने का विचार करती है ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : उन पाकिस्तानी यात्रियों को जो मान्य प्रवेश-पत्र (वीजा) पर भारत आते हैं, तंग नहीं किया जाता है, परन्तु कभी-कभी जब वे अज्ञानता अथवा अजाने में नियम तथा विनियमों को न जानते हुए उनका उल्लंघन करते हैं तो वे कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं तथा कभी वे कठिनाई में भी पड़ जाते हैं । हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि सीधे व्यक्ति जो अनजाने में कानून तथा प्रवेश-पत्र सम्बन्धी विनियमों का उल्लंधन कर जाते हैं उनको कठिनाई न उठानी पड़े ।

**Shri Chandra Jeet Yadav :** The Hon. Minister has said that Kashmir is an integral part of India. And in this connection there should be no discussion with any Capital of the World. This declaration is commendable. But I want to know from the Hon. Minister whether such conventions will be allowed to be held in the different parts of India to openly discuss, Kashmir and its future.

**Shri Vidya Charan Shukla:** Such conventions which are held and the statements being made are all unwanted. I favour the views of the Hon. member. But it is not necessary to get permission of Government of India to hold such conventions. Secondly these conventions are not only held in Kashmir but these are also held in other parts of India too. Sometimes people misuse the right of Civil liberty we have given to them. You should leave it to us to decide the action of a particular case after giving it a proper consideration. We shall decide to take appropriate action which are in the best interests of country.

**Shri Jharkhande Rai :** Had Shri Jai Prakash Narain any discussions with Government of India before he took part in the convention ? May I know Whether the proposal made by him during his speech that Kashmir problem can be solved within the frame work of Indian constitution had any favourable or adverse effect in the convention, and whether the original resolution passed in the convention was according to that proposal or otherwise ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** This is not in my knowledge whether he had any discussions with Government of India. He might have had talks with some leaders. But in this connection I have no information. So far as the question of resolution is concerned we are not going to take any decision regarding this issue. I have already informed the house about the relations between India and Kashmir.

**Shri M. A. Khan :** People who have come to India from Pakistan and have been living here for the last 10 to 15 years filed suit in the high courts for Indian citizenship. Opinions from the high courts were sent to Government of India for deciding their fate. But that matter is still lying pending. The reasons why Government is not going to decide their cases as to whether they are Indian Nationals or Pakistani Nationals so that they may settle their means of livelihood ? So long as this decision is not finalised neither they are nationals of India nor they are Pakistani national. I want to know from the Government how much time they are likely to take in deciding such cases, and the number of such cases at present.

**Shri Vidya Charan Shukla :** This question does not relate to the original one but even then with your permission but in this connection I would like to give a little information. The question is that these Indian Nationals for one reason or the other go to Pakistan and it does make any difference whether they go there for a short period or for longer period. When they want to come back from there they are required to get pass port from Pakistan, and that is why they become Pakistani National according to law and they lose Indian Nationality. In these circumstances whatever legal action is required against them is taken which does not mean that they will be expelled from India but to treat them as foreigners. Some times we issue to them yearly visas to stay here and in this way they have been living here for the last 10 years or even 15 years. For fear of relegation they get stay orders from the courts and as such oftenly delay takes place in disposing of such cases. In this connection our policy is generous. Whereever we see that because of some circumstances any Indian National had to go to Pakistan and after sometimes he came back and he has been living here for 10 to 15 years, if there is no security or such other case against him, we permit him to live here and in the long run under constitution we award him National Citizenship.

**श्री रंगा :** उस सम्मेलन के समाप्त होने के पश्चात् जिसका सभापतित्व हमारे मित्र ने किया था, जनमत संग्रह मोर्चे की ओर से बहुत सा ऐसा साहित्य जिसमें यह कहा गया है कि काश्मीर पाकिस्तान से पर्यटन, औद्योगिक विकास, आर्थिक उन्नति आदि मामलों में पाकिस्तान से न मिलकर हानि उठा रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है ताकि लोग भारत के विरुद्ध यह धारणा बना लें कि यदि काश्मीर पाकिस्तान के साथ मिल जाए तो वहां उनकी सामाजिक आर्थिक अवस्था सुधर जायेगी । क्या सरकार इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिए उसकी प्रतिक्रिया में अपना साहित्य प्रकाशित नहीं कर सकती जिससे इन तथ्यों का विशद रूप में प्रचार हो जाए कि भारत सरकार काश्मीर की जनता की आर्थिक दशा सुधारने के लिए काश्मीर सरकार को केवल ऋण,

इत्यादि देकर ही करोड़ों रुपया व्यय नहीं करती है बल्कि वहां किस प्रकार से व्यक्त रूप में सीधे धन व्यय करके अपना बलिदान करती है ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : ऐसे मिथ्या प्रचार को हम केवल विफल ही नहीं करते बल्कि लोगों के संदेह का भरसक निवारण भी करते हैं .....

**श्री रंगा** : मैंने अभी तक ऐसा साहित्य नहीं देखा है ।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : प्रो० रंगा को मैं कुछ भेजने का प्रयास करूंगा ।

**श्री रंगा** : यह नहीं कि वह उनको इकट्ठा करते रहें । क्या उन्होंने ऐसा साहित्य प्रस्तुत किया है ? यदि नहीं, तो अब उनको चाहिए कि वे प्रस्तुत कर दें ।

**Shri Sitaram Kesri**: The Hon. Minister has just now given a reply to a question that such conventions are unwanted in our country. I want to know whether there is any other leader or Association like Sheikh Abdullah who often gives speeches statements and arranges such conventions which go against the integrity of the country and tries to face the separate tendencies ?

**Shri Vidya Charan Shukla**: There are such types of associations and leaders in south India. There are some in east India too who have indulged in such activities. If we take action against them it means that they are given undue importance, which they do not deserve. Therefore we keep watch on them so far they don't affect the security and integrity of the country. But there are such people in the country, this cannot be denied.

**Shri Balraj Madhok**: I welcome the statement of the Hon. Minister that Kashmir is an integral part of India. I hope that the Hon. Prime Minister and Hon. Minister for external affairs will not repudiate the stand in this regard. While speaking on the address of Governor and replying to the debate in the Kashmir Assembly. Chief Minister of Kashmir had said that the people of Pakistan would be free to come to Kashmir. Are you aware of his speech. If so, whether there are separate rules for Pakistanis who came to India and for those who go to Jammu and Kashmir? If these rules are similar, is the statement given by the Chief Minister not in tune with Indian law, and if so, will you repudiate them ? Shri Farooq, leader of Plebiscite front and leader of Awami Action Commitee whom you called in Delhi a few days back, and to whom you gave V. I. P. treatment has stated that he would take the issue of law of evacuee property to Security Council. I want to know whether any Indian is authorised to take up the issue to Security Council regarding Indian Law or any issue connected with it. If he is not authorised to make such statements what action you propose to take against him ?

**Shri Vidya Charan Shukla**: This is clear, no Indian is authorised to take any matter concerning Indian Law or such other issue to security council. For such matters are not in the interest of Nation. No Patriot will ever utter such things or will instigate any body to say such things. So far as the question of the statement given by Shri Sadiq is concerned, I have no such information at present.

**Shri Balraj Madhok**: He has given the speech in the House and the Hon. Minister says that he has no information.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : श्री फारूख ने महासचिव के नाम एक पत्र भेजा है (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : शान्त हो जाइए। श्री फारूख द्वारा संयुक्तराष्ट्र के महासचिव श्री उथांट के नाम एक तार भेजने के सम्बन्ध में आज एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था। यही कारण है कि वे सब इसके सम्बन्ध में जानना चाहते हैं। वह इसके सम्बन्ध में पूछ रहे थे कि श्री फारूख ने इस सम्वन्ध में उथांट के नाम तार भेजा है।। (**व्यवधान**) मैं स्वयं यह पूछ रहा हूं।

**Shri George Fernandes** : Question is this as to why Government allowed Shri Farooq's cable delivered to U. Thant. Telegrams sent by labourers are held up. Whether Government is not authorised to detain such cable ?

**Shri Madhu Limaye** : Government detains telegrams of other people of the country.

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। वह पूछ रहे हैं जो तार भारत भेजा गया था उसे भारत सरकार ने रोका क्यों नहीं। इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाए।

**Shri Prakash Vir Shastri** : Whether it is a fact that Sheikh Abdullah furiously criticised the proprietory rights of displaced persons of Jammu in the convention organised by him and afterwards he gave similar statement, but Chief Minister of Jammu and Kashmir, Shri Sadiq did not express any resentment ? Whether it is also a fact that the main cause of the differences which have been created between the Congress President of Jammu and Kashmir State, Shri Mir Kasim and the State Chief Minister, Shri Sadiq is that Shri Sadiq is going very closer to Sheikh Abdullah ; if so the reaction of Government of India thereto ? Some such documents were laid on the table of the House last time wherein some references regarding financial aid being given by Pakistan to Plebiscite front were made. Whether Government is alert in this regard that Plebiscite front may not be getting any financial aid from Pakistan ?

**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : मुझे डर है कि मंत्री महोदय अपनी कल्पना बहुत दूर तक दौड़ा रहे हैं। श्री सादिक तथा श्री कासिम के बीच कुछ तर्क वितर्क तो अवश्य हुए थे जिसका सबको पता है। परन्तु यह सुझाव देना बहुत गलत है कि यह इस कारण हुए क्योंकि श्री सादिक शेख अब्दुल्ला के बहुत निकट आते जा रहे हैं। निस्सन्देह व्यक्तिगत रूप में वे अभिन्न मित्र हों तथा हमारी इच्छा है कि वे अभिन्न मित्र रहें। परन्तु यह सर्वविदित तथ्य है कि उनकी काश्मीर के प्रति धारणा शेख अब्दुल्ला से एक दम भिन्न है। हम जानते हैं तथा मुझे सन्देह नहीं है कि जहां तक काश्मीर के भारत में विलय का प्रश्न है श्री सादिक की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

**Shri Shashi Bhushan** : I am thankful to the Hon. Minister that he has said that Kashmir is integral part of India. Every Indian regards this. I want to know that the organization like Plebiscite front, who get secret money and do not submit any accounts is allowed by the Government to function. Also, whether Government will see to this that these communal, secret organization and their funds are seized.

**Shri Vidya Charan Shukla** : We are fully aware of these things that these organizations are not indulging in such activities as may harm the interest of the country. I shall request the Hon. member to have faith in us and we shall never allow these organizations to do anything which goes against the interest of the country.

**श्री नाथपाई** : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अस्वीकार करके आपने मंत्री महोदय का ध्यान श्री फारूख द्वारा संयुक्तराष्ट्र के महासचिव के नाम भेजे गए तार की ओर दिलाने का प्रयास किया है। क्योंकि मामले को पहले से ही उठाया है अत: मैं जानना चाहता हूं कि क्या तार को महासचिव तक पहुंचा दिया गया है और, यदि हां, तो क्या इससे भारत के भीतरी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बुलावा नहीं मिलता, तथा कहां तक वह इसे अपने द्वारा दिए गए पूर्व के स्पष्ट वक्तव्य से मिलाते हैं कि किसी शक्ति, अधिकारी तथा किसी व्यक्ति को भारत के भीतरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस प्रकार तार भेजने से भारत के भीतरी मामलों में विदेशी हस्तक्षेप को बुलावा तो मिलता है, परन्तु इस समय मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या तार वास्तव में भेज दिया गया है अथवा नहीं।

**Shri Yajna Datt Sharma :** Will the Hon. Minister assure that the Anti National elements which are indulging in acts of harming the internal integrity of the country and about whom the Hon. Minister has told that their activities are undesirable and the Government will not give them any due importance ?

**Shri Vidya Charan Shukla :** Question does not even arise to give undue importance or instigate to such elements.

**श्री बलराज मधोक** : उसने श्री फारूख को दिल्ली में आवास दिया। इसलिए आप सदन से तथ्यों को क्यों छुपाते हो ?

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हम कोई तथ्य नहीं छिपाते।

## भारत से प्रतिभा प्रवास

\+

*637. **श्री बेदब्रत बरुआ :** **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** **श्री हेमराज :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रतिभा प्रवास के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने देश से इस प्रतिभा प्रवास को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) भारत से प्रतिभा निकास के बारे में, अभी तक कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। किन्तु, इस समस्या के कुछ पहलुओं का अध्ययन किया गया है।

(ख) और (ग). विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों के भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिये तथा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को देश में कार्य करने तथा रहने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उठाए गए कदमों में से कुछ विवरण में दिये गए हैं, जो सभा-पटल पर रख दिया गया है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**438/69]

**श्री वेदव्रत बरुआ** : इस बारे में उत्तेजना उत्पन्न होने का कारण 'अमरीकन रिपोर्टर' में प्रकाशित प्रतिभा निकास पर एक लेख, जिसमें कहा गया है कि भारत आदि देशों को तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के रूप में जो सहायता हम देते हैं, वह पूर्णतः निर्थरक हो जायगी यदि उन व्यक्तियों को नौकरी के लिए अन्य देशों में जाने की अनुमति मिलती रही। हमारा प्रजातंत्र इस बारे में हम पर कोई रोक नहीं लगाता और सम्भवतः हमारे यहां उन्हें कार्य पर लगाने के लिये पर्याप्त नौकरयां भी नहीं हैं। कृपया बताइये कि वास्तव में कितने प्रशिक्षित व्यक्ति देश से बाहर चले जाते हैं और क्या यह सत्य है कि हमारे तकनीकी व्यक्तियों में से श्रेष्ठतर बाहर जाते रहे हैं और अब भी जा रहे हैं।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : इसके लिये एक अध्ययन दल की स्थापना 1968 में की गयी थी और कुछ बातों की जांच-पड़ताल की जा रही है। मैं उनकी प्राथमिक रिपोर्ट का विवरण सदन को दे सकता हूं। अनुपयुक्त मानवीय शक्ति अन्वेषण संस्थान ने अध्ययन किया है कि सन् 1962 से 1967 तक के पांच वर्षों में 22,000 पार-पत्र दिये गये थे। यदि वह चाहें तो मैं उसका ब्योरा दे सकता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्यों नहीं प्रतिवेदन ही सभा-पटल पर रख देते।

**डा० वी० के० आर० वी राव** : प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं हुआ। यह केवल उनके प्राथमिक निष्कर्ष हैं और सभा-पटल पर रखने की स्थति में नहीं हैं।

**श्री वेदव्रत बरुआ** : हम एक भारी संख्या में अभियंताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उद्योगिक विकास भी हो रहे हैं। परन्तु यहां भी हमने उद्योगों की स्थापना की है चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के, हमें विदेशी अभियंताओं को नियुक्त करना पड़ा है। क्या मंत्री महोदय को योजना-आयोग को दी गयी सर्वे रिपोर्ट की जानकारी है, जिसके अन्तर्गत डिजाइन इंजीनियरिंग सेवाओं और परामर्श-धातृ सेवाओं का अध्ययन किया गया है, जिनका मत है कि भारत में ऐसी सेवाएं पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं। उस प्रतिवेदन का क्या बना ? हम उन उपलब्ध सेवाओं का कैसे उपयोग करने जा रहे हैं ? क्या राजकीय एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों को उनका पूरा उपयोग लेने को कहा जायेगा ?

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : उस प्रतिवेदन पर क्या कार्यावाही की गयी है यह मैं ठीक से नहीं बता सकता। परन्तु सरकार कि यह नीति है कि देश में उपलब्ध डिजाइन एवं परामर्श सेवाओं का अधिकतम उपयोग लिया जाये। सिंचाई और विद्युत विभाग में भी ऐसी सेवाओं को प्रारम्भ करने की चेष्टा की जा रही है। संचार एवं पत्तन विकास से ऐसी सेवाओं को प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है।

**Shri Yashwant Singh Kushwah :** At present there are eighty thousand jobless engineers in India and a large number of them are Diploma holders. Whether the Government have prepared any plan to provide them with work as soon as they finish their education. If so, is it being implemented and if not when it could be done? It is a matter of great shame that our educated and specialist have to go to foreign lands for service.

**डा० वी० के० आर० वी० राव :** मेरी सूचना के अनुसार हमारे देश में 40,000 बेकार इंजीनियर हैं और यह संख्या अभी तक 80,000 तक नहीं पहुंची । इस संख्या में उपाधि प्राप्त इंजीनियर भी सम्मिलित हैं । इसलिये माननीय सदस्य द्वारा दिये गये आंकड़ों में और संख्या जोड़ने की आवश्यकता नहीं । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में उठाए गये पग विवरण में दिये गये हैं । इसमें सभी स्तरों पर विचार किया जा चुका है जिसमें उच्चतम सरकारी स्तर भी सम्मिलित हैं । भारत में इंजीनियरों के लिए अधिक रोजगार खोजने के लिए प्रभावशाली पग उठाए जा रहे हैं । ऐसे कई सुझाव कार्यान्वित किये जा चुके हैं और कई कार्यन्वित किए जा रहे हैं । अन्ततः समस्या का हल आर्थिक विकास द्वारा ही होगा ।

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

**पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर बी० ओ० ए० सी० के एक विमान में पकड़ा गया सोना**

**अ.सू.प्र.सं. 8. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे, नई दिल्ली, पर बी० ओ० ए० सी० के एक विमान में पकड़े गये सोने को छोड़ देने का आदेश दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सोना किस आधार पर जब्त किया गया था और उसे किस आधार पर छोड़ा जा रहा है ;

(ग) क्या इस सोने को छोड़ने से ऐसे माल को जब्त करने से सम्बन्धित सीमा शुल्क विधियों में विद्यमान किसी भारी कमी का पता चलता है अथवा इससे कानूनों को गलत ढंग से लागू किये जाने का संकेत मिलता है ; और

(घ) प्रशासनिक प्रक्रिया को सुधारने और यदि कोई कानूनी त्रुटि है तो उसको दूर करने के लिए, जिससे कि भविष्य में ऐसी घटना न होने पाये, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी, हां ।

(ख) जुर्माना अदा करने पर छोड़ने का विकल्प देकर सोने को जब्त करने के जिन कारणों का पता, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता, नई दिल्ली के 15-2-68 के आदेश से चलता है, वे अनुबन्ध I में बताए गए हैं और अपील किये जाने पर सोने को मुक्त करने के

जो कारण केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड ने 3 मार्च, 1969 के अपने आदेश में दिये हैं, वे अनुबन्ध II में बताये गये हैं। (**अनुबन्ध I तथा II पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी०** 439/69)

(ग) जी, नहीं।

(घ) भाग (ग). के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : माननीय उप-प्रधान मंत्री ने कुछ सूचनाएं दी हैं और कुछ तथ्यों को छिया रखा है। बी० ओ० ए० सी० का एक वायुयान 14-9-1967 को कुछ रुकने के पश्चात पालम से उड़ा और इंजन में खराबी के कारण वापिस आ गया। अगले दिन जब वायुयान की मरम्मत हो रही थी तो सीमा-शुल्क विभाग को सूचना दी गई कि इस यान में कुछ सोना है अतएव इसे उचित संरक्षण दिया जाये। इसी स्थिति में यह तथ्य बताया गया। मूलतः उसे सोने के स्थान पर 'धातु की छड़ें' लिखा हुआ था। वे 1965 तक ऐसा ही करते आए हैं। भारत के सीमा-शुल्क विभाग ने कुछ कार्यवाही करना उचित समझा। यह कार्यवाही गैर-कानूनी थी क्योंकि यदि सोने को धातु न बताकर सोना ही घोषित किया जाता तो भी उसे भारत में होकर ले जाने की अनुमति मिल जाती। इस बारे में कानूनी राय ली गई तो भी समाहर्ता ने सोना जब्त करना आवश्यक समझा। पश्चात केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड के पूरे बैच ने तथ्यों की जांच की जिसमें कहा गया है कि :

"समाहर्ता के पास रिकार्ड में भी कोई ऐसा सबूत नहीं था, जिसके आधार पर यह राय बना सके।" दूसरा तथ्य जो कि मंत्री महोदय ने नहीं बताया यह है कि जब्त सोने को मुक्त करने के अतिरिक्त बी० ओ० ए० सी० पर जो अन्य दण्ड लगाये गये थे वे भी बहाल किये जायें। मेरे विचार में यह सोने की जब्ती सर्वथा अनावश्यक थी और इसके कारण अन्तर्राष्ट्रीय वायु जगत में भारत का सम्मान गिर गया है। दूसरे क्या सरकार ऐसा नहीं समझती कि समाहर्ता के कानूनों का अध्ययन किये बिना जल्दबाजी की कार्यवाही नहीं थी।

**श्री मोरारजी देसाई** : सभी तथ्य प्रकट कर दिये गये हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया। यह वायुयान दिल्ली से हांगकांग जाते समय आध घण्टा बिलम्ब से चला। इस पर किसी ने कुछ नहीं पाया और न ही किसी ने कुछ कहा। रात को एक बजे यह इंजन की किसी खराबी के कारण लौट आया। जब उन्होंने देखा कि मरम्मत आदि के कारण रात रुकना पड़ेगा तो उन्होंने स्वयं ही सूचित किया कि इस यान में सोना है और वे उसके संरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था या तो सीमा-शुल्क विभाग को सौंपकर की जाये अथवा सीधे की जाये। तब सीमा-शुल्क अधिकारियों ने सूची की जांच की। इस स्थति के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं। सदा ही यह होता रहा है कि जब वायुयान मार्ग से होकर जाते हैं और जब उसमें से कुछ भी यहां उतारना नहीं होता तब सीमा-शुल्क अधिकारी सूची की पड़ताल नहीं करते। वे केवल यही ध्यान रखते हैं कि कुछ निकाला तो नहीं जाता और इसी से उनका सम्बन्ध है। उनके ऐसा कहने पर अधिकारियों ने सूचि की जांच की और पूरे मामले का अध्ययन किया। सूची में धातु की छड़ों का उल्लेख किया गया था।

**Shri George Fernandes :** The Hon. Minister is making out a false statement.

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, आप बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। परन्तु इस प्रकार सदन का समय नष्ट नहीं कर सकते। मैं ऐसी बाधाओं को सहन नहीं करसकता। सदस्यों को मंत्री महोदय से तथ्य जानने चाहिए और यदि किसी बात से उनका मतभेद हो तो वे स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपकी रुचि उनके भाषण को सुनने में नहीं है तो क्या आप यही चाहते हैं कि अन्य सदस्य भी उन्हें न सुनें।

**श्री मोरारजी देसाई :** सोने के अन्य देशों के मार्ग से होकर ले जाने के बारे में अन्य देशों के ऐसे कोई कानून नहीं हैं कि इसे धातु न दिखाया जाये। यह उन्होंने बी० ओ० ए० सी० पर ही छोड़ा है और उनका कार्य अन्य देशों के साथ चल रहा है। हमारे यहां का नियम है कि सोने को अनिवार्यत: सोना ही घोषित किया जाये।

इस मामले में उन्होंने इसका पालन नहीं किया। परन्तु एक दूसरी बात भी है जो विदित नहीं थी, और जिसे मैंने भी अभी जाना है जबकि बोर्ड द्वारा सभी कार्यविधियों का अध्ययन किया जा चुका है, कि सूची में एक अन्य प्रविष्टि भी है जिसमें यह निर्देश किया गया है कि यान में मूल्यवान धातु है।

हर माल के साथ एक एयरवेज बिल भी होता है जो बोर्ड को दिखाया गया था और उसमें धातु न दिखाकर सोना घोषित किया गया है।

तब उन्होंने यह प्रार्थना भी की कि सूची में परिवर्तन करने की अनुमति दी जाये। एक अनुभाग में ऐसी प्रार्थना करने की व्यवस्था है। उनकी प्रार्थना पर बदलने की अनुमति न तो अधिकारियों ने दी और न ही बाद में समाहर्ता ने दी। इसके कारण वही थे जो उसने उचित समझे। मैं इस मामले में समाहर्ता की अथवा किसी अन्य व्यक्ति की निन्दा नहीं करता अपितु केवल तथ्य बता रहा हूं।

हमें वस्तुस्थिति को समझना चाहिए। उस समय समाहर्ता ने न्याय निर्णय लिया और जुर्माना लगा दिया। वह मानते हैं कि न तो भारत में सोना लाने की नियत से यह प्रविष्टि सूची में दी गई और न ही इस बारे में कोई प्रमाण मिला है। वह स्वीकार करते हैं कि सोना केवल मार्ग से ले जाया जा रहा था। उसने केवल यही कहा है कि यह उनकी भूल थी इसलिये गलत बात थी। मैं यह नहीं कहता कि यह ठीक बात थी यह उन्होंने जान बूझ कर किया अथवा भूल से किया इस पर मैं अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहता पर ऐसा नहीं होना चाहिए था।

इस पर उसने यह निर्णय दिया कि वे 25 लाख जुर्माना अदा कर सोना ले जा सकते हैं। ऐसे मामलों में हम सारे सोने को ही जब्त करते हैं और कोई जुर्माना नहीं लगाते। और यदि हम जुर्माना लगाते हैं तो वह सोने के मूल्य के बराबर होता है और उस दशा में हम सोना लौटा देते हैं, अन्यथा नहीं।

इस मामले ने समाहर्ता ने अपने ही लिखित आदेशों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि बी० ओ० ए० सी० का भारत में सोना लाने का कोई इरादा न था ।

और अपने लगाये जुर्माने के बारे में निश्चय ही उन्होंने एक बार बी० ओ० ए० सी० को 5 लाख रुपया जुर्माना लगाया और उनके वायुयान को भी जब्त कर लिया । और उस 3 करोड़ रुपये के वायुयान को 10 लाख रुपया लेकर छोड़ दिया । इससे यह प्रकट होता है कि समाहर्ता यह स्वीकार करता है कि यह तस्करी का मामला नहीं था । यह स्पष्ट था, क्योंकि यह सीमाशुल्क विभाग द्वारा नहीं पकड़ा गया अपितु बी० ओ० ए० सी० के अधिकारियों द्वारा स्वयं ही इसकी सूचना दी गयी । इसमें हमारे द्वारा खोज का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड के पास मामला अपील की सुनवाई के लिए पहुंचा । बोर्ड का सभापति ऐसे मामले सुनने में सक्षम है, परन्तु उन्होंने उचित समझा कि सुनवाई तीन न्यायाधीश करें, अतः तीन न्यायाधीशों के बोर्ड ने मामला सुना । सुनवाई के पश्चात बी० ओ० ए० सी० को साक्षी प्रस्तुत करने को कहा गया । वकीलों द्वारा मामला प्रस्तुत किया गया और साक्षी भी प्रस्तुत किये गये । कार्यवाही से सिद्ध हो गया प्रेषक वास्तविक थे और उन्होंने मकाओ के लिए सोना प्रेषित किया था । उन्होंने भी इसकी साक्षी दी और माल भी दिखाया । इतना करने के पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि सूची की प्रविष्टि को परिवर्तित करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए थी जैसा कि विधि में व्यवस्थित है । यदि ऐसा कर दिया जाता तो किसी कानून के उल्लंघन का प्रश्न ही न उठता । इससे भी बढ़कर उनकी सदाशय पर कोई संशय नहीं था क्योंकि उन्होंने प्रविष्टि में धातु को मूल्यवान घोषित किया था और एअरवेज बिल में सोना ही लिखा था ।

इस भूल की व्याख्या इस तथ्य से की जाती है कि 1965 से पूर्व ऐसी भूलें नहीं हुईं । बी० ओ० ए० सी० ने 1965 में संगणक व्यवस्था प्रारम्भ की और संगणकों के पास सर्वत्र सभी सूचियां उपलब्ध नहीं, क्योंकि उन्होंने अन्य देशों से ले जाते हुए इसे स्पष्ट सोना घोषित करने की आवश्यकता नहीं । ऐसी आवश्यकता केवल भारत के सम्बन्ध में है। इस प्रकार उनसे यह भूल रह गई । हम भी 1965 से 1967 तक भूल को पकड़ नहीं सके । इसलिए वह सोचते थे कि वह निकल गया होगा और हम इसलिए नहीं पकड़ते थे कि इससे यहां कुछ उतारा नहीं गया और यान मार्ग से होकर जा रहा था । यह ऐसे ही चलता रहा और इस प्रकार यह घटना घटी । बोर्ड ने इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए अपना निर्णय दिया कि किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया गया क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भी बुरी भावना नहीं थी उन्होंने सब ठीक कर दिया है । यदि भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो वह क्षम्य नहीं होगी और तब माल जब्त करना अथवा जुर्माना लगाना सर्वथा उचित होगा । दो करोड़ मूल्य के सोने पर केवल 35 लाख रुपया जुर्माना लगाना ठीक नहीं । ऐसे अपराधों में पूरे मूल्यांकन के अनुसार जुर्माना लगाना चाहिए, वायुयान भी जब्त करना चाहिए और बी० ओ० ए० सी० को और भी अधिक जुर्माना लगाना चाहिए ।

बोर्ड के निर्णय लेने में एक और कारण भी है । पिछले तीन चार वर्षों में बी० ओ० ए० सी० के सुरक्षा अधिकारियों ने तस्करी के कई मामले पकड़वाने में सीमा-शुल्क विभाग को

सहायता दी है और इस बारे में हमारी सरकार ने उन्हें कई बार इस कार्य के लिये प्रशस्ति-पत्र भी दिये हैं।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज** : इस बारे में सीमा-शुल्क विभाग बी० ओ० ए० सी० को ठेका दे दे।

**श्री मोरारजी देसाई** : यदि ऐसा करना आवश्यक और देश हित में है, तो भले ही आपका सुझाव है, यह कार्यवाही करनी होगी।

हमें इस मामले पर इस ढंग से विचार नहीं करना चाहिए। क्योंकि विधि का कोई उल्लंघन नहीं किया गया इसलिए बोर्ड ने आदेश दिए कि जुर्माना अथवा वायुयान की जब्ती का कोई सवाल नहीं। बी० ओ० ए० सी० के मामले के यही तथ्य हैं।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : सूची में सुधार करने की विधि में व्यवस्था है और यह तथ्य कि बी० ओ० ए० सी० तस्करी के मामलों को पकड़ने में सीमा-शुल्क विभाग की सहायता करते रहे हैं समाहर्ता को विदित थे फिर क्यों उसने सोने को जब्त करना उचित समझा ? मुझे पता चला है कि इस मामले में उन्होंने कानूनी, विशेषज्ञों की तथा वित्त मंत्रालय की राय भी ली थी। मैं जानना चाहता हूं कि विधि मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा क्या परामर्श दिया गया तथा क्या समाहर्ता को इस प्रकार सोना जब्त करने की स्वीकृति दी गई थी ? भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय एअरवेज इस प्रकार तंग न किये जायें इस बारे में सरकार क्या पग उठाना चाहती है ?

**श्री मोरारजी देसाई** : यह मामला अर्ध न्यायिक है इसलिये वित्त मंत्रालय इस पर कोई परामर्श नहीं दे सकता। समाहर्ता ने क्या विधिक परामर्श प्राप्त किया वह मुझे मालूम नहीं। परन्तु मैं निरन्तर ऐसा व्यवहार अपनाता रहा हूं कि ऐसे न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप न किया जाये। इस मामले पर मुझ से प्रश्न पूछे गये और श्री मधु लिमिए ने पत्र भी लिखा था, जिसका मैंने उन्हें सभी तथ्य बताते हुए उत्तर भी दिया था।

समाहर्ता का निर्णय जल्दी में नहीं अपितु उसके स्वविवेक से लिया गया था। किसी व्यक्ति को स्वविवेक का प्रयोग करने के लिये दण्ड देना उतना ही गलत होगा जितना कि अन्य मामलों में उसी समान निर्णय लेना। यदि अधिकारियों से ऐसा व्यवहार किया जायगा तो कोई भी स्वतन्त्र निर्णय न ले सकेगा।

**Shri Madhu Limaye**: The reply sent by the Finance Minister is against the self respect of country. It has made the country to suffer loss worth crores of rupees. Referring to the Judgement of the Board he stated the following three facts :

"..... it could not be said that the management of B.O.A.C., did not bother about the Indian Regulations on the subject....."

"There was also no evidence on record on which he could base his findings that the incorrect entry in the manifest was not innocent....."

and third ;

"The Board did not find that there was any wilful suppression of facts by BOAC on that there was any intention to deceive or to defraud the customs".

Now I shall read out a clause from the traffic manual of B O.A.C. which will indicate whether our is free and sovereign or a dominion of the British even today.

"BOAC Traffic Manual Cargo Regulations, Section K, India (iv) Transit :

Officially goods destined to and from South Africa are not permitted to transit India. However, consignments of negligible value can be carried provided they are stored out of right in innermost part of aircraft holds. If the value of a consignment is sufficient to make risk of confiscation a serious matter, the sender must be informed and will give a written indemnity to the carrier against any action the Government of India may take.

What does it mean ? If the price of gold is low it can be carried out of India and if the price of gold is higher it can also be carried away but in this case an indemnity should be obtained from the sender so that no loss is caused to B.O.A.C. I drew the attention of the Finance Minister in this matter but he has referred to the papers. It is not possible for me to read out all the papers referred to by the Hon. Minister but if he has enough courage to show he should lay the whole correspondence between myself and the Prime Minister and the Finance Minister on the Table of the House.

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं अवश्य ही इन्हें सभा-पटल पर रखूंगा। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

**Shri Madhu Limaye :** In his reply to my letter he stated that the old orders have been superseded by the new ones and that the situation has considerably improved. Any how he had to admit that the previous position was not good. **(Interruptions)**

With these facts I intend to disclose that a rule was deliberately provided in the B.O.A.C. Manual to violate the Indian Laws. That particular rule was in force when this incident took place. These rules were changed only when I invited their attention towards these things. Therefore, it will be of no use to talk about the Quasi-judicial etc. here. I was already fully aware of the case of B.O.A.C. as I predicted six month earlier about the Bird and Company. **(Interruptions)**.....In my letter I warned the Prime Minister on 23rd August. **(Interruptions)**....I work with patience. I wrote to the Hon. Prime Minister on 23rd August :

"I had written to the Finance Minister about the efforts made by some officials in the Finance Ministry to get this gold released. I understand that the decision of the Board will come only after Parliament has adjourned and the Board will hold against the Government's decision to confiscate the gold.

One of the Assistant Collectors during his cross-examination described the B.O.A.C's. action as not mala fide. When the Government know that the B.O.A.C. has transported gold illegally half-a-dozen times and when the party mentioned by them does not exist in Macao... .

They refer to a consigner but there exists no consigner of this name. It is all fictitious.

**श्री मोरारजी देसाई** : यह कहने से क्या लाभ है। यह तो सिद्ध हो चुका है कि वह व्यक्ति है ।

**Shri Madhu Limaye**. I am giving you this information in advance so that if you have the desire and the will you can act before the damage is done.

Now I want to know the reasons for not interfering in the matter when the information was made available to him in advance. Likewise, in respect of the Bird and Company, fine amounting to Rs. 1,20,00,000 has been written off by the members of the Central Board. I have charges against these officials. Is the Hon. Minister prepared to make the Parliamentary enquiry in the matter, and if so, will this matter be referred to the Parliamentary Committee so that the true picture could be presented ? The corrupt officials of the Central Board and the Secretary of the Finance Ministry are in the pay roll of Shri Sahu Jain. Will the Hon. Minister go into this matter ? I have been raising these points continuously for two or three years. Therefore this questions may please be fully answered.

**श्री मोरारजी देसाई :** महोदय, माननीय सदस्य आरोप लगाने में विशेषज्ञ बनते जा रहे हैं किन्तु मुझे इस बात का कोई दुःख नहीं है । तथापि मुझे इस बात पर आपत्ति अवश्य है कि वह उन अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं जो यहां वर्तमान नहीं हैं तथा वह ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो न्यायसंगत नहीं हैं । मैं इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहना चाहता ।

**एक माननीय सदस्य :** क्या आपने जांच कराई है ?

**श्री मोरारजी देसाई :** यह सच है कि मैंने जांच कराई है । मैं फिर से जांच भी अवश्य कराऊंगा ।

**Shri Madhu Limaye :** These charges will be proved if put before the Parliamentary Committee.

**श्री मोरारजी देसाई :** माननीय सदस्य का केवल एक ही उद्देश्य है । वह केवल समितियां ही समितियां चाहते हैं ।

**Shri Madhu Limaye :** There is the only way to disclose your cases. The interest of the country is being overlooked by you. The self-respect of the country has been lost. You have reduced this country to a British colony virtually.

**श्री मोरारजी देसाई :** मैं आपकी तरह शोर नहीं मचा सकता और न ही मैं मचाना चाहता हूं । यह सच है कि माननीय सदस्य ने जो प्रविष्टि पढ़ी है वह बी० ओ० ए० सी० की यातायात पुस्तिका में थी । यह भारी आपत्तिजनक भी थी । किन्तु माननीय सदस्य के बताने से पहले ही उसका पता चल गया था । जब यह घटना घटी तो हमने एयरवेज बिलों की जांच कराई तथा तभी हमें यह सब ज्ञात हो गया था । हमने यातायात पुस्तिका की भी जांच कराई थी । स्वर्ण के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने ठीक ही उल्लेख किया है । उन्होंने कहा है कि स्वर्ण बुलियन को अवश्य ही अतिरिक्त रूप से निम्नलिखित ढंग से संरक्षण मिलना चाहिये, अर्थात् स्वर्ण और बुलियन पद आवश्यक रूप से हटाये जाने चाहिये; भारत को भेजे गए अथवा भारत पारनयन सम्बन्धी ऐसे नौ-भाड़ों को छोड़कर जिनकी सीमा शुल्क प्राधिकारी अनुमति नहीं देते अन्य ऐसे सभी नौ-भाड़ों का उल्लेख पत्र-व्यवहार में अवश्य ही होना चाहिये तथा उन्हें प्रव्यक्त तथा अन्य दस्ता-

वेजों में अवश्य ही धातु के रूप में दिखाना चाहिये । यह ठीक ही वर्णित हुआ है । दूसरी बात अवश्य ही अनुचित थी जिसे माननीय सदस्य ने भी पढ़कर सुनाया है । ऐसा होना नहीं चाहिये था । जब वह बात पकड़ी गई तो मैंने उसके बारे में पूछा । इस पर उन लोगों ने भारी खेद प्रकट किया । वह वास्तव में बुरी थी तथा उन लोगों ने उसे बदल दिया ।

मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा क्यों किया । निस्संदेह यह आपत्तिजनक था (**अन्तर्बाधायें**) सम्भव है यह जानबूझकर भी किया गया हो । मैं यह भी नहीं कह सकता कि ऐसा किसी अन्य कारण से नहीं हो सकता था; इसमें भी तस्करी हो सकती थी । इसमें यह जानबूझकर लिखा गया था । यह कौन कहता है कि 'नहीं' ? किन्तु इससे सारा मामला तो नहीं उलझ जाता । इससे इस तथ्य को तो नहीं झुठलाया जा सकता कि बी० ओ० ए० सी० अधिकारियों ने बहुत-सी तस्कर वस्तुओं के पकड़ने में सरकार की सहायता की है । इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए । इस मामले में सम्भव है उन्होंने ऐसा दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपने सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए किया हो । इस सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा है कि सीधे दक्षिणी अफ्रीका से इसका आना विवर्जित है । किन्तु यदि यह दक्षिणी अफ्रीका से आये और इंग्लैंड जाकर फिर आये तो उस पर यह बात लागू नहीं होती । फिर भी कोई-सी बात भी न्याय संगत नहीं है । यातायात पुस्तिका में जो भी लिखा था मैं उसको न्यायसंगत ठहराने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूं और न ही कोई कर सकता है । किंतु जब उन्होंने खेद प्रकट किया है और कहा है कि वहां उनकी भूल थी तो हमने उनका खेद मान लिया है और उन्होंने उसे बदल भी दिया है। पर माननीय सदस्य का यह कहना असत्य है कि हमें यह भूल उनके सुझाने पर ही ज्ञात हुई थी । यदि ऐसा होता तो मैं उनका आभार प्रकट करता । माननीय मित्र के जन-जीवन में ईमानदारी और स्पष्टवादिता लाने के प्रयत्नों को कम महत्वपूर्ण बताने की चेष्टा नहीं की जा रही है किन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं है कि मैं माननीय सदस्य की भविष्यवाणी आदि को स्वीकार करता हूं जो कि उनकी अपने प्रति अतिशयपूर्ण धारणाएं हैं ।

**Shri S. M. Banerjee :** Mr. Speaker, Sir, Shri Limayeji has referred to certain papers and the Prime Minister and the Deputy Prime Minister have replied to those papers. The Prime Minister has said on 12th September :

> "Similarly, the BOAC case is pending in appeal before a three-member body of the Central Board of Excise and Customs. These proceedings are quasi-judicial proceedings."

It is also about the Bird and Company. They may feel that the Custom Officer, who was Collector and who tried to chalan, hastened in the matter. At the time this incident took place I was in Calcutta. I learnt about this matter and a big officer told me that they were going to hush up that matter. I am not interested in maligning the position of Shri Morarji Desai. But it is a fact and there is something wrong which needs an enquiry. The Parliamentary Committee must be set up otherwise the corruption and the smuggling would go on unabated.

**श्री मोरारजी देसाई** : इससे भ्रष्टाचार और भी बढ़ेगा ।

**Shri S. M. Banerjee :** If he thinks like that, nothing should be done in the interest of the country.

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप प्रश्न पूछिये ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न स्पष्ट है । यदि वह संसदीय समिति नियुक्त नहीं करना चाहते तो आप नियुक्त कर सकते हैं । क्या वह इस पूरे मामले को सी० बी० आई० के समक्ष रखने को तैयार हैं जिससे कि उचित जांच हो सके ।

**श्री मोरारजी देसाई** : यदि कुछ और जांच कराने को शेष है और यदि कुछ और तथ्य मिलने की आशा हो तो मैं अवश्य ऐसा करूंगा । किन्तु इस मामले में और तथ्य क्या हो सकते हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : हम उन्हें और तथ्य देंगे । क्या वह जांच करायेंगे ?

**श्री मोरारजी देसाई** : वह मेरे पास अधिक तथ्य क्यों नहीं भेजते ? यदि मुझे और तथ्यों से अवगत कराया जाये तो मैं उन्हें सी० बी० आई० के पास भेज दूंगा । मैं इस मामले की जांच करने के लिये एक विशेष अधिकारी भी नियुक्त कर सकता हूं । मैं किसी भी व्यक्ति को शरण देने में इच्छुक नहीं हूं । मैं स्वयं को भी बचाना नहीं चाहता तो किसी अन्य को बचाने में क्यों इच्छुक हूंगा । यदि कुछ माननीय सदस्य ऐसा सोचते हैं तो सोचें । लेकिन ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा । मैं किन्हीं अधिकारियों को क्यों बचाऊंगा ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता···

**Shri Madhu Limaye** : It was nothing against you. But because you protect them therefore we have to charge you.

**श्री मोरारजी देसाई** : यदि कोई अधिकारी ठीक कार्य करता है तो उसको बचाना मेरा कर्तव्य है । जो अधिकारी कठिन कार्यों को भी उचित रूप से करते हैं और यदि मैं उनको नहीं बचाता तो मैं मंत्री कहलाने के उपयुक्त नहीं हूं । मैं अपने माननीय मित्रों की भांति इस प्रकार इन व्यक्तियों के साथ नहीं कर सकता ।

**Shri Madhu Limaye** : You do nothing. What have you done in regard to the case of Bhuthalingam ? Officers are leading you by the nose.

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं केवल समझने का प्रयत्न कर रहा हूं···

**Shri S. M. Banerjee** : I have not mentioned any officer's name.

**Shri Madhu Limaye** : I gave a notice one year ago mentioning the name.

**Shri S. M. Banerjee** : When the case is so serious.....

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या इस मामले को सी० बी० आई० को भेजा जायेगा । मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि उनको कुछ और तथ्य दिये जायेंगे तो वह अवश्य ही एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे । मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य का सुझाव लगभग मान ही लिया है । यदि माननीय सदस्य के पास कोई नये तथ्य हैं तो वह माननीय मंत्री महोदय को दें और मंत्री महोदय अवश्य ही ऐसा करेंगे । अतः अब अधिक तर्क की आवश्यकता नहीं है ।

**डा० रानेन सेन** : यह भी कतई स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार का दबाव है ।

**श्री मोरारजी देसाई** : यह भी अन्यायपूर्ण है अतः इस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

जब इस मामले में ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मुझसे भेंट की तो मैंने उन्हें बताया कि यह मामला अभी बोर्ड के पास अनिर्णित पड़ा है और उस समय यह अपील में था। पहले यह कलक्टर के पास अनिर्णित पड़ा था। मैंने उन्हें बताया था कि कलक्टर अपने विवेक से इसका निर्णय करेंगे तथा वे जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके सामने साक्ष्य के रूप में रख सकते हैं। तब यह बोर्ड के पास अपील में जा सकता है। मैंने उन्हें बता दिया था कि वे क्या निर्णय देंगे। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। उसके बाद मैंने उन्हें यह भी बता दिया था कि मुझे यदि कुछ करना हुआ तो इसके बाद ही जांच कर सकता हूं। अतः इसमें दबाव का कोई प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा कि कुछ विशेष बात होनी चाहिये। उन्होंने केवल इतना कहा था कि मामला कुछ अधिक शीघ्रता से निर्णीत हो सकता था तथा इतनी देर नहीं होती। बस केवल इतना सा निवेदन उन्होंने किया था। अतः यह कहना न ठीक है और न होगा कि उन्होंने किसी पर दबाव डाला है।

**श्री स० कुण्डू** : यदि आप कलक्टर के निर्णय तथा बोर्ड के निर्णय को देखें तो आपको भारी मतभेद मिलेगा। बोर्ड ने कलक्टर के हर निष्कर्ष को संशोधित कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण बातों में से एक यह भी है जिसमें बोर्ड ने मतभेद दिखाया है।

बोर्ड ने कहा है कि "परेषक और बी० ओ० ए० सी० में कोई सांठ-गांठ नहीं पाई गई।" दोनों निर्णयों में पारस्परिक भेद को देखते हुए मेरा तर्क है कि इस मामले की सी० बी० आई० द्वारा अच्छी तरह से जांच होनी चाहिये तथा उसके प्रतिवेदन के बाद यदि आवश्यक हो तो इस मामले को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायलय के न्यायाधीश को सौंपना चाहिये। मैं संसदीय समिति की नियुक्ति पर भी बल नहीं देता। सभा में व्यक्त की गई चिंता को देखते हुए मंत्री महोदय को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए।

**श्री मोरारजी देसाई** : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्णयों में भी अन्तर होता है उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय में भी अन्तर हो सकता है तथा कभी-कभी वे भी परस्पर विरोधी हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वे ईमानदार नहीं होते। अतः इसमें भी पारस्परिक विरोध हो सकता था।

**Shri Madhu Limaye** : The Central Board has assumed the powers of the Supreme Court.

**श्री मोरारजी देसाई** : मैं कह रहा हूं कि दो निकायों द्वारा दिये गये निर्णयों में विरोध हो सकता है। इसका प्रथम दृष्टितः यह अर्थ नहीं है कि एक ईमानदार था, एक ईमानदार नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूं। अतः इसके बारे में और कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि मुझे कोई और साक्ष्य दिये जाएंगे तो मैं उचित जांच के लिये उन्हें ऐसी एजेंसी के पास भेज दूंगा जो उसकी विधिवत जांच कर सके तथा माननीय सदस्य जिससे संतुष्ट हो सकें। मेरे माननीय मित्र ने वास्तव में एक पत्र में लिखा था कि कुछ बात को सिद्ध करने के लिये उनके पास साक्ष्य हैं। मैंने उन्हें बताया था कि आपको इन्हें देने में कौन रोकता है। मुझे अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

**Shri Madhu Limaye:** Our evidence should not be judged by you.

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न पर लगभग 45 मिनट खर्च हो चुके हैं। अब मैं उन्हें अधिक समय नहीं दे सकता।

**Shri Madhu Limaye :** I have said this only because he made some observations.

**अध्यक्ष महोदय :** इसका कोई अन्त भी होना चाहिए, कोई सीमा भी होनी चाहिए। इस अल्प सूचना प्रश्न पर हमारे 45 मिनट व्यतीत हो गए हैं।

**Shri Madhu Limaye :** Why did he, then, make observations?

**अध्यक्ष महोदय :** उनको सभा में एकाधिकार नहीं मिल सकता। यहां 520 अन्य सदस्यगण भी वर्तमान हैं। मैंने आपको सभी छूट दी है लेकिन हमारे लगभग 45 मिनट व्यतीत हो चुके हैं। सभा कार्य का सारा समय उन्हें नहीं दिया जा सकता। अब आप बैठ जाइये।

**Shri Madhu Limaye :** Had we been able to remove he would have been here no more.

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने जो कुछ कहना था कह चुके हैं। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूं। वह मंत्री महोदय की आलोचना या उनको हटाने का कार्य प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से कर सकते हैं। वह जो चाहें करें मैं इसमें क्या कर सकता हूं। मैं लगभग 45 मिनट दे चुका हूं। अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी।

**Shri Atal Bihari Vajpayee:** Mr. Speaker, Sir, I am at a loss to understand why the Hon. Minister should take as personal criticism whatever is said on the floor of the House in criticism of the affairs of the Ministry in his charge.

**Shri Morarji Desai :** When did I say this.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** When certain officers are charged he bears the brunt of these charges and defend those officers. The officers are not present in the House and they should be defended undoubtedly. But when the charges are of serious and specific nature, he is duty-bound to assure the House that the matter would be inquired into. Sir, I do not want to go into the whole dispute but I want to mention that whatever is done in this matter has created a sense of distrust among the Members of Parliament and the public as well. The Hon. Finance Minister asking for the evidences and the other things from the members of the Opposition parties is not proper because we do not have that machinery by which evidences can be produced. It is the duty of the Government machinery to produce and find out evidences and proofs. There would be no scope for doubts among the people if the Government machinery conduct themselves on these lines. I feel the Hon. Deputy Prime Minister should reconsider the suggestion of assigning the duty of going into this matter to the Parliamentary Committee or he should confide the House of the measures if any he has taken to solve the problem so that the minds of the people are disabused of any misgivings entertained by them.

**Shri Morarji Desai :** I have never intended to take any criticism as my personal criticism. I have said such thing neither directly nor indirectly. When I had looked into this thoroughly and did not find any **mala fide** then why should I not support the officers? Wherever I have found any lapse on the part of any officer I have brought him to book and I will do the same in future.

I do not demand the evidences only from the members of opposition parties, the evidences

available with the Government are also looked into. I only ask them to give me more evidences, which they claim to have in their possession—and for that I shall be obliged to them and shall utilise those more evidences. What more you demand from me ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री समर गुह

**Shri George Fernandes** : Sir, please let me ask one question in this matter.

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, श्री मधु लिमये 45 मिनट ले चुके हैं ।

**Shri George Fernandes** : It is an important question. Why should you not allow me to put even one question ?

**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

**Shri George Fernandes** : It is a quite important issue and, therefore, it requires a separate discussion.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर वाद-विवाद के लिए अधिक समय चाहिए किन्तु उससे अध्यादेश के स्थान पर आने वाले विधेयक को भी समय नहीं मिल सकता । अभी अनुदान की मागें भी शेष हैं । श्री रंगा का विरोध था कि मांगों को मुल्तवी किया जा रहा है तथा उनको समाप्त किया जा सकता था । हमें विधेयक के लिए एक घंटा भी नहीं मिल सकता । यदि इस पर विचार-विमर्श के लिए समय हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है । हमें देखना है कि समय के साथ चीजों का कैसे समायोजन करना है । समय पर तो मेरा अधिकार है नहीं । मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : जब स्वर्ण सभा-पटल पर रखा जाएगा तो आप प्रसन्न हो जायेंगे ।

**अध्यक्ष महोदय** : सभी प्रतिनिधि वहां विद्यमान थे । हमने इस पर विचार-विमर्श किया था । कुछ कार्य को समाप्त करने के लिये सभा कल भी समवेत हो रही है । मैं जानता हूं कि ऐसी उत्तेजना में कार्य कितना कठिन हो जाता है । अतः हमें मांगों को भी ध्यान में रखते हुए यह निर्णय करना है कि इसके लिए हमारे पास समय है या नहीं । मैं 45 मिनट तो दे ही चुका हूं ।

**Shri Nath Pai** : If the Minister does not reply to a question disallowed by you, it is alright. But what about the question put by another Hon. Member whether Parliamentary Committee will be appointed to look into the matter.

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है ।

**श्री मोरारजी देसाई** : मुझे यह स्वीकार्य नहीं है ।

**Shri George Fernandes** : The Hon. Minister has made a wrong statement. Why did he defend the Board while he did not defend the Collector ?

**श्री पीलू मोदी** : मैं भी एक प्रश्न रखना चाहता हूं ।

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### विकास कार्यों के लिये लाटरी आरम्भ करना

*633. **श्री रा० की अमीन :**
**श्री द० रा० परमार :**
**श्री नारायणस्वरूप शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों ने साधन जुटाने के लिये लाटरी शुरू की है, और जिन राज्यों ने लाटरी आरम्भ नहीं की, उनसे धन के निकास को रोकने के लिये क्या प्रबन्ध किये जायेंगे ; और

(ख) देश में इस प्रकार की घटना के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). अब तक हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने साधन जुटाने के लिये सरकारी लाटरियां चलाई हैं।

केन्द्रीय सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वे सरकारी लाटरियां चला सकते हैं, यदि उनकी ऐसी इच्छा हो, बशर्ते कि ऐसी किसी लाटरी के टिकट दूसरे राज्यों में, बिना उस राज्य की स्पष्ट सहमति के नहीं बेचे जाएंगे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294-क को संशोधित करते हुए विधान बनाने का भी प्रस्ताव है।

### अखिल भारतीय कृषि सेवा

*636. **श्री म० ला० सोंधी :**
**श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय कृषि सेवा का गठन करने का कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). 1967 के आम चुनाव के बाद राज्यों में बनी कुछेक नई सरकारों ने भारतीय कृषि सेवा के गठन की आवश्यकता पर फिर से विचार किया। राज्य सरकारों द्वारा और आगे दिये गये विचारों को

ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने भी मई, 1968 में सम्पूर्ण प्रश्न का पुनरावलोकन किया और निश्चय किया कि नई अखिल भारतीय सेवाएं, जिनके लिए अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 में भी व्यवस्था की जानी है, बनाने के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि सेवा गठित करने के लिए अभी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

**योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अमरीका तथा इंगलैंड से पुनः भारत आने के लिये आकर्षित करना**

*638. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऊंची योग्यता वाले डाक्टरों, प्रोफेसरों तथा वैज्ञानिकों को पुनः भारत वापस आने के लिये आकर्षित करने के लिये क्या संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिनिधि अमरीका तथा इंगलैंड गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को कितनी सफलता मिली है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

संघ लोक सेवा आयोग भारत सरकार के कुछ वर्गों के पदों के लिए नियुक्तियां करता है। आयोग द्वारा ऐसी नियुक्तियां योग्य उम्मीदवारों से साक्षात्कार के पश्चात् की जाती हैं। आयोग के विज्ञापनों के उत्तर में जो भारतीय उम्मीदवार विदेशों से अपने आवेदन-पत्र भेजते हैं उनका भारत में साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना कठिन है। आयोग के लिये भी सम्भव नहीं कि प्रत्येक विज्ञापित पद के लिये अलग-अलग साक्षात्कार करने की व्यवस्था कर सके। ऐसे उम्मीदवारों को विज्ञापित पदों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिये एक योजना बनाई गई है जिसके अन्तर्गत आयोग ने विदेशों में भारतीय उम्मीदवारों के साक्षात्कार की व्यवस्था की है। इसके अनुसार विदेशों में रह रहे ऐसे लोगों को उनकी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर, जो उस वर्ग के पदों के लिए अपेक्षित है, चुना जाता है, जिनके लिए उन्होंने आवेदन-पत्र दिये हैं। इण्टरव्यू में उम्मीदवार का, एक अथवा अधिक वर्गों के पदों के लिए, जिनके लिये वह अपनी अवस्था, शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता के आधार पर सक्षम है, जांचा जाता है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे आयोग द्वारा समय-समय पर प्रकाशित विज्ञापनों पर दृष्टि रखेंगे और जब भी उन्हें अपने लिए युक्त पद का अवसर मिले तब ही वे आयोग को आवेदन-पत्र भेजेंगे। विदेशों में ली गई इण्टरव्यू के आधार पर, भारत में अन्य उम्मीदवारों के साथ उनका भी ध्यान रखा जायेगा। विदेशों में इण्टरव्यू के आधार पर चुने गये उम्मीदवारों की उपलब्धियां उन पदों के वेतन-मान पर आधारित होंगी जिनके लिए उन्हें चुना जाता है।

लन्दन में इण्टरव्यू का प्रथम क्रम समाप्त हो गया है। अमेरिका और कनाडा में इण्टरव्यू का दूसरा क्रम इस वर्ष के मध्य में प्रारम्भ होगा।

इस योजना को कितनी सफलता मिलती है इस बारे में कोई राय तब तक व्यक्त नहीं की जा सकती जब तक कि इण्टरव्यू का क्रम समाप्त नहीं हो जाता और ऐसे उम्मीदवारों की जानकारी एकत्रित नहीं कर ली जाती जो इस इण्टरव्यू-योजना के अनुसार दिये गये पदों को स्वीकार करते हैं।

**Instructions for taking Photographs of Police Action in Delhi on the 19th September, 1968**

*639. **Shri Balraj Madhok :**
**Shri Shiv Charan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the photographers of the Central Intelligence Bureau and the Delhi Police took photographs of the employees on strike but did not take the photographs of the lathi-charge and use of tear gas by the Police during the token strike on the 19th September, 1968, in order to misrepresent the case of employees before the public ;

(b) if so, the names of places in the country where such photographs were taken but the photographs of the action by the Police were not taken during the past three years ; and

(c) whether it is proposed to issue instructions that in future photographs of lathi-charge, tear gas and firing by the Police should also be taken ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It is for the State Governments to take appropriate action in the matter.

## केरल मुस्लिम लीग की गतिविधियां

*640. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस परिपत्र की ओर दिलाया गया है कि जो हाल ही में प्रकाशित समाचारों के अनुसार केरल की मुस्लिम लीग ने अपने अनुयायियों को भेजा है जिसमें कहा गया है कि मलप्पुरम के मुसलमान अपनी भूमि गैर-मुसलमानों को न बेंचे ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) :** (क) केरल की मुस्लिम लीग द्वारा ऐसा कोई परिपत्र जारी किये जाने के बारे में राज्य सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

## हिन्दी का प्रयोग

*641. **श्री श्रीगोपाल साबू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्य के लिये हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में सरकार ने गत दो वर्षों में क्या कार्यवाही की ;

(ख) क्या सभी सरकारी कार्यालयों ने अपने सरकारी कार्यों के लिए राज भाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हिन्दी का प्रयोग करना आरम्भ कर दिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो किन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों ने अपना/सरकारी कार्य हिन्दी में करना अभी तक आरम्भ नहीं किया है और किस प्रकार का कार्य अभी तक हिन्दी में करना आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और उन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सरकारी कार्य के लिये कब से हिन्दी का प्रयोग होने लगेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ख) संशोधित राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए प्रशासनिक अनुदेश जुलाई, 1968 में सभी मंत्रालयों/विभागों को भेज दिए गए थे । इनके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में संयुक्त सचिव के स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गयी है । इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का पुनरीक्षण तिमाही प्रगति रिपोर्टों द्वारा दिया जाता है जो गृह मंत्रालय को भेजी जाती हैं । जहां आवश्यकता होती है वहां अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है ।

(ग) और (घ). संशोधित राजभाषा अधिनियम में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों के संघ के सरकारी काम काज में प्रयोग के लिए व्यवस्था की गई है । केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पूरी छूट दी गई है कि वे दोनों भाषाओं में से किसी को भी अपने कार्य करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं । केवल हिन्दी में ही कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

### विवरण

सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों के दौरान की गई कार्यवाही ।

1. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के विभिन्न उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक प्रशासनिक अनुदेश जुलाई, 1968 में जारी किये गये जो यह भी अपेक्षा करते हैं कि :—

(1) उन राज्यों के साथ, जिन्होंने केन्द्रीय सरकार के साथ पत्र-व्यवहार के प्रयोजन के लिए हिन्दी का प्रयोग अपना लिया है, सभी प्रकार के पत्र-व्यवहार

के लिए यथासम्भव हिन्दी का प्रयोग करने के प्रयत्न किये जायं ; तथा

(2) कोई भी कर्मचारी टिप्पणी तथा मसौदा लेखन के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का प्रयोग करने के लिएस्वतंत्र है और उससे दूसरी भाषा में अनुवाद देने की अपेक्षा नहीं की जाय ।

2. इस सम्बन्ध में भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि :—

(1) अनुवाद की सुविधाओं की यथावश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए/में यथावश्यक वृद्धि की जानी चाहिए ताकि अहिन्दी भाषियों को असुविधा न हो ।

(2) चालू वित्तीय वर्ष (1968-69) के अन्त तक मंत्रालयों/विभागों में प्रयोग के लिए आवश्यक अतिरिक्त हिन्दी टाइपराइटरों का कम से कम 50 प्रतिशत खरीद लिया जाय ।

(3) सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु सभी अनुभागों तथा अधिकारियों को सहायक साहित्य दिया जाय ।

(4) हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियां अब से हिन्दी में की जायं ।

(5) सार्वजनिक प्रयोग के लिए प्रपत्र हिन्दी/अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में छापे जायं ।

(3) **हिन्दी शिक्षण योजना** : निम्नलिखित संख्या में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने एक या एक से अधिक निर्धारित हिन्दी परीक्षाएं पास कर ली हैं :—

| हिन्दी परीक्षाएं | हिन्दी टाईपराईटिंग | हिन्दी आशुलिपि | जोड़ |
|---|---|---|---|
| 31,647 | 1,755 | 386 | 33,788 |

**मिनिकाय द्वीपसमूह में पुलिस के अत्याचार**

*642. **श्री क० लकप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री मिनिकाय द्वीप-समूह में पुलिस द्वारा अत्याचार के बारे में 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 829 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस द्वारा अत्याचार के आरोपों की जांच के बारे में प्रतिवेदन इस बीच सरकार को प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

जांच अधिकारी को, 8-9 अप्रैल की मध्य रात्रि में अमीन की कचहरी को जला दिये जाने पर, मोपान लोगों पर की गई पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच करनी थी।

जांच अधिकारी ने द्वीप-समूह में दो दलों को परस्पर विरोधी कामों में लगे हुये पाया। उससे जांच अधिकारी के कार्य में बाधा पड़ी। यातना के आरोप को सिद्ध करने वाली कोई भी साक्षी उपलब्ध नहीं हुई। डाक्टरी की साक्षी ने भी यातना की पुष्टि नहीं की। परन्तु परिस्थितिक साक्ष्य, तथा द्वीपवासियों के एक बृहत् प्रतिनिधि-मण्डल ने, जिसे भारी व्यय द्वारा गृह-मंत्री से मिलने भेजा गया था, जांच अधिकारी को बताया कि इन आरोपों में कुछ तथ्य बढ़ाकर बताए गये हो सकते हैं। पुलिस द्वारा मोपन लोगों के साथ बरते गये कदाचार तथा उन्हें दी गई यातनाओं में कुछ सच्चाई अवश्य है। यहां तक कचहरी को जलाए जाने का प्रश्न है, जांच अधिकारी का मत है कि इस बारे में उचित तथा पर्याप्त आधार विद्यमान थे कि मिनिकाय द्वीप समूह के उन मोपन लोगों के दलों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने उक्त कार्यवाही की, परन्तु दोषी व्यक्ति को पकड़ा नहीं जा सका।

कल्कदीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव के प्रशासक को आदेश दिया गया है कि वह जांच अधिकारी के निष्कर्षों के आधार पर मोपनों को तंग किये जाने के आरोपों की जिम्मेदारी निर्धारित करें और जहां उपयुक्त हो उचित कार्यवाही प्रारम्भ करें।

**Memorandum of Demands from All India Primary School Teachers Federation**

*643. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether some time back he received a memorandum of demands submitted by a delegation of the All India Primary School Teachers' Federation under the leadership of Shri Hiralal Patwari;

(b) if so, their main demands; and

(c) the action taken so far and proposed to be taken by Government in this connection?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-440/69.]**

**Deficit in Delhi Municipal Corporation**

*644. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation has shown defit constantly from the year 1962;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps proposed to be taken by the Central Government improve the financial position of the Corporation ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) Yes, Sir. The Delhi Municipal Corporation have been showing a deficit budget from the year 1962-63 .

(b) The receipt of income from various sources has been falling short of the expectations of the Corporation as provided in their budget estimates year after year.

(c) A Commission of Enquiry had been appointed by the Government to enquire into the financial resources and requirement of the Delhi Municipal Corporation. The Commission have recently submitted an interim report on the finances of the Delhi Municipal Corporation. This report is being examined by the Government.

**Aligarh Muslim University Students Leaving for Pakistan**

*645. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Kumari Kamla Kumari :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of students of the Aligarh Muslim University who have left for Pakistan after their graduation and post-graduation from the said University during the last three years ;

(b) the number of those out of them who were students of M.B.B.S. and the Engineering courses separately and also of those who were receiving technical education ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check this tendency ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) and (b). The requsite information is not readily available. However, during the period of 1950 to 1967, out of 2306, who graduated in Engineering from the University, 184 left for Pakistan.

(c) The tendency of graduates and post-graduates migrating abroad is a larger question which applies to many universities. It is, in any case not desirable to impose restrictions on the students of one University alone.

**एयर इण्डिया के विमान**

*646. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया के अपने कुल कितने विमान हैं और वे किस किस प्रकार के हैं ;

(ख) बिक्री तथा तकनीकी कर्मचारियों समेत एयर इंडिया की विमान सेवाओं में कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या इस आरोप में कुछ सचाई है कि समस्त विश्व की विमान सेवा कम्पनियों की तुलना में एयर इंडिया में सबसे अधिक कर्मचारी हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :**

| | |
|---|---|
| (क) बोइंग 707—420 | 5 |
| बोइंग 707—320 बी | 3 |
| बोइंग 707—320 सी | 2 |
| योग | 10 |

(ख) 1 जनवरी, 1969 को 8766,

(ग) जी, नहीं ।

**शिक्षा मंत्रालय में भ्रष्टाचार आदि के मामले**

*647. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में 1 अप्रैल से 3 जून 1968 तक की अवधि में भ्रष्टाचार, घूसखोरी, चोरी तथा अन्य दांडिक अपराधों के कितने मामलों का पता चला था ;

(ख) उनमें कितने सरकारी कर्मचारियों का (श्रेणीवार) और कितने गैर-सरकारी व्यक्तियों का हाथ था ;

(ग) कितने मामलों में मुकदमे चलाये गये थे और कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये थे ;

(घ) वर्ष 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये थे, उनमें से कितने मामले दोष सिद्ध हुए और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई तथा उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) दो ।

(ख) श्रेणी तीन—एक
श्रेणी दो —एक

(ग) एक मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया गया था तथा कर्मचारी को दोषमुक्त कर दिया गया था । दूसरे मामले में विभागीय कार्यवाही की गई थी ।

(घ) वित्तीय वर्ष 1967-68 में नौ मामले पकड़े गये थे । इन मामलों का ब्योरा देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

(ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उल्लंघन तथा वित्तीय नियमों और प्रक्रियाओं का पालन न किये जाने के कारण इस प्रकार के मामले उत्पन्न होते हैं। इस विषय से सम्बन्धित सभी आवश्यक आदेशों/अनुदेशों के बारे में, उनका सख्ती से पालन करने के लिये

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को कहा जाता है। प्रक्रियाओं में निर्धारित अन्य नियंत्रणों की क्रियान्विति के लिये भी समय-समय पर अनुदेश दिये जाते हैं।

**विवरण**

वर्ष 1967-68 में कुल 9 मामले पकड़े गये थे। 6 मामलों में विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई थी जिनमें से चार मामलों में दोषी अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के साधारण दण्ड दिये गये थे। दो मामलों में अभी विभागीय कार्यवाही की जा रही है। एक मामले में आपराधिक मुकदमा चलाया गया था किन्तु उस व्यक्ति को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया था। एक मामला/न्यायालय में विचाराधीन है तथा एक मामला जांच के लिये केन्द्रीय जांच विभाग को सौंप दिया गया है।

**संविधान की आठवीं अनुसूची में मैथली और नेपाली भाषाएं शामिल करना**

*648. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :**
**श्री शिवचन्द्र झा :**
**श्री गुणानन्द ठाकुर :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैथली और नेपाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी ने अपने सब प्रयोजनों के लिये मैथली को प्रमुख भाषा के रूप में मान्यता दे दी है ; और

(ग) क्या नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के बारे में उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) साहित्य अकादमी द्वारा अपनी गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रयोजनों के लिये मैथली को एक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

**दिल्ली का हरियाणा के साथ मिलाया जाना**

*649. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा के संयुक्त विधायक दल ने दिल्ली को हरियाणा राज्य के साथ मिलाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**पारादीप पत्तन**

650. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन के लिये चतुर्थ योजना में धनराशि आवंटित करने के सम्बन्ध में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पारादीप पत्तन के अग्रेतर विस्तार तथा विकास के लिये चतुर्थ योजना में कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ग) पारादीप पत्तन पर कार्य के सम्बन्ध में चतुर्थ योजना में क्या कार्यक्रम रखे गये हैं ?

**संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (ग) पारादीप पत्तन के सहित बड़े पत्तनों के विकास के लिए चौथे पंचवर्षीय योजना प्रस्ताथ योजना आयोग के परामर्श से बनाये जा रहे हैं ।

**दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकेतर कर्मचारी**

*651 **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों पर जो नियम तथा विनिय लागू होते हैं वे विश्वविद्यालय के अध्यापकेतर कर्मचारियों पर लागू नहीं होते ;

(ख) क्या वहां अध्यापकेतर कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो उनके कल्याणार्थ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के लिए सरकार ने क्या कार्यवाह की है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापक कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिये जो नियम औ विनियम लागू हैं, उनमें आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**नक्सलवादी गतिविधियों के साथ निपटने के लिये कानून का बनाया जाना**

*652. **श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तथाकथित नक्सलवादी गड़बड़ को रोकने हेतु जो कानून बनाने का विचार किया था, क्या उस प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अध्यादेश, 1966 के कुछ ऐसे शब्द उपबन्धों को फिर लागू करने का है जिनको विरोध होने के कारण छोड़ दिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार ने दमनकारी उपबन्धों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में सामान्य आशंका होने के कारण ऐसे सभी प्रस्तावों को समाप्त करने का विचार किया है ?

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : (क) से (ग) उग्रवादियों की गति विधियों द्वारा उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिये कानून बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

**सरकारी होटलों में ठहरने वाले यात्रियों की संख्या**

*653. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में राजधानी में सरकारी होटलों में उनके कमरों (ठहरने के स्थान) के अनुपात में पृथक-पृथक प्रति मास कितने कितने यात्री ठहरे और ये आंकड़े वर्ष 1967 के आंकड़ों की तुलना में कितने कम या अधिक हैं तथा होटलवार तथा महीने वार आंकड़ों का ब्योरा क्या है ;

(ख) क्या ओबराय इण्टर-कांटिनेन्टल जैसे गैर-सरकारी होटलों के बारे में भी उसी अवधि के सम्बन्ध में ऐसे आंकड़े एकत्र किये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनसे क्या निष्कर्ष निकाला गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या ऐसा अध्ययन भविष्य में करने का प्रस्ताव है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (घ) सरकार के विचार में सरकारी होटलों में शय्याओं की लाग के बारे में विभिन्न आंकड़ों का प्रचार इन होटलों के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा, विशेषतया जबकि सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही के होटलों के बारे में आंकड़े कानूनन समान एवं तुलनीय रीति से नहीं रखे जाते । इन परिस्थितियों में सरकारी होटलों के बारे में मात्र उन्हीं के सम्बन्ध में एक विशेष प्रकार से प्रस्तुत किये गये आंकड़े उनके लिये हानिकारक सिद्ध होंगे ।

**Pak Industries in Assam**

*654. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Hem Barua :**
**Shri S. S. Kothari :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5219 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the number of those Pakistani intruders out of a total of 11,735 persons entering Assam between January, 1963 and July, 1968, who could not be sent to Pakistan and the steps taken to send them away to Pakistan ;

(b) the number of New Pakistani intruders who have entered Assam between July, 1968 and December, 1968 and the number of those sent away to Pakistan ; and

(c) the action taken to send back 72,000 intruders to Pakistan who are still in Assam ?

**The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) :** (a) As had been said in answer to part (b) of Unstarred Question No. 5219 on 20th December, 1968, all the 11736 fresh Pakastani infiltrators detected in Assam, either on the border or inside the State, between January, 1963 and July, 1968, were either pushed back at the border or sent back to Pakistan.

(b) The exact number of Pakistani infiltrators who entered Assam during the period from July, 1968 to December, 1968 is not known. However, during the period from the 1st August, 1968 to December 31st, 1968, 831 fresh infiltrators were detected. All these infiltrators were also sent back to Pakistan.

(c) The State Government are continuing the operations for detecting and dealing with them.

**Indianisation of Foreign Christian Missions**

*655. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Kikar Singh :**
**Shri P. L. Solanki :** **Shri Deven Sen :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 900 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the time likely to be taken in Indianisation of foreign Christian Missions in accordance with the policy of Government ;

(b) whether Government have also formulated a scheme to have strict vigilance on the anti-national activities of those missions and missionaries ;

(c) whether their anti-national activities have come to the notice of Government ; and

(d) whether those missions and missionaries are actively engaged in converting tribals and Harijans to Christianity

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) Indianisation of foreign Christian Missions is proposed to be achieved progressively by allowing fresh foreign missionaries only if they possess outstanding qualifications or specialised experience and no suitable Indians are available for the work. The precise time likely to be taken in Indianisation cannot be indicated.

(b) The existing arrangements are adequate for the detection of undesirable activities of foreigners, including missionaries.

(c) Some individual foreign missionaries have come to notice for undesirable activities.

(d) There have been some reports of proselytisation activities of foreign missions and missionaries among tribals and Harijans.

## इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा लाभांश

*656. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन चालू वित्तीय वर्ष में लाभांश घोषित कर सकेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो कारपोरेशन द्वारा पर्याप्त लाभ न अर्जित करने के क्या कारण हैं ताकि लाभांश घोषित किया जा सके ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख) साधारणतः लाभांश किसी वित्तीय वर्ष के खाते बन्द करने के पश्चात घोषित किये जाते हैं। इण्डियन एयर लाइन्स ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1967-68 के लिये कोई लाभांश घोषित नहीं किया है क्योंकि उस वर्ष उसे हानि हुई थी। कारपोरेशन ने 1968-69 के लिये 69.20 लाख रुपये के लाभ का बजट तैयार किया है परन्तु लाभांश घोषित करने के प्रश्न की (1969-70 के दौरान) खाते बन्द करने के पश्चात ही जांच की जायेगी।

## Application of Official Language Act to Supreme Court/High Courts

*657. **Shri Molahu Prasad :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3582 on 6th December, 1968 and state :

(a) the reasons for section 7 of the Official Language Act, 1963, relating to language, not being made applicable to the Supreme Court and High Courts ; and

(b) the interim and final action taken or propose to be taken for implementing the provisions of section 7 of the Official Languages Act ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). Section 7 of the Official Languages Act has reference only to the Governor of a State, with the previous consent of the President authorising the use of Hindi or the Official Language of the State for purposes of any judgement, decree or order passed by a High Court only. As the initiative for this will be with the State Governments, thier views or bringing this section into force have been invited. A final decision will be taken after taking into consideration the views of all the State Governments.

## काकीनाडा बन्दरगाह

*658. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान काकीनाडा बन्दरगाह में सुधार करने पर विचार कर रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) सरकार ने इस उद्देश्य के लिये कितनी राशि नियत की है ; और

(घ) इससे कितनी आय होने की आशा है ?

**संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (घ). आंध्र प्रदेश सरकार ने 2.51 करोड़ रुपये के लागत पर केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन काकीनाडा पत्तन के विकास का प्रस्ताव किया है । इस पत्तन सम्बन्धी योजनाओं के ब्योरे पर विचार किया जा रहा है । प्रस्तावित सुधारों के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश सरकार पत्तन के कार्य में लगभग 11 लाख रुपये की आशा करते हैं ।

## Air Service to Fiji Island

*659. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start air service from India to Fiji Island ; and

(b) whether the Australia-Fiji Air Service is still running at a loss ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) Air-India is already operating a weekly service to Fiji Islands (Nandi) on the India-Australia route.

(b) It is true that the results of the Australia-Fiji sector of this service was initially not satisfactory. However, the load factor is increasing substantially over the years. As compared to the seat factor of 18.6% during the first year of operation i. e. 1964-65, it has increased to 40% during the period April-November, 1963. If this rate of growth is maintained, this route will become remunerative over the next few years.

## सफाई सेवाओं में ऊंचे पद

*660. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समझती है कि सफाई सेवाओं में पर्यवाक्षी स्वरूप के ऊंचे पदों पर केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिए न कि गैर अनुसूचित जातियों अथवा गैर-अनुसूचित आदिम जातियों के, जैसाकि इस समय किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) पदों में नियुक्तियां, उनके लिये बनाये गये भर्ती-नियमों के अनुसार की जाती है । भर्ती-नियमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण उस सीमा तक प्रदान किया जाता है जिस तक निर्धारित किया गया है । समान श्रेणी की सेवाओं में प्रतिशत समान है । सभी सेवाओं पर लागू एक से प्रतिशत से भिन्न, किसी एक सेवा में, आरक्षण का एक भिन्न, प्रतिशत निर्धारित करना, उचित नहीं होगा ।

**गुजरात में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस**

3870. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की शक्ति कितनी है ;

(ख) क्या उनकी संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या इस बटालियन में सभी राज्यों के व्यक्ति हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) इस समय गुजरात में कोई केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

**गुजरात में पुरानी ऐतिहासिक कलात्मक वस्तुओं की चोरी**

3871. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में मूर्तियों के रूप में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण की पुरानी कलात्मक वस्तुएं अनुरक्षित पड़ी हैं और अनेक स्वार्थी लोग उनकी चोरी करके तथा उनके निर्यात से बहुत धन कमा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन कलात्मक वस्तुओं को संग्रहालयों में रखने और इस प्रकार उनको सुरक्षित रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितने मूर्ति चोर गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कानून बनाने का है कि सरकार की अनुमति बिना कलात्मक ऐतिहासिक वस्तुओं का निर्यात न किया जाये ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : (क) और (ख). जहां तक गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों का सम्बन्ध है, कुछ मूर्तियां बिखरी पड़ी हैं । इनको सुरक्षित जगहों ले जाने और उनका आलेखन करने तथा उनके फोटो लेने के लिये कार्य-

वाइयां शुरू कर दी गई हैं। रुपया उपलब्ध होने पर उनको रखने के लिये मूर्ति सायवानों का निर्माण किया जायेगा ।

(ग) गुजरात में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में चोरी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) वर्तमान पुरावशेष (निर्यात नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन सभी पुरावशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है ।

**गुजरात में सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य**

3872. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में पुरातत्वीय महत्व के विभिन्न स्थानों के सर्वेक्षण तथा खुदाई कार्य के लिये क्या सुविधाऐं दी गई हैं और उनके लिये अब तक कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ख) गुजरात के अनेक पुराने तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में, जिनका अभी तक सर्वेक्षण शुरू नहीं किया गया कार्यवाही की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह)**: (क) और (ख). भारत का पुरातत्वीय सर्वेक्षण, एक क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार गुजरात राज्य में प्रत्येक ग्राम के पुरावशेषों का सर्वेक्षण और स्मारकों के सर्वेक्षण नक्शों का निर्माण स्वयं कर रहा है। प्रायोजना चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान जारी रहेगी । इसके अतिरिक्त, भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण ने बड़ौदा के एम० एस० विश्वविद्यालय को खोज तथा खुदाई करने के लिये 1960-61 से 1664-65 वर्षों के दौरान 28, 500/-रुपये का सहायक-अनुदान दिया है ।

**गुजरात में खुदाई कार्य**

3873. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात में पुरातत्वीय महत्व के किन-किन स्थानों की खुदाई की गई है और उनमें से प्रत्येक के लिए कितनी-कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई ;

(ख) गुजरात में कितने मन्दिरों तथा ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल में रसायनों का प्रयोग किया गया है और उनमें से प्रत्येक के लिये कितनी-कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कौन-कौन से पुरातत्वीय कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है और उनके लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह)** : (क) भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने गत तीन वर्षों में गुजरात में कोई खुदाई नहीं की है ;

(ख) अनुरक्षण के लिए निम्नलिखित इमारतों पर रसायनों का प्रयोग किया गया :

| | | |
|---|---|---|
| (1) सिद्दी सईद मस्जिद, जिला अहमदाबाद | 1966-68 | 3,350/-रुपये |
| (2) तम्बेकरवारा, बड़ौदा | 1968-69 | 2,000/-रुपये |

(ग) प्राचीन इमारतों की देखभाल और खुदाई कार्यों के सामान्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त गुजरात में निम्नलिखित परियोजनायें चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल की गई है । व्यय के आंकड़े अनुमानित ही हैं ।

| | |
|---|---|
| (1) स्मारकों की सर्वेक्षण-योजना तैयार करना | 25,000/-रुपये |
| (2) पुरावशेषों का सर्वेक्षण | 21,000/-रुपये |
| (3) मूर्तिकला कक्षों का निर्माण | 50,000/-रुपये |

**पाकिस्तानी घुसपैठियों की सहायता करना**

3874. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सीमा क्षेत्रों में रहने वाले उन 101 व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होंने 1965 के भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तानी घुसपैठियों की सहायता की थी ;

(ख) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उनको क्या दण्ड दिया गया है ;

(ग) अन्य सीमावर्ती राज्यों के राज्यवार कितने व्यक्तियों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों की सहायता की थी ; और

(घ) विभिन्न सीमावर्ती राज्यों में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) और (ख). राजस्थान सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) पाकिस्तान के सीमावर्ती सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर यह संख्या 173 है (राजस्थान-101, जम्मू तथा कश्मीर-72, और दूसरों से कोई नहीं) ।

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है ।

## पर्यटन व्यवसाय में प्रशिक्षण की संस्थायें

3875. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटन भोजनालय शास्त्र तथा पर्यटन सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जायेंगे, उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये संस्थान स्थापित किए जायेंगे तथा सम्भवतः कितने समय तक ये संस्थान पूरी तरह कार्य करने लगेंगे ;

(ग) ऐसे संस्थानों सम्बन्धी कुछ मुख्य बातें क्या हैं, प्रत्येक संस्थान में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा तथा प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी पर प्रत्येक वर्ष लगभग कितना खर्च होगा ; और

(घ) उन खान-पान संस्थाओं की संख्या क्या है तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं जो कि पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं और उन संस्थानों में प्रत्येक से हर वर्ष कितने विद्यार्थी पास होकर निकलते हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). पर्यटन विषयक क्रियाकलाप के समस्त क्षेत्रों के सम्बन्ध में नये प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है। परन्तु एक नया प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने तक यह तै किया गया है कि मौजूदा संस्थानों का और अधिक उपयोग करने का प्रयत्न किया जाये तथा पहले से उपलब्ध स्थान एवं कर्मचारियों के ढांचे के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायें।

(घ) भारत सरकार (खाद्य एवं कृषि मंत्रालय) ने 'केटरिंग टेकनांलाजी और एप्लाइड न्यूट्रीशन' के बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, और दिल्ली में चार संस्थान स्थापित किये हैं ; और दो फूडक्राफ्ट संस्थान कालामसेरी (केरल) और पंजिम (गोवा) में स्थापित किये हैं। 1967-68 में इन संस्थानों से 761 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करके निकले।

## एयर इंडिया

3876. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया में 8000 से अधिक कर्मचारी काम करते है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में उनको प्रति वर्ष वेतन आदि के क्रम में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ग) दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में विदेशी विमानों की मरम्मत करके एयर इंडिया को हर वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त होती है तथा क्या इस धनराशि का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) वायुसेना के सुपर कान्सटेलेशन विमानों के रख-रखाव कार्य के लिये एयर इंडिया द्वारा हर वर्ष कितनी धनराशि अर्जित की जाती है ; और

(च) एवरो इंजनों की मरम्मत के लिये इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एयर इंडिया को हर वर्ष कितनी धनराशि दी जाती है, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हर वर्ष कितने एवरो इंजनों की मरम्मत की गई ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के वार्षिक वेतन बिल निम्न प्रकार थे :

| वर्ष | वेतन बिल रुपये |
|---|---|
| 1965-66 | 7.62 करोड़ |
| 1966-67 | 9.80 करोड़ |
| 1967-68 | 10.95 करोड़ |

(ग) 1967-68 के दौरान अर्जित की गई धन राशि निम्न प्रकार से थी :

| | रुपयों में | विदेशी मुद्रा में | योग |
|---|---|---|---|
| बम्बई | 18.59 | 20.55 | 39.14 |
| दिल्ली | 10.00 | 5.50 | 15.50 |
| कलकत्ता | 5.25 | 4.23 | 9.48 |

(घ) विदेशी विमानों की 'सर्विसिंग के लिये एयर इंडिया ने 17 हवाई कम्पनियों के साथ जिनके भारत में उतरने के हवाई अड्डे बम्बई, दिल्ली अथवा कलकत्ता हैं, विमानों के 'ग्राउंड हैंडलिंग' विषयक करार किये हैं । इनमें से 11 अपने भुगतान अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था तथा लेखों के हवाई कम्पनियों के बीच पारस्परिक निपटान द्वारा विदेशी मुद्रा में करती हैं । दूसरी अपने भुगतान अपने भारत स्थित स्थानीय कार्यालयों के द्वारा पारस्परिक आधार पर किये गये करार की शर्तों के अनुसार भारतीय रुपयों में करती हैं ।

(ङ) एयर इंडिया द्वारा पिछले तीन वर्षों में भारतीय वायुसेना से प्राप्त की गयी धन-राशियां निम्न प्रकार से थीं :

| अवधि | राशि (लाख रुपयों में) |
|---|---|
| 1965-66 | 32.82 |
| 1966-67 | 33.48 |
| 1967-68 | 65.73 |

(च) एयर इंडिया द्वारा इंडियन एयरलाइन्स के एवन इंजनों को ओवरहाल करने के लिए प्राप्त राशियां तथा ओवरहाल किये गये इंजनों की संख्या नीचे दी गयी है।

| वर्ष | ओवरहाल किये गये इंजनों की संख्या | एयर इंडिया द्वारा प्राप्त की गयी राशि |
|---|---|---|
| 1965-66 | — | — |
| 1966-67 | 3 | 1,35,000 |
| 1967-68 | 3 | 2,40,000 |

**राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 का मार्ग परिवर्तन**

3877. **श्री देव राव पाटिल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6, जिस पर अमरावती ग्रोअर्स कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड स्थित है, के प्रायोजित मार्ग परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण-कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए सरकार से प्रार्थना की थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्माण-कार्य को चौथी योजना में शामिल किया जा रहा है ?

**संसद् कार्य विभाग तथा परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)**: (क) और (ख). महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हैं, परन्तु उस राज्य के लोक निर्माण विभाग ने राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 (अमरावती नगर) पर 96/0 मील पर उप मार्ग बनाने का सुझाव दिया है तथा यह सुझाव दिया है कि भूमि के अर्जन हेतु चौथी पंचवर्षीय योजना में धन का नियतन किया जाये। चौथी पंचवर्षीय योजना के नियतन को अन्तिम रूप देते समय अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ उस प्रस्ताव पर भी विचार किया जायेगा। तथापि इस बात की जानकारी नहीं है कि यह उपमार्ग उस स्थान पर होगा, जहां अमरावती ग्रोअर्स कोपरेटिव स्पिनिंग मिल्स स्थित है।

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रेंडशिप विमान**

3878. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ तथाकथित तकनीकी कारणों के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोकर फ्रेंडशिप विमानों की उड़ानें प्रायः तथा निरन्तर विलम्ब से होती हैं जिसके कारण यात्रियों को अनावश्यक रूप से असुविधा होती है ;

(ख) वे तकनीकी कारण क्या हैं ; और

(ग) यात्रियों को होने वाली इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) फोकर फ्रेंडशिपों द्वारा परिचालित इंडियन एयरलाइस की सेवाओं में देरियां ज्यादह नहीं होतीं ।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित विभिन्न प्रकार के विमानों की प्रति 100 उड़ानों में देरियों का अनुपात बतलाने वाला एक चार्ट संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 441/69]

(ख) और (ग). जब कभी तकनीकी कारणों से देरियां होती हैं तो उनका कारण विमान के इंजनों अथवा अन्य पुर्जों में, जिनमें इलेक्ट्रिकल (बिजली) तथा रेडियो उपस्कर और उपकरण भी शामिल हैं, यांत्रिक खराबियां हो सकती हैं । जब कभी भी ये खराबियां होती हैं, इनकी ओर तुरन्त ध्यान दिया जाता है ।

**Repairs to Ancient Monuments in Madhya Pradesh**

3879. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state whether the amount earmarked for the repairs of ancient monuments in Madhya Pradesh in 1968-69 has been spent fully and, if so, the complete details and results thereof ?

**The Deputy Minister of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh)** : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Development of Tourist Centres in Madhya Pradesh**

3880. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount allocated for the development of Tourist Centres in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the details of programmes connected therewith ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)** : (a) and (b). In addition to the expenditure which the State Government will incur for development of

tourist centres in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan, the Central Government proposes to take up the integrated development of Khajuraho for which an amount of Rs. 5 lakhs has been tentatively provided. Detailed schemes will be completed after the Plan outlay has been approved.

## सरकारी कर्मचारियों की स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति

3881. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को एक न्यूनतम अवधि की सेवा करने के पश्चात् स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने के लिए प्रेरित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस प्रेरणा के लिये उनको क्या लाभ देने का विचार है और इस प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् । ऐसे आदेश पहले ही हैं जिनके अनुसार फालतू घोषित किये गये तथा सेवा-निवृत्त चाहने वाले कर्मचारी विशेष परिस्थितियों में, अपनी सेवा में पांच वर्ष जुड़वा सकते हैं ।

## मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों का प्रबन्ध तकनीकी व्यक्तियों को सौंपना

3882. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उपक्रमों से सम्बन्धित भारत सरकार मंत्रालयों और सरकारी उपक्रमों का अच्छा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये नौकरशाही वाले सिविल प्रशासकों की बजाय केवल तकनीकी व्यक्तियों को ही उनका प्रबन्ध सौंपने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). मंत्रालयों के सचिवों के पदों पर नियुक्तियां, जो कि नीति निर्धारण से संबंधित हैं, विस्तृत प्रशासनिक अनुभव रखने वाले अधिकारियों में से की जाती हैं । सरकारी उद्यमों के मामले में, सरकार की नीति चोटी के पदों के लिए सभी स्रोतों से उपलब्ध सर्वोत्तम प्रवीण व्यक्तियों के प्राप्त करने की है जिनमें सरकारी नौकरी, सरकारी उद्यमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अधिकारी शामिल हैं ।

**पोलैण्ड के एक नागरिक के रिहायशी पर्मिट का नवीकरण**

3883. **श्री सिद्धय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने मैसूर जिले में कोल्लेगल तालुक में एक कुष्ठ निवारण केन्द्र में काम करने वाले पोलैण्ड के एक नागरिक के रिहायशी पर्मिट के नवीकरण के लिए सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार को यह सिफारिश कब प्राप्त हुई;

(ग) क्या नवीकरण कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ). ठहरने की अवधि बढ़ाने के लिए उक्त पोलैंड की राष्ट्रिक का आवेदन-पत्र मैसूर सरकार के माध्यम से दिसम्बर, 1968 में प्राप्त हुआ। उक्त पोलैंड की राष्ट्रिक जीवोदय समाज तथा कुष्ठ निवारण केन्द्र, कमाकेराइ, कोल्लेगल तालुक में कार्य कर रही थी। जुलाई, 1968 में किसी समय उसकी सेवायें उस संस्था के प्राधिकारियों द्वारा समाप्त कर दी गईं जिन्होंने उसे भारत छोड़ जाने की भी सलाह दी। किन्तु उस विदेशी ने समाज-कार्य के लिए उसी तालुक में कोटनुर स्थित प्रकाश पलयम में आवास ग्रहण किया। सरकार के समक्ष मामले के तथ्यों के अनुसार, निर्धारित नीति के अनुसार वह ठहरने की अवधि बढ़ाये जाने की शर्तों को पूरा नहीं करती थी। अतः नवीकरण करने से इन्कार किया गया।

**सरकारी कर्मचारियों की सेवा वार्धक्य की आयु**

3884. **श्री सोमसुन्दरम्** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 718 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-वार्धक्य की आयु कुछ वर्ष पहले 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष करना सरकार ने किन परिस्थितियों में उचित समझा था ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : ऐसी बातें, अर्थात् तकनीकी तथा प्रशासनिक समेत अनुभवी तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी, व्यक्तियों के स्वास्थ्य में उन्नति और आयु में वृद्धि की सम्भावना तथा यह तथ्य भी कि संसार में भारत के भीतर वार्धक्य-निवृति आयु न्यूनतम थी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की वार्धक्य-निवृति आयु 55 से 58 करते समय ध्यान में रखी गई थी। वार्धक्य-निवृति आयु में वृद्धि की सिफारिश प्रथम तथा द्वितीय वेतन आयोग द्वारा भी की गई थी।

## पालघाट मन्दिर

3885. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालघाट जिले के अंगादीपुरम में भगवान शिव के प्राचीन तथा अत्यन्त सम्मानित हिन्दू थाली मन्दिर पर हिन्दू भक्तों द्वारा पूजा जारी रखने के पक्ष में श्री केलाप्पन के नेतृत्व में आन्दोलन किया जा रहा है;

(ख) क्या सितम्बर, 1968 में समीपस्थ मस्जिद के भक्तों ने उस मन्दिर पर हिन्दू भक्तों द्वारा की जा रही पूजा पर सख्त आपत्ति की थी;

(ग) क्या पालघाट के जिला मजिस्ट्रेट ने हिन्दू भक्तों द्वारा उस मन्दिर पर की जा रही पूजा को रोकने का आदेश जारी किया था; और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(घ) क्या सरकार ने उस हिन्दू मन्दिर को एक ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है तथा हिन्दू भक्तों को पूजा करने से रोकने के लिए उस मन्दिर के चारों ओर एक दीवार का निर्माण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ङ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पालघाट जिले में पेरितांलमन्ना तालुक के अन्गादीपुरम् गांव में पोराम्बोके भूमि में एक प्राचीन शिव मन्दिर के खण्डहर हैं । अभी हाल ही में, मन्दिर के नवीकरण के लिए स्थानीय हिन्दुओं द्वारा बनाई गई समिति ने राज्य सरकार से पोरम्बोके की भूमि को मंदिर को देने का अनुरोध किया । अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया । श्री केलाप्पन के नेतृत्व में हिन्दू भक्तों द्वारा 29 नवम्बर, 1968 को प्राचीन मंदिर के स्थल पर पूजा आरम्भ की गई थी । उन मुसलमानों द्वारा इसका विरोध किया गया था जो मंदिर-स्थल के समीपवर्ती मुस्लिम मदरसा (निस्कारपल्ली) पर पूजा करते हैं । क्षेत्र में शान्ति बनाये रखने के लिए पालघाट के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा एक निषेधादेश जारी किया गया था । 20 नवम्बर, 1968 को राज्य सरकार ने प्राचीन मंदिर के स्थल को पुरातत्व विभाग को हस्तान्तरित करते हुए एक आदेश पारित किया और हिन्दुओं को मंदिर में प्रवेश करने से तथा मुसलमानों को अपने निस्कारप्पल्ली के विस्तार करने से रोकने के लिए स्थल को ऊंची दीवारों से बन्द करने के विभाग को आदेश दिये । किन्तु आदेश कार्यान्वित नहीं किया गया था क्योंकि 25 नवम्बर, 1968 को स्थानीय मुंसिफ के न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा दी गई थी ।

## गुजरात में सीमा सड़कों का निर्माण

3886. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निश्चित लक्ष्य के अनुसार गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में अब तक कितनी सड़कों का

निर्माण किया गया है तथा इन सड़कों की लंबाई क्या है;

(ख) इन सड़कों के निर्माण के लिये गुजरात सरकार को अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है; और

(ग) इन सड़कों पर निर्माण कार्य कितनी अवधि के लिये स्थगित किया गया था तथा इसके क्या कारण थे ?

**संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) 951 मील के आपके 8 सड़कों के निर्माण के लक्ष्य के संसर्ग में दिसम्बर, 1968 तक 865 मील की लंबाई पूरी की गई। शेष की मार्च, 1969 के अन्त तक पूरे होने की आशा है।

(ख) 1967-68 तक गुजरात सरकार को जिसे राशि की प्रतिपूर्ति की गई वह राशि 1571.32 लाख है।

(ग) कार्यों को निलम्बित करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

**संघ राज्य क्षेत्रों में कर्मचारियों पर व्यय**

3887. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य सुविधाओं पर कुल व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया गया;

(ख) क्या यह प्रतिशतता अन्य राज्यों की अपेक्षा संघ राज्य क्षेत्रों में अधिक थी;

(ग) संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या में प्रति व्यक्ति प्रशासनिक लागत क्या है तथा इसी वर्ष के लिये अन्य राज्यों में यह संख्या कितनी है; और

(घ) क्या संघ राज्य क्षेत्रों की यह प्रति व्यक्ति लागत अन्य राज्यों की प्रति व्यक्ति लागत की तुलना में समान नहीं है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) तथा (ख). 1967-68 के लिए समस्त संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन व भत्ते पर व्यय का प्रतिशत कुल व्यय का 25 था। राज्यों के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ). पहली मार्च, 1968 को प्रक्षिप्त जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित संघ राज्य क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रशासनिक लागत 67 रुपये 17 पैसे है। राज्यों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

**समितियों और आयोगों से सम्बन्धित भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश**

3888. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समितियों अथवा आयोगों की क्या संख्या है जिनके साथ इस समय भारत के

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश सभापति अथवा सदस्यों के रूप में सम्बन्धित हैं और उनके बारे में पृथक्-पृथक् ब्योरा क्या है;

(ख) इन समितियों के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रत्येक को कितना वेतन अथवा मानदेय दिया गया है; और

(ग) वे समितियां या आयोग कब नियुक्त किये गये थे तथा इनमें से प्रत्येक व्यक्ति किस समय से सम्बन्धित है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

**भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद**

3889. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) चालू वर्ष में इस परिषद् ने क्या कार्य किया ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) परिषद् को उसकी सामान्य गतिविधियों तथा सिब्बंदी के लिए चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 11 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

1968-69 में परिषद् द्वारा किये गये कार्यक्रम का मोटा ब्योरा इस प्रकार है :

ग्रीष्मकालीन शिविरों, अध्ययन यात्राओं, सामाजिक समारोहों, परिचय पाठ्यक्रमों, भारत में अध्ययन करने वाले विदेशी विद्यार्थियों के लिये हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाएं सीखने के लिए कक्षाओं का आयोजन। भारत में आगमन पर विदेशी विद्यार्थियों का स्वागत करना तथा उन्हें देश में आवास, अध्ययन के स्थानों के लिये उनकी यात्रा के प्रबन्ध करने के बारे में उनकी सहायता करना, जिस किसी मामले में आवश्यक हो, छात्रवृत्ति तथा अस्थायी वित्तीय सहायता देना।

परिषद् अपने प्रकाशन कार्यक्रम के भाग के रूप में तीन पत्रिकायें, अर्थात् 'इण्डो-एशियन कल्चर', 'थकाफतुल हिन्द' और 'कल्चर न्यूज फ्राम इण्डिया', प्रकाशित करती है। इस वर्ष ऐसे दो प्रकाशन प्रकाशित किये जा चुके हैं तथा पांच और प्रकाशन अगले मास प्रकाशित हो जायेंगे। दो अनुवाद, एक अरबी में और दूसरा अंग्रेजी में प्रेस में हैं और उनके इस वर्ष प्रकाशित हो जाने की संभावना है।

परिषद् के पुस्तकालय में भारत के सम्बन्ध में तथा अन्य देशों के जनजीवन और संस्कृति के बारे में पुस्तकें शामिल कर ली गई हैं। अनेक संदर्भ ग्रन्थ-सूची तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है और 'एस्पैक्ट्स आफ इण्डियन कल्चर' नामक एक पुस्तिका जिसमें इतिहास और संस्कृति के बारे में संदर्भ-ग्रन्थ-सूची सम्मिलित है, पूर्ण होने वाली है। पड़ोसी देशों सम्बन्धी पुस्तकों की अनेक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय अनबोध का द्वितीय जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार डा० मार्टिन लूथर किंग को मरणोपरान्त दिया गया था। श्रीमती किंग को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था और उन्होंने अपने स्वर्गीय पति की ओर से यह पुरस्कार लिया था।

परिषद आस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया, रूमानिया और त्रिनिदाद में भारतीय अध्ययनपीठ स्थापित कर चुकी है। कैरेबियन देशों में तीन सांस्कृतिक प्राध्यापक नियुक्त किये गये हैं, जो हिन्दी भी पढ़ा रहे हैं। मारिशियस में भारतीय नृत्य और संगीत सिखाने के लिये दो शिक्षक नियुक्त हैं।

भारत और मध्य एशिया के बारे में हाल में एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी, अनेक भारतीय और विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय लोक कला तथा हस्तशिल्पों की एक प्रदर्शनी यूगोस्लाविया, बुल्गारिया और चैकोस्लोवाकिया भेजी गई है।

विदेशों में परिषद के प्राध्यापकों तथा श्रीलंका और लन्दन में कुछ संस्थाओं की हिन्दी पुस्तकें और पत्रिकायें भेजी गई हैं। भारत में कुछ विदेशी विद्यार्थियों को हिन्दी सीखने के लिये कुछ छात्रवृत्तियां दी गई हैं। पहले वर्षों की तरह परिषद ने विदेशों से विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को आमंत्रित किया।

परिषद ने भारत सरकार की ओर से नेपाल, सिक्किम, श्री लंका और अफगानिस्तान को प्रतिनिधिमण्डल भेजे। भारत सम्बन्धी विषयों पर विदेशों में निबंध प्रतियोगितायें भी आयोजित की गई थीं।

**गुरू नानक की पांचवीं जन्म शताब्दी**

3891. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरू नानक देव की पांचवीं जन्म शताब्दी एक छुट्टी वाले दिन पड़ती है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार इस शुभ दिन के लिये एक और छुट्टी की मंजूरी दे रही है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) जी हां, श्रीमान। यह इस वर्ष एक रविवार को पड़ती है।

(ख) 22 नवम्बर, 1969 को, अर्थात् गुरु नानक की पांचवी जन्म शताब्दी से एक दिन पहले, भारत सरकार के कार्यालयों के लिए एक वैकल्पिक छुट्टी के रूप में घोषित करने का निश्चय किया गया है ।

**गुरू नानक की पांचवी जन्म शताब्दी**

3892. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुरू नानक के संदेशों का प्रचार करके उनकी पांचवीं जन्म शताब्दी का उपयोग करने हेतु कोई कार्यक्रम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है ।

**Recruitment in Education and Youth Services Ministry**

3893. **Shri Balraj Madhok :**
**Shri Sharda Nand :**
**Kumari Kamla Kumari :**

Will the Minsiter of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the dates on which tests and interviews were held for the recruitment of Technical Assistants, Hindi Translators, Statistical Assistants and Hindi Stenographers in his Ministry during the last two years ;

(b) the names of persons who conducted tests and interviewed the candidates ;

(c) whether persons were called from outside for conducting tests ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) to (d). A statement giving the required information is attached. **[Placed in Library. See No. LT-442/69].**

**अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संस्था विशेषज्ञ दल**

3894. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय पत्तन तथा बन्दरगाह संस्था के विशेषज्ञ दल द्वारा दी गई सिफारिशों को लागू करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**संसद कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) और (ख). मैं माननीय सदस्यों का ध्यान 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2608 के भाग (क) के उत्तर की ओर दिलाता हूं। सामान्य सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की नवीनतम स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 443/69]**

**Admission of Students in Delhi Colleges**

3895. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri P. M. Sayeed :**
**Shri Manubhai J. Patel :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to stete :

(a) the number of fresh students estimated for admission in the Colleges of Delhi next year and their number in Science, Commerce and Arts Faculties, separately ;

(b) whether Government propose to open new Colleges with a view to accommodate all the students ; and

(c) the steps taken by Government in this direction ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) It has been estimated by the Working Group, set up by Delhi Administration to plan the opening of new colleges during 1969, that about 14,000 eligible students are likely to seek admission to the first year class of B. A. (Pass and Honours) and B. Com. courses and about 4,800 students to the first year class of B. Sc. (Pass and Honours) courses in 1969.

(b) and (c). The Delhi Administration proposes to open two colleges during 1969. In addition, the Administration has requested the University of Delhi. (i) to direct each of its colleges to admit students to the first year class to the extent that their effective strength reaches 1500 students ; (ii) permit colleges to run Science courses in the evening classes ; and (iii) to start correspondence courses for B. Sc. (Pass) course.

**सरदार पटेल स्मारक निधि से धन का दुरुपयोग**

3896. **श्री क० लकप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री सरदार पटेल स्मारक निधि से धन के दुरुपयोग के बारे में नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को जानकारी प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निश्चित आरोप प्राप्त नहीं हुए हैं अतएव वह इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

**Promotion Committee on Central Hindi Directorate and C. S. T. T.**

3897. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Jagannath Rao Joshi:**
**Shri Narain Swarup Sharma:** **Shri Suraj Bhan:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether the recommendations of the Promotion Committee in respect of Research Assistants of the Central Hindi Directorate and Scientific and technical Terminology Commission have been received;

(b) if so, the details thereof and the reaction of Government thereto; and

(c) if not, the reasons for the inordinate delay?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) to (c). Presumably, the Question relate to the recommendations of the Departmental Promotion Committee in respect of Research Assistants considered suitable for promotion to the next higher post of Assistant Education Officer. The Post of Assistant Education Officer is required to be filled by departmental promotion from amongst Research Assistants who have put in three years of service in the grade have also qualified in a departmental written test. The meeting of the Departmental Promotion Committee will be convened after the result of the departmental written test has been declared as only the cases of those candidates who qualify in the departmental test will be considered by the Departmental Promotion Committee.

**Child Education**

3898. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Suraj Bhan.**
**Shri Brij Bhushan Lal:** **Shri Ranjit Singh:**
**Shri Jagannath Rao Joshi:**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) the number and types of systems of child education prevalent in the country;

(b) whether any proposal to co-ordinate all these systems and to raise their standard is under consideration of Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan):** (a) For pre-primary education, various types of schools, like Balwadis, Montessorie schools, kinder-garten schools are in existence. As for elementary education, barring some local variations, the system is broadly the same all over the country.

(b) to (d). The development of a national system of pre-primary education can be taken up when the requirement of Article 45 of the Constitution is fulfilled. This being the responsibility of the States, the Central Government has at present no specific proposal to coordinate pre-primary and elementary education all over the country. A general coordination and attempt at improvement in this connection have, however, been provided for through annual meetings of the Central Advisory Board of Education, through the Conference of State Education Ministers, discussions in connection with annual and Five Year Plans and similar other meetings organised on an All-India basis with representatives of State Governments.

**Classwise Categorisation in Government Services**

3899. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Suraj Bhan :**
**Shri Brij Bhushan Lal :** **Shti Ranjit Singh :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government agree with the view that there should be only class-wise categorisation in Government Service and the distinction of Gazetted and non-Gazetted employees should go ;

(b) if so, the details of the Scheme ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) the ratio of Gazetted and non-Gazetted employees in the Central Government in 1951 as well as at present ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) Government does not consider it desirable or feasible to do away with the system of notifying in the Gazette certain appointments etc., particularly as it is necessary to do so for the information of all concerned including the general public.

(d) Uptodate information is not available. However, the information as available is given in a statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-144/69]**

**दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियर और चिकित्सा स्नातक**

3900. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियरों की संख्या शत प्रतिशत और बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों और स्नातकोत्तर व्यक्तियों की 130 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) दिल्ली में बेरोजगार इंजीनियर और चिकित्सक स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों की निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं है। फिर भी, समय-समय पर रोजगार कार्यालयों में दर्ज व्यक्तियों की संख्या से नौकरियों की स्थिति का रुख बहुत अस्पष्ट रूप में प्राप्त होता है। 31 दिसम्बर, 1966 को रोजगार कार्यालय, दिल्ली में 2696 इंजीनियर स्नातक तथा डिप्लोमाधारी और 193 चिकित्सक स्नातक तथा स्नातकोत्तर डाक्टर दर्ज थे। 31 दिसम्बर, 1968 को संख्या 4464 इंजीनियर तथा 373 डाक्टर तक बढ़ गई थी। यह वृद्धि क्रमश: 65 प्रतिशत तथा 93 प्रतिशत थी।

(ख) इंजीनियरों के लिये सरकार ने रोजगार के अतिरिक्त अवसर बनाने के उद्देश्य से

कई उपायों को अपनाने का निश्चय किया है। केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों द्वारा जिन उपायों को अपनाया गया था तथा जो प्रगति हुई थी वह दर्शाने वाले विवरण क्रमश: 26-7-68 को तारांकित प्रश्न संख्या 138 तथा 27-2-69 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1357 के उत्तर में सदन के सभा-पटल पर रखे गये थे। जहां तक डाक्टरों का संबंध है यह देखा जा सकता है कि दिल्ली में रोजगार कार्यालयों द्वारा नौकरी ढूंढने वाले डाक्टरों की कुल संख्या केवल 373 है। चूंकि देश में कुल मिलाकर डाक्टरों की कमी है अत: उनके लिये नौकरी प्राप्त करने में कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

**दिल्ली परिवहन द्वारा डिपुओं और बसों का गिरवी रखा जाना**

3901. **श्री म० ला० सोंधी :**
**श्री बाल्मीकि चौधरी :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन ने 90 लाख रुपये का ऋण प्राप्त करने के लिये अपने डिपो और बसें सरकार के पास गिरवी रखे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संगठन की वित्तीय स्थिति की जांच करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) 1968-69 में दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिये दिल्ली नगर निगम को 60 लाख रुपये के ऋण की मंजूरी देते समय यह स्वीकार किया गया था कि दिल्ली परिवहन उपक्रम ऋण प्राप्त की तिथि से तीन महीने के भीतर दिल्ली नगर निगम द्वारा एक बन्धक पत्र दिलवायेगा। बन्धक पत्र 75 लाख रुपये तक सीमित हो सकता है। परन्तु बन्धक पत्र अभी तक नहीं लिखा गया है।

(ख) और (ग). सरकार द्वारा 1966 में दिल्ली परिवहन उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा अन्य सम्बन्धित मामलों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य अध्ययन दल नियुक्त किया गया था। अध्ययन दल ने जून 1969 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सिफारिशों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से उपक्रम दल की सिफ़ारिशों पर विचार कर रहा है।

दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के वित्त मामलों की जांच के लिये भारत सरकार द्वारा एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग द्वारा 30-6-1969 अथवा इससे पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

**Cargo Carried by Indian Ships**

3902. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that at present nearly 90 per cent of the exports of bulk cargo like iron ore and oils is carried by foreign ships ;

(b) the quantity of such cargo exported during the last three years and the quantity of the cargo out of that carried by the Indian shipping companies and the amount of foreign exchange being paid every year to foreign shipping companies as freight charges ; and

(c) the steps being taken to develop Indian shipping in view of the present situation ?

**The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah):** (a) and (b). The total quantity of exports of iron ore and oil products during the last 3 years is given below :—

**(In millions of tonnes)**

| Iron ore | | Oil products | |
|---|---|---|---|
| **Year** | **Quantity** | **Year** | **Quantity** |
| 1965-66 | 11.18* | 1965 | 0.345 |
| 1966-67 | 13.44 | 1966 | 0.730 |
| 1967-68 | 14.41 | 1967 | 1.057 |

The exports of iron ore as well as oil products are made mostly on f.o.b. basis. The responsibility for making shipping arrangements and paying the freight, therefore, devolves on the foreign purchasers, and no authentic statistical data is available to show the quantity carried by foreign or Indian ships or freight paid by the foreign purchasers. However, on a rough basis it is correct to say that Indian ships carry only about 10% of these exports and the remaining 90% is carried by foreign ships. But since the freight is paid by the foreign purchaser, there is no question of any foreign exchange out go from Indian sources on account of payment of freight. In fact, even Indian ships, when they carry such exports to countries other than rupee payment countries, receive the freight in foreign exchange. Thus the employment of more Indian ships in carrying these exports would add to our foreign exchange earnings. For this purpose, every effort is being made to pursuate Japan, which is the largest purchaser of Indian iron ore, to purchase on c. i. f. basis or else to allow a larger share to Indian ships.

(c) Considerable emphasis is now being laid on the acquisition of bulk carriers. For instance, at the beginning of the 3rd plan in 1961 India did not have a single bulk carrier but now she has 27 bulk carriers aggregating 5.93 lakhs GRT already in position and another 7 bulk carriers of about 3.09 lakhs GRT are firmly on order. It is anticipated that further orders will be placed during the 4th Plan.

**Crimes in Delhi**

3903. **Shri Om Prakash Tyagi:** **Shri Kanwar Lal Gupta:**
**Shri Gadilingana Gowd:** **Shri D. N. Patodia:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases of murder, suicide and kidnapping of girls filed in Delhi during the years from 1965 to 1968 ;

*This excludes Intermediate and minor ports.

(b) the number of persons convicted in the cases of murder and kidnapping of girls during the said period ; and

(c) the special measures taken or proposed to be taken by Government to prevent such cases in future ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :**

| | **Head of Crime** | **No. of cases reported** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **1965** | **1966** | **1967** | **1968** |
| | Murder | 76 | 73 | 65 | 86 |
| | Suicide | 175 | 184 | 179 | 202 |
| | Kidnapping of girls | 137 | 124 | 142 | 163 |
| | | **No. of persons convicted so far** | | | |
| (b) | Murder | 51 | 37 | 23 | 31 |
| | Kidnapping of girls | 32 | 24 | 8 | 7 |

(c) The law and order situation in Delhi is periodically reviewed by the Delhi Administration and suitable measures are taken from time to time to keep it under control. A number of schemes to modernise Delhi Police through better means of communications and scientific aids to investigation have been recently sanctioned and are in the process of implementation. This will further improve the operational efficiency of the Delhi Police.

**Crimes in D. T. U. Buses**

3904. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
**Kumari Kamla Kumari :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5267 on the 20th December, 1968 regarding crimes in D.T.U. Buses and states :

(a) the action taken so far in regard to the 292 cases referred to the Delhi Police ; and

(b) the number of crime cases in D.T.U. Buses during November and December, 1968 and the action taken in the matter ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla :** (a) Of the 292 cases reported, 77 cases have been challaned, 21 cases are pending investigation, 192 cases remain untraced and 2 were cancelled. In all these cases, 112 persons were arrested.

(b) During the period from 1-11-68 to 31-12-1968, 64 cases were reported to Delhi Police. 20 of these cases have been challaned, 2 cases are pending investigation, 41 cases remain untraced and 1 case has been cancelled. 25 persons in all, were arrested in these cases.

**New Staff for Hindi work in Ministries**

3905. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
**Kumari Kamala Kumari :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5246 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the strength of the new staff sanctioned for Hindi work in the various Ministries and

the names of the sanctioned posts against which staff has been appointed;

(b) whether it is a fact that in several Ministries difficulties are being created in the matter of recruitment of new staff for this purpose; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) A statement is annexed. **[Placed in Library. See No. LT-445/69.]**

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Quota Fixed for Direct Recruitment and Departmental Promotion in the Central Secretariat Service**

3906. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Narain Swarup Sharma :**
**Kumari Kamala Kumari :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 738 on the 13th December, 1968 and state :

(a) the details regarding the quota fixed for direct recruitment and departmental promotion, separately, under the Central Secretariat Service Rules 1962 ;

(b) whether Government propose to conduct an enquiry in respect of the efficiency of persons appointed through direct recruitment and those appointed through promotion, separately ;

(c) the number of persons belonging to the Scheduled castes and Scheduled Tribes out of those appointed through direct recruitment and promotion during the last three years ; and

(d) whether the appointments of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been made in accordance with the quota fixed for them ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-446/69.]**

**Scheduled Castes Employees in Air India**

3907. **Shri R. K. Amin :**
**Shri D. R. Parmar :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of employees working in the office of the Air India Corporation and the number of Scheduled Castes employees out of them ; and

(b) whether the existing number of such employees is in accordance with the rules laid down by Government for reservation of posts and, if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh)** : (a) and (b). Under the orders applicable to Central Government posts, 12½% of vacancies filled by direct recruitment are to be reserved for members of the Scheduled Castes.

The total number of employees working in India (excluding staff in the licensed

categories as on January 1, 1969 was 6401 of whom the number of employees belonging to the Scheduled Castes was 809. This works out to about 12.5 per cent.

**स्वतंत्र तामिलनाडू के लिये आन्दोलन**

3908. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल से स्वतंत्र तामिलनाडू राज्य के लिये पुनः आन्दोलन आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार अभी हाल में ऐसा कोई आन्दोलन आरम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अपने क्षेत्राधिकार में लिया जाना**

3909. **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के दिसम्बर, 1968 में जयपुर में हुए अधिवेशन में एक संकल्प पास किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह समूचे देश में प्राथमिक शिक्षा के विषय को अपने क्षेत्राधिकार में ले; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) जयपुर में हुए 43वें अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन 1968 में पारित संकल्पों की प्रति में जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में अनौपचारिक रूप से प्राप्त हुई है, इस बात का उल्लेख नहीं है कि केन्द्रीय सरकार देश भर की प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में ले रही है । बहरहाल, स्कूल शिक्षा, एक राज्य विषय है और इसलिये केन्द्रीय सरकार के लिये सारे देश की प्राथमिक शिक्षा को अपने हाथ में लेना सम्भव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**लक्कदीव प्रशासन में स्थानीय लोगों के लिये रोजगार**

3910. **श्री प० मु० सईद** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने लक्कदीव प्रशासन में अन्य राज्यों की अपेक्षा वहां के स्थानीय लोगों को

रोजगार के अधिक अवसर देने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) तथा (ख). लक्कदीव प्रशासन में पदों का सृजन वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। उन स्थानीय व्यक्तियों के हितों के संरक्षण के लिये, जो अनुसूचित जनजातियों के हैं, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में सीधी भर्ती की अवस्था में पदों का $47\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण पहले से उपलब्ध है। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में, जहां ऐसे पद संगठित केन्द्रीय सेवाओं में शामिल हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिये, सभी ऐसी सेवाओं में लागू आरक्षण की भांति किया जाता है। प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के दूसरे प्रथम पद, संघीय लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाये गये भर्ती-नियमों के अनुसार, भरे जाते हैं और ऐसे पदों की संख्या इतनी कम है कि आरक्षण के लिये उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति सामान्य रूप से तीन वर्ष की अल्प अवधि के लिये रखे जाते हैं ताकि वे अर्हस्थानीय उम्मीदवारों द्वारा, जब उपलब्ध हों, बदले जा सकें। स्थानीय व्यक्तियों को, क्षेत्र के बाहर तथा भीतर रोजगार सहायता प्रदान करने के लिये कवरत्ती में एक रोजगार कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। क्षेत्र में बनाई गई व चालू की गई विभिन्न योजनागत स्कीमें जैसे, मिनीकाय में टूना मछलियों की डिब्बा बन्दी कारखाना, काल्पनी में होजरी कारखाना, अन्द्रोथ में घुंघराले रेशों का कारखाना, इत्यादि, भी स्थानीय व्यक्तियों को नियोजन के अवसर प्रदान करेंगे। क्षेत्र की चौथी योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनागत स्कीमों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप प्रशासन के अधीन लगभग 326 पदों के सृजन होने की आशा है।

चूंकि रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले तत्व भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं अतः तुलना सम्भव नहीं है।

## गोंडा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

3911. **डा० सुशीला नैयर :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री रामगोपाल शाल वाले :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री गोंडा में नियुक्त पुलिस निरीक्षक के विरुद्ध की गई शिकायत के बारे में 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस निरीक्षक (थानेदार) के विरुद्ध इस बीच जांच पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के गुप्तचर विभाग द्वारा जांच अभी जारी है ।

**Shifting of Store-Room of C.S.T.T.**

3912. **Kumari Kamala Kumari**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Store of the Scientific and Technical Terminology Commission is still located at Curzon Road, New Delhi whereas its office had been shifted long back to a new building in Rama Krishna Puram, New Delhi ;

(b) if so, the reasons for not shifting this store to Rama Krishna Puram so far ; and

(c) the time by which arrangement will be made to shift it to the new building in Rama Krishna Puram ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)**: (a) to (c). The Store relating to publications of the Commission is still located at Curzon Road because the upper floor on which the Commission is located in Rama Krishna Puram, is a pre-fabricated construction and cannot withstand the heavy load of printing paper, other printing material and books.

The store will be shifted when accommodation on the ground floor in Rama Krishna Puram, is made available.

**कुन्निक्कल नारायणन**

3913. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के नक्सलवादी नेता श्री कुन्निक्कल नारायणन को, जिसे नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास से धन मिलता रहा है, तस्कर व्यापार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त किया गया है;

(ख) वह अपने नाम पर पार-पत्र जारी करवाकर अथवा अन्य साम्यवादी नेताओं के नाम में जारी किये गये पार-पत्रों पर कितनी बार विदेशों में गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा उसकी गतिविधियों की जांच कराने का है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ग). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री कुन्निक्कल नारायणन तस्करी के किन्हीं मामलों में अन्तर्ग्रस्त नहीं है । चीनी दूतावास से धन की प्राप्ति के विषय दिनांक 13 दिसम्बर, 1968 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4448 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

## दिल्ली प्रशासन की योजनायें

3914. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री सूरज भान :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
**श्री रामगोपाल शालवाले :**
**श्री रणजीत सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में दिल्ली प्रशासन के द्वारा भेजी गई योजनाओं में से कौन-कौन-सी योजनायें मंजूर की गईं; कौन-कौन-सी अस्वीकार की गईं और कौन-कौन-सी योजनायें उनके मंत्रालय के विचाराधीन पड़ी हैं;

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रस्तुत योजनाओं को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) अनिर्णीत योजनाओं को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). दिल्ली महानगर परिषद् द्वारा पारित 4 अप्रैल, 1968 के संकल्प के अनुसरण में दिल्ली प्रशासन ने 47 योजनाओं के लिये 12.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के आवंटन के लिये 13 जून, 1968 को गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे । इन योजनाओं का सम्बन्ध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से था । सभी योजनाओं की स्थिति, नामतः (I) स्वीकृत योजनायें, (II) अस्वीकृत योजनायें तथा अस्वीकृति के कारण, (III) अभी विचाराधीन योजनायें तथा (IV) दिल्ली प्रशासन द्वारा वापस ले ली गई योजनायें, बताने वाले चार विवरण संलग्न हैं। [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 447/69] गृह मंत्रालय में कोई योजना अनिर्णीत नहीं पड़ी है ।

(ग) यह तारीख नियत करना सम्भव नहीं है कि कब तक अनिर्णीत प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा सकेगा ।

## दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संयुक्त न्यायिक संवर्ग

3915. **श्री रामस्वरूप विद्यार्थी**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1770 और 9 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के न्यायिक संवर्ग क्यों बनाये जा रहे हैं और संयुक्त संवर्ग बनाने के लिये नियम क्यों बनाये जा रहे हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**Central Government Employees**

3916. **Shri Molahu Prashad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2671 on the 29th November, 1968 regarding employees of offices under Central Government or Union Territories and state :

(a) whether the information in respect of employees of offices under the Central Government and Centrally Administered Territories has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The total number of Central Government employees benefited from Home Ministry's O.M. No. 9/45/60-Estt(D), dated 20th April, 1961, in various Ministries/Departments is 8,778. Regarding the figures for Centrally Administered areas, the information received requires further clarification. As such, figures relating to such areas would be furnished as early as possible.

**दिल्ली में विशेषज्ञ और अदालती प्रयोगशालाओं की कमी**

3917. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के पास अपराधों के मामलों में प्राक्षेपिक और रासायनिक परीक्षणों के लिये अपने विशेषज्ञ और अदालती प्रयोगशालायें नहीं हैं और उसे दिल्ली से बाहर अन्य स्थानों पर नियुक्त विशेषज्ञों की सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार इन सुविधाओं की दिल्ली में ही व्यवस्था करना वांछनीय समझती है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अपराध के वैज्ञानिक अन्वेषण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नियंत्रण में नई दिल्ली में निम्नलिखित 5 मुख्य प्रभागों वाली एक अपराध अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है :—

(1) जीव विज्ञान प्रभाग (सीरम विज्ञान समेत) ।

(2) रसायन शास्त्र प्रभाग (विष-विज्ञान समेत) ।

(3) भौतिक शास्त्र प्रभाग ।

(4) प्राक्षेपिकी प्रभाग ।

(5) प्रलेख प्रभाग ।

**Round-The-World Service by Air India**

3918. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri Gadilingana Gowd :**
**Shri Sita Ram Kesri :** **Shrimati Jyotsna Chanda :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to start round-the-world air service via Japan to America ; and

(b) if so, when ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) and (b). Operation of a round-the-world service by Air-India, by extending their Tokyo services to U.S.A. **via** the Pacific, has been engaging their attention. They commissioned the services of a consultancy firm to undertake a detailed study of the traffic potential and the economics of such operation. The firm's report is under consideration of Air-India.

**नाविकों के लिए चिकित्सा व्यवस्था**

3919. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो नाविक लोग मालवाहक जहाजों या यात्री जहाजों में यात्रा करते हुये बीमार हो जाते हैं या दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उनके उपचार की क्या व्यवस्था है; और

(ख) क्या गम्भीर रूप से बीमार हुये नाविकों का उपचार करने और उनके बारे में बेतार के तार के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार सम्बन्धी राय लेने की कोई व्यवस्था है ?

**संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) समुद्री यात्रा के दौरान बीमार तथा घायल नाविकों को निम्नलिखित चिकित्सा सुविधायें दी जाती हैं :—

(1) मालवाहक जहाज :—अधिकारीगण का एक अधिकारी आमतौर पर सेकण्ड आफिसर को प्रथम उपचार की जानकारी होती है और आवश्यकता पड़ने पर वही उपचार करता है 'शिप कैप्टन मेडिकल गाइड' में प्रथम उपचार का ब्योरा दिया जाता है । यदि कोई कठिनाई हो, तो सेकण्ड आफिसर निकटतम पत्तन के स्वास्थ्य अधिकारी अथवा अन्य जहाजों जिन पर मेडिकल आफिसर होता है, वायरलैस द्वारा परामर्श लेता है । मालवाहक जहाजों में विशेष अनुदेशों सहित विशेष औषधियां होती हैं ।

(2) यात्री जहाज :—लगभग सभी यात्री जहाजों पर मेडिकल आफिसर होता है और आवश्यकता पड़ने पर वही बीमार तथा घायल व्यक्तियों का उपचार करता है ।

(ख) जी हां । जब कभी आवश्यक हो, तो जहाज का मास्टर बेतार व्यवस्था द्वारा विशेष चिकित्सा के लिये परामर्श प्राप्त कर सकता है ।

**सेन्टर इन्टरनोजिओनेल रेडियो मेडिको की सहायता**

3920. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने सेन्टर इन्टरनोजिओनेल रेडियो मेडिको को उसके द्वारा नौयात्रा करने से डरने वाले लोगों के प्रति की जाने वाली चिकित्सा सम्बन्धी और सामाजिक सेवा के काम में कितना सहयोग और सहायता दी है ?

**संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : उनके निवेदन पर, सी० आई० आर० एम० का अस्तित्व भारतीय पोत परिवहन कम्पनियों के ध्यान में ला दिया गया है। जिन पोत परिवहन कम्पनियों को उनके बुलेटिन और पुस्तिकायें भेजी जा सकती हैं। उनकी एक सूची सी० आई० आर० एम० को भी भेज दी गई है।

**भारतीय जहाजों के कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

3921. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय जहाजों में नियुक्त कर्मचारियों को ऐसा प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है, जिसके द्वारा उन्हें नौवहन-क्षेत्र में होने वाले प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सम्यक् ज्ञान हो सके ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : नौवहन-क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकीय परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें दृष्टि में रखते हुये व्यापारिक नौ-सेना कर्मचारियों के प्रशिक्षण को नया रूप देने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(क) और अधिक गहन प्रशिक्षण देने के लिये रेटिंग ट्रेनिंग एस्टाब्लिशमेंट में पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीने कर दी गई है।

(ख) इन संस्थानों में भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हता iv स्टैंडर्ड से बढ़ाकर vi स्टैंडर्ड कर दी गई है।

(ग) सामान्य प्रयोजन कर्मचारी (जनरल परपज क्रू) के रूप में रोजगार के लिये रेटिंग्ज के प्रशिक्षण हेतु इनमें से एक संस्थान में 3-4 सप्ताह का अल्पकालीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है।

(घ) आधुनिक प्रथाओं के सम्बन्ध में व्यापारिक नौ-सेना अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा परीक्षाओं की प्रणाली के बारे में अध्ययन करने तथा सरकार को रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त उच्च शक्ति प्राप्त तकनीकी समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है। इस समिति की सिफारिशों को जिनका उद्देश्य व्यापारिक नौ-सेना अधिकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण व्यवस्था को नया रूप देना है, मर्चेन्ट नेवी ट्रेनिंग बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है, इस प्रतिवेदन में

अन्य बातों के साथ, टी० एस० 'डफरिन' तथा समुद्र इंजीनियरी प्रशिक्षण निदेशालय के पाठ्यक्रमों का पुनरीक्षण करने तथा सक्षमता प्रमाण-पत्रों के हेतु विभिन्न परीक्षाओं के लिये इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रोटेक्नोलाजी आदि जैसे अतिरिक्त विषय शामिल करने की सिफारिश की है ।

**बम्बई पत्तन**

3922. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (1) खाद्यान्न यातायात का कुछ अंश अन्य ऐसे पत्तनों को मोड़ने, जो अधिक यातायात संभालने की स्थिति में हैं ; (2) पुरानी क्रेनों के स्थान पर नई क्रेनों की व्यवस्था करना; (3) शेडों और घाटों (बर्थ) के लिये प्रबन्ध के ढांचे में परिवर्तन करने; (4) सीमा-शुल्क विभाग के कार्य-संचालन में सुधार करने और (5) पत्तन-न्यास को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिये बम्बई पत्तन में क्या प्रगति हुई है ?

**संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (एक) अनाज के जहाजों को बम्बई पत्तन से अन्य किसी पत्तन को भेजे जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि बम्बई पत्तन में जितना अनाज आता है, वह पत्तन की लादने और उतारने की क्षमता से बहुत कम है । (दो) एलेक्जेन्डरा गोदी में पुरानी जल-घाट (हाईड्रॉलिक वार्फ) क्रेनों के स्थान पर तीन टन और छः टन की क्षमता वाली 90 आधुनिक स्वचालित विद्युत क्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है । वर्ष 1962 में 125 टन की क्षमता वाली एक फलोटिंग क्रेन खरीदी गई थी । 10 टन भार उठाने की क्षमता वाली दो चलती फिरती 10 क्रेन, 30 टन भार उठाने की क्षमता की दो क्रालर-क्रेन हाल में खरीदी गई हैं । (तीन) वर्ष 1965 से एक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है जिसे यह सुनिश्चित करने का कार्य और उत्तर दायित्व सौंपा गया है कि शैडों से माल की शीघ्र निकासी करके उसे भाण्डागारों और रक्षित भंडारों में पहुंचाया जाये तथा गोदियों से बाहर के स्थानों के लिये माल की पूरी तरह निकासी की जाये । जहाज रानी एजेंटों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वह विभिन्न विभागों के साथ समन्वय भी रखता है । गोदियों में माल की जांच पड़ताल करने तथा उसकी छंटनी के सम्बन्ध में सुधार करने के लिये भी उपाय किए गए हैं । (चार) मार्च, 1966 में भारत सरकार द्वारा संसद सदस्य श्री डी० एन० तिवारी की अध्यक्षता में नियुक्त सीमाशुल्क अध्ययन दल ने अन्य बातों के साथ-साथ सीमाशुल्क विभाग के कार्य-करण की प्रक्रियाओं का भी पुनरीक्षण किया है तथा इन प्रक्रियाओं को सरल और युक्ति-संगत बनाने की सिफारिश की है । अध्ययन दल का प्रतिवेदन लोक सभा-पटल पर रखा जा चुका है । सरकार ने इस अध्ययन दल की अनेक सिफारिशें मान ली है और उन्हें क्रियान्वित किया जा चुका है अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं और उनके बारे में शीघ्र निर्णय किये जाने की संभावना है । (पांच) पत्तन-न्यास को अधिक अधिकार दिये जाने के बारे में बड़े पत्तनों सम्बन्धी आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर, उसके अनुसार विचार किया जायेगा ।

**तटीय माल-भाड़े की दरें**

3923. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्ययन दल ने (जिसकी नियुक्ति सितम्बर, 1967 में की गई थी) तटीय माल-भाड़े की दरों की समय-समय पर समीक्षा और समायोजन करने के लिये कोई उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) तटीय नौवहन के राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की उप-समिति ने सिफारिश की है कि आवधिक समीक्षाएं करने और तटीय भाड़ा दरों के समायोजन के लिये एक समुचित संस्था की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिये ।

(ख) सरकार ने तटीय सम्मेलन के परामर्श में एक प्रपत्र तैयार किया है जिसमें तटीय चालनों के वित्तीय परिणाम जहाजी कम्पनियों द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष के अन्त में नौवहन महानिदेशक को प्रस्तुत करना आवश्यक है । उन परिणामों के आधार पर नौवहन महानिदेशक प्रचलित भाड़ा दरों की पर्याप्तता जांच करेगा और यदि आवश्यक हुआ तो दरों में तर्कसंगत वृद्धि करने के लिये सरकार को सिफारिश करेगा ।

**मोटर गाड़ियों पर लिये जाने वाले करों से सड़कों और सड़क परिवहन का विकास**

3924. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की वांछनीयता का विचार करेगी कि मोटर गाड़ियों पर इस समय लगे कर में और अधिक वृद्धि न की जाये और उन करों से प्राप्त राशि का कुछ अंश सड़कों और सड़क परिवहन के विकास पर खर्च किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ;

(ग) इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संसद कार्य, तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). सड़क परिवहन कराधान जांच समिति ने इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चालन लागत में कर लगाने से सड़क परिवहन के स्वस्थ विकास में बाधा पड़ती है। सड़क विकास परिषद जिसने जून, 1968 में समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया था, आमतौर पर इस बात से सहमत थी,

कि प्रथम पग के रूप में मोटर गाड़ियों पर लगे कराधान की दर में और वृद्धि न की जाये। चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़क विकास के लिये धन के नियतन पर विचार करते समय परिषद् ने यह अनुभव किया था कि सड़क का उपयोग करने वालों से एकत्र का राजस्व और सड़कों पर होने वाले खर्च में कुछ तालमेल बैठाया जाना चाहिये। इस बात पर विचार किया जा रहा कि यह लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किया जाये।

**श्री गोलवालकर का राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय**

3925. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष श्री गोलवालकर द्वारा हाल ही में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि राजनीति से बाहर रहने के उनके अपने पहले निर्णय को बदलने के लिये उन्हें बाध्य होना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). राज्य सरकार के पास ऐसे किसी वक्तव्य की सूचना नहीं है जो श्री गोलवालकर द्वारा किया गया था जब वे 4 नवम्बर, 1968 को लखनऊ गये थे।

**राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी**

3926. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पर कितनी राशि खर्च की गई है ; और

(ख) इस अवधि में कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी पर खर्च की गई रकम इस प्रकार है :—

| | | |
|---|---|---|
| 1965-66 | .. | 19,07,784 रुपये |
| 1966-67 | .. | 19,66,638 रुपये |
| 1967-68 | .. | 21,55,998 रुपये |

(ख) 1164।

**व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था की कार्यकारी परिषद् के सभापति पद पर नियुक्ति**

3927. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्था की कार्यकारी परिषद् के सभापति पद पर मन्त्रिमण्डल सचिव की नियुक्ति की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका आधार क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) मंत्रिमण्डलीय सचिव को व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान की कार्यकारिणी परिषद का अध्यक्ष मनोनीति करने की प्रथा रही है ।

(ख) यह अनुभव किया गया है कि मंत्रिमण्डलीय सचिव की स्थिति, संस्थान और अन्य मंत्रालयों तथा संगठनों में, जो जनशक्ति योजना एवं प्रशासन से सम्बन्धित हैं, समन्वय एवं सहयोग स्थापित करने में सहायक होगी ।

**"मैनपावर रिसर्च 1967"**

3928. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यावहारिक जनशक्ति अनुसंधान संस्थान ने "मैनपावर रिसर्च 1967" (जनशक्ति अनुसन्धान 1967) नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की है और यदि हां, तो उसकी कितनी प्रतियां छपवाई गई हैं और उसका मूल्य क्या है ; और

(ख) इस पुस्तक की अब तक कितनी प्रतियां बिक चुकी हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्थान ने "मैनपावर रिसर्च 1967" नामक एक पुस्तक अक्टूबर, 1968 में प्रकाशित की हैं । इस प्रकाशन की 450 प्रतियां छपवाई गई थीं । इस प्रकाशन की एक प्रति का मूल्य 12 रुपये है ।

(ख) इस प्रकाशन का अब तक 62 प्रतियां बेची जा चुकी हैं ।

**पश्चिमी सीमा पर झड़पें**

3929. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1965 के बाद पश्चिमी सीमाओं पर भारतीय सीमा सुरक्षा दल और घुसपैठियों के बीच कितनी झड़पें हुई ;

(ख) इन झड़पों में कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये मारे गये और कितने घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये ; और

(ग) उनके पास से कितने हथियार और अन्य युद्धोपकरण पकड़े गये ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) सीमाओं के सीमा सुरक्षा दल के प्रभावकारी नियंत्रण में आने के पश्चात, 1 फरवरी, 1966 से 31 जनवरी, 1969 तक की अवधि में पश्चिमी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा दल और घुसपैठियों के बीच 58 झड़पें हुई ।

(ख) इन झड़पों में 15 घुसपैठिये मारे गये और 9 गिरफ्तार किये गये ।

(ग) घुसपैठियों से निम्नलिखित हथियार तथा युद्धोपकरण बरामद किये गये :—

| | | |
|---|---|---|
| .303 राइफलें | ... | 3 |
| मौजेर राइफल | ... | 1 |
| .38 रिवाल्वर | ... | 8 |
| .32 पिस्तौल | ... | 1 |
| .12 बोर की पिस्तौल | ... | 2 |
| 12 बोर की बन्दूक | ... | 1 |
| 9 एम० एम० पिस्तौल | ... | 4 |
| .303 राउंड | ... | 156 |
| मौजेर राउंड | ... | 17 |
| 7.62 राउंड | ... | 10 |
| .32 राउंड | ... | 74 |
| 12 बोर के कारतूस | ... | 18 |
| 9 एम० एम० राउंड | ... | 4 |

**Books Stolen from National Library Calcutta**

3930. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of books have been stolen from the National Library at Calcutta as reported in the 'Hindustan' of 27th October, 1968 ; and

(b) if so, the number of books stolen during the last three years and the number of books with this Library at present ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) No, Sir.

(b) In view of reply to (a) above, the question of giving the number of books stolen during the last three years does not arise.

The holdings of the Library at present exceed 1.3 million items including books (monographs), bound volumes of periodicals, manuscripts etc.

## त्रिपुरा में केरल के कुछ परिवारों को बसाने की योजना

3931. **श्री अदिचन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुछ परिवारों को त्रिपुरा में बसाने की कोई योजना थी ;

(ख) यदि हां, तो मूल रूप से कितने परिवारों को बसाने की योजना थी और इस योजना को तब से अब तक किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) क्या उक्त योजना की क्रियान्वित को रोक दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). भारत सरकार ने त्रिपुरा में 500 भूतपूर्व सैनिकों को बसाने की एक योजना स्वीकृत की है जिसमें 400 त्रिपुरा तथा पचास पचास केरल और पंजाब के हैं। योजना दो चरण में कार्यान्वित की जानी हैं। प्रत्येक चरण में 250 परिवार बसाये जायेंगे। त्रिपुरा सरकार ने सूचित किया है बसने के लिये केरल से छांटे गये भूतपूर्व सैनिकों के मार्च, 1969 के अन्त तक पहुंच जाने की आशा है। प्रथम चरण में केरल तथा अन्य स्थानों से चुने गये भूतपूर्व सैनिकों के बसाये जाने से प्राप्त अनुभव के आधार पर द्वितीय चरण में और आगे बसाने की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) त्रिपुरा सरकार योजना को यथाशीघ्र कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रही है।

## Conference of Vice-Chancellors of Hindi-speaking Areas

3932. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Ram Avtar Sharma :**

Will the Minisrer of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a conference of the Vice-Chancellors of Universities in the Hindi speaking areas was held in Varanasi this year ;

(b) if so, the date on which their next conference will be held ;

(c) whether Government propose to hold a similar conference of the Vice-Chancellors of the non-Hindi speaking States ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) No, Sir. A Conference of Vice-Chancellors of Universities of the five Hindi speaking States and others was held in February last year.

(b) In place of Vice-Chancellors Conference, Government has approved a proposal to set up a Conference of State representatives of the five Hin li speaking States for production of University level books in Hindi. The date for holding such a conference has not been decided.

(c) and (d). Since coordination of book production programme in other Indian languages is not involved in the non-Hindi speaking States, there is no need to hold a similar conference.

The Government have, however, before them a proposal for holding a regional Conference of Education Ministers and Vice-Chancellors.

**Shipping Targets in Fourth Plan**

3933. **Shri Shradhakar Supakar** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the target in tonnage of shipping for the Fourth Five Year Plan ;

(b) how much of it is to be built in the shipyards in India and how much to be imported from foreign countries ; and

(c) the total expenditure and foreign exchange involved ?

**The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah)** : (a) The target for shipping tonnage has not so far been fixed as the Fourth Five Year Plan is yet to be finalised.

(b) No particular percentage of the total acquisition is earmarked for the Indian shipyards but their ship-building capacity, both present and anticipated, for the type of ships required is fully taken into account before ordering ships abroad.

(c) It is not possible to indicate the total expenditure and foreign exchange involved as this will depend on the price of the ships, the terms of repayment and the countries from which suitable credit facilities may be available from time to time.

**केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सीधे भर्ती किये गये सहायकों को पदोन्नति**

3934. **श्री शशि भूषण** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च योग्यता प्राप्त वे सब लोग, जो 1955 और 1957 में संघ लोक सेवा आयोग की परिक्षाओं के आधार पर सीधे सहायक के रूप में भर्ती किये गये थे, वे अभी तक उसी पदालि में पड़े हुये हैं और उच्चतर पदों पर उनकी पदोन्नति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी के सहायकों की पदोन्नति के मामले में इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)**: (क) और (ख). सहायकों की अनुभाग अधिकारी की श्रेणी में पदोन्नति केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली 1962 द्वारा नियमित की जाती है। ये नियम, श्रेणी की रिक्तियों का पृथक-पृथक कोटा, सहायकों की श्रेणी में वरीयता के आधार पर, तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सीमित विभागीय परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भरना निर्धारित करते हैं। इस प्रकार सीधी भर्ती से आये सहायक या तो ऐसी परीक्षाओं में बैठकर पदोन्नत हो सकते हैं या जब सहायकों की श्रेणी में वरीयता के आधार पर अपनी बारी पर पदोन्नत हो सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा

1955 और 1957 में ली गई परीक्षाओं के आधार पर सीधी भर्ती से आये सहायकों में से 100 सहायक अब तक सीमित विभागीय परीक्षाओं के आधार पर जो समय समय पर रोती रहती है, अनुभाग अधिकारी पदोन्नत हुए हैं।

**विदेशी पर्यटकों की खर्च ने की आदतों और दिशात्मक प्रवृतियों का अध्ययन**

3935. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की खर्च करने की आदतों और दिशात्मक प्रवृत्तियों के अध्ययन के लिये कोई सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इस विषय में इसी प्रकार का सर्वेक्षण 1967 में किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो किन कारणों से सरकार ने वैसा ही सर्वेक्षण इतनी जल्दी पुनः शुरू करवाया है ; और

(घ) 1967 के सर्वेक्षण पर कुल कितना धन खर्च हुआ और वर्तमान सर्वेक्षण पर अनुमानित खर्च कितना होगा ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). एक इसी प्रकार का सर्वेक्षण जुलाई, 1965 से जून, 1966 तक किया गया था। जून, 1966 में रुपये के अवमूल्यन, तथा उसके परिणामस्वरूप होटल की दरों, परिवहन प्रभारों और आम कीमतों में हुई वृद्धि के कारण, एवं सांख्यिकीय आंकड़ों को समय-समय पर आधुनिकतम स्थिति में लाने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप, वर्तमान सर्वेक्षण करने का निर्णय किया गया। यह सर्वेक्षण नवम्बर, 1968 में आरम्भ हुआ और 12 महीनों तक चलेगा।

(घ) 1965-66 में किये गये सर्वेक्षण पर 75,000 रुपये व्यय हुआ और वर्तमान सर्वेक्षण पर 1,36,000 रुपये व्यय होगा।

**कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी के कर्मचारी**

3936. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता के कर्मचारियों ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया है कि उनके लिये भी महंगाई भत्ता उसी दर से मंजूर किया जाय जिस दर पर सरकारी कर्मचारियों को मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसे स्वीकार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (घ). एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता के कर्मचारी संघ ने एक अभ्यावेदन दिया है जिसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर की दर से महंगाई भत्ता देने की मांग की गई है। एशियाटिक सोसायटी को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है।

**भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला**

3937. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री रा० बरुआ :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969 में, प्रसिद्ध फ्रैंकफर्ट मेले की तरह भारत में एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो भारत में आयोजित किये जाने वाले उक्त मेले का मुख्य प्रयोजन क्या है ;

(ग) इस मेले से भारत को क्या सहायता मिलेगी ; और

(घ) इस पर कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

**इंगलैंड में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में रिक्त स्थान**

3938. **श्री नम्बियार :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के मुख्य कार्यालय में काफी स्थान खाली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय पर्यटक कार्यालय को किराये के एक पृथक स्थान में रखने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). भारत के उच्चायोग में कर्मचारियों की घटौती कर दिये जाने के कारण, कुछ कार्यालय का स्थान उपलब्ध हो गया है। यह स्थान उच्चायोग के उन कार्यालयों के लिये आरक्षित किया गया है जो कि फिलहाल 55, जरमिन स्ट्रीट बिल्डिंग में स्थित हैं, जिसकी पट्टेश्लीज की अवधि जून, 1969 में समाप्त होने जा रही है। पर्यटक कार्यालय को वाणिज्यिक क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। लन्दन में एयर इण्डिया के कार्यालय के निकट इसका वर्तमान स्थान सबसे अधिक उपयुक्त है।

## बिहार में गोथेनी घाट पर पुल

3939. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के जिला छपरा में गोथेनी घाट पर छोटी गंडक नदी पर एक पुल के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को मिलायेगा ;

(ख) यह पुल यातायात के लिये कब खोल दिया जायेगा ; और

(ग) इस पुल पर कुल कितना खर्च होगा ?

**संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) और (ख). पुल का निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका है परन्तु पहुंच मार्गों पर अभी निर्माण कार्य हो रहा है। तथापि स्थायी पहुंच मार्गों के पूरा होने तक अस्थायी पहुंच मार्गों की व्यवस्था करके पुल को फरवरी, 1969 में यातायात के लिये खोल दिया गया था ; और

(ग) पहुंच सड़कों के निर्माण सहित इस पुल पर कुल 27.743 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है।

## अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी महासंघ

3940. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय पत्तन और गोदी कर्मचारी महासंघ से कोई मांगपत्र मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उस मांगपत्र में क्या क्या मांगें की गई हैं ;

(ग) क्या मांगों के सम्बन्ध में महासंघ के साथ कोई बातचीत आरम्भ करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और किस स्तर पर ?

**संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते हैं।

**बंगाली मासिक पत्रिका 'अमृता' द्वारा कामोत्तेजक साहित्य का प्रकाशन**

3941. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका समूह की बंगाली मासिक पत्रिका 'अमृता' अपने प्रत्येक अंक में कामोतेजक कहानियां प्रकाशित करती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त पत्रिका में कामोतेजक साहित्य के प्रकाशन को बन्द करने के लिये सरकार द्वारा क्या निरोधक अथवा दांडिक उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**नई दिल्ली में अधातु की मणियों (नान मेटैलिक क्रिस्टल्स सम्बन्धी विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन**

3942. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हाल ही में अधातु मणियों के विषय पर सम्बन्धी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) उस सम्मेलन में कितने वैज्ञानिकों ने भाग लिया और वे किस किस देश के थे ; और

(ग) उस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई उसने विस्तृत ब्योरा क्या हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, हां। यह सम्मेलन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में हुआ था।

(ख) दो सौ भारतीय वैज्ञानिकों के अलावा, निम्नलिखित देशों के छत्तीस विदेशी वैज्ञानिकों ने सम्मेलन में भाग लिया था :

| | |
|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 1 |
| ब्राजील | 1 |
| डेनर्माक | 1 |
| फिनलैण्ड | 1 |
| फ्रांस | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| इटली | | 1 |
| जापान | | 3 |
| ब्रिटेन | | 4 |
| अमेरिका | | 15 |
| रूस | | 2 |
| पश्चिम जर्मनी | | 2 |
| | योग | 36 |

(ग) सम्मेलन में अधातु की मणियों के विभिन्न पहलुओं पर जैसे कि अर्द्ध संवाहकों (सेमी कण्डक्टर्स) क्षार हैलाइड्स सामान्य हैलाइड्स, ओक्साइड मणियों तथा युक्तियों के सम्बन्ध में किये गए हाल के तथा मूल अनुसंधान कार्य पर मुख्य रूप से चर्चा हुई थी ।

## मंत्रियों के वैयक्ति कर्मचारी

3943. **श्री प० गोपालन :** **श्री के० दमानी :**
**श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री ई० के० नायनार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय में अधीन कुल कितने वैयक्तिक कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) विभिन्न मंत्रियों के साथ सरकारी सेवा से लिये गये कुल कितने वैयक्तिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) वर्ष 1968-69 में उन पर कुल कितना व्यय किया गया ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). 1-1-1969 को वैयक्तिक कर्मचारियों की संख्या तथा 1968 के दौरान उन पर किये गये व्यय के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

## World Hindi Conference

3944. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a World Hindi Conference is proposed to be held in Kanpur; and

(b) if so, the countries likely to participate in the said Conference and the details in regard to the proposed Conference ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan)** : (a) and (b). A report has appeared in a section of the press that a World Hindi Conference was being convened at Kanpur under the Chairmanship of Acharya Jugal

Kishore, towards the end of this year. The Government have so far not received any detailed information about the scope of the conference and the countries, which have been invited to participate in it.

**Manufacture of Television Sets at Pilani (Rajasthan)**

3945. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Education and Youth Services be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to manufacture television sets on a large scale in Pilani, Rajasthan ; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) No, Sir. Only a Batch Production Unit for manufacturing 1000 sets has been set up at the Central Electronics Engineering Research Institute, Pilani.

(b) Does not arise.

**नागा विद्रोहियों द्वारा कर की जबरन वसूली**

3946. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड की संघी सरकार के एक स्वकथित आयुक्त के नेतृत्व में, हथियारबद्ध नागा विद्रोहियों के एक गिरोह ने जनवरी, 1969 मास से टिर्गशोंग क्षेत्रों में ग्रामवासियों से कर वसूल करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या विद्रोही नागा बन्दूक दिखा कर लोगों को आतंकित करके कर वसूल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसे कारगर ढंग से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) मनीपुर प्रशासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ता**

3947. **श्री शारदा नन्द** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुप्तचर विभाग के अधिकारियों को वर्दी भत्ता नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उन्हें किस तारीख तक यह भत्ता दिया जायेगा ;

(घ) कितने वर्षों की अवधि का यह भत्ता नहीं दिया गया है ; और

(ङ) इस मद पर 1967-68 में कितना व्यय किया गया तथा वर्ष 1968-69 में कितना व्यय किया जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जब तक इस विषय पर वर्तमान आदेश लागू हैं ।

(घ) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) 1967-68 वर्ष के दौरान इस मद पर लगभग 63,360.85 रु० की राशि खर्च की गई थी । 1968-69 के दौरान अनुमानित व्यय मोटे तौर पर 67,558.70 रु० का है ।

**केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बंगलौर विश्वविद्यालय**

3948. **श्री लोबो प्रभु :**

**श्री जे० एच० पटेल :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर (मैसूर) विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने की एक शर्त यह है कि विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम हिन्दी किया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि उस क्षेत्र में, जहां हिन्दी नहीं बोली जाती है, हिन्दी के माध्यम से कितने छात्र शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे ;

(ग) इस माध्यम से शिक्षा देने पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा क्या सरकार के यह पूरा व्यय वहन करेगी ; और

(घ) क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता दिये जाने के बारे में दिये गये आश्वासन के अनुसार हिन्दी क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी दक्षिण भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने पर सरकार क्यों जोर नहीं देती है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तन करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है । इस प्रस्ताव के विचार के लिये विश्वविद्यालय में हिन्दी माध्यम लागू करने की कोई पूर्व शर्त नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने ऐसा कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया है ।

(घ) इस प्रश्न के (क) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कोई प्रश्न नहीं उठता ।

**लक्षद्वीप के निवासियों की शिकायतें**

3949. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार मिले हैं कि लक्षद्वीप का प्रशासन वहां के आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तथा शिक्षा में पिछड़े हुए लोगों में लोक प्रिय नहीं है ;

(ख) क्या कुछ गांवों के मुखिया हाल में दिल्ली आये थे और उन्होंने अपनी शिकायतें केन्द्रीय अधिकारियों के समक्ष रखी थीं ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतें दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) प्रशासन के विरुद्ध कुछ विस्तृत आरोप सम्बन्धी स्थानीय संसद सदस्य का एक वक्तव्य समाचार पत्रों में छपा था जिनके लिए सरकार को कोई दृढ़ आधार नहीं मिला है। सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) और (ग). जून, 1968 में मिनिकाय से कुछ स्थानीय नेता अपनी शिकायतें व मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नई दिल्ली आये थे, उनकी मुख्य मांग यह थी कि आगजनी के उस संदिग्ध मामले में एक स्वतन्त्र जांच की जाय जिसमें अप्रैल, 1968 में अमीन का कार्यालय नष्ट कर दिया गया था। यह आरोप था कि इस मामले की जांच-पड़ताल की अवधि के दौरान जनता पुलिस द्वारा परेशान की गई थी। इस घटना की जांच के लिये केन्द्रीय सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया था और उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है।

**इंजीनियरों के लिये रोजगार**

3950. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकारों को सड़कों तथा अन्य लोक-निर्माण कार्यों पर व्यय बढ़ाने के लिये लिखा था ताकि अधिक इंजीनियरों को रोजगार मिल सके ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) राज्य सरकारों के कार्यों से कितने और इंजीनियरों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

**संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह)** : (क) जी नहीं। तथापि मई 1968 में तत्कालीन परिवहन तथा नौवहन मंत्री प्रो० वी० के० आर० वी० राव ने राज्यों के सड़क प्रभारी मंत्रियों और बिना विधानमण्डल वाले राज्यों के राज्यपालों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने इन्जीनियरों की बेरोजगारी की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। उस पत्र में निम्न उपायों द्वारा इन्जीनियरों की बेकारी को समाप्त करने का उल्लेख किया गया था ; सड़क क्षेत्र योजनाओं के सम्बन्ध में प्राथमिक कार्य का आरम्भ किया जाना, चतुर्थ योजना और पांचवीं योजना के लिये सड़क क्षेत्र में पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं पर तकनीकी प्रतिवेदनों का तैयार किया जाना और उपबन्ध इस का लागू किया जाना कि अनुमोदित ठेकेदार एक निश्चित संख्या में अर्हता प्राप्त इन्जीनियरों को लगायें।

(ख) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 448/69]

(ग) इस समय यह बताना कठिन है कि किस हद तक नौकरी के अवसर बढ़ जायेंगे क्योंकि यह बहुत सारी बातों पर निर्भर है जैसे कि विभिन्न राज्यों में अपनाये गये उपायों की क्रियान्विति में प्रगति, इन उपायों द्वारा पैदा हुई आर्थिक गतिविधियों की गति आदि। अत: परिणामों का मूल्यांकन कुछ समय के बाद ही किया जा सकता है।

**डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन पर पर्यटक केन्द्र**

3951. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन पर एक पर्यटन केन्द्र खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटकों के लिये क्या-क्या सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां। डायमंड हार्बर रेलवे स्टेशन से लगभग तीन-चौथाई मील की दूरी पर एक पर्यटन केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ख) दी गयी सुविधाओं में रात को ठहरने के लिये आवास-व्यवस्था के अलावा एक विशाल कैंटीन व रेस्टोरेन्ट, बार, डाइनिंग हाल, और लाउन्ज सम्मिलित हैं।

**उच्च अध्ययन के लिये अमरीका जाने वाले छात्र**

3952. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 से 1968-69 तक प्रत्येक राज्य से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये कितने छात्र अमरीका गये ; और

(ख) इन वर्षों में वर्षवार अमरीका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए प्रत्येक राज्य के कितने भारतीय छात्रों को (1) फोर्ड फाउन्डेशन (2) राक फेलर फाउन्डेशन तथा (3) अन्य अमरीकी फाउन्डेशन छात्रवृत्तियां दी गई थीं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) 1966-67 और 1967-68 की सूचना अनुबन्ध 1 में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 449/69] 1968-69 वर्ष के आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(ख) हालांकि छात्रवृत्ति पाने वालों की कुल संख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं, किन्तु छात्रवृत्ति के स्रोत के अनुसार उनके ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, 1966-67 और 1967-68 के दौरान अमरीका में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां पाने वाले विद्यार्थियों की राज्यवार कुल संख्या अनुबन्ध II में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 449/69]

**प्रधान मंत्री का पश्चिम बंगाल का दौरा**

3953. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रधान मंत्री के साथ जब उन्होंने मध्यावधि चुनाव अभियान के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में सलूक किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन सम्बन्धी सभाओं में भारत के प्रधान मंत्री अथवा कांग्रेस दल के नेता की हैसियत से भाषण दिये थे ;

(ग) यदि उन्होंने सभाओं में कांग्रेस के एक नेता की हैसियत से भाषण दिये थे, तो उन्हें सभी सरकारी सुविधायें देने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या पंजाब सरकार ने उस राज्य में प्रधान मंत्री समेत किसी केन्द्रीय मंत्री के साथ उनकी चुनाव सम्बन्धी सभाओं के सम्बन्ध में अति महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में बर्ताव करने से इन्कार कर दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वैसा ही निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ङ). प्रधान मंत्री समेत केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा चुनाव अभियान के सम्बन्ध में किये जाने वाले दौरे सरकारी दौरे नहीं समझे जाते हैं, किन्तु चुनाव संबंधी दौरों के दौरान राज्य सरकारें उन्हें सामान्य शिष्टता का व्यवहार प्रदान करती हैं तथा सामान्य सुरक्षा-प्रबन्ध करती है। हाल, के मध्यावधि चुनाव के संबंध में पश्चिम बंगाल के अपने दौरे के दौरान प्रधान मंत्री के चुनाव संबंधी सभाओं में, कांग्रेस दल के नेता की हैसियत से भाषण दिये थे। सामान्य सुरक्षा-प्रबंधों के अतिरिक्त कोई विशेष

सलूक अथवा सुविधाएं प्रदान नहीं की गई थीं । पंजाब सरकार ने भी पुष्टि की है कि उस राज्य में प्रधान मंत्री के निर्वाचन संबंधी दौरों के दौरान सामान्य शिष्टता का व्यवहार तथा सामान्य सुरक्षा-प्रबन्ध किये थे ।

**Bridges Over Yamuna and Chambal Rivers Between Etawah and Bhind**

3954. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** will the Minister of **shipping and transport** be pleased to state :

(a) the time by which the construction of road bridges over the Yamuna and the Chambal rivers between Etawah (Uttar Pradesh) and Bhind town (Madhya Pradesh) is expected to be completed ;

(b) the amount spent thereon so far ?

**The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) :** (a) The bridge over the Yamuna is expected to be completed by June 1970 and that over the Chambal by June 1971.

(b) The amount spent on the Yamuna bridge is Rs. 31.39 lakhs and that on the Chambal bridge Rs. 40.70 lakhs.

**Syllabus for Mentally-Weak University Students**

3955. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether a new syllabus is being considered for mentally-weak students in Universities ; and

(b) the reaction of Government to the report submitted by the Expert Study Panel of the Punjab University in this regard ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) No, Sir.

(b) The Government is not aware of the Punjab University having set up any expert study panel in this regard.

**भ्रष्टाचार के आरोप वाले एक व्यक्ति को जनवरी, 1969 में पद्मश्री की उपाधि**

3956. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री देवेन सेन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :**
**श्री किकर सिंह :**
**श्री द० रा० परमार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष 26 जनवरी, 1969 को जिन लोगों को 'पद्मश्री'

से विभूषित किया गया, उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और केन्द्रीय जांच ब्यूरो उस मामले में जांच कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है ;

(ग) जिन लोगों को ऐसी उपाधियों से विभूषित करने के लिये चुना जाता है क्या उनके पूर्ववृत्त के बारे में कोई जांच की जाती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सम्बद्ध राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र से इस मामले में कोई परामर्श लिया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (ङ). इन उपाधियों के लिये चयन उन व्यक्तियों में से किया जाता है जिनके लिये राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों और अन्य द्वारा सिफारिश की जाती है, जिनसे उन व्यक्तियों के पूर्ववृत को ध्यान में रखने की आशा की जाती है जिनकी वे सिफारिश करते हैं । अतः नियमानुसार चयन कर लिये जाने के बाद पूर्ववृत्तों का सत्यापन अथवा राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श नहीं किया जाता है ?

**Tourist Bungalow at Gwalior**

3957. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three years ago a scheme had been drawn up to construct a first class tourist bungalow in Gwalior so as to encourage tourism ;

(b) if so, the reasons for not making any progress in this direction so far ; and

(c) when the said tourist bungalow is likely to be ready after construction ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The management of Tourism Bungalow (Class I), as well as construction of new ones, has been transferred to the India Tourism Development Corporation. The question of constructing a model of Gwalior instead of a Tourist Bungalow is under their consideration, but the final decision will depend upon **inter-se** priorities based on market surveys and availability of funds.

**दिल्ली नगर निगम को दिया गया ऋण**

3958. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **गृहकार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 के अन्त तक केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली नगर निगम को उसके परिवहन तथा जल प्रदाय और मल निस्सारण विभागों के लिये कुल कितनी राशि का ऋण दिया था ;

(ख) क्या निगम इन ऋणों की अदायगी नियमित रूप से कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1968 के अन्त तक कितनी धनराशि अदा कर दी गई थी और कितनी अब तक की जानी शेष है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) दिल्ली परिवहन उपक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल 1198 लाख रुपये के ऋण (38.13 लाख रुपये के अदा न किये जाने वाले ऋण को छोड़कर) स्वीकृत किये गये थे और जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम के लिए 31-12-1968 तक 2802.59 लाख रुपये की राशि के ऋण स्वीकृत किये गये थे ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) स्थिति इस प्रकार है :

**दिल्ली परिवहन उपक्रम**

278.10 लाख रुपये की कुल राशि अदा कर दी गई है । शेष 919.90 लाख रुपये (38.13 लाख रुपये के अदा न किये जाने वाले ऋण को छोड़ कर) अभी अदा किये जाने बाकी हैं ।

**जल प्रदाय तथा मल निस्सारण उपक्रम**

164.89 लाख रुपये की कुल राशि अदा कर दी गई है, शेष 2637.70 लाख रुपये अभी अदा किये जाने बाकी हैं ।

## रेवती विमान

3959. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में कथित बनाये जाने वाले 'रेवती' विमान की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक विमान में कितने प्रतिशत मूल्य के विदेशी पुर्जों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक पुर्जे का विवरण और मूल्य क्या है, ये पुर्जे किन देशों द्वारा सप्लाई किये जाते हैं तथा प्रत्येक विमान के निर्माण में विदेशी मुद्रा की कितनी आवश्यकता होती है ;

(ग) प्रतिवर्ष कितने 'रेवती' विमान बनाने का लक्ष्य है, प्रत्येक विमान की अनुमानित लागत कितनी है और प्रत्येक विमान का विक्रय मूल्य लगभग कितना रखे जाने की आशा है तथा ये विमान किसके द्वारा खरीदे जाने की आशा है ;

(घ) क्या युद्ध के समय रेवती विमान का लड़ाई के लिये अथवा लड़ाई से भिन्न कार्यों के लिये उपयोग किया जा सकता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसे बनाने के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) हल्का प्रशिक्षक विमान 'रेवती' नागर विमानन के अनुसंधान तथा विकास स्कंध के तकनीकी केन्द्र द्वारा बनाया गया है। आदिरूप विमान की इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलौजी, कानपुर, में परीक्षण उड़ानें की जा रही हैं। इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गयी हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 450/69]**

(ख) यू० एस० ए० से आयात किये गए एक कान्टीनेंटल इंजन और एक प्रोपेलर तथा यू० के०/यू० एस० ए० से आयात किये गये उपकरण एवं सामग्री जैसे अल्युमिनियम, एलाय शीटें, एयरक्राफ्ट बोल्ट, नट इत्यादि पर 22,000 रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की गयी है। यह कुल लागत का लगभग 70 प्रतिशत बनता है।

(ग) वाणिज्यिक बिक्री के लिये इस विमान के विपुल परिमाण में उत्पादन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

**Mrs. Coretta King Prevented to Visit Gandhiji's Place of Assassination**

3960. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some reluctance is shown officially when Government and non-Government guests, who visit India in connection with the Gandhi Centenary Celebrations, or otherwise, and who desire to go to see the place where Gandhiji was assassinated at Tees January Marg;

(b) whether it is also a fact that Mrs. Coretta King, who wanted to see that place, was prevented from going there by saying that there was a great confusion there; and

(c) if so, the reasons therefor and the reaction of Government thereto?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) No, Sir.

(b) No, Sir. Mrs. King did not express any wish to see the spot and such a visit was not therefore included in her progrmme.

(c) Does not arise.

**इम्फाल में भूमि का आवंटन**

3961. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रजातन्त्र पत्रिका, इम्फाल के सम्पादक श्री जयचन्द्र सिंह को प्रजातन्त्र पत्रिका के कार्यालय भवन के निर्माण के लिये दिया गया भूमि का प्लाट असाधारण रूप से बड़ा था इसका कुछ भाग मकान बनाने के लिए किराये पर दिया गया और कुछ भाग बेच दिया गया परन्तु इम्फाल के बाजार में शेष भाग अभी भी आठ साल से अप्रयुक्त पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो भूमि का कौन सा भाग बेचा गया तथा वह किसको बेचा गया है;

(ग) क्या प्रजातन्त्र समाचार पत्र का प्रकाशन उस प्लाट में बनाये गये भवन में होता है अथवा अन्य किसी स्थान पर किराये के मकान में होता है; और

(घ) क्या मनीपुर सरकार ने यह सिफारिश भी की है कि इस भूमि के एलाटी को कुछ लाख रुपये और दिये जायें, जबकि वह उक्त भूमि प्लाट मिल जाने से बहुत धनी बन गया है और इस प्लाट को भी साधारणतया दस व्यापारियों को दिया जा सकता था ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). मनीपुर सरकार ने सूचना दी है कि उचित प्रीमियम प्राप्त करने के बाद मनीपुर के मुख्यायुक्त द्वारा प्रजातंत्र पत्रिका के सम्पादक को 1961 में एक प्लाट अलाट किया गया था। अलाटी ने उस प्लाट के केवल एक भाग पर भवन का निर्माण किया है तथा शेष भाग अभी खाली पड़ा है। अलाटी ने 3800 वर्ग गज से अधिक भूमि का सर्वश्री किशन लाल, निक चन्द और इबोरोम्बी सिंह के नामों में तबादला करवा दिया है।

(ग) प्रजातंत्र पत्रिका का कार्यालय उक्त प्लाट पर बने किसी भवन में नहीं है, अपितु किसी अन्य स्थान पर किराये के मकान में है।

(घ) मनीपुर सरकार ने सूचना दी है कि अलाटी को कोई अनुदान देने की सिफारिश नहीं की गई है।

**मनीपुर के स्कूलों में स्नातक प्रधानाध्यापकों के वेतन क्रम**

3962. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने मनीपुर में एम० ई० और जे० बी० स्कूलों के 25 स्नातक प्रधानाध्यापकों को स्नातक वेतनक्रम देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार स्नातक प्रधानाध्यापकों को अधिक वेतनक्रम देने पर विचार करेगी ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (ग). मणिपुर प्रशासन अभी मामले पर विचार कर रहा है।

**सेवा निवृत्त अध्यापकों को पेंशन का न दिया जाना**

3963. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1295 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रिकुलेट अप्रशिक्षित तथा नान-मैट्रिकुलेट अप्रशिक्षित अध्यापकों के पेंशन के

मामलों के बारे में अब निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भूतपूर्व मनीपुर प्रादेशिक परिषद के दिनांक 14-15 जनवरी, 1963 के आदेशों का अनुमोदन कर दिया है जिनमें नान मैट्रिकुलेट अप्रशिक्षित उन अध्यापकों को 1 जनवरी, 1969 के बाद प्रशिक्षण प्राप्त करने से छूट दी गई थी जिन्होंने 20 वर्ष का सेवा कर ली हो, और इस प्रकार उनके लिए प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतनक्रम मंजूर करने की व्यवस्था थी; और

(घ) यदि नहीं, तो उन नान मैट्रिकुलेट अध्यापकों के साथ भेदभाव का बर्ताव किये जाने के क्या कारण हैं जिन्हें उपर्युक्त आदेश में छूट मिल चुकी है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (घ). मणिपुर प्रशासन से सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**नई दिल्ली में विश्व अन्ध कल्याण परिषद का सम्मेलन**

3964. **श्री उमानाथ** : **श्री प० गोपालन** :
**श्री के० अनिरुद्धन** : **श्री गणेश घोष** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व अन्ध कल्याण परिषद को नवम्बर, 1969 में नई दिल्ली में विश्व सम्मेलन आयोजित करने की अनुमति दे दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अन्ध संघ को इस प्रकार की अनुमति नहीं दी थी;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि विश्व अन्ध कल्याण परिषद को सी० आई० ए० द्वारा धन दिया जा रहा है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

**चाणक्य पुरी और तीन मूर्ति क्षेत्र में सभाओं पर प्रतिबन्ध**

3965. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1969 में नई दिल्ली में, चाणक्यपुरी तथा तीन मूर्ति क्षेत्रों में

सार्वजनिक सभा आयोजनों, जलूसों तथा प्रदर्शनों पर दो महीने के लिये प्रतिबन्ध लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 2 फरवरी, 1969 को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन आदेश दिये गये थे क्योंकि उनकी राय में यातायात में बाधा, निवासियों की नाराजगी, मानव जीवन के लिए खतरे तथा सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी को रोकने के लिए इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार थे।

**New Offices created under Ministries/Department**

3966. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Valmiki Choudhary :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of new offices created under different Ministries and Departments from 1966 to 1968 ;

(b) the number of those out of them which have been named in Hindi or other Indian languages ;

(c) the reasons for not naming those offices in Indian Languages, which have been named only in English ; and

(d) the reasons for not doing so when there were orders from the Government of India to this effect and the steps now proposed to be taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) to (c). A statement in respect of the Ministries/Departments from which information has been received is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-451/69.]** In regard to the remaining Ministries/Departments information will be laid when received.

**मनीपुर के कर्मचारियों को विशेष वेतन**

3967. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित **प्रश्न** संख्या 2465 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के अशान्ति ग्रस्त क्षेत्रों में नियुक्त मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को विशेष वेतन तथा मकान किराया भत्ता देने के मामले में निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो भत्तों का ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (ग). नागालैण्ड सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के लिए अभी हाल में निकाले गये आदेशों को ध्यान में रखते हुए मामले की अभी परीक्षा की जा रही है।

**उर्दू**

3968. **श्री बलराज मधोक :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्दू भाषा को उचित स्थान देने के बारे में सरकार से अनुरोध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस बारे में सरकार की नीति 14 जुलाई, 1958 को जारी किये गये 'भाषा पर वक्तव्य' में दी गई है। वक्तव्य की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 452/69]

(ग) जुलाई, 1967 में उर्दू बोलने वाले लोगों की काफी जनसंख्या वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उर्दू के संबंध में सरकार द्वारा दिये गये इन आश्वासनों के पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए उचित उपाय करने का अनुरोध किया गया था। भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त, जिनकी नियुक्त संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अधीन की गई है, अन्य भाषाजात अल्पसंख्यकों के मामले की भांति उर्दू बोलने वाले लोगों को दिये गये संरक्षणों से संबंधित सभी मामलों की भी जांच करते हैं।

**मनीपुर के लिये राजस्व**

3969. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 और 1968-69 से अब तक संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर ने कुल कितने राजस्व की वसूली की;

(ख) मनीपुर में कर की वसूली बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) 1967-68 और 1968-69 में गैर-योजना व्यय के लिये केन्द्र द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क)

| वर्ष | | राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|---|
| 1967-68 | | 167.30 |
| 1968-69 | | |
| (i) | वास्तविक (1-4-68 से 30-11-68 तक) | 63.23 |
| (ii) | पूर्वानुमानित (1-12-68 से 31-3-69 तक) | 110.64 |
| | 1968-69 के लिये कुल | 173.87 |

(ख) कर की वसूली बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है/की जा रही है :—

(i) भूमि राजस्व का बकाया वसूल करने के लिये अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं ।

(ii) मोटर स्प्रिट, स्नेहक, डीजल आइल, इत्यादि समेत कुछ पदार्थों के बिक्री कर की दरें बढ़ा दी गई हैं; और

(iii) मनोरंजन कर तथा मोटर गाड़ी कर की दरें बढ़ाने का विचार है ।

(ग)

| वर्ष | राशि (रुपये लाखों में) |
|---|---|
| 1967-68 | 989.78 |
| 1968-69 | 895.95 |

**अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में नियुक्तियां**

3970. **श्री क० लकप्पा :**
**डा० सुशीला नैयर :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कुलपति की नियुक्ति के समय से अब तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से कितने अध्यापक अन्य जातियों के नियुक्त किये गये हैं;

(ख) क्या ऐसा करना विश्वविद्यालय द्वारा पहले अपनाई जाने वाली धर्म निरपेक्षिता की नीति के प्रतिकूल है; और

(ग) यदि हां, तो उस विश्वविद्यालय में धर्म निरपेक्षिता की नीति के प्रतिकूल नीति अपनाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मौजूदा कुलपति ने 5 जनवरी, 1968 को अपने पद का कार्यभार संभाला था। विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने 5 जनवरी, 1968 से 28 फरवरी, 1969 तक की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में विभिन्न अध्यापन-पदों के लिए कुल 135 नियुक्तियां की हैं। इनमें से 90 मुसलमानों की और 45 अन्य जातियों की हैं। इनके अलावा, अल्पकालिक अवधि के पदों के लिए 31 नियुक्तियां की गयी हैं, जिनमें 26 मुसलमानों की तथा 5 अन्य जातियों की हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**Vidhan Sabha for Delhi**

3971. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a demand regarding a full-fledged Vidhan Sabha for Delhi has been submitted to the Central Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)**: (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**भारत से ईरान को माल भेजा जाना**

3971. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा ईरान के प्रतिनिधियों के बीच भारतीय जहाजों द्वारा भारत से ईरान को माल के भेजे जाने की संभावना पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) इससे भारत की आय किस प्रकार बढ़ जायेगी ?

**संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

**टैगोर की रचनाओं पर स्वामिस्व**

3973. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने टैगोर की रचनाओं पर स्वामिस्व की धन-राशि का भुगतान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो रूस सरकार पर कितनी धनराशि स्वामिस्व के रूप में बकाया है;

(ग) सरकार ने कितनी धनराशि का स्वामिस्व के रूप में भुगतान किया है; और

(घ) सरकार ने स्वामिस्व की धनराशि को वसूल करने के लिये, यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) रूस की सरकार कापी राइट के दोनों अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों की सदस्य नहीं है । इसलिए वह भारतीय लेखकों तथा किसी भी अन्य देश के लेखकों को कोई रायल्टी देने के लिए वचन-बद्ध नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

## राज्य सड़क परिवहन उपक्रम

3974. **श्री हेम राज** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य सड़क परिवहन उपक्रम में कितनी धनराशि विनियोजित की गई; और

(ख) इस पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की जाती है और उसे प्रति वर्ष कितनी आय होती है ?

**संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरामैया)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

## वाइकाउंट विमानों की उड़ानों के बन्द किये जाने की मांग

3975. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** :
**श्री हिम्मतसिंहका** :
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** :
**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** :
**श्री नन्द कुमार सोमानी** :
**श्री ओंकार लाल बेरवा** :
**श्री सु० कु० तापड़िया** :
**श्री अदिचन** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस विमानचालक संघ ने सरकार से इंडियन एयरलाइंस के वाइकाउंट विमानों की उड़ानों को बन्द करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इन विमानों की उड़ान क्षमता के बारे में जांच आरम्भ कर दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की निकट भविष्य में वाइकाउंट विमानों को बदलने की योजना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). वाइकाउंट विमान वी० टी०-डी० आई० जी० 4-2-1969 को कलकत्ता-गौहाटी मार्ग पर 14.10 बजे रवाना हुआ। 15000 फुट की ऊंचाई पर जबकि बाहरी हवा का ताप 4° सी था इसके इंजन 3 और 4 अपने आप रुक गये और बाद में इंजन 1 और 2 भी अपने आप रुक गये। विमान के कुछ नीचे आ जाने पर विमानचालक ने सभी चारों इंजनों को एक-एक करके चालू कर दिया। लेकिन, उसने दमदम वापस जाने का निर्णय किया और इस घटना की अब जांच की जा रही है। इस घटना के आधार पर, भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संस्था ने जांच के परिणामों के निकलने तक वाइकाउंट विमानों को भूमिस्थ करने का सुझाव दिया। इस संस्था के सदस्य विमानचालकों में से कुछ ने कारपोरेशन के महाप्रबंधक को सूचित किया कि परीक्षकों, प्रशिक्षकों और चेक पायलटों सहित बम्बई क्षेत्र के अधिकांश वाइकाउंट विमानचालक वाइकाउंट विमानों को उड़ने योग्य समझते हैं। यह दृष्टिकोण स्वयं प्रबन्धकों के दृष्टिकोण से मिलता है। तदनुसार यह निर्णय किया गया कि इन विमानों को भूमिस्थ न किया जाय।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रारंभिक जाचों से 'प्रोपेलिंग आटो-फेदरिंग सिस्टम' सहित विमानों में कोई खराबी नहीं पाई गयी है।

(घ) इंडियन एयरलाइंस की वाइकाउंट विमानों को 1970 के बाद के दशक में जल्दी ही बदलने की योजना है।

## उर्दू भाषा के बारे में राज्य को निदेश

3976. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उर्दू भाषा को द्वितीय भाषा बनाये जाने के बारे में राज्य सरकारों को आवश्यक निदेश देने के विषय पर गम्भीरता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में सब राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) से (घ). जी नहीं श्रीमान्। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति भाषा पर विवरण, दिनांक 14 जुलाई, 1958 में अन्तर्विष्ट है। इसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 453/69]

जुलाई, 1967 में उर्दू भाषी व्यक्तियों की काफी बड़ी जनसंख्या वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों से उर्दू के सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिये गये आश्वाशनों के पूर्ण तथा प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निवेदन किया गया था। अन्य भाषाजात अल्पसंख्यकों के मामले में भाषाजात अल्प-

संख्यकों के आयुक्त भी, जो संविधान के अनुच्छेद 350-ख के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है, उर्दू भाषी व्यक्तियों के लिए संरक्षण के सम्बन्ध में सभी मामलों की जांच पड़ताल करता है ।

**Exclusion of Text Book from the Syllabus of a Public School in Rajasthan**

3978. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 845 on the 15th November, 1968 regarding the exclusion of a text book from the syllabus of public school in Rajasthan and state :

(a) whether the requisite information has since been collected from the Government of Rajasthan ; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) and (b). The requisite information is still awaited from the State Government and the same will be laid on the table of the Sabha, when received.

**आजाद भवन, नई दिल्ली के निकट बम का पाया जाना**

3979. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
**डा० सुशीला नैयर :**
**श्री गाडिलिंगन गौड़**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1969 को आजाद भवन, नई दिल्ली के पिछले भाग में, जब कि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के लिये प्रवेश कर रहे थे, एक बम पाया गया था ;

(ख) बम पर लगे निशानों का ब्योरा क्या था ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल ) :** (क) दिनांक 14-2-1969 को आजाद भवन, नई दिल्ली के अहाते में, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के प्रवेश होने से पूर्व, दो हथगोले बरामद किये गये थे ।

(ख) दोनों गोले एच० ई० 36, सैन्य नमूने के तथा काम में आने योग्य थे ।

(ग) और (घ). दिल्ली पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है ।

**Prosecution of Members of Parliament and Employees for participation in strike**

3980. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of such Central Government employees and their leaders as are being prosecuted for taking part in the token strike on the 19th September, 1968 ;

(b) whether some Members of Parliament are also being prosecuted ; if so, their names ;

(c) whether it is also a fact that Government have decided to withdraw the cases ;

(d) if so, the number of persons whose cases have been withdrawn so far and the time by which Government propose to withdraw the suits filed against the rest of the persons ; and

(e) whether Government propose to withdraw the suits filed against the Members of Parliament also and if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) The approximate total number of persons arrested is 9996. Separate figures of leaders and others are not available.

(b) The following Members of Parliament were arrested in connection with the strike :

(i) Shri Ram Avatar Shastri.

(ii) Shri S. M. Joshi.

(iii) Shri Dattopant Thengari.

(iv) Shri S. M. Banerjee.

(v) Shri J. M. Biswas.

(c) The State Governments and the Union Territories have been advised that in the cases in which there is no sufficient evidence of the charge/charges, steps may be taken with a view to termination of the legal proceedings according to law.

(d) The information is not readily available. Action for termination of legal proceedings in cases in which evidence is not sufficient is to be taken by the State Governments and Union Territories.

(e) No such proposal is under consideration of the Central Government at present as it is the policy of Government to allow the law to take its own course.

**Reinstatement of Employees**

3981. **Shri Ram Avtar Shastri :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri E. K. Nayanar :** **Shri Kikar Singh :**
**Shri Deven Sen :** **Shri D. R. Parmar :**
**Shri P. L. Solanki :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to reinstate such Central Government employees as were suspended and dismissed from service for participating in the token strike on the 19th September, 1968 ;

(b) if so, the number of employees reinstated so far and the number of employees still to be reinstated ; and

(c) the time by which the Government propose to reinstate all the employees ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : Government's policy in regard to Central Government employees who took part in the strike on 19th September, 1968, is indicated in the Press Notes issued on 18th October, 1968, and 7th January, 1969, and in the Statement made on the floor of the House on 13th March, 1969.

(b) The information is being collected.

(c) Heads of Departments have been advised to take expeditious action to re-instate employees, who are eligible to such re-instatement, in the light of the Government decisions referred to above.

## मंगलौर-बम्बई विमान सेवा के लिये अग्रिम बुकिंग

3982. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर-बम्बई विमान सेवा के लिये लगभग दो सप्ताह पहले अग्रिम बुकिंग करना पड़ता है ;

(ख) हवाई अड्डा, जो वहां से 14 मील दूर है, पर वास्तव में जाने वाले व्यक्तियों के लिये चार या इससे अधिक स्थानों के आरक्षित किये जाने के क्या कारण हैं जबकि सामान की गणना के पश्चात उपलब्ध स्थानों की संख्या का मंगलौर स्थिति बुकिंग कार्यालय से ही पता लगाया जा सकता है ;

(ग) मंगलौर बन्दरगाह और सम्बद्ध उद्योगों के बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए बम्बई, मंगलौर, बंगलौर, मद्रास मार्ग पर 'एवरो' विमान सेवा आरम्भ न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) हवाई अड्डे को 'एवरो' विमान के लिये कब उपलब्ध घोषित किया गया था और उसकी सेवाएं आरम्भ करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) हवाई अड्डों पर कोई सीटें बिक्री के लिए आरक्षित नहीं की जातीं । लेकिन उपलब्ध की जाने वाली सीटों के बारे में अंतिम स्थिति बम्बई से विमान के पहुंच जाने के बाद ही, ईंधन संबंधी आवश्यकताओं के मालूम हो जाने पर जो कि मौसम की दशाओं पर आधारित होती हैं, मालूम हो सकती है । इसलिए उपलब्ध की जाने वाली सीटें, यदि कोई हों, हवाई अड्डे पर ही दी जाती हैं । इस असुविधा का अधिकांश रूप से समाधान एच० एस० 748 विमान से सेवाएं आरम्भ करके किया गया है जिससे कि बुकिंग कार्यालय पर टिकटों की समस्त मांग सामान्यतया पूरी हो जाती है ।

(ग) बम्बई-मंगलौर सेक्टर पर एच० एस०-748 विमान से एक सेवा, जिसे कि बढ़ाकर सप्ताह में तीन दिन मंगलौर-बंगलौर सेक्टर पर भी परिचालित किया जाता है, 25-2-1969 से परिचालित की जा रही है। इंडियन एयरलाइन्स इस सेवा को मद्रास तक बढ़ाने की व्यवहार्यता पर 1969-70 में विचार करेगी जबकि और अधिक एच० एस०-748 विमान उपलब्ध हो जायेंगे। एच० एस०-748 विमान पहले परिचालित नहीं किये जा सके क्योंकि मंगलौर हवाई अड्डा ऐसे विमानों के लिए उपयुक्त नहीं था।

(घ) मंगलौर हवाई अड्डा एच० एस०-748 विमानों के परिचालनों के लिये 15-2-1969 से उपयुक्त घोषित किया गया। 10 दिन का विलम्ब आवश्यक प्रचार का प्रबंध करने में लगे समय के कारण हुआ।

**दण्ड प्रक्रिया संहिता में शान्ति भंग होने से रोकने के लिये उपबन्ध**

3983. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश और बम्बई में हाल ही के उपद्रवों से पहले घोषित कार्यक्रम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 को आकर्षित नहीं करते क्योंकि शान्ति भंग होती है ;

(ख) ऐसी घोषणा करने वाले नेताओं से, उनकी घोषणा से उत्पन्न शान्ति भंग की आशंका के हेतु सुरक्षा की मांग न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में पुलिस अधिकारियों को ये निदेश देने का है कि वे नेताओं से बांड की मांग करें जो ऐसे कार्यक्रमों की घोषणा करते हैं, जिनसे शान्ति भंग होने की आशंका है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को ये स्मरण कराने का है कि पुलिस के दायित्व में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (घ). राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

**National Highways**

3984. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have recognised Delhi, Mathura, Agra and Bombay route as highway ;

(b) if so, whether Government propose to recognise Delhi, Jaipur, Tonk, Kota, Jhalwar and Indore road as highway ; and

(c) if so, when it is likely to be done ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh)**: (a) Yes, Sir. Delhi-Mathura-Agra route forms part of

National Highway No. 2 and Agra-Bombay route forms part of National Highway No. 3.

(b) and (c). Delhi and Jaipur are connected by existing National Highway No. 8. The section from Biaora to Indore forms part of National Highway No. 3. The road connecting Jaipur, Tonk, Kota, Jhalwar and up to Biaora however is a State road. The question of adopting this state road portion as a national highway will be considered along with others only after the finalisation of 4th Plan.

**Air Service to Kotah (Rajasthan)**

3985. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(b) whether it is a fact that air service has been introduced from Delhi to Jaipur, Agra and Udaipur ; and

(b) if so, the reasons for not introducing air service to Kota (Rajasthan) ?

**The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) :** (a) Air services connecting Delhi with Agra, Jaipur and Udaipur have been in operation since 1959-60.

(b) The Viscount service between Delhi and Bombay operates **via** Ahmedabad, Jaipur and Agra, while the Friendship service operates **via** Ahmedabad, Udaipur and Jaipur. The Kota airfield is not fit to take Viscounts or Friendship.

**Participation of India in Free Style and Greco-Roman Style Wrestling in Argentina**

3986. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has not so far sponsored the names of participants for the World Free style and Greco-Roman Style wrestling to be held in Argentina from 1st to 10th March ; and

(b) if so, the views of Government in this respect ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) and (b). It was primarily for the Wrestling Federation of India to initiate action for the participation of the Indian wrestling team in the World Wrestling Championships in Free and Greco-Roman styles held in Argentina. No such proposal was mooted by the Federation. The Federation, however, informed the Government that they did not submit the proposal for Government's consideration, as they felt that, for want of adequate time, they were unable to select and coach a proper team for participation in the said event.

**Verification of Antecedents of I. A. S. and I. P. S. Officers Allotted to J and K**

3987. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the antecedents of I. A. S. and I .P. S. Officers before their posting in the Jammu and Kashmir State are verified by the Central Government on the recommendation of the State Government ; and

(b) if so, the number of officers deputed or nominated after the 5th June, 1967 whose antecedents have been verified by the Central Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) and (b). The character and antecedents of officers are verified only at the time of their initial appointment to Government service and not when they are promoted from the State Service to an All India Service nor when they are deputed from another State.

**मद्यशाला के लाइसेंसों का नवीकरण**

3988. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस देने की फीस बहुत अधिक नियत की जाने की बात को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में होटलों ने मद्यशालाओं के लाइसेंसों का नवीकरण न करने का निर्णय किया है ; और

(ख) लाइसेंस की फीस क्या है और गत दो वर्षों में इसमें कितनी वृद्धि की गई है ; और

(ग) यह फीस देश के अन्य भागों, विशेषकर कलकत्ता, बंगलौर, बंबई, जयपुर और भुवनेश्वर की तुलना में कितनी कम या अधिक है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा पिछले दो सालों में नियत की गयी लाइसेंसों की दरें निम्न प्रकार है :—

| | 1967-68 | 1968-69 |
|---|---|---|
| फार्म एल 03 में लाइसेंस (होटल में रहने वालों को उनके अपने कमरों में विदेशी शराब परचून रूप में बेचने के लिये) | 250 रुपये प्रति वर्ष | होटल के प्रति निवास कमरा 200 रु० परन्तु समस्त रूप से कम से कम 1000 रुपये। |
| फार्म एल05 में लाइसेंस (होटल से संबद्ध बार पर विदेशी शराब परचून रूप में बेचने के लिये) | 100 रुपये प्रति वर्ष | होटल के प्रति निवास कमरा 200 रु० परन्तु समस्त रूप से कम से कम 1000 रुपये । |

(ग) देश के अन्य भागों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

**डमडम हवाई अड्डे पर 'टर्मीनल' भवन का निर्माण**

3989. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डमडम हवाई अड्डे, कलकत्ते में टर्मिनल भवन का निर्माण

किया जा रहा हैं ;

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ग) यह कार्य किस सीमा तक पूरा हो गया है ;

(घ) भवन निर्माण पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ङ) भवन में क्या नई सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इमारत के 1970 में चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) 91.40 प्रतिशत कार्य 15 फरवरी, 1969 तक पूरा हो चुका था ।

(घ) लगभग 167 लाख रुपये ।

(ङ) इमारत में एक साथ 1200 यात्रियों के लिए व्यवस्था होगी । आने वाले तथा जाने वाले यात्रियों के लिये बड़े-बड़े अलंकृत एवं सुसज्जित हालों तथा अन्य संबद्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, इस इमारत में वातानुकूलन, पैसेंजर-लिफ्टों, एस्केलेटरों, सामान के लिये कन्वेयर बेल्टों, तथा एक पैदल जाने की गैलरी की व्यवस्था भी की जायेगी। टर्मीनल को हवाई पुलों (एयरोब्रिजों) से सज्जित करने के लिए भी यथा समय प्रबन्ध किये जायेंगे जिनसे कि यात्री सीढ़ियों या जीनों से चढ़े या उतरे बिना ही टर्मीनल में प्रवेश कर सकेंगे ।

### Ill-Treatment of Prisoners in Imphal Jail

3990. **Shri S. M. Joshi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some active workers of "Samajvadi Yuvjan Sabha" detained in Imphal jail were transferred from the new jail on the night of the 22nd November, 1968;

(b) whether it is also a fact that before doing so, these prisoners, particularly Shri Irabat Singh, were badly beaten by the Warden; and other convicted persons as a result of which these prisoners were seriously injured ;

(c) whether it is also a fact that they were kept with holligans in the old jail and Shri Irabat Singh was kept alone in a small room till next morning ;

(d) whether such a treatment was given on account of the fact that the prisoners had asked for a bed sheet for each of them which was not provided to them ;

(e) the items of things supplied to these political prisoners as bedding ; and

(f) the action being taken by Government against the Warden etc., who had beaten the political prisoners ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):** (a) Yes Sir.

(b) to (f). According to the report received from Manipur Government, a scuffle is said to have ensued between the jail staff and the undertrials when the former were arranging

accommodation for some of the undertrials in the jail. The Inspector General of Prisons Manipur has been ordered by the Government of Manipur to hold an enquiry in the matter. The report of the Enquiry is awaited by Manipur Government.

**Activities of Majlis-e-Mushawarat and Jamait-e-Islami**

3991. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri S. K. Tapuriah :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the press report regarding the submission of a memorandum to Government by 51 lawyers of the Allahabad High Court expressing grave concern at the communal activities of the Majlis-e-Mushawarat and Jamait-e-Islami and requesting Government to intervene in this regard ;

(b) whether it is also a fact that these two Organisations raised pro-Pakistani slogans and demanded the creation of a separate Pakistan in Bijnor District for 32 lakhs of Muslims there ; and

(c) if so, the efforts being made by Government to curb such communal tendencies ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** . (a) Government have seen such press reports.

(b) and (c). Facts are being ascertained from the State Government.

**भारतीय इंजीनियर सेवा**

3992. **श्री ई० के० नायनार :** **श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री वि० कु० मोडक :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इंजीनियर सेवा बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार के माध्यम से केरल राज्य बिजली बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रस्तावित सेवा की भर्ती को विनियमित करने तथा संवर्ग प्रबन्ध के नियम राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये हैं और संघ लोक सेवा आयोग को मंत्रणा हेतु भेजे गये हैं । सेवा के गठन पर कार्यवाही नियमों के प्रारूप पर आयोग की मंत्रणा उपलब्ध होने पर की जायगी । प्रस्तावित संघ सेवा के ब्योरे 22-11-68 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 1751 के दिये गये उत्तर के साथ संलग्न ज्ञापन में दिये हुये हैं ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

## बस्तर क्षेत्र में अमरीकी लोग

3993. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में 74 अमरीकी हैं/ थे और वे भारत में कार्य कर रहे हैं/ थे ;

(ख) क्या केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने इन लोगों के बारे में जांच की है और उनके कार्य को आपत्तिजनक पाया है ; और

(ग) उनकी यात्रा तथा उस कार्य का, जिसे उन्हें वास्तव में करते हुआ पाया गया, दृश्य प्रयोजन क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह-मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) से (ग). मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में केवल चार अमरीकी राष्ट्रिक कार्य कर रहे हैं। ये दक्षिण कालेज, पूना के सहयोग से भाषाविदों के ग्रीष्म-कालीन संस्थान के तत्वावधान में जनजाति-भाषाओं में अनुसंधान कर रहे हैं। गुप्तचर विभाग ने इन व्यक्तियों के बारे में अथवा उनके काम के बारे में कोई जांच नहीं की है। किन्तु सभी तत्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अभी हाल ही में निश्चय किया है कि भाषाविदों के ग्रीष्मकालीन संस्थान द्वारा प्रस्तावित जनजातियों की भाषाओं में अनुसंधान के लिए प्रयोजनाओं की अनुमति न दी जाय। अतः इन विदेशियों को सूचित कर दिया गया है कि वे उस अवधि के समाप्त होने पर देश छोड़ दें जिसके लिए उनके वर्तमान परमिट भारत में ठहरने के लिए मान्य है।

## पृथक तेलंगाना राज्य की स्थापना

3994. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री शिव चन्द्र झा :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री रा० बरुआ :** **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक पृथक तेलंगाना राज्य अथवा आन्ध्र प्रदेश में ही एक तेलंगाना राज्य बनाया जायेगा ;

(ख) तेलंगाना और आन्ध्र में शामिल करने के लिये पृथक-पृथक किन-किन क्षेत्रों पर दावा किया गया है ; और

(ग) तेलंगाना के लोगों की मांगें क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : (क) इस प्रश्न पर अतीत में विचार किया गया है कि क्या तेलंगाना क्षेत्र का एक पृथक राज्य बने अथवा यह आन्ध्र प्रदेश का एक भाग रहे और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कानून बन जाने से यह सम्पूर्ण

विवाद हल हो गया है। सरकार का विचार इस विवाद को फिर खोलने का नहीं है।

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन तत्कालीन हैदराबाद राज्य के कुछ क्षेत्र आंध्र राज्य में जोड़ दिये गये थे जिसका नाम बदल कर आन्ध्र प्रदेश रखा गया इस प्रकार जोड़ा गया क्षेत्र तेलंगाना है और आन्ध्र प्रदेश का शेष भाग आन्ध्र है।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी राजनैतिक दलों की सामान्य मांग तेलंगाना को दिये गये संरक्षणों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए है। राज्य सरकार ने इन संरक्षणों की पुनः पुष्टि की है और उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उपाय किये हैं। महत्वपूर्ण संरक्षण तेलंगाना में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए तेलंगाना प्रदेश में अधीनस्थ सेवाओं में कुछ पदों के आरक्षण तथा तेलंगाना प्रदेश के विकास के लिए तेलंगाना की बचत के उपयोग से सम्बन्धित हैं। तेलंगाना की बचत की राशि निकालने के लिए राज्य सरकार के कहने पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त एक विशेष अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो इस समय विधान मंडल की प्रादेशिक समिति के विचाराधीन है। संसद ने भी लोक नियोजन (निवास संबंधी अपेक्षाएं) (संशोधन) विधेयक, 1969 पारित कर दिया है जिसका उद्देश्य उल्लिखित आरक्षणों की अवधि को 21-3-1969 से पांच वर्ष के लिए बढ़ाना है।

## अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये पदों का आरक्षण बढ़ाना

3995. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सरकारी सेवा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों के आरक्षण की सीमा उस समय निर्धारित की गई थी, जब इन जातियों के विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत नहीं थे परन्तु अब इनमें शिक्षा की प्रतिशतता बढ़ गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के शिक्षित लोगों की संख्या में हुई वृद्धि को देखते हुए इनके लिये आरक्षित पदों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) सरकार को जानकारी है कि जब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया था, उस समय से, शिक्षित व्यक्तियों की प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। फिर भी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसंख्या के प्रतिशत तथा प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ये प्रतिशत निर्धारित किये गये थे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

**गुजरात में जहाज बनाने का कारखाना**

3996. **श्री मनुभाई जे० पटेल :**
**श्री रामावतार शर्मा :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में जहाज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार पश्चिमी घाट में एक जहाज निर्माण कारखाना खोलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके आकार आदि का ब्योरा क्या है ?

**संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) से (ग). गुजरात में सरकारी क्षेत्र में जहाज बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार ने पश्चिमी घाट में कोचीन में जहाज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के बारे में पहले ही स्वीकृति दे दी है जिसमें 66000 डी० डब्लू० टी० श्रेणी के जहाज बनाने के लिये एक निर्माण गोदी तथा 85000 डी०डब्लु०टी० तक के जहाजों की मरम्मत की क्षमता की एक जहाज मरम्मत गोदी होगी ?

**प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय जनपथ, नई दिल्ली**

3997. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनपथ बैरकों में स्थिति प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में रैक न होने के कारण कई हजार फाइलें अस्त-व्यस्त हालत में फर्श पर पड़ी हुई हैं ;

(ख) क्या फाइलों को इस तरह रखने के कारण इस कार्यालय के काम में कठिनाई होती है, जिसके परिणामस्वरूप जनता के काम में विलम्ब होता है और उन्हें परेशानी होती है ; और

(ग) क्या अपेक्षित रैकों की तुरन्त सप्लाई करने का सरकार का विचार है ताकि इस कार्यालय का काम सुचारू रूप से चल सके ?

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया):** (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन के अनुसार नई दिल्ली स्थित जनपथ बैरकों, में परिवहन निदेशालय का एक शाखा कार्यालय है। प्रशासन उक्त कार्यालय में आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था करने के लिये शीघ्र कार्यवाही कर रहा है ताकि फाइलें ठीक ढंग से रखी जायें और भविष्य में जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

**प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय जनपथ, नई दिल्ली को अन्यत्र ले जाना**

3998. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनपथ बैरक्स की पहली मंजिल में स्थित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार कार्यालय को वहां से हटाकर उसकी दूसरी मंजिल में ले जाया गया है ;

(ख) क्या इस कार्यालय को साफ-सुथरा रखने के लिये फराशों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या उन्हें इस कार्यालय की हालत तथा फाइलों और दफ्तर में रिकार्ड के ढेर जमा होने की जानकारी है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दर्शकों के लिये इस कार्यालय में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने का है ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) दिल्ली प्रशासन के अनुसार फरवरी, 1967 में परिवहन निदेशालय की एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली स्थित जनपथ बैरकों में पहली मंजिल में एक हाल में खोला गया था, जून, 1968 में स्थान उपलब्ध हो जाने पर यह कार्यालय पहली मंजिल से हटाकर दूसरी मंजिल पर ले जाया गया था और पहली मंजिल के स्थान का उपयोग रिकार्ड रखने के लिये किया गया ।

(ख) इस कार्य के लिये अंश-कालिक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया गया है ।

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन का विचार परिवहन निदेशालय के लिये एक इमारत बनाने का है जहां रिकार्ड रखने तथा निदेशालय में आने वाले लोगों के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किया जायगा । इमारत बनाने के लिये भूमि अर्जित की जा चुकी है ।

**संयुक्त सलाहकार व्यवस्था सम्बन्धी नीति**

3999. **श्री स० कुण्डू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के प्रति सरकार की क्या नीति है ;

(ख) इस योजना को बढ़ावा देने के लिये पिछले तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) ऐसी सलाहकार व्यवस्था के बारे में नियोजकों की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उन्होंने उन बातों को क्रियान्वित किया है जिन पर सहमति हो जाती है ; और

(घ) क्या भविष्य में इस व्यवस्था को बढ़ावा देने की सरकार की कोई योजना है और यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था तथा अनिवार्य पंचनिर्णय की योजना अक्टूबर,

1966 में चलाई गई थी और तभी से लागू है। सरकार की नीति विभिन्न स्तरों पर संयुक्त सलाह को प्रोत्साहन देना है।

(ख) अब तक 13 विभागीय परिषदें स्थापित की गई हैं। शेष मंत्रालयों/विभागों में विभागीय परिषदें स्थापित करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

कुछ मंत्रालयों में निम्न स्तर की परिषदें भी गठित की गई हैं जबकि अन्य मंत्रालयों में इनका गठन किया जा रहा है।

(ग) सरकारी पक्ष ने अधिकतम सहयोग दिखाया है। सहमति प्राप्त मदें अत्यन्त शीघ्रता से कार्यान्वित की जाती हैं।

(घ) सरकार का विचार वर्तमान योजना को शीघ्र ही सांविधिक रूप देने का है। प्रस्तावित विधान की मुख्य रूपरेखाएं गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा 16-12-1968 को अनिवार्य सेवाएं अनुरक्षण अध्यादेश (अब अधिनियम), 1968 पर बहस के दौरान सभा में बताई गई थी।

**विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को सहायता**

4000. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी प्रयत्नों से बने कालेजों को सहायता देने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उड़ीसा में ऐसी कितनी संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता मिली है और कितनी योजनाएं इस आयोग के समक्ष निर्णय के लिये विचाराधीन पड़ी हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र कालेजों के विकास कार्यों के लिए अनुदान देता है, चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी तथा चाहे वे ग्राम्य क्षेत्रों में हों अथवा नगरीय क्षेत्रों में।

(ख) आयोग द्वारा प्रदत्त सहायता का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 454/69]

(ग) उड़ीसा के उन कालेजों के नाम जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता दी गई है, सभा-पटल पर यथाशीघ्र रख दिये जायेंगे। आयोग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उड़ीसा के कालेजों के विचाराधीन आवेदनों की संख्या 28 है।

**बेरोजगार इंजीनियर, डाक्टर आदि**

4001. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे बेरोजगार इंजीनियरों के लिये अफगानिस्तान से प्राप्त हुई रोजगार की

पेंशकश की भारत सरकार द्वारा उपेक्षा की गई थी और उसके बदले पाकिस्तान के इंजीनियरों ने इस अवसर का लाभ उठाया है ;

(ख) इंजीनियरों, डाक्टरों, अध्यापकों तथा वकीलों की बेरोजगारी अथवा पूर्ण रोजगार न मिलने की स्थिति पर विचार करते हुए क्या उन्हें अन्य देशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से हमारी शैक्षिक अर्हताओं को उन देशों में मान्यता प्रदान करवाने के लिये सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) ऐसे व्यावसायिक वर्गों द्वारा अर्जित की गई तथा की जाने वाली विदेशी मुद्रा तथा भारतीय संस्कृति पर, जिसका वे प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, विचार करते हुए क्या विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों को वहां पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी भारतीयों को उपलब्ध कराने में तथा विदेशों में नियोजकों को रोजगार ढूंढने वालों की जानकारी देने में मदद करने के लिये अनुरोध करने का सरकार का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी नहीं। हमने, भारतीय तकनीकी व्यक्तियों के सेवाओं की अफगानिस्तान के सामने पेशकश की है।

(ख) देश की डिग्रियों और डिप्लोमाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर सम्बन्धित देशों से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार, बातचीत की जा रही है । ऐसा कोई विशिष्ट मामला इस मंत्रालय के नोटिस में नहीं आया है, जिसमें हमारी डिग्रियों और डिप्लोमाओं की गैर-मान्यता, भारतीय नागरिकों को विदेशों में रोजगार प्राप्ति में रुकावट बनी हो।

(ग) सरकार ने मित्र विकासशील देशों को उनके विकासीय कार्यक्रमों में सहायता देने के लिए, विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों के जरिए भारतीय तकनीकी विशेषज्ञों को भेजने का निर्णय किया है।

**मधुकेश्वर मन्दिर, बनवासा, मैसूर**

4002. **श्री दिनकर देसाई** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के उत्तर कनारा जिले में बनवासा स्थित मधुकेश्वर मन्दिर, जो अपनी अद्वितीय विशेषताओं और मूर्तिकला (छठी ईसवीं शताब्दी) के लिये प्रसिद्ध है, खराब हालत में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मन्दिर की छत अनेक स्थानों से टपकती है और छत पर घास पात उग रही है ;

(ग) क्या नींव कटाव आदि से प्रभावित है ;

(घ) क्या पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग का विचार कदम्ब [लोगों (दूसरी ईसवी शताब्दी) की विख्यात राजधानी बनवासी की खुदाई आरम्भ करने का है ;

(ङ) क्या यह सच है कि बनवासी में हाल में दूसरी शताब्दी ई०पू० के समय की पुरातत्वीय महत्व की कुछ वस्तुएं पाई गई हैं ; और

(च) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग इस बात से अवगत है कि मैसूर में पूर्व ऐतिहासिक स्थानों की गत 15 वर्षों में कोई प्रमुख खुदाई नहीं की गई है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह)** : (क) से (ग). मन्दिर को संरचनात्मक मरम्मतों की आवश्यकता थी और वर्तमान वर्ष के दौरान, उगी हुई वनस्पति को हटाकर टपकने वाली छत की मरम्मत की गई है। नींव की, जिस पर वर्षा के कटाव का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ा है, अगले वित्त वर्ष के शुरू में मरम्मत की जाएगी।

(घ) अगले वित्त वर्ष के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(च) ऐतिहासिक स्थलों की कोई बड़ी खुदाई का कार्य आरम्भ नहीं किया गया था। किन्तु इस क्षेत्र में खुदाई में बहुत से पूर्व ऐतिहासिक और नवपाषाणकालीन स्थान मिले हैं। इनमें बंगलौर जिले में जडीगेनाहल्ली और बेल्लारी जिले में कोपगल तंगानकालु और तेक्कलकोटे, बीजापुर जिले में अवागेकाडा, हलिनगली कोवल्ली और तेरडल, धारवाड जिले में हल्लूर, मैसूर जिले में हेमिग और टी० नरासांपुर, रायचूर जिले में मसकी शामिल है।

## प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा बेचे गये ट्रांसमिटर

4003. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला ने हाल ही में अल्पदूरी के कुछ ट्रांसमीटर नीलामी द्वारा बेचे हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इन नये समाचारों की ओर दिलाया गया है कि इन ट्रांसमीटरों का प्रयोग पाकिस्तान को गुप्त जानकारी भेजने के लिये किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इन आरोपों के बारे में कोई विस्तृत जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग). ऐसी रिपोटों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर, आन्ध्र प्रदेश सरकार से पूछताछ की गई थी। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खरीददारों की ओर से जासूसी जैसी किसी अवैध गतिविधि की आशंका के लिए कोई प्रमाण नहीं है।

**उड़ीसा के मंत्रियों के विरुद्ध आरोप**

4004. **श्री नीतिराजसिंह चौधरी :**

**श्री लखन लाल गुप्ता :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा मंत्रिमण्डल के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये मधोलकर आयोग कुछ संसद् सदस्यों और विधान सभा सदस्यों द्वारा दिये गये ज्ञापन पर उनके मंत्रालय की सिफारिश पर नियुक्त किया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त आयोग कैसे और क्यों नियुक्त किया गया था ;

(ग) क्या उक्त आयोग ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिवेदन के अब तक प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं और यह कब तक प्रकाशित कर दिया जायेगा ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). कुछ संसद सदस्यों तथा विधान सभा सदस्यों से प्राप्त एक ज्ञापन उड़ीसा के मुख्य मंत्री को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था । उड़ीसा सरकार ने श्री जे०आर० मधोलकर को जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त नहीं किया था बल्कि उन्होंने एक गुप्त जांच की थी ।

(ग) श्री जे० आर० मधोलकर ने सितम्बर, 1968 में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया ।

(घ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय में दायर की गई एक लेख्य याचिका पर यह अन्तरिम आदेश पारित किया है कि गोपनीय दस्तावेज की लेखा याचिका के निपटान से पहले प्रकाशित न किया जाए ।

**Establishment of Kumaon University**

4006. **Shri J. B. S. Bist** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the agitation being launched by the students of Districts Almora and Nainital in connection with the setting up of Kumaon University ;

(b) if so, whether Government propose to announce the opening of a University there in deference to the feelings of the students and the public of Kumaon area :

(c) if so, when and the place where the Kumaon University is proposed to be located ?

(d) the amount allocated for this purpose during the current financial year ; and

(e) if the reply to part (d) be in the negative, the reasons therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)** : (a) Students of D.S.B. Government Degree College, Nainital, and Almora Degree College, Almora, had

launched an agitation in November, 1968 demanding the establishment of the Kumaon University. The agitation has since been called off.

(b) to (e). This is essentially a matter for the State Government. Their proposal for the establishment of the Kumaon University at Nainital has been recently approved by the Government of India and the decision has been conveyed to the State Government of Uttar Pradesh. A token provision of Rs. 1.00 lakh has been proposed by the State Government in the budget estimates for 1969-70 for this purpose.

**Reorganisation of States**

4007. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government's attention has been drawn to the statement of Shri H. V. R. Iyengar, a former Governor of the Reserve Bank of India to the effect that linguistic division of India was a blunder on the part of Nehruji and that the creation of States in India should be on less emotional grounds ;

(b) if so, whether Government propose to reorganise States created on linguistic basis; and

(c) if not, the reaction of Government to the said statement of Shri Iyengar ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) to (c). Government have seen some writings referring to Shri H. V. R. Iyengar's reported statement that it was a mistake to have agreed to the creation of States on linguistic basis. Government do not share this view and do not consider that any reversal of the policy already adopted in the matter is called for.

**Science and Technology Fair in Delhi**

4008. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the extent of assistance given by Government in organising 'Science and Technology' fair near Kashmere Gate, Delhi and the gain to Government thereby ;

(b) if assistance was given, whether Government propose to organise such fairs in other State Capitals by extending assistance in those cases also ;

(c) if so, the States where such fairs would be organised and when ; and

(d) if not, the reason therefor ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :** (a) No financial assistance was given by the Government. The Delhi College of Engineering, however, gave materials for the fabrication of the exhibits and the exhibits have become the property of the Colleges.

Such fairs help students to learn in a practical way the design and fabrication of engineering and scientific equipment.

(b) to (d). Since no assistance was given to the Delhi fair, the question of the Central Government organising such fairs in other State capitals does not arise. However, all technical institutions could organise such fairs as a part of their educational activity.

**बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान, बीचपुरी (आगरा) के शिक्षकों के वेतनमान**

4009. **श्री स० कुण्डू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के अनुसार बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान, बीचपुरी (आगरा) के शिक्षकों के वेतनमानों का पुनरीक्षण कर दिया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने एक पत्र में यह स्वीकार किया है कि बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान के शिक्षकों को बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा के शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान मिलेंगे ;

(ग) क्या बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान के अवैतनिक निदेशक ने सरकार को 30 अक्तूबर, 1967 को सूचित किया है कि बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा ने पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकार कर लिये हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थानों के शिक्षकों को अब तक पुनरीक्षित वेतनमान नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार का विचार बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान के कर्मचारियों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान कब से लागू करने का है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी, नहीं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ग्रामीण संस्थाओं के शिक्षकों के वेतनमानों के संशोधन के संबन्ध में कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस संस्था के अध्यापकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवैतनिक निदेशक ने अपने दिनांक 31 अक्तूबर, 1967 के पत्र में इस मंत्रालय को सूचित किया था कि संशोधित वेतनमानों को बलवन्त राजपूत कालेज, आगरा में कार्यान्वित किया गया था ।

(घ) और (ङ). सम्बद्ध कालेजों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किए गए संशोधित वेतनमानों के आधार पर ग्रामीण संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों के संशोधन का सामान्य प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है । इस मामले में लिया गया निर्णय बलवन्त विद्यापीठ ग्रामीण संस्थान, बीचपुरी (आगरा) पर भी लागू होगा ।

## भारतीय सर्वेक्षण विभाग

4010. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग आठ सर्किलों अथवा निदेशालयों में बांटा गया है ;

(ख) क्या ऐसे नियम हैं कि यदि कोई कर्मचारी अपनी पदोन्नति के अवसर का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे कुछ समय के लिए अपने मूल सर्किल से बाहर काम करना होता है ;

(ग) क्या कुछ कर्मचारियों को, जिनका अपने मूल सर्किलों से अन्य सर्किलों में इस प्रकार तबादला कर दिया गया था, उन सर्किलों में कई वर्ष तक सेवा करने के बाद भी अपने मूल सर्किलों में वापस नहीं भेजा गया है जबकि कुछ व्यक्ति, जो प्रभावशाली हैं, अपने मूल सर्किलों से तबादला किये बिना पदोन्नति का लाभ उठा रहे हैं ;

(घ) क्या भारत के महासर्वेक्षक ने अपने मूल सर्किलों से बाहर के सर्किलों में काम करने वाले अनेक व्यक्तियों को कम से कम मानवीय आधार पर उनके मूल सर्किलों में भेजने की प्रार्थना को, चूंकि वे अनेक वर्षों से अपने परिवारों से दूर रहे हैं और उन्हें दो स्थानों पर घरबार रखना पड़ता है, अस्वीकार कर दिया था ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार महासर्वेक्षक को पदोन्नति के बारे में नियमों का पालन करने तथा मूल सर्किलों को वापस भेजने की प्रार्थनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की हिदायतें देने का है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) भारतीय सर्वेक्षण विभाग को धरातल सर्वेक्षण के लिये सात प्रादेशिक सर्किलों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त उसकी तीन विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं / निदेशालय और दो प्रशिक्षण संगठन हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को देश के किसी भी भाग में सेवा करने के लिये कहा जा सकता है ; और उनकी नियुक्ति और तबादले लोक सेवा की अपेक्षाओं के अनुसार किये जाते हैं।

(घ) ऐसी प्रार्थनाओं पर रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है। तथापि ऐसी सभी प्रार्थनाओं को सर्वदा ही स्वीकार करना संभव नहीं होता है। महासर्वेक्षक के पास तबादले के लिये प्रार्थनाओं की सूचियां रहती हैं, जो उपयुक्त अवसर आने पर इन मामलों पर विचार करते हैं।

(ङ) पदोन्नति के लिये नियम निर्धारित कर दिये गये हैं और उनका पालन किया जाता

है । महासर्वेक्षक से विभाग के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति और तबादले के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने के लिये कहा गया है ।

**इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए नया विमान**

4011. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स के लिये एक नये विमान का चुनाव कराने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में मंत्रिमंडल की उप-समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). इण्डियन एयरलाइन्स का 100 से अधिक सीटों की क्षमता वाले विमानों की खरीद का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

**संघ लोक सेवा द्वारा चुने गये कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करना**

4012. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये तथा स्थायी पेंशन पाने वाले (अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार के लिये सुरक्षित वास्तविक रिक्त स्थान) पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, यदि उनकी परिवीक्षा की अवधि न बढ़ाई गई हों अथवा स्थायी होने के आदेश जारी न किये गये हों तो नियमों के अन्तर्गत उसकी वास्तविक स्थिति क्या होगी ;

(ख) क्या ऐसे कर्मचारी को, जिसके विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत न हो, उसे कोई चेतावनी न दी गई हो, कार्य के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट न हो तथा परिवीक्षा की अवधि में उसे सामान्य रूप से प्रति वर्ष वार्षिक वृद्धि भी दी जाती रही हो तो क्या उसकी परिवीक्षा की अवधि पूरी हो जाने के बाद ऐसी अनिश्चित स्थिति में रखा जा सकता है ;

(ग) क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत ऐसे कर्मचारी को बिना कोई कारण बताये केवल नोटिस देकर ही उसकी सेवा समाप्त की जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) वर्णित व्यक्ति की निश्चित स्थिति उस विशिष्ट सेवा अथवा पद से संबंधित नियमों पर आधारित होगी जिस पर

वह भर्ती किया गया था । साधारणतया, स्थिति ऐसी है कि जब तक परिवीक्षाधीन व्यक्ति एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा विधिवत स्थायी अथवा सेवामुक्त नहीं किया जाता है तब तक वह परिवीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर भी परिवीक्षाधीन बना रहेगा चाहे औपचारिक रूप में उसकी अवधि न बढ़ाई गई हो ।

(ख) सामान्यतः एक कर्मचारी परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद ढंग से पूर्ण करने पर स्थायी किया जाना चाहिये, बशर्ते कि एक स्थायी रिक्ति उपलब्ध हो । कुछ मामलों में प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण, उदाहरणतया पर्यवेक्षण अधिकारियों से निष्पादन की रिपोर्ट प्राप्त करने जैसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में लिया गया समय अथवा वह सही तारीख, जब से एक स्थायी रिक्ति हुई है, मालूम करने में लगने वाला समय अथवा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के विचाराधीनता के कारण विलम्ब हो जाता है। परिवीक्षा-अवधि के दौरान सामान्य वार्षिक वृद्धि का दिया जाना उस सेवा या पद से संबंधित नियमों पर निर्भर करता है। जब तक नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो, सामान्यतः एक व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा-अवधि के दौरान भी, पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धियां दी जाती हैं ।

(ग) और (घ). आम तौर पर स्थिति यह है कि किसी कर्मचारी की, जो परिवीक्षा पर है, सेवाएं, नोटिस देने के बाद, यदि नियमों के अधीन कोई नोटिस अपेक्षित हो, तथा बिना कोई कारण बताए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश द्वारा समाप्त की जा सकती है । उपबन्धों के ब्योरे बताए जा सकते हैं यदि यह पता लग जाय कि संबंधित कर्मचारी किस सेवा से संबंधित है ।

**बिना कारण बताए सेवा समाप्त करना**

4013. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह स्पष्ट रूप से रिक्ति स्थान वाले स्थायी पेंशन वाले पदों पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये किसी व्यक्ति के नियुक्ति पत्र में यह शर्त लिखना उचित है कि परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेने के बाद भी उनकी सेवा बिना कारण बताये नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है ;

(ख) क्या इस प्रकार नियुक्त किये गए व्यक्ति को स्थायी पद पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति माना जायेगा अथवा केवल परिवीक्षा पर अस्थायी सरकारी कर्मचारी माना जायेगा ; और

(ग) क्या किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकालने से पहले उसे अपना पक्ष बताने के लिए सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अपनी सेवा के संबंधित नियमों के उपबन्धों के अधीन वह परिवीक्षाधीन की स्थिति पर बना रहेगा ।

(ग) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की उसे सेवामुक्त करने से पहले सुनवाई के लिए सेवा नियमों में साधारणतया कोई उपबन्ध नहीं होता है। फिर भी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ध्यान में आई कमियां परिवीक्षाधीन व्यक्ति के ध्यान में लाई जानी चाहिये ताकि वह सुधार कर सके।

**विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये अंशकालिक नौकरियां**

4014. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को अंशकालिक नौकरियां देने के लिये सरकार ने कोई "कार्य करने के साथ-साथ पढ़ाई" का कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग). इस बारे में भारत सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है। किन्तु, विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा विद्यार्थियों को जिस सीमा तक साधन उपलब्ध हों, वहां तक, अंशकालिक नौकरियां देने के लिये, कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं। रोजगार सुविधाओं के विस्तार, हाथ के कार्य के लिये सामाजिक प्रतिष्ठा के बढ़ने और विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के लिये पर्याप्त साधनों की व्यवस्था करने से इस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है।

**अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की पराजय**

4015. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत गत पांच वर्षों में सभी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार हारा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस अन्तर्राष्ट्रीय खेल में भारत इस अवधि में जीता अथवा हारा है और भारत ने कौन-कौन सी ट्राफियां जीती अथवा हारी हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन)** : (क) से (ग). यह सच नहीं है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत सभी अन्तर्राष्ट्रीय खेलों और प्रतियोगिताओं में निरन्तर हारा है। यद्यपि मेक्सिको ओलम्पिक में भारतीय हाकी टीम केवल कांस्य पदक प्राप्त कर सकी, उसने टोकियो ओलम्पिक (1964) और पिछले एशियाई खेलों (1966) में हाकी

में स्वर्ण पदक जीते थे । भारतीय टेनिस टीम भी 1966 में डेविस कप खेलों में चैलेंज राउन्ड में पहुंच गई थी । पिछले पांच वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में विभिन्न खेलों में हमारे भाग लेने के परिमार्गों के संबंध में विस्तृत सूचना राष्ट्रीय खेल संघों से प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की महिला अधिकारी**

4016. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा की पदालियों में इस समय कितनी महिला अधिकारी काम कर रही हैं ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और वे अब किस राज्य में कार्य कर रही हैं ; और

(ग) वे कब से इन पदालियों में कार्य कर रही हैं ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :**

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा —— 74
भारतीय पुलिस सेवा —— शून्य

(ख) और (ग). सूचना बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 453/69]

**दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के वेतनमान**

4017. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में न्यायिक अधिकारियों के वेतन-क्रम कम हैं और उच्च न्यायालय की स्थापना के बाद बनाये गये सेवा नियम भी अभी तक लागू नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को नये वेतनक्रम दिये गये हैं, जबकि उन राज्यों से दिल्ली में प्रतिनियुक्ति परन्यायिक अधिकारियों को अब तक संशोधित वेतनक्रम नहीं दिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) वेतनमान कम नहीं है । उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिये गये हैं किन्तु उन्हें अभी तक लागू नहीं किया गया है । निम्न न्यायिक सेवा के लिए नियमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । नियमों को लागू करने/अन्तिम रूप देने में कुछ प्रशासनिक तथा संवैधानिक कठिनाइयां हैं ।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**रासायनिक प्रोद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता**

4018. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब ए० एच० वाडिया टैक्नीकल इंस्टीट्यूट, बम्बई के प्रतिनिधि मंत्री से मिले थे तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इंस्टीट्यूट में शुरू किये जाने वाले रासायनिक प्रोद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता आदि का आश्वासन दिया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिक्षा सलाहकार (टी) ने इस संस्था को वित्तीय स्वीकृति दिये जाने का परामर्श दिया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इंस्टीट्यूट को सूचित किया कि शीघ्र ही उसे स्वीकृति के बारे में सूचना दे दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार ने अपना विचार बदल दिया है और वह अब वर्तमान पालिटेक्निक संस्थाओं में पाठ्यक्रम शुरू करना चाहती है ;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस सरकार के पहले निर्णय के आधार पर इंस्टीट्यूट ने भवन निर्माण तथा सामान की खरीद का काम शुरू कर दिया था; और

(च) निर्णय में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उपलब्ध जानकारी के अनुसार शिक्षा मंत्री के साथ ए० एच० वाडिया टैक्नीकल इंस्टीट्यूट के प्रतिनिधियों से जो बातचीत हुई अनौपचारिक थी तथा उस समय जो निर्णय लिया गया, उसका कोई लिखित रिकार्ड नहीं रखा गया था ।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के पश्चिमी क्षेत्र की समिति ने परियोजना को स्वीकार करने की सिफारिश की थी ।

(ग) इस मंत्रालय ने संस्था के अधिकारियों को सूचित कर दिया था कि मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही सरकार अपनी स्वीकृति भेज देगी ।

(घ) से (च). मामले का सभी पहलुओं से अध्ययन करने के पश्चात् सरकार ने परियोजना को राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में लेना स्वीकार कर लिया है ।

**पश्चिम बंगाल के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मंत्री का वक्तव्य**

4019. **श्री समर गुह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मंत्री, श्री प्रमोद दास गुप्ता के 18 फरवरी, 1969 के 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' (कलकत्ता) संस्करण में प्रकाशित उस भाषण की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि उन्होंने कहा है कि :

"हमने लोकतांत्रिक संघर्ष को सुदृढ़ करने के लिये संसदीय लोकतंत्र का मार्ग अपनाया है परन्तु हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि हम संसदीय लोकतंत्र के द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य समाजवाद लाना है और उसके लिये हिंसात्मक क्रांति की आवश्यकता है, हम संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से केन्द्र तथा राज्य के बीच संघर्ष को उस स्तर तक बढ़ाना चाहते हैं कि उससे हिंसात्मक क्रान्ति को बढ़ावा मिले"; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय संविधान में निहित लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों के संदर्भ में सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मंत्री श्री प्रमोद दास गुप्ता ने 16 फरवरी, 1968 को कलकत्ता के बाग बाजार में सी० आई० टी० पार्क में एक सार्वजनिक सभा में भाषण दिया। उनके भाषण का सार 17 फरवरी, 1969 के हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड (कलकत्ता अंक) में प्रकाशित हुआ था।

(ख) श्री प्रमोद दास गुप्ता द्वारा प्रकट किये गये दृष्टिकोण संविधान के मूल सिद्धान्तों के प्रतिकूल हैं।

**आसाम में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की बहाली**

4020. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में आसाम राज्य में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार बहाल कर दिये गये हैं; और

(ग) क्या आसाम राज्य में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय सरकार के निर्णयों को क्रियान्वित न करने के प्रश्न की जांच करने का सरकार का विचार है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) यदि क्रियान्वित न करने के कोई विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में लाए जाएंगे तो उनकी जांच की जाएगी ।

**Road Building in Rural Areas**

4021. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether Government propose to implement the proposal put forward by the Indian Road Congress ;

(b) the policy of Government in regard to road-building in rural areas ;

(c) whether Government propose to give preference to those regions where means of transport do not exist in the matter of road-building and ; if so, whether any such scheme is under consideration of Government for the development block of Sealde (Choukot region) which is a backward area of Almora District ;

(d) whether Government have received any proposal from these areas in this regard and, if so, the action taken so far thereon ; and

(e) whether Government propose to allocate special funds in the Fourth Five Year Plan to build motorable roads in these regions of U. P. to eradicate their backwardness ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) :** (a) The specific proposal which the Hon. Member has in mind is not clear. The Indian Roads Congress is essentially a technical body concerned with the evolution of standards and specifications for roads and bridges, dissemination of technical know-how on these matters, etc. Their suggestions and recommendations are followed by all concerned as far as possible.

(b) Rural Roads fall within the purview of the State Governments. Necessary provision for them has, therefore, to be made by the State Governments as part of State Plans. The Planning Commission has asked the State Governments to provide for rural roads at least 20% of their State Plan allocation for roads 40% of that 20% or actual expenditure on rural roads, whichever is less, is provided according to present policy of Government as a grant-in-aid as part of the overall Central assistance towards State Plans. The pattern of Central assistance during the Fourth Plan will be determined when the Fourth Plan is finalised. Meanwhile, in order to secure greater consideration for rural roads, the State Governments have been requested to earmark for rural roads at least 25% (instead of 20% as envisaged earlier) of the State Plan Allocation for roads in the Fourth Plan.

(c) to (e). All roads other than National Highways in States fall within the sphere of State activities. The question of preference for any particular region has to be decided by the State Government concerned. It is understood from the Uttar Pradesh Government that they had appointed some time back a Hill Development Board which had recommended the construction of some roads in Almora District, including certain roads in the Syalde and Kapkot blocks. The State Government propose to consider these recommendations while formulating detailed programmes for the Fourth Plan. Further, while they do not propose to allocate any special funds for the construction of motorable roads in the Hill Districts of Uttar Pradesh, they do propose to take up the construction of these roads as part of their Fourth Plan for roads and bridges within the overall ceiling of that Plan.

**Promotion of Class IV Matriculate Employees**

4022. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Class IV employees, having Matric or higher qualifications have been working in the Ministries of the Government of India for the last ten years or more but they have not been promoted so far ;

(b) if so, their number and the reasons for not promoting them ;

(c) whether Government propose to formulate a scheme for their early promotions as is done in the case of other categories of staff ;

(d) if so, the time by which this new scheme is expected to be formulated and, if not, whether Government propose to deprive people of their freedom to rise in life ;

(e) whether Government propose to promote all Matriculate Class IV emplopees to the posts of clerks without any further delay by giving them special priority ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). Up-to-date information as to the number of Class IV employees having matric or higher qualifications and who have put in 10 years' service or more is not available.

However, as on 1st September, 1967, there were about 303 Class IV employees in the Ministries/Departments who had Matriculation or equivalent qualifications.

(c) to (f) Since the nature of duties of Class III post in different from that of Class IV, the latter have not so far been considered eligible for promotion to Class III posts in the Central Secretariat. However, keeping in view the need for bettering the service prospects of Class IV employees, a scheme has been introduced under which Class IV employees who have passed matriculation or equivalent examination and who have put in at least five years of service in a Class IV post and who are 40 years of age or below (45 years for Scheduled Castes/Tribes) are eligible for appointment to Class III posts against 10% of vacancies in the cadre of L.D.Cs on the basis of a test. The scheme is not applicable to Railways, P and T and the Indian Audit and Accounts Department who have their own schemes for appointment of Class IV employees in Class III posts.

**भारत और थाईलैंड में नगरों के समान पौराणिक नाम**

4023. **श्री बलराज मधोक :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड में कुछ नगरों के पौराणिक नाम समान हैं और दोनों ही अपने-अपने नगरों के, जैसे अयोध्या नगरी, मूल नगर होने का दावा करते हैं; और

(ख) वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहां आरा जयपाल सिंह)** : (क) और (ख). नगरों के कुछ नामों—जैसे अयोध्या (भारत) और अयुथिआ (थाइदेश) में घनिष्ठ साम्यता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार इन नामों वाले भारतीय नगर थाइदेश की अपेक्षा पुराने हैं। इसको अन्यथा सिद्ध करने के लिए कोई दावे पेश किए गए हैं इस बात की जानकारी नहीं है।

**विमानचालकों के विरुद्ध विमान-परिचारिकाओं की शिकायतें**

4024. **श्री जे० एच० पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विमान परिचारिकाओं ने विमान-चालकों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने की शिकायतें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया कारपोरेशन दोनों में ऐसी शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइन्स ने सूचित किया है कि उन्होंने विमानचालकों के अभद्र व्यवहार के बारे में विमान-परिचारिकाओं से कोई शिकायत प्राप्त नहीं की हैं। लेकिन, पिछले वर्ष के आखीर में एक घटना हुई थी जिसमें कि एक जूनियर विमानचालक द्वारा एक विमान परिचारिका को गाली दी बताई गयी थी। मामले की जांच की गयी और यह पाया गया कि विमानचालक ने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, यद्यपि उन दोनों के बीच क्रोधपूर्ण झड़पें हुई थीं। दोनों को उचित रूप से चेतावनी दे दी गयी। एयर इंडिया द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार विमानचालकों के अभद्र व्यवहार के बारे में विमान परिचारिकाओं से कोई शिकायत नहीं मिलीं।

**मंत्रालयों में प्रशिक्षित अभिलेखापाल की नियुक्ति**

4026. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभिलेख सम्बन्धी विधान समिति ने 1960 में अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की थी कि विभिन्न मंत्रालयों में उनके रिकार्ड रखने के लिये केवल प्रशिक्षित अभिलेखापाल की नियुक्ति की जावे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें इस बीच स्वीकार कर ली हैं और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) अब देश में उपलब्ध प्रशिक्षित अभिलेखपालों की संख्या कितनी है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (घ). यह ठीक है कि अभिलेख सम्बन्धी विधान समिति ने 1960 में केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में एक-एक ऐसे सक्षम तथा प्रशिक्षित अधिकारी की नियुक्ति पर जोर दिया था, जिसका स्तर केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी से अधिक हो और जो विभागीय अभिलेख कमरों का कार्यभारी हो ।

समिति के इस सुझाव पर सरकार द्वारा विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि यह पर्याप्त होगा यदि पर्याप्त अनुभव प्राप्त किसी अवर श्रेणी लिपिक/प्रवर श्रेणी लिपिक को संगठन तथा पद्धति यूनिट के अनुभाग अधिकारी के मार्ग दर्शन में विभागीय अभिलेख कमरों के अभिलेखों के ठीक-ठीक रख रखाव के लिये ज़िम्मेदार बना दिया जाये और जिसकी विशेष जिम्मेदारी इस कार्य की निगरानी करना तथा समुचित रख-रखाव, छंटनी तथा अभिलेखों का भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेजने को सुनिश्चित करना होगा । यह भी निर्णय किया गया था कि विभागीय अभिलेख-कमरों के कार्यभारी नियुक्त व्यक्तियों को, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभिलेखों के समुचित रख-रखाव में अभिस्थापन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिये । भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित तथा कार्य कर रहे व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के लिये जो अभी तक सेवा में नहीं हैं, 1942 से अभिलेख रखने में एक-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है ।

यह सम्पूर्ण प्रश्न, जिसमें यह सुझाव भी शामिल है कि सचिवालीय प्रशिक्षण स्कूल में सहायकों और अनुभाग अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को, जिसमें अभिलेख प्रबन्ध पर कुछ अनुदेश पहले ही से शामिल हैं, इस प्रकार पुनरनुस्थापित किया जाना चाहिये, जिसमें एक पेपर लागू किया जाना चाहिये और जिसमें इसके सभी पहलू आ जाएं, अभी तक विचाराधीन है।

देश में प्रशिक्षित अभिलेखपालों की ठीक-ठीक संख्या मालूम नहीं है । किन्तु भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, जो अभिलेख पालन में उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने की देश में एक मात्र संस्था है, 1942 से, जब से इस पाठ्यक्रम को चलाया जा रहा है, 111 व्यक्तियों को देश में और मलेशिया तथा नेपाल के 4 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है ।

**Pay Scales of Chowkidars in Union Territories**

4027. **Shri Jageshwar Yadav**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the salaries of Chowkidars are very low in the Union Territories ;

(b) whether it is also a fact that the Police Station-Incharge take much work from them day and night ; and

(c) whether Government propose to increase their salaries in view of the high cost of living ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) to (c). The information furnished by all Union Territories (except Tripura and Chandigarh) is given in the attached statement. **[Placed in Library. See No. LT-456/69]** The information in respect of the Union Territories of Chandigarh and Tripura is being collected and will be laid on the Table of the Sabha when received.

**पश्चिमी बंगाल में पर्यटकों के लिये परिवहन सुविधायें**

4028. **श्री जुगल मण्डल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों को पश्चिम बंगाल के पर्यटन केन्द्रों तक पहुंचने के लिए परिवहन तथा अन्य सुविधायें बढ़ाने के बारे में सरकार द्वारा इस वर्ष क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक सौंदर्य के स्थलों तथा पर्यटकों के आकर्षण के स्थानों के विकास के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में कौन से स्थान पर्यटन केन्द्रों के रूप में चुने गये हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) स्थल परिवहन की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। लेकिन पर्यटन विभाग राज्य सरकारों तथा अनुमोदित टैक्सी-कार परिचालकों की स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन से सेकण्ड हैण्ड आयातित कारें प्राप्त करने में सहायता करता है। 1968 के दौरान, पश्चिम बंगाल में कार परिचालकों को ऐसी 5 गाड़ियां दी गईं और राज्य सरकार को एक नयी वातानुकूलित कार दी गयी।

(ख) राज्य सरकार और पर्यटन विभाग के योजना विषयक परिव्यय के अनुमोदित हो जाने पर ही उक्त प्रयोजन के लिए वित्त-राशियों का नियतन किया जायेगा।

(ग) कलकत्ता;

दीघा;

सुन्दरबन;

बक्रेश्वर;

शान्ति निकेतन;

डायमंड हार्बर;

दुर्गापुर;

मालदा;

बरहामपुर;

जाल्दापाड़ा;

दार्जिलिंग कॉम्प्लक्स।

**पश्चिमी बंगाल जाने वाले विदेशी पर्यटक**

4029. **श्री जुगल मंडल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में पर्यटन केन्द्रों की प्रति वर्ष यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में सरकार ने कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) क्या 1968 में पश्चिम बंगाल जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). पर्यटन विभाग पर्यटक अभिरुचि के स्थानों की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़े नहीं रखता ।

**पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों का विकास**

4030. **श्री जुगल मंडल** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम-बंगाल सरकार ने 1968-69 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिये एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार का इस उद्देश्य के लिये कितना व्यय करने का प्रस्ताव है और क्या सरकार ने उक्त योजना की मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**संसद्-कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री इकबाल सिंह)** : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 1968-69 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए कोई विशिष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की गई है । फिर भी राज्य सरकार ने अपने बजट प्रस्तावों में 120.78 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष के लिए पुनरीक्षत प्राक्कलनों में 217.19 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है । प्रस्तावों की जांच के पश्चात् 1968-69 के पुनरीक्षत प्राक्कलनों में 161.02 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है ।

**पश्चिम बंगाल में होम गार्ड**

4031. **श्री जुगल मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में होम गार्डों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में होम गार्डों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : (क) से (ग). 14 मार्च, 1969 को पश्चिम बंगाल में 16114 शहरी तथा 32564 ग्रामीण होमगार्ड थे जबकि राज्य सरकार का लक्ष्य 15000 शहरी तथा 35000 ग्रामीण होम गार्ड का है। राज्य सरकार का इस लक्ष्य में कोई वृद्धि करने का विचार नहीं है।

**चौथी योजना में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना**

4032. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली में जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय यथा शीघ्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। दिल्ली के दक्षिण में मुनीरका गांव के पास लगभग 1000 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय के लिए निश्चित की गयी है और 1969-70 के बजट प्राक्कलनों में एक करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का भी विचार किया गया है। विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के गठन तथा कुलपति की नियुक्ति का प्रश्न भी विचाराधीन है।

**Replies to Letters Sent by Members of Parliament to Ministry of Home Affairs**

4033. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of letters sent by the Members of Parliament to him, Minister of State, Deputy Minister and the Secretary in his Ministry during the last one year ;

(b) the number of letters out of them replied to and not replied to separately and the reasons for not sending replies to the remaining letters ;

(c) whether Government are making arrangements to ensure that the letters from the Members of Parliament are replied to within a fortnight ; and

(d) whether it is a fact that the replies are sent only after receiving repeated reminders from the Members ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). The information is being compiled and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d). Instructions already exist to the effect that all communications received from Members of Parliament should be given priority and that where they cannot be answered in full promptly, an **ad interim** reply should be given. It may not always be possible to send a final reply within a fortnight as per instance where collection of information from or consultation with other Departments, State Governments, etc. is necessary.

There have been some cases in which reminders were received from the Members before replies could be sent.

**Replies to Letters Sent by Members of Parliament to Minister of Education and Youth Services**

4034. **Shri Nihal Singh:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of letters sent by Members of Parliament to the Minister of State, Deputy Minister, and the Secretary during the last six months ;

(b) the number of such letters as have not so far been replied ;

(c) whether it is a fact that replies are sent to the Members of Parliament only after repeated reminders ;

(d) the action taken by Government in this regard ;

(e) whether Government would arrange to send replies to letters sent by the Members of Parliament within fifteen days of their receipt and, if not, the reasons therefor ; and

(f) the number of letters received in Hindi and the language in which they are replied ?

**The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):** (a) 320

(b) 9

(c) No, Sir.

(d) and (e). Instructions already exist that communications received from Members of Parliament should be given high priority. In certain cases information is required to be collected from various sources viz. State Governments, Union Territories etc., and as such it will not be always possible to send final replies within 15 days.

(f) 93 ; 90 replied in Hindi, 1 in English and replies to 2 are pending.

**केन्द्रीय युवक सेवा बोर्ड**

4035. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युवक सेवा योजनाओं के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए उन्हें क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय युवक सेवा बोर्ड गठित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग). एक राष्ट्रीय युवक सेवा समिति को गठित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

**मंगलौर होकर बम्बई से बंगलौर के लिये विमान सेवा**

4036. **श्री जे० एच० पटेल :**

**श्री स० अ० अगाड़ी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई से मंगलौर और बेलगाम होते हुये बंगलौर तक की विमान सेवा को बन्द करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस सेवा को पुनः चालू न करने का निर्णय किया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) से (ग). मंगलौर हवाई अड्डे के मरम्मत के लिये बन्द कर दिये जाने के कारण, बम्बई से बेलगांव और मंगलौर होकर बंगलौर के लिये विमान सेवा 1 नवम्बर, 1967 से बन्द की गई थी । मंगलौर से होकर विमान सेवा 25-2-69 से पुनः आरम्भ कर दी गयी है । 15 अप्रैल, 1969 से बम्बई, पूना, बेलगांव और बंगलौर के बीच एक वाईकाउंट विमान सेवा चलेगी ।

**भारतीय विश्वविद्यालयों में वाणिज्य और व्यापार प्रबन्ध**

4037. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विश्वविद्यालयों में वाणिज्य और व्यापार प्रबन्ध को पृथक् विषय माना जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वाणिज्य शिक्षा सम्बन्धी समिति ने, जिसके वे अध्यक्ष थे, व्यापार शिक्षा के प्रश्न का अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें की थीं;

(ग) समिति की सिफारिशों का ब्योरा क्या है और वे सिफारिशें सरकार द्वारा कहां तक स्वीकार की गई हैं; और

(घ) क्या विश्वविद्यालय स्तर तथा अन्य स्तरों पर वाणिज्य और प्रबन्ध शिक्षा में तालमेल करने के लिये सरकार की कोई नई योजनायें हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति संसदीय पुस्तकालय में रख दी गई है।

समिति ने सिफारिश की थी कि व्यापार प्रशासन को एक पृथक् अनुशासन समझा जाना चाहिये और इस क्षेत्र में पाठ्यक्रम को उद्योग और वाणिज्य में प्रबन्धकों के पदों के लिये विद्यार्थी तैयार करने के विशेष उद्देश्य से तैयार किया जाना चाहिये। व्यापार प्रशासन को विश्वविद्यालयों में पर्याप्त स्वतंत्रता और लोच के साथ विकसित होने देना चाहिये। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों को व्यापार प्रशासन के अल्प-कालिक रिहायशी पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करना चाहिये।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् और केन्द्रीय सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

(घ) विश्वविद्यालयों में वाणिज्य, शिक्षा तथा प्रबन्ध शिक्षा में तालमेल मुख्यत: विश्वविद्यालयों के शिक्षा निकायों के माध्यम के किया जाता है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के स्तर पर प्रबन्ध अध्ययन बोर्ड और वाणिज्य अध्ययन बोर्ड में एक-दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं और दोनों बोर्डों में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के प्रतिनिधि भी होते हैं।

**दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार**

4038. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरभंगा बिहार में, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान के लिये व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा और इसे कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :** (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी विश्वविद्यालय से एकत्र की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**लन्दन में एयर इंडिया के अधिकारी की गिरफ्तारी**

4039. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री नम्बियार :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्री उमानाथ :**
**श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में लन्दन में एयर इंडिया का एक अधिकारी ब्रिटेन में

राष्ट्रमण्डल के कुछ नागरिकों का अनधिकृति प्रवेश कराने का प्रयास करते हुये गिरफ्तार किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनधिकृत राष्ट्रमण्डल नागरिक एयर इंडिया के एक विमान में यात्रा कर रहे थे;

(ग) क्या उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है, जिनमें एयर इंडिया के विमान के द्वारा इन अनधिकृत व्यक्तियों को ले जाया जा रहा था; और

(घ) क्या यह बात सुनिश्चित कर ली गई है कि एयर इंडिया में ऐसी कोई संगठित जाल-साजी नहीं हो रही है, जिसके अन्तर्गत एयर इंडिया की सेवाओं के जरिये ब्रिटेन में राष्ट्रमण्डल नागरिकों का अनधिकृत प्रवेश में सक्रिय रूप में सहायता की जा रही है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) लन्दन कार्यालय में एयर इंडिया का एक स्वागती (रिसेप्शनिस्ट) चार और व्यक्तियों के साथ (जिनमें से दो भारत के रहने वाले तथा दो यात्री थे) 'कामनवेल्थ इम्माइग्रेशन एक्ट' का अतिक्रमण करने के षड़यंत्र के आरोप पर कैद किया गया था ।

(ख) 21 फरवरी, 1969 को एयर इंडिया की उड़ान संख्या ए० आई०-109 के द्वारा दोनों यात्रियों ने पैरिस से लन्दन तक यात्रा की ।

(ग) और (घ). मामला यू० के० की एक अदालत के निर्णयाधीन है । अदालत के जांच-परिणाम उपलब्ध हो जाने के उपरान्त ही आगे की कार्यवाही निर्धारित की जायेगी ।

**Examination for Appointment of Hindi Supervisors and Officers**

4040. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
**Shri N. R. Patil :**
**Shri Jageshwar Yadav :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission propose to hold a competitive examination in July, 1969 for the appointment of Hindi Supervisors and Hindi Officers in various Ministries/Departments;

(b) whether it is also a fact that only those candidates would be eligible to compete who had passed B. A. Examination and have got 5 years' experience of English-Hindi Translation or who have Post-Graduate qualifications in Hindi with three years' experience of English Hindi translation.

(c) if so, whether the candidates who have passed B. A. or M. A. examinations with Science or Commerce as their subjects but have more than 5 years of experience in translation work would not be allowed to take the said examination; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla)** : (a) and (b). Details regarding the proposed test are given in Union Public Service

Commission's advertisement No. 8/Part 'B' dated 22-2-69, copy placed on the Table of the House.

(c) and (d). No, Sir, such candidates are ineligible to appear in the test, because they do not possess one of the essential qualifications prescribed viz., they have neither passed B. A. with Hindi as one of the subjects, nor do they possess any Post-Graduate qualifications in Hindi.

ADVERTISEMENT NO. 8/PART 'B'

Date of publication : 22-2-69

Closing date : 7-4-1969 (21-4-1969 for applications from abroad and for those in the Andaman and Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands).

No. F. 1/971 (181)/68-RC

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

INFORMATION FOR CANDIDATES

Recuritment to permanent and temporary posts of Hindi Supervisor and Hindi Officer or equivalent posts for different Ministries/Departments. Some posts reserved for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates, if such suitable candidates are available otherwise to be treated as unreserved. No further advertisement for such post is intended to be issued in the year 1969 ; and a panel of names of suitable candidates will be maintained by the Commission to meet future requirements. Candidates satisfying the prescribed qualifications will be required to appear at a written test in translation etc. to be held in July, 1969 at Delhi and those who reach such minimum qualifying standard in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be summoned by them for interview. The test will operate as an aid to screen candidates for interview. The details of the test are as follows :—

**Paper-1** Marks : 100
Time : 2 hours

Translation from English into Hindi.

**Paper-II** Marks : 100
Time : 2 hours

Translation from English into Hindi.

1. **Pay :** (i) **Hindi Supervisor :**
   (a) Rs. 325-15-475-EB-20-575 (Non-gazetted) (Class II)
   (b) Rs. 350-25-575 (Gazetted) (Class II)

   (ii) **Hindi Officer :**
   Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-30-830-35-900 (Gazetted) (Class II).

2. **Qualifications :** **Essential :**
   (i) Bachelor's degree with Hindi as one of the subjects, and
   (ii) About 5 years (3 years' for those possessing Post-graduate qualification in Hindi) experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English into Hindi and vice-versa in posts created exclusively for Hindi work in various Ministries/Departments including Attached Offices in the scale of pay carrying a maximum of Rs. 425/- or more.

3. **Duties :** (i) To deal with all matters arising out of instructions regarding the use of Hindi in official work.

(ii) To supervise the work of subordinate staff employed exclusively for the work of translation from English into Hindi and vice-versa.

(iii) Any other duty assigned by the Head of the Department involving the use of Hindi.

4. **Probation :** Two years.

5. **Headquarters :** Anywhere in India.

6. Temporary posts are non-pensionable whereas permanent posts are pensionable. If, however, a person already holding a permanent pensionable post under Government is appointed, he will continue to enjoy his pensionable status.

7. The candidates selected for appointment will be required to join duty immediately after selection.

8. The appointment can be terminated according to rules.

**Recognition of Degrees Awarded by Hindi Sahitya Sammelan**

4041. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
**Shri N. R. Patil :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the degrees awarded by the Hindi Sahitya Sammelan which has been established under an Act of Parliament, are recognised as equivalent to those awarded by other Universities in the examinations conducted by the U. P. S. C. and various Ministries/Departments of the Government of India for the purpose of filling posts connected with the Hindi work ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) if so, the extent of recognition given to the degrees awarded by the Hindi Sahitya Sammelan and the details thereof ?

**The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) :** (a) to (c). The Hindi Sahitya Sammelan has not been established under an Act of Parliament. It was however, declared as an Institution of National Importance under the Hindi Sahitya Sammelan Act, 1962.

The Hindi examinations conducted by various Voluntary Hindi Organisations in the country, including those conducted by the Hindi Sahitya Sammelan have been granted recognition for purposes of employment in Government services, where Hindi qualifications are prescribed. The scope of this recognition is restricted only to the acceptance of the standard of Hindi of the examination concerned with the standard of Hindi of the examination, to which it has been equated ; and it is not to be treated as equivalent to the full-fledged certificate or degree of that particular examination.

The following Hindi examinations, conducted by the Hindi Sahitya Sammelan, have been granted recognition.

| Sl. No. | Name of the examination. | Name of the examination to which it has been equated (for purposes of the standard of Hindi only). | Period, for which recognition has been given. |
|---|---|---|---|
| 1. | Prathama | Matric/S.L.C. | Up to 31st December, 1969. |
| 2. | Madhyama (Visharad) | B. A. | |
| 3. | Uttama (Hindi Sahitya) | B. A. (Hons.) | |

**Examination for Appointment of Hindi Supervisors and Officers**

4042. **Shri Chandra Shekhar Singh :**
**Shri N. R. Patil :**
**Shri Jageshwar Yadav :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Union Public Service Commission propose to hold a competitive examination in July, 1969 for the appointment of Hindi Supervisors and Hindi Officers in various Ministries/Departments ;

(b) whether it is also a fact that only those candidates would be eligible to compete who had passed B. A. examination with Hindi as one of the subjects and have got about 5 years experience of Hindi/English translation or who have Post-Graduate qualifications in Hindi with three years' experience of Hindi/English translation ;

(c) if so, whether the examinations (Visharad and Sahitya Ratna) of the Hindi Sahitya Sammelan, which is established under an Act of Parliament would be considered equivalent to B. A. and M. A. qualifications in Hindi ; and

(d) if not, the reasons for not recognising such degrees awarded by the Statutory bodies by the U. P. S. C. ?

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) :** (a) and (b). Full details regarding the test are given in the Union Public Service Commission's advertisement No. 8/Part 'B' dated 22-2-69, copy placed on the Table of the House.

(c) and (d). As would be seen from the Union Public Service Commission's advertisement referred to above, one of the essential qualifications prescribed for the posts of Hindi Supervisor/Officer is Bachelor's Degree with Hindi as one of the subjects. Government have recognised up to 1969 the Madhyama (Visharad) and Uttama (Hindi Sahitya) examinations of the Hindi Sahitya Sammelan, Allahabad, as equivalent to the standard of Hindi prescribed in B. A. and B. A. (Hons) examination, respectively, of a recognised University. This recognition is, however, not to be treated as equivalent to the full-fledged degree examination of a recognised University.

**संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समितियां**

4043. **श्री भोगेन्द्र झा :**

**श्री बलराज मधोक :**

क्या **संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन** मंत्री 20 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 426 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् की अनौपचारिक सलाहकार समितियों को अधिक सार्थक तथा प्रभावशाली बनाने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) :** (क) से (ग). विरोधी दलों से प्राप्त सुझावों के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। प्राप्त सुझावों के बारे में सरकार की राय से प्रतिपक्षी नेताओं को सूचित कर दिया गया है। उन नेताओं की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।

**अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में मजूरी बोर्ड पंचाट की कार्यान्विति**

4044. **श्री लताफत अली खां :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि होटलों और रेस्टोरां के बारे में मजूरी बोर्ड के पंचाट को अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली ने अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसकी कार्यान्विति में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग). दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में होटलों और रेस्टोरेंटों के लिए वेतन बोर्ड द्वारा अगस्त, 1968 में की गई सिफारिशों को उनके उसी रूप में अमल में लाने से अशोक होटल के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इसके अलावा, सिफारिशों में कुछ अन्य कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिये वेतन बोर्ड की सिफारिशों के एक तर्क संगत क्रियान्वयन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका अध्ययन करने तथा एक रिपोर्ट तैयार करने के लिये प्रबन्धकों और होटल की मान्यता-प्राप्त यूनियनों की एक संयुक्त समिति बनाई गई। अन्तिम रिपोर्ट अब तैयार की जा चुकी है और होटल के निदेशकमण्डल द्वारा उसका अनुमोदन किये जाने की प्रतीक्षा की जा रही है।

**अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में बनाया गया नया रेस्टोरां 'पीकाक'**

4045. **श्री लताफत अली खां :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में बनाया गया एक नया रेस्टोरां, जिसका नाम 'पीकाक' (मोर) रखा जाना है, गत छः महीनों से पूर्ण रूप से तैयार है;

(ख) यदि हां, तो इसके चालू किये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस विलम्ब के कारण अनुमानतः कितनी वित्तीय हानि हुई है ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) और (ख). अशोक होटल की अनेक्सी में, विस्तार कार्यक्रम के अंग के रूप में, एक अतिरिक्त रेस्टोरेंट की स्थापना के लिये व्यवस्था कर दी गई है । आकर्षक सज्जा तथा विशिष्ट प्रकार के आहार एवं पेयों की आयोजन-व्यवस्था की जा रही है । क्योंकि पूरी प्रायोजना पर काफी धनराशि व्यय होगी, इसके लिए कुछ गौर से विचार करने तथा समय की आवश्यकता है ।

(ग) अशोक होटल को कोई वित्तीय हानि नहीं हो रही है क्योंकि मौजूदा रेस्टोरेंट ग्राहकों की वर्तमान खान-पान विषयक आवश्यकताओं का पर्याप्त निर्वाह कर सकते हैं ।

**सिलचर से एजल तक विमान सेवा**

4046. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलचर और एजल के बीच, उस क्षेत्र की सामरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, वहां विमान सेवा चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :** (क) से (ग). इंडियन एयरलाइंस एजल के लिए एक विमान सेवा परिचालित करने की सम्भावना की जांच कर रही है ।

**गोहाटी विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम**

4047. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि गोहाटी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी (कोर्ट) की बैठक में यह बताया था कि विश्वविद्यालय मैदानी जिलों में केवल

असमिया में शिक्षा देगा और केवल पहाड़ी क्षेत्रों में अंग्रेजी की अनुमति दी जायेगी;

(ख) क्या उन्हें यह भी मालूम है कि बंगला भाषी कचार जिले को आसाम में केवल बंगला राजकीय भाषा वाले जिले के रूप में मान्यता प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं में साहित्य सृजन के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नियत की गई समस्त राशि असमिया के विकास पर खर्च की जायेगी और बंगला के लिये नहीं ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**पर्यटन केन्द्र के रूप में सुन्दरबन**

4048. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, सुन्दरबन क्षेत्र का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका कब विकास किया जायेगा और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह)** : (क) और (ख). सुन्दरबन के पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनन्तिम रूप से 6.50 लाख रुपये की एक राशि की व्यवस्था की है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**पटना के निकट गंगा पर रेल-एवं-सड़क पुल**

4049. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना के निकट गंगा पर प्रस्तावित रेल-एवं-सड़क पुल का निर्माण करने के बारे में कोई निर्णय किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ख) इस योजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ;

(ग) यह निर्माण-कार्य किस एजेंसी/प्राधिकार को सौंपा जा रहा है ; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) से (घ). पटना में गंगा नदी पर एक रेलवे एवं सड़क पुल निर्माण का प्रस्ताव है। एक सड़क-पुल के निर्माण का प्रस्ताव बिहार सरकार के विचाराधीन है जिन्होंने सम्भावित व्यय 25 करोड़ रुपये आंका है। राज्य सरकार मुख्यतः उस पुल के निर्माण से सम्बन्धित होगी क्योंकि यह राज्य की सड़क पर बनना है। इस कार्य के पूर्ण होने का समय तभी बताया जा सकता है जबकि परियोजना को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, तथा कार्य संचालित करने के लिए सौंप दिया जाता है।

**कलकत्ता पत्तन के नवीकरण के बाद जीर्णोद्धार के लिये धन का नियतन**

4050. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता पत्तन के नवीकरण तथा और जीर्णोद्धार के लिए कोई राशि मंजूर की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :** (क) और (ख). कलकत्ता पत्तन का जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण एक सतत प्रक्रिया है और कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के अधीन केन्द्रीय सरकार से ऋणों से अनुपूर्ति अपने स्वयं के साधनों से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस समय कार्यक्रम के अन्तर्गत पत्तन उपस्करों और तिरते जलयानों का बदलना और छः घाटों और एक तेल जेटी को मिलाकर हल्दीया में एक सहायक गोदी पद्धति का निर्माण करना है।

**भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार**

4051. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के स्टाफ की कोई पड़ताल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) अभिलेखों को बहुत समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या यह सच है कि ऐतिहासिक महत्व तथा शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण अनेक दस्तावेज विभिन्न जिला सरकारी अधिकारियों के पास पड़े हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें एकत्रित करने तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : (क) जी हां ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दस्तावेजों की वैज्ञानिक जांच करने और उनके परिरक्षण तथा पुनर्वास सम्बन्धी अनुसन्धान के आयोजन के लिए भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की एक विशिष्ट अनुसन्धान प्रयोगशाला है । इसमें, अभिलेखों पर से धूल हटाने के लिए वायुशोधक यूनिट, कीड़ों अथवा फफूंदी से बचाने के लिए निर्वात्त धूमन चैम्बर और विनश्वर तथा कमजोर दस्तावेजों की मरम्मत के लिए हाइड्रोलिक आपट्टन प्रैस जैसे आधुनिक यन्त्रों से भी सज्जित है । आवश्यकता होने पर अभिलेखों के खण्डों की जिल्दसाजी अथवा पुनर्जिल्दसाजी की भी सुविधाएं मौजूद हैं । अम्बार (स्टैक) क्षेत्र के भाग को, जहां सबसे पहले के अभिलेख रखे गए हैं, वातानुकूलित कर दिया गया है ताकि उनके अधिकतम आयुकाल के अनुकूल भण्डार वातावरण प्राप्त हो सके । 1900 से पूर्व के अभिलेखों की महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं की माइक्राफिल्में तैयार की जा रही हैं ।

(घ) जी हां ।

(ङ) भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, जो केवल केन्द्रीय अभिलेखों का संग्रह स्थान है, जिला प्राधिकारियों के पास पड़े हुए अभिलेखों का निपटान कार्य नहीं करता है । जिला प्राधिकारियों के पास पड़े हुए अभिलेख राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ।

---

## 'बसुमति' एक बंगाली दैनिक पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

## Re. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST "BASUMATI"—A BENGALI DAILY

**श्री समर गुह** (कंटाई) : 18 मार्च, 1969 को एक बंगाली दैनिक समाचार-पत्र 'बसुमती' ने 4 मार्च, 1969 को आपसे मेरे निवेदन और 5 मार्च, 1969 को मेरे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण पर आधारित मेरे विरुद्ध अपशब्दों से भरा एक सम्पादकीय लेख लिखा है । इस लेख में कहा गया है कि मैंने लोक-सभा में पश्चिम बंगाल के गवर्नर श्री धर्मवीर की वकालत की और कांग्रेसी सदस्य भी श्री धर्मवीर की इतनी अच्छी वकालत नहीं कर सकते थे । उसमें आगे कहा गया है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मध्यावधि चुनाव के समय लोक-सभा का चुनाव नहीं हुआ अन्यथा निसंशय मेरी हालत श्री निशिद कुण्डू के समान होती तथापि पश्चिम बंगाल के लोग आगामी आम चुनावों में इस बात को नहीं भूलेंगे ।

आपको मालूम है कि मैंने श्री धर्मवीर की वकालत नहीं की थी । इस समाचार-पत्र ने मेरे बारे में अपशब्द कहे हैं और पश्चिम बंगाल के लोगों को मेरे विरुद्ध भड़काने का प्रयास किया है । यह लोक-सभा के एक सदस्य के विशेषाधिकार भंग किए जाने का स्पष्ट मामला है, और मेरी प्रार्थना है कि इस बारे में मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सम्पादक को लिखूंगा जैसाकि हमने अभी हाल में एक अन्य मामले में किया था और पता करूंगा कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है ।

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### वित्त, लेखे तथा लेखापरीक्षा के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर निश्चय

**उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'वित्त, लेखे तथा लेखापरीक्षा' के बारे में अपने प्रतिवेदन भी की गई सिफारिशों पर सरकार के निश्चयों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.** 432/69]

### केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था का प्रतिवेदन और लेखे

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : मैं केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था, हैदराबाद के वर्ष 1967-68 के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति, तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूं । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०** 433/69]

---

## राज्य सभा से सन्देश
## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देता हूं कि लोक सभा द्वारा 14 मार्च, 1969 को पारित किए गए विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1969 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

---

## विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
## PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

**सचिव** : मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक, 1969 सभा-पटल पर रखता हूं ।

---

## सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति
## LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने

9वें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :

1. श्री ईरास्मों डी० सेक्वीरा
2. श्रीमती विजय राजे
3. श्री वी० वाई० तामस्कर
4. श्री अब्दुल गनी दार
5. मौलाना इसहाक साम्भली
6. श्री मुहम्मद यूसफ
7. श्री राम सेवक यादव
8. महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भोंसले
9. श्री महादेवप्पा रामपुरे
10. श्री पीलू मोदी
11. श्री पाशाभाई पटेल

मैं समझता हूं कि सभा समिति की सिफारिशों से सहमत है ।

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हां ।

**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों को तदनुसार सूचित किया जायेगा ।

---

## निदेश 115 के अन्तर्गत श्री ई० के० नायनार द्वारा लोक सभा में दिया गया वक्तव्य

## STATEMENT TO BE MADE BY SHRI E. K. NAYANAR IN THE LOK SABHA UNDER DIRECTION 115

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : 5 अगस्त 1969 को आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों के शिकायतों के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय समाज कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री श्री जे० बी० मुथयाल राव ने कहा था कि केरल सरकार जैसी कुछ राज्य सरकारें हरिजनों के कल्याण के लिए दिए गए धन का दुरुपयोग कर रही हैं। मैंने माननीय मंत्री की इस टिप्पणी का विरोध किया था । कुछ सदस्यों ने इन शब्दों को वापस लिए जाने की मांग भी की थी ।

आपने कार्यवाही में हस्तक्षेप करते हुए मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री से जानकारी एकत्र करने तथा उसको सभा के समक्ष रखने की अपील की थी ।

तीन महीने गुजर जाने के बाद भी किसी वरिष्ठ मंत्री अथवा उप-मंत्री ने तथ्यों को सभा के समक्ष नहीं रखा है ।

केरल सरकार के हरिजन विभाग ने 12 अगस्त, 1968 को प्रैस में एक विज्ञप्ति दी थी

जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय उप-मंत्री का यह कथन कि केरल सरकार हरिजनों के लिए दी गई धनराशि का दुरुपयोग कर रही है बिल्कुल गलत तथा निराधार है। उसमें यह बताया गया था कि हरिजन कल्याण योजनाओं को जारी किये गये विनियमों और नियमों के अनुसार केरल सरकार के हरिजन कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता का सम्बन्ध है उनको समय-समय पर अपेक्षित विवरण भेजे जाते हैं। विभाग के लेखों की महालेखापाल द्वारा स्वतंत्ररूप से लेखापरीक्षण कर रहे हैं।

12 दिसम्बर, 1968 को यह मामला पुनः सभा में उठाया गया था। अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि मंत्री महोदय केरल सरकार से पता लगाकर संसद् को सूचित करेंगे। उस दिन मेरे इस प्रश्न को पुनः उठाने पर कि क्या मंत्री महोदय ने जानकारी प्राप्त कर ली है श्री मुथयाल राव ने कहा था कि उनको लोगों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह विशिष्ट प्रस्ताव रखेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि केरल सरकार वास्तव में इस धन का दुरुपयोग कर रही है।

इस पर उपाध्यक्ष महोदय ने उप-मंत्री से कहा था कि उनको अपने कथन को सिद्ध करना चाहिए अन्यथा अपने शब्दों को वापिस लेना चाहिए। इस पर डा० राम सुभग सिंह ने कहा था कि लगभग एक महीने में जानकारी एकत्र कर ली जायेगी।

इस बारे में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी तथा कुछ अन्य सदस्यों ने सरकार से वक्तव्य देने अथवा मंत्री द्वारा क्षमायाचना करने की मांग की गई थी।

विधि मंत्री श्री गोविन्द मेनन ने भी कहा था कि सरकार या तो इस आरोप को सिद्ध करेगी अथवा इन शब्दों को वापस ले लिया जायेगा।

केरल सरकार के आंकड़े से यह बात सिद्ध हो जाती है कि उसने हरिजनों की उन्नति के लिए 1967-68 में बजट प्राक्कलनों से लगभग आध लाख रुपये अधिक व्यय किये थे। इन आंकड़ों से यह सिद्ध हो जाता है कि उप-मंत्री द्वारा केरल सरकार के विरुद्ध जो आरोप लगाये गये थे वे गलत हैं।

25 फरवरी को माननीय उप-मंत्री से मुझे एक उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमें 20 फरवरी के तारांकित प्रश्न संख्या 75 की ओर मेरा ध्यान दिलाया गया है। उसमें मेरी अनेक बातों का उत्तर नहीं दिया गया है।

माननीय मंत्री ने जिन छः बातों का उत्तर दिया है उनसे यह सिद्ध नहीं होता कि केरल राज्य के समाज कल्याण विभाग ने उसको दी गई धनराशि का दुरुपयोग किया है। ये बातें पिछली केरल सरकार के बारे में हैं। उनका केरल की वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। परन्तु माननीय उप-मंत्री ने यह कहा था कि केरल की वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार इस धन का दुरुपयोग कर रही है।

श्री मुथयाल राव ने 5.8.68 को कहा था कि कुछ धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा

है। उदाहरणतया केरल में उनकी अपनी सरकार तथा कुछ अन्य राज्य सरकारें इस धन का दुरुपयोग कर रही हैं।

12 दिसम्बर को उन्होंने फिर कहा था कि हमको केरल की जनता से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हम विशिष्ट प्रस्ताव रखेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि केरल सरकार इस धन का दुरुपयोग कर रही है।

इन उपरोक्त दोनों बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि माननीय उप-मंत्री ने केरल सरकार पर धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।

मेरी अपील है कि माननीय मंत्री या तो इन आरोपों को सिद्ध करेंगे अथवा सभा से क्षमायाचना करें।

इन परिस्थितियों में मैं माननीय अध्यक्ष से पुनः अपील करूंगा कि वह उप-मंत्री को अपने आरोपों को सिद्ध करने के अनुदेश दें अथवा अपने शब्दों को वापिस लें और सभा से क्षमायाचना करने का अनुदेश दें।

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : माननीय सदस्य का यह कहना कि उप-मंत्री ने जब धन के दुरुपयोग की बात कही थी उस समय उनके दिल में विशेषरूप से केरल सरकार थी, ठीक नहीं है। 'आपकी अपनी केरल सरकार' के शब्दों का अर्थ है कि आपके अपने केरल राज्य की सरकार।

**श्री ए० श्रीधरन** (बडागरा) : यह बहुत अनुचित है। चर्चा के दौरान मंत्री महोदय द्वारा विशिष्ट आरोप लगाया गया था कि यह वर्तमान केरल की वर्तमान सरकार है।

**श्री गोविन्द मेनन** : माननीय सदस्य ने मौनरूप से इस बात को स्वीकार किया है कि केरल में पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए रखे गये धन का दुरुपयोग किया गया है।

**श्री ए० श्रीधरन** : हम इस बात को स्वीकार नहीं करते।

**श्री गोविन्द मेनन** : यह वक्तव्य में है।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप उनको सुनना नहीं चाहते तो मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना वक्तव्य सभापटल पर रख दें।

**श्री रंगा** (श्रीकाकुलम) : उनको यह गुमान है कि माननीय सदस्य ने इस बात को मौन रूप से स्वीकार कर लिया है कि धन का दुरुपयोग किया गया है। परन्तु जब माननीय सदस्य इस बात से इन्कार करते हैं तो वह अपनी बात में शुद्धि कर सकते हैं।

**श्री गोविन्द मेनन** : उनको केवल इतनी आपत्ति है कि धन का दुरुपयोग उनके दल के शासन के समय नहीं हुआ है, माननीय उप-मंत्री का तात्पर्य किसी दल विशेष से नहीं था। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा था कि बहुत समय पहले ऐसा हुआ था।

**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त मोर्चा सरकार के बनने के बाद नहीं बल्कि उससे पहले ।

**श्री ई० के० नायनार** : ऐसा केवल 1961 में हुआ था । (**अन्तर्बाधा**)

**श्री ए० श्रीधरन** : मुझे एक निवेदन करना है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा, यदि आप उनको सुनना नहीं चाहते तो मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह अपना विवरण सभापटल पर रख दें ।

**श्री गोविन्द मेनन** : जी हां, मैं इसको सभापटल पर रखता हूं ।

**विवरण**

माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि धन के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उपमंत्री के दिमाग में केरल की वर्तमान सरकार थी ठीक नहीं है । "योर ओन गवर्नमेंट आफ केरल" का अभिप्राय केरल की संयुक्त मोर्चा सरकार से नहीं था । इसका अर्थ था वह राज्य जिससे माननीय सदस्य आते हैं ।

माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि केरल में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये नियत धन का दुरुपयोग हुआ है परन्तु उनकी केवलमात्र आपत्ति यह है कि यह दुरुपयोग उस समय में हुआ है जब उनका दल सत्तारूढ़ नहीं था परन्तु जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है किसी दल विशेष के कार्यकलापों पर आपत्ति करने का कोई इरादा नहीं था ।

परन्तु चाहे ये अनियमितताएं पिछले शासन के दौरान हुई हों बाद की सरकारों का भी यह कर्तव्य था कि वे त्रुटियों को दूर कर दें । उदाहरण के लिये गृह निर्माण तथा सहकारिता योजनाओं का लाभ उठाने वालों के पक्ष में उस समय धन ठीक इरादे से ही जमा किया गया था और यह माना जा सकता था कि उसके बाद उचित समय तक के लिये स्थिति ऐसी ही रहेगी । चूंकि शुरू में जिन व्यक्तियों के नाम लाभ उठाने वालों की सूची में रखे गये थे उनका अब कोई पता नहीं है और जिन समितियों के पक्ष में ये राशियां जमा की गई थीं काफी समय से सक्रिय नहीं रही हैं, यह देखना वर्तमान शासन का काम है कि वे जमा राशियां न रखी जायें और उनमें केन्द्रीय सरकार के भाग को लौटा दिया जाये या उसे केन्द्रीय सरकार की सलाह से अच्छे काम में प्रयोग में लाया जाये ।

भारत सरकार को निम्नलिखित सूचना भी प्राप्त हुई है :

(क) 330 हरिजन सहकारी समितियों में से जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी तथा जिनका पंजीयन किया गया था 188 अनेक वर्षों से बिल्कुल सक्रिय नहीं हैं ।

(ख) 30 जून 1968 तक जिला सहकारी बैंकों के पास 4,54,000 रुपये बेकार पड़े थे जो 146 हरिजन सहकारी समितियों की कार्यकारी पूंजी के रूप में दिये गये अनुदानों के रूप में प्रयुक्त नहीं किये गये थे । 19 मोटर गाड़ियां, कई भवन तथा अन्य उपकरण जिनके लिये

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने धन की व्यवस्था की थी 1-8-1968 से केरल सरकार द्वारा एक-पक्षीय रूप से ले लिये गये हैं। उन्हें कल्याण कार्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धन का दुरुपयोग किया गया है। किसी विशेष सरकार या सत्तारूढ़ दल को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं है और माननीय सदस्य का भ्रम बिल्कुल निराधार है। इन परिस्थितियों में, इस वक्तव्य को वापस लेने का कोई कारण नहीं है।

———

## कार्य मंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION Re. THIRTY SECOND REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

**संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन से, जो 20 मार्च 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 32वें प्रतिवेदन से जो 20 मार्च 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

———

## ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के बारे में

Re. CALLING ATTENTION NOTICES

**अध्यक्ष महोदय** : अनेक विषयों के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। उनमें से कई महत्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित हैं। मुझे कुछ को उनके महत्व को दृष्टि में रखते हुए स्वीकार करना पड़ता है और कुछ को अस्वीकार करना पड़ता है क्योंकि सबको स्वीकार करना संभव नहीं है। मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे जीरो आवर में अपनी बात उठा सकते हैं परन्तु 2 बजे हमें सरकारी कार्य लेना होता है। इसलिए उस समय कोई बात उठाना सदन के समय को बर्बाद करना है। इसलिए माननीय सदस्यों को 2 बजे ऐसी कोई बात नहीं उठानी चाहिए। आखिर नियम तो इस समूची सभा द्वारा बनाए गये हैं और हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनका पालन करें।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : आपने जिन कठिनाइयों का उल्लेख किया है हम उन्हें पूरी तरह महसूस करते है। एंगुइला का मामला बड़ा गम्भीर है। एक छोटे से द्वीप के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा अन्याय किया जा रहा है। एक और मामला बड़ा गम्भीर है। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश विधान सभा के एक सदस्य को अनर्ह घोषित किया है। उनका सदस्य बने रहना संविधान का घोर उल्लंघन होगा।

**अध्यक्ष महोदय :** मध्य प्रदेश के बारे में काफी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कल शनिवार को प्रश्न-काल नहीं है परन्तु मैं ध्यान दिलाने वाली एक सूचना के लिये समय निकालने का प्रयत्न करूंगा।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2-15 म० प० बजे तक के लिए स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch to meet again at 14-15 hours**

**लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजकर 15 मिनट पर पुनः समवेत हुई**

**The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fifteen minutes past fourteen of the Clock**

[ **श्री हेम बरुआ पीठासीन हुए** / **Shri Hem Barua in the Chair** ]

---

## विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक
## APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 की रेलवे की सेवा के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : It is a common complaint of almost every railway passenger that very often there are no fans, bulbs etc. in railway compartments. Whenever a complaint is made in this regard, there is nobody to accept responsibility for inadequate passenger facilities. So I request the Hon. Minister to fix responsibility for this so that complaints of the travelling public may be heeded to.

A large number of railway employees were suspended or dismissed as a result of their

participation in the 19th September 1968 strike. Several months have passed. The Hon. Railway Minister should take an early decision in this matter and make an announcement in regard to their reinstatement.

**श्री स्वैल** (स्वायत्तशासी जिले) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान गांव के एक लड़के द्वारा रेल दुर्घटना को बचाने की ओर दिलाना चाहता हूं। बहुत समय से हम दुर्घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं जो मानवीय गलतियों या मैकेनिकल त्रुटियों के कारण हुई हैं। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उस लड़के को इनाम दिया जाना चाहिये।

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं पहले ही इसका निर्णय कर चुका हूं।

**श्री स्वैल** : सरकार को उस ग्रामीण लड़के के कार्य का प्रचार करना चाहिए ताकि इससे देश के अन्य लोगों को ऐसा कल्याण का कार्य करने के लिये प्रेरणा मिले। देश में इस प्रकार का कार्य करने वालों को इनाम देने के लिये कोई स्थायी व्यवस्था की जानी चाहिये।

**श्री गणेश घोष** (कलकत्ता दक्षिण) : सरकार ने रेलवे विद्युतीकरण एकक को समाप्त कर उचित निर्णय नहीं लिया है। वह बहुत उपयोगी संस्था थी। उसने 12 या 14 वर्षों में 5000 किलोमीटर लम्बे रेलवे पथ पर बिजली लगाकर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इस एकक को समाप्त करने के पश्चात् विद्युतीकरण का कार्य जोनल रेलवे को दिया गया है। लेकिन अनुभव से यह विदित होता है कि उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। मध्य रेलवे में केवल 1.75 प्रतिशत रेलवे पथ का विद्युतीकरण किया गया है। दक्षिण रेलवे पर केवल 2 प्रतिशत रेलवे पथ का विद्युतीकरण किया गया है जबकि रेलवे विद्युतीकरण एकक ने 4 से 5 प्रतिशत रेलवे पथ का विद्युतीकरण किया था। इसके अतिरिक्त जोनल रेलवे द्वारा इस कार्य पर अधिक व्यय किया गया है। आगामी चौथी योजना में 5000 किलोमीटर रेलवे पथ पर बिजली लगाने की योजना है और इस पर लगभग 19.5 करोड़ रुपये फिजूल खर्च होगा। यदि यह कार्य रेलवे विद्युतीकरण एकक को सौंपा जाता तो इतनी धनराशि की बचत की जा सकती थी।

इस एकक को समाप्त किये जाने के परिणामस्वरूप उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को छटनी, पदावनति का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे में कार्य कर रहे तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों की खुली लाइन प्रणाली में नियुक्ति की गई है। क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि जब रेलवे विद्युतीकरण एकक के कर्मचारियों की खुली लाइन प्रणाली में नियुक्ति की जायेगी तो उन्हें उस एकक में उपलब्ध होने वाली सब सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्राक्कलन समिति ने भी इस एकक को समाप्त करने पर चिन्ता व्यक्त की थी।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : रेलवे मंत्री ने आश्वासन दिया था कि 19 सितम्बर की हड़ताल में भाग लेने वाले केन्द्रीय सरकार के रेलवे कर्मचारियों के मामले में सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार किया जायेगा। श्री विद्याचरण शुक्ल ने इस बात का आश्वासन दिया था कि नई घोषित नीति सब मुअत्तिल और बर्खास्त किये गये सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी। उन्होंने

यह कहा था कि यह नीति अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगी। इस निर्णय के बारे में गृह-मंत्रालय द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश रेलवे बोर्ड को भी भेजे गये होंगे। क्या रेलवे बोर्ड को गृह-कार्य मंत्रालय के ये आदेश प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को वापस लिया जायेगा ?

श्री शुक्ल ने यह आश्वासन दिया था कि इस आदेश के अन्तर्गत अस्थायी कर्मचारी भी आयेंगे लेकिन जारी किये गये उस पत्र में इन आश्वासनों का कोई उल्लेख नहीं है। अतः मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विषय में गृह मंत्रालय से बातचीत करें। यदि पत्र में मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को शामिल नहीं किया जाता तो यह बहुत दुःख की बात है। मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह रेलवे कर्मचारियों को भी कठिनाइयां होंगी। कुछ कर्मचारियों को, जिनके पास सरकारी क्वार्टर हैं, क्वार्टरों का अधिक किराया देना होगा। मंत्री महोदय ने इस बात का आश्वासन दिया था कि इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि मंहगाई भत्ते को मूल वेतन में मिलाये जाने से किसी कर्मचारी को हानि न हो।

राजधानी एक्सप्रेस में कानपुर से भी लोगों को बैठने की सुविधा दी जानी चाहिये। यह कानपुर पर रुकती है लेकिन जब तक किसी व्यक्ति के पास कलकत्ते का टिकट नहीं होता वह नपुर स्टेशन पर नहीं उतर सकता। यह बहुत अजीब बात है कि यदि मुझे कानपुर जाना ह गा तो मुझे कलकत्ते का टिकट खरीदना होगा। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति को कलकत्ते से कानपुर आना होता है तो उसे दिल्ली तक का टिकट खरीदना होता है। माननीय मंत्री को इस विषय पर फिर से विचार करना चाहिये।

जो व्यक्ति राजधानी एक्सप्रेस में 290 रुपये खर्च करके यात्रा करता है वह 302 रुपये खर्च करके विमान द्वारा भी यात्रा कर सकता है। इससे कुछ हानि ही होगी। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कानपुर से कलकत्ता और कानपुर से दिल्ली तथा दिल्ली से कानपुर के लिये कुछ स्थानों (सीट) की व्यवस्था करें।

**Shri N. K. Somani** (Nagpur) : It has been observed that the system of reservation of seats is not satisfactory. We are Members of Parliament and hence we do get our seats reserved without any much difficulty. But general public have to face a lot of inconvenience on this account. In fact the system of reservation of seats should be developed in such a way that person concerned gets the information regarding reservation of seats within a couple of days.

I may suggest that Railway Booking should not be confined to one place in big cities and as a result thereof general public is put to lot of inconvenience. Arrangements should therefore, be made for Railway Booking in places like banks, post-offices and telegraph offices etc. and there should be complete coordination in between them.

It may be pointed out that the Railway employees who have been taken back in service after the September 1968 strike are being transferred during the academic year. In this connection I may mention that Railway employees of Degana are being put to great inconvenience

due to these orders. I therefore suggest that they should be transferred, if necessary, after the academic year.

**Shri Beni Shankar Sharma** (Banka) : I may invite the attention of the Hon'ble Minister that Khetri Copper Project has not so far been connected with railway line. At present the goods are being sent to Khetri by trucks. I suggest that Khetri Copper Project may be connected with the railway line passing through Nizampur.

At present Bhagalpur Mandir Hill Branch line of Bihar is an uneconomical railway line and it will remain uneconomical until it is extended further. If this railway line is connected with Jaisidih-Madhupur line **via** Dumka, it will become economical line. In this manner Santhal Pargana will also be connected with railway line. I may also point out that electricity arrangement in Upper India Express is not satisfactory. I hope the Hon'ble Minister will look into this matter.

**Shri Nathu Ram Ahirwar** (Tikamgarh) : It may be stated that Bundelkhand is a backward area. It was revealed from the survey that was conducted last year that there are huge deposits of iron in Vijavar of Chattarpur but in the absence of railway line this area is not being developed. There has been a repeated demand of railway line from Lalitpur to Banda **via** Chattarpur Khujraho. There is constant flow of foreign tourists in Khujraho and if a railway line is constructed, it will facilitate their visits.

It takes 3 to 4 hours in fueling the engine as the contractors and coolies engaged for this work do not care for their duty. The trains have been running late for the last three months. The passengers for Banda travel by road transports because the passenger train leaves Jhansi at about 9-30 P. M. It results in huge loss to Railways. Therefore, the departure of this train should be at 6 P. M. instead of 9 P.M.

In a reply to my question it was stated that 271 times the chain of trains was pulled but unfortunately neither anybody was punished nor arrested. There is nobody to check the people who travel without tickets in first class compartment from Mahoba to Manikpur with faggots and baskets of vegetables. I would also like to submit that railways are thinking to appoint part time sweepers whereas the posts of big officers such as of Deputy Divisional Superintendent are being created. This is one of the main causes of increasing inefficiency in the Railways. Therefore I request the Hon. Railway Minister to pay attention to this matter.

The goods clerk of Mau Rani Pur, which is a big mandi and where daily 50 wagons are loaded, was suspended. The post of the goods clerk has been abolished by the station master as he would get money from the traders by doing so. The people have sent several complaints about it. I request you to reinstate the said goods clerk.

Newari Station in Tikamgarh district, where 300 wagons are loaded daily, has not been improved so far. The Government should pay attention towards this station.

**Shri George Fernandes** (Bombay South) : All the employees dismissed on account of the token strike on 19th September, 1968 should be reinstated. Recognition should be given to those unions whose recognition has been withdrawn and the office bearers of these unions should be given all those facilities which they were enjoying previously.

The condition of licenced porters at railway stations is miserable. So long they are physically able they can earn something but when they become decrepit they have perforce to take recourse to begging. This is a social problem and it is the duty of the society and the Government to find out some solution of it. At least there should be a provision of provident fund and medical facilities for them.

With these words I support the Bill.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : The Railways should make arrangement to provide refreshments to military personnel in trains while going on leave from fronts and returning to the places of their duties. It will add to the morale of these personnel.

First division candidates are taken in Railway services as a result of which the candidates from villages are not selected in the services. I therefore request the Government to issue instructions to the Railway Board to give preference to the candidates from rural areas and the conditions in respect of qualifications should be relaxed in their cases.

Kisan express trains should be introduced throughout the country and exhibition should be organised in these trains for agriculturists in respect of development made in the field of seeds, poultry etc. It will save the time and money of the farmers and they will get uptodate information about the progress made in the field of agriculture.

The cases of chain pulling by students should be stopped because generally the trains are late due to chain pulling. The students should be persuaded not to indulge in such activities.

Government should adopt a policy of forgive and forget and the employees suspended, dismissed and those whose cases are pending should be reinstated. It will change the bad atmosphere and add to the effeciency of the Railways.

A railway line should be constructed between Sonipat-Rohtak and Bhiwani.

**सभापति महोदय :** अभी हमें सीमा शुल्क विधेयक पर विचार करना है, यह एक महत्व-पूर्ण विधेयक है, यह विधेयक चार बजे तक पूरा हो जाना चाहिए, अतः माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे केवल प्रश्न ही पूछें ।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा अनुरोध है कि श्री नाना पाटिल इस पर बोलना चाहते हैं और उन्हें बोलने का अवसर दिया जाये क्योंकि वह यहां पर बहुत कम बोलते हैं ।

**Shri N. R. Patil** (Bhir) : **There is no railway line in my district. Jalana, Yadoshi and Poona stations are 60, 70 and 100 miles far from Bhir respectively.

A large quantity of cotton and foodgrains is produced in Bhir.

The proposed railway line for Sholapur to Aurangabad should be constructed **via** Bhir.

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : सियालदाह से पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर बोंगांव तक रेल दुहरी की जानी चाहिए । यह लाइन सियालदाह से डम डम तक पहले ही दुहरी है । इस लाइन की लम्बाई 34 मील है । यदि यह कार्य एक दम ही नहीं किया जा सकता है, तो इसे चरण-वार पूरा किया जाना चाहिये । सर्व प्रथम डम डम से बारासाट तक यह लाइन दुहरी की जाए ।

**मूल मराठी के हिन्दी अनुवाद से अनूदित

**from Hindi translation of the speech delivered in Marathi

**श्री पीलु मोडी** (गोधरा) : रेलवे में लगभग 38,000 वाणिज्यिक क्लर्क हैं। पिछले 21 वर्षों में इनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है जब कि रेल के अन्य सब अनुभागों में महंगाई के अनुसार वृद्धि की गई है। रेलवे मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अनेक अभ्यावेदन भेजे जा चुके हैं किन्तु उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सरकार को इस सम्बन्ध में गंभीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। हम कई वर्ष से मांग कर रहे कि एक से दूसरे स्थान तक छोटी-छोटी रेल लाइनें बनाई जायें। ये लाइने राज्य सरकारों द्वारा तथा योजना आयोग द्वारा मजूर की गई हैं। दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली रेल गाड़ी गोधरा में केवल बम्बई से दिल्ली आते समय रुकती है न कि बम्बई को जाते समय। अतः मेरा अनुरोध है कि यह गाड़ी गोधरा में रुकनी चाहिये।

**Shri G. S. Mishra** (Chhindwara). Sir, I want to draw the Hon. Minister's attention to the difficulty of the people of Bilaspur area. There wagons are not made available in adequate number for despatch of timber. Parsia-Chhindwara-Soni-Jabalpur line is a narrow gauge line. It should be converted into a broad gauge.

**श्री कन्डप्पन** (मैट्र) : मैं मंत्री महोदय की इस बात का स्वागत करता हूं कि सरकार शीघ्र ही मद्रास, बम्बई तथा अन्य स्थानों को तेज गति वाली गाड़ियां चलाने जा रही है। वर्तमान गाड़ियों के रुकने की स्थानों की संख्या में भी कमी की जा सकती है। इससे गाड़ी कम समय में अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जायेगी। इस वर्ष के रेलवे बजट में ऊपर के पुल आदि बनाने के लिए बहुत कम रुपया रखा गया है। माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजपथों पर ऊपर के पुल बनाने का व्यय कौन सहन करता है। केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ? मद्रास में दो पुलों की बहुत आवश्यकता है। एक है सेलम में मार्कीट के समीप शिवपेट में और दूसरा तंजौर जिले के मयावरम स्थान पर। इनके बारे में राज्य सरकार पहले ही लिख चुकी है। मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में स्थिति बतायें।

**श्री के० नारायण राव** (बोब्बिली) : हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच चलने वाली गोलकुंडा एक्सप्रेस को खुरदारोड तक बढ़ा दिया जाये। इससे लोगों को बहुत सुविधा होगी। विशाखापटनम और नागपुर के बीच एक गाड़ी चलाई जाने की बहुत आवश्यकता है। बोब्बिली और सालूर के बीच की लाइन आगे बाढ़ाई जाये।

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : यह अनुपूरक मागों के बारे में विनियोग विधेयक है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने इतनी रुचि लेकर अनेक सुझाव दिये हैं।

I am particularly grateful that members have pinpointed the difficulties of the passengers of third class. I realise that there should be some person responsible for guiding and helping these passengers in removing their difficulties.

Many Hon. Members have asked for liberal treatment towards those employees who participated in the strike of September, 1968. So far I am concerned I assure that I will take a lenient view in this regard. We have received orders from Home Ministry. They will be

implemented in entirety. I will look into the difficulties of the passengers at Godhra station.

In regard to commercial clerks, I want to say that we are looking into the matter.

आसाम में दो या तीन बहुत गम्भीर दुर्घटनाएं हुई थीं। उस बारे में हमने कुछ कदम उठाये हैं। आसाम के मुख्य मंत्री ने उनका स्वागत किया है। इस सम्बन्ध में एक ग्रामीण लड़के ने जिस साहस का उदाहरण दिया है हम उसकी सराहना करते हैं। उसने एक दुर्घटना होते-होते बचाई।

विद्युतीकरण डिवीजन कलकता के कर्मचारियों की कठिनाइयों को हम समझते हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद लाइनों को हम नहीं उखाड़ेंगे। यह निर्णय हमने किया है। खेतड़ी में हमने सवक्षण किया है। उस पर विचार कर रहे हैं।

यह बात सही है कि महंगाई भत्ता मिलाने से निश्चित वेतन वाले कर्मचारियों के मामले में विषमता पैदा हो गई है तथा उन्हें हानि हुई है परन्तु मैं इस समय नहीं कह सकता कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

**Shri S. M. Banerjee :** I do not want that the time of stoppages of trains should be increased.

**Dr. Ram Subhag Singh :** It is true that we have dealt with the strikers very sympathetically.

**Shri Balraj Madhok :** There is a great problem of over-bridges in Delhi. Some light should be thrown on that also.

**Dr. Ram Subhag Singh :** I will throw light on that also. But as far as the question of making a change in the time table of Manikpur-Lalitpur train is concerned I will do my best to get the same done.

**Shri Sheo Narain :** Priority should be given in respect of lower births to those above fifty years.

**Dr. Ram Subhag Singh :** I agree that the old persons should be given priority.

**Shri George Fernandes :** My question was being answered by the Hon. Minister.

**Dr. Ram Subhag Singh :** A reference was made here regarding Jawans. I know that Jawans come to Pathankot from Ladakh side, Tejpur side, Manipur side, etc. They also do not get seats in trains. Therefore we should do all that we can for them.

**Shri Randhir Singh :** You should offer them tea.

**डा० राम सुभग सिंह :** लुधियाना तथा देश के अन्य भागों में बढ़िया किस्म के हथियार बनाये गये हैं। हमारे आठ कृषि विश्वविद्यालयों में बहुत से नये तरीके निकाले गये हैं। इस लिये यदि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय एक विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से सभी रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन करना चाहे तो हम उस पहलू पर सहानुभूतिपूर्वक जांच करने को तैयार हैं।

जहां तक भीर जिले की कठिनाई का सम्बन्ध है, योजना आयोग तथा दूसरों ने इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा है। मैं भी इस बारे में प्रयास करूंगा।

हमारे चार रेलवे सेवा आयोग बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद तथा मद्रास में हैं। लोगों के साथ यह कठिनाई है कि भर्ती अधिकारी उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जो उन्हें उस समय प्रभावित कर सकें।

डा० रानेन सेन ने सियालदह डम डम बोगांन लाइन का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इसे कम से कम बारासेट तक ले जाया जाना चाहिये। सारे सैक्सन का विद्युतीकरण करने से इस सैक्शन पर सवारी गाड़ियों की संख्या 25 से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। इसके अलावा डम डम और हावड़ा के बीच ब्लाक प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है जिससे लगभग 10 प्रतिशत क्षमता बढ़ जायेगी। इसलिये इस समय दोहरी लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ करने के लिये कोई औचित्य नहीं है।

श्री गा० शं० मिश्र ने मध्य प्रदेश के लोगों की उन कठिनाइयों का उल्लेख किया था जो वहां के लोगों को माल डिब्बों के सम्बन्ध में उठानी पड़ रही है। उन्होंने नैरो गेज लाइन को बदलने के बारे में भी कहा था। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं नैरो गेज लाइन को मीटर गेज अथवा ब्राड गेज लाइन में बदलने का प्रयत्न करूंगा। वैगनों के मामले में भी मैंने विभाग को कार्यवाही करने के लिये लिख दिया है।

श्री कंडप्पन ने ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रैस तथा दक्षिण एक्सप्रेस आदि गाड़ियों के रुकने के स्थानों में कमी किये जाने का सुझाव दिया था। इस बात को मैं ध्यान में रखूंगा तथा अगली समय सारिणी में ऐसा करने का प्रयत्न करूंगा।

ऊपरी पुलों की कठिनाई को दूर करने के लिये भी मैं हर सम्भव प्रयत्न करूंगा।

जहां तक सेलम तथा तंजौर का सम्बन्ध है मैं तमिलनाडू के सुझावों को स्वीकार करने को तैयार हूं बशर्ते कि वह अपने हिस्से के व्यय को वहन करने को तैयार हो।

नागपुर और विशाखापटनम का उल्लेख भी किया गया था। मैं इस बारे में जांच कराऊंगा और सीधी गाड़ी चलाये जाने का प्रयास करूंगा।

फल ले जाने के लिये प्रशीतित डिब्बों की व्यवस्था करने के बारे में भी मैं अधिकारियों से सलाह करके उनकी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1968-69 को रेलवे की सेवा के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2,3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 2, 3, the schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill**

**डा० राम सुभग सिंह :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**Shri Abdul Gani Dar** (Gurgaon) . I want to draw the attention of the Hon. Minister to this thing that we are the representatives of the people and if we can travel in first class, the officers of Government have no right to travel in air-conditioned coaches. I hope this matter will be looked into keeping in view our position vis-a-vis the position of officers of the Government.

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक 1969—जारी

CUSTOMS (AMENDMENT) BILL, 1969—Contd.

**सभापति महोदय :** अब हम विधेयक पर खण्ड-वार चर्चा करेंगे ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : मैं अपने संशोधन संख्या 4 से 11 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 19 से 22 प्रस्तुत करता हूं ।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6,—पंक्ति 43 और 44 के स्थान पर

"behalf to satisfy himself as to the identity of the purchaser or the transferee, as the case may be, and if after an inquiry made by a proper officer, it is found that the purchaser or the transferee, as the case may be, is not either readily traceable or is a fictitious person".

["यथास्थिति क्रेता अथवा अन्तरिती की पहचान के बारे में अपना समाधान करेगा और यदि समुचित अधिकारी द्वारा जांच किये जाने के पश्चात् पता लगता है कि यथास्थिति क्रेता अथवा अन्तरिती का था तो आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता अथवा वह एक फर्जी व्यक्ति है ।"]

[ श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwari Sinha in the Chair ]

**श्री लोबो प्रभु** : मेरा संशोधन यह है कि वस्तुओं का उल्लेख किया जाना है वे पहचानने योग्य हों क्योंकि अन्यथा ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं मिलेगा जिसके पास कोई न कोई ऐसी वस्तु न हो ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि कई मामलों में विदेशी तथा देशी वस्तुओं की पहचान करना बहुत ही कठिन हो जाता है । अतः विदेशी वस्तुओं की सूची में कुछ सीमित संख्या में ही वस्तुओं को अधिसूचित किया जाना चाहिए जिससे लोगों को कानून तोड़ने का डर न रहे और वे भ्रष्टाचार के भी शिकार न बनें । यदि ऐसा न किया गया, तो सीमा शुल्क अधिकारी लोगों को अनावश्यक तौर पर परेशान किया करेंगे ।

संशोधन संख्या 2 का अभिप्राय यह है कि केवल वही वस्तुएं अधिसूचित की जायं जिन का मूल्य 1,000 रुपये से कम न हो । इस प्रकार की सीमा निश्चित कर देने से अधिकारियों को भी सुविधा होगी और कई लोग भी इस परेशानी से बच जायेंगे । मेरे तीसरे संशोधन का भी यही अभिप्राय है ।

मेरा चौथा संशोधन पंक्ति 35 से 39 को हटा देने के बारे में है क्योंकि ये उपबन्ध अनावश्यक हैं । कंडिका तीन तथा चार में जो उपबन्ध किये गये हैं उनका अभिप्राय एक ही हैं परन्तु इससे लोगों का काम बहुत बढ़ जायेगा क्योंकि उन्हें एक ही वस्तु के बारे में दो बार सूचना देनी पड़ेगी । इन पंक्तियों को हटा देने से विधान में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा । इसी प्रकार कंडिका 5 तथा 6 में उपबन्ध किया गया है कि जब कोई अधिसूचित माल अन्तिरित किया जायेगा तो उसके साथ वाउचर होगा जिसमें उसका ब्योरा दिया हुआ होगा । ऐसा ही उपबन्ध 11 च में पहले ही है । बिना वाउचर के कुछ नहीं बेचा जा सकता है । बिक्री वाउचर के साथ-साथ परिवहन वाउचर का होना अनावश्यक है । अतः इस मामूली परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

इसी प्रकार 11 च में वाउचर सम्बन्धी उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए पृष्ठ 4 कंडिका 2 में माल के साथ एक ज्ञापन सम्बन्धी उपबन्ध अनावश्यक है और हटा दिया जाना चाहिये ।

निर्यात द्वारा तस्करी की पहचानने योग्य वस्तुओं के बारे में भी कोई प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । इस समय हमारे देश में 8,000 करोड़ रुपये की चांदी है जिसका कोई उपयोग नहीं है । इसका निर्यात किया जाना चाहिए । इसके निर्यात से हम 6,000 करोड़ रुपए का विदेशी ऋण चुका सकते हैं । आवश्यक वस्तुओं की बजाय ऐसी अनावश्यक वस्तुओं का निर्यात किया जाना चाहिये । कपड़े और चीनी का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए । चांदी बेचकर

सोना खरीदने से हमें लाभ हो सकता है क्योंकि चान्दी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत उतनी ही अधिक जितनी कि सोने की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत कम है ।

मेरे संशोधन 11 का अभिप्राय पृष्ठ पांच पर पंक्ति 17-22 को हटाना है क्योंकि यह भी एक आवृति उपबन्ध है ।

इस विधेयक में बहुत अधिक खण्ड हैं । ऐसा शायद अधिकारियों की सुविधा के लिये तथा इस आशा पर किया गया है कि किसी खण्ड के अन्तर्गत तो कोई व्यक्ति फंसेगा । विधान सरल और प्रत्यक्ष होना चाहिए ।

**श्री क० नारायण राव** (बोब्बिली) : इस विधेयक की वांछनीयता ही संदेहास्पद है। यदि इसका उद्देश्य तस्कर व्यापार रोकना है तो मुझे सन्देह है कि विधेयक का वांछनीय प्रभाव हो सकेगा । उसका कारण सरल है । ऐसे लोगों को, जो वैद्य रूप में वस्तुयें प्राप्त करते हैं विवरण प्रस्तुत करने के लिये कहना उन्हें आतंकित करना होगा । जबकि तस्कर वस्तुयें प्राप्त करने वाले व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत ही नहीं करेंगे । इस विधेयक के बावजूद भी तस्कर व्यापार जारी रहेगा, लोगों को विवरण देने के लिये कहने से न केवल कोई लाभ ही नहीं होगा बल्कि इससे उन्हें असुविधा ही होगी ।

दुकानदारों को रिकार्ड रखने में कई कठिनाइयां होंगी । यदि वे अधिकृत विक्रेता हैं तो वे अवश्य ही यह विवरण अधिकारियों को भेजेंगे । इन उपबन्धों से तस्कर वस्तुओं का पता नहीं लगेगा इस सम्बन्ध में इस धारा में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है ।

**श्री नन्द कुमार सोमानी** (नागौर) : मैंने खण्ड 2 के सम्बन्ध में 4 संशोधन प्रस्तुत किये हैं । जहां तक 'उल्लिखित क्षेत्र' का सम्बन्ध है भारत सरकार समझती है कि भारत के किसी भी पत्तन के 50 किलोमीटर क्षेत्र को निर्धारित क्षेत्र घोषित करके सीमा पर होने वाले भारी तस्कर व्यापार को रोका जा सकेगा । जब तक सरकार समूचे देश को अधिसूचित घोषित न करे अथवा ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित घोषित न करे, जहां तस्कर व्यापार होता है, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा । इसलिये, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "भारत की सीमा अथवा किसी पत्तन से 50 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र" शब्द निकाल दिये जायें । दूसरे संशोधन द्वारा परिवहन के लिये वाउचर की सीमा 1000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी जाये । व्यापारी अथवा परिष्करण करने वालों पर अनावश्यक जिम्मेदारी डाली जा रही है । अतः मैं मंत्रालय का ध्यान अपने संशोधनों की ओर दिलाना चाहता हूं ।

---

## संविधान (संशोधन) विधेयक

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

### अनुच्छेद 280 का संशोधन

**Shri Shiv Chander Jha** (Madhubani): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि भारत सरकार के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**Shri Shiv Chandra Jha :** I introduce the Bill.

---

## राजनैतिक दलों के लेखा प्रकाशन विधेयक—जारी

PUBLICATION OF POLITICAL PARTY ACCOUNTS BILL—(Contd.)

**विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 का संशोधन कराया जाये । मुख्य चुनाव आयुक्त का विचार है कि राजनैतिक दलों द्वारा किये गये व्यय का उल्लेख भी चुनाव व्यय में होना चाहिये । इस पर विचार किया जा रहा है ।

विधेयक के खण्ड 3 में कहा गया है कि प्रत्येक मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल को ठीक लेखे रखने होंगे । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस प्रकार संशोधन नहीं होगा क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी राजनैतिक दल के वार्षिक लेखे से है जिससे चुनाव आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं ।

अगले खण्ड में कहा गया है कि " यदि चुनाव आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि राजनैतिक दल ने लेखे प्रकाशित नहीं किये हैं ....." । मेरे विचार में चुनाव आयोग को यह कार्य सौंपने का इस सभा को कोई अधिकार नहीं है । मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनुच्छेद 324 में उल्लिखित कर्त्तव्य निपटाने के लिये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ।

इस विधेयक के खण्ड 4 में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में कुछ प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है । मैं समझता हूं कि ये शक्तियां प्रदान करना संविधान के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है । मुख्य चुनाव आयुक्त अथवा चुनाव आयोग को सरोकार तो केवल चुनाव करने से होता है । चुनाव आयोग का कार्य तो केवल यह देखना होता है कि किसी उम्मीदवार ने खर्च की अधिकतम सीमा से अधिक धन तो खर्च नहीं किया है । यह देखना चुनाव आयोग का काम नहीं है, कि वह धन कहां से आया, कैसे आया, और चोरी का अथवा उधार लिया हुआ अथवा अमरीका अथवा रूस से आया हुआ धन तो नहीं है । अन्य शब्दों में उम्मीदवार के धन के स्रोत से चुनाव आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

विधेयक का समर्थन करने वाले माननीय सदस्यों ने यह इच्छा प्रकट की है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि राजनीतिक दलों को अवांछनीय स्रोतों से धन प्राप्त न हो ।

मैं इस बात से सहमत हूं और मैं इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वास्तव में वर्ष 1967 के सामान्य निर्वाचनों के तुरन्त बाद इस मामले पर विचार किया गया था परन्तु उसके बाद चार अथवा पांच राज्यों में मध्यावधि चुनाव होने के कारण इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। मैं इस विधेयक के चुनाव से सहमत हूं तथा मानता हूं कि चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा खर्च किये गये धन की जांच करने के अधिकार चुनाव आयोग को होना चाहिये। परन्तु इस विधेयक के उद्देश्य सीमित हैं और यह मामला बहुत व्यापक है। इसमें विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाना है। अतः विभिन्न पहलुओं पर विचार करके मैं एक व्यापक विधेयक लाना चाहता हूं। इसलिये मैं श्री गोयल से अनुरोध करता हूं कि वह अपना विधेयक वापस ले लें।

**Shri Shri Chand Goel** (Chandigarh) : Mr. Chairman, Sir, I am thankful to the Hon. Members who participated in the debate and expressed their frank opinion, keeping themselves above the party politics. In our country the political parties are receiving funds from undesirable sources, which is detrimental to our democracy. Last time the Hon. Minister while participating in the debate on this Bill had assured the House that he would be bringing a comprehensive bill to amend the Peoples Representation Act. But now it appears that he has changed his opinion in this regard due to certain considerations. Today he has given only this much assurance that he would amend the Peoples Representation Act to bring the money spent by political parties or a candidate within the maximum limit fixed for election expenditure under this Act. But it is only a partial solution of this Problem. The people are losing their faith in democracy and they are losing their faith in political parties as well. They are having suspicions that the political parties are getting money from foreign countries, and big capitalists. So it is essential that they should be informed about the source of money, the political parties are getting from. I hope the Hon. Minister was agree with me that the intention of this Bill is very good. If the political parties are compelled to publish their accounts in full, the corruption will be instigated to a large extent. This is essential for the healthy development of democracy. I request the Hon. Member that he should bring a comprehensive bill in this regard and hoping that he will do so, I withdraw my Bill.

**Mr. Chairman** : Does the Hon. Member has the leave of the House to withdraw his bill ?

**विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The Bill was by leave, withdrawn**

---

## केन्द्रीय विश्वविद्यालय (छात्रों द्वारा भाग लेना) विधेयक

## CENTRAL UNIVERSITIES (STUDENTS' PARTICIPATION) BILL

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Chairman, Sir, I am not moving for the consideration and passing of this Bill, but my motion is that this Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon. I had a talk with the Hon. Minister yesterday in this regard and he had assured me that he had no objection for circulating this Bill for eliciting public opinion thereon.

There had been many changes in the educational field during last few years. Tne history of present education can be traced to the establishment of 3 Universities 112 years ago. At that time the number of highly educated people was very limited. Their number had inereased many times. The number of Universities also multiplied. Now there are 70 Universities and ten other institutions which have been given the status of a University. The number of students who are getting higher education has also increased many times. Some years ago when we were University Students, the number of University students was 1 lakh and 25 thousands only, but now their number has gone up to 22 lakhs and there is a likelihood of 14% increase in their number during the coming years. The students agitation has thus got a greater strength today. We have to admit this fact that there is a new awakening among the students of today. So it will not be possible to crush them with force. We must utilise their energies for constructive works. The main object of my bill is to utilise the energies of students.

The object of my bill is that the students should have legal right of forming Unions in their Colleges and Universities. The Students Unions should have due representation in the different Committees i.e. the Court, the Academic Council and the Executive Committee of the Universities. The students should have due share in the administration of Universities. If that is not done they will not have a sense of responsibility.

The world is fast changing today. The education Minister himself is a great erudite and he must be aware of the changes that had taken place in the West in educational field. I have seen in West Germany that students are given due representation in the administration of Universities. In France the educational system was highly centralised and that was why there had been so much students unrest in that country, which rocked the entire France and the Government had to pass a bill giving certain rights to the students. I want to draw your attention to the speech made by the Education Minister of France. He has said, "The major problem is the participation of students and this must be tried not only because the students have asked for it but because of the transformation of relation between the students and teachers, of the introduction of team spirit and of the evolution which has meant that the teacher is always a student." In England steps are being taken to give representation to the students in the administration of Universities.

I want to take this opportunity to warn the Government that in case we do not adopt a new attitude towards the problems of the students, there may be students unrest in our country of the magnitude which had ousted French Government.

The main problem before the students is that attempts are being made to restrict the expansion of education. It is being said that because adequate employment opportunities are not available, therefore the number of students getting admission in Colleges and Universities should be restricted. The educational standard of the Universities is falling and the number of students is being restricted. It is narrow thinking. The number of students should not be restricted.

So far as the standard of education is concerned, I agree that it is falling. The main reason for this is the medium of our education. The students should be given education in their mother tongue. The main reason why students are not getting rccognition is not that they are not having proper knowledge of their subjects, but because they are not at home in English and they are unable to express the knowledge of their subjects in English.

The other reason of students unrest is the defective system of examinations. The results of the examinations are announced on considerations other than merit. No one can deny this fact that recommendations have their way in the examinations.

The Education Commission has itself admitted that the expansion in the educational field in science, agriculture and medicine has been negligible. No doubt students put hard labour, but their labour goes waste. The percentage of failure among the students is on the high side. The main reason of all this state of affairs is that English is a compulsory subject in our Colleges and Universities. We should give serious thought to this.

The students are facing many problems among which the problem of text books and accommodation etc. are major ones. If you want to solve these problems of the students, it is necessary that they should be given due participation and share. It is impossible to bring radical changes in the educational field without the co-operation of students.

If we want to make radical changes in our educational system, we will have to adopt a new thinking so far as our educational system is concerned. So I would request the Hon. Members as well as the Hon. Minister to give a serious thought to this matter from a new point of view. We should obtain the views of the students as well as the Universities on this Bill. This is a very important bill, because it views the entire educational problem from a new angle.

Before moving the motion that the bill be circulated for eliciting opinion there on, I would request the Hon. Education Minister that at least in Central Universities Students Unions should be formed and he should impress upon other Universities too to have Students Unions through the University Grants Commission, because loans and grants are given to the Universities by the University Grants Commission.

Now I move the motion:

"कि छात्र संघ गठित करने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 1 अक्तूबर, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि छात्र संघ गठित करने और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के निकायों में उनके प्रतिनिधित्व के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर राय जानने के लिये इसे 1 अक्तूबर, 1969 तक परिचालित किया जाये।"

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): Sir, the Bill before the House tries to deal with the problem of student unrest and indiscipline which is assuming a serious proportion and every man in the country is feeling concern about it. The problem is not only prevailing in India but it is a world-wide Phenomenon today. However, the educational authorities in the country are trying to deal with the problem in the best possible way for which they deserve commendations.

The root cause of the problem lies in our educational system which is very defective and old and was introduced by the British rulers to subserve their needs. That is why the existing system of education does not produce men of creative genius and is rather responsible for creating a slavish tendency among the educated. Most of the youngmen after passing their

B.A. and M.A. Examinations come out in search of clerical jobs. But the Government cannot provide such jobs to all of them. So there is frustration, absence of values and no higher ideals with the result that they join hands with anti-Government elements and indulge in anti-Social activities and create law and order problem in the country and thus they turn to be a serious threat to the nation.

The main defect in the present system is our teachers and students do not establish mutual contacts and are astranged to each other as a result of which students do not have a heart-felt respect and regard for their teachers, and similarly the teachers do not understand the difficulties of students. Apart from this, the present examination system is also defective. What is going on at present is students resort to large-scale copying in examinations with the acquiescence of their teachers. Why this evil practice is being resorted to and encouraged? Because, the increments etc. of the teachers are dependent on the result percentage. So, the Hon. Minister should pay due attention towards this matter which is serious in nature and take steps to see that this practice is done away with otherwise the educational structure of the country would go from bad to worse.

The funds in the Private Schools and Colleges are misused by their managements. It is good that efforts are being made to give due representations to the students and their Unions in the management to run the affairs of their Schools and Colleges.

Steps should also be taken to check students from indulging in evil practices such as ticketless travelling, pulling of chains as also from resorting to strikes on flimsy grounds.

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : छात्रों में व्याप्त अशान्ति तथा अनुशासनहीनता के बारे में देश का हर आदमी चिन्तित है। वैसे तो यह समस्या आज केवल हमारे ही देश में नहीं है अपितु यह एक विश्वव्यापी समस्या बन गई है। फिर भी हमारे देश की परिस्थितियां अन्य देशों से भिन्न हैं और इस समस्या की तुलना अन्य देशों की समस्या से नहीं की जा सकती।

प्रस्तुत विधेयक इस समस्या के एक पहलू का समाधान करने का प्रयास करता है, और जहां तक इसका सम्बन्ध है, उसका स्वागत है। किन्तु इससे ही सारी समस्या का हल नहीं हो जाता।

छात्र समाज के एक अंग हैं और समाज में सामान्य अशान्ति तथा आम अनुशासनहीनता का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। इसलिये देश में जब तक वातावरण और अनुशासन के वातावरण में समूचे तौर पर सुधार नहीं होता, तब तक हम छात्रों से भिन्न बर्ताव की आशा नहीं कर सकते क्योंकि उन पर समाज के वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

शिक्षा की समस्याएं एक प्रश्न है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के जन्मदाता अंग्रेज हैं जिनका उद्देश्य केवल क्लर्क तैयार करना था। किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी शिक्षा प्रणाली वही चल रही है जो आज की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। स्वतंत्रता से पूर्व इस प्रणाली में कुछ राष्ट्रीय भावना जरूर थी और यही कारण था कि स्वतंत्रता-संग्राम में देश के छात्रों ने सराहनीय

भाग लिया था। इस प्रणाली में पहले अध्यापकों तथा राजनैतिक नेताओं का एक प्रकार का नैतिक असर भी था और अधिकतर कालेजों में नैतिक हिदायत की भी शिक्षा दी जाती थी लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात् वह चीज खत्म हो गई है। निर्पेक्षता के नाम पर नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय उमंग की लहर भी समाप्त हो गई है। अतः वह इसके अभाव में पहले से भी गई-गुजरी हो गई है जिसके फलस्वरूप निराशा फैल गई है और जीवन का कोई उच्च आदर्श नहीं रहा। जब तक हम देश के आर्थिक वातावरण में सुधार नहीं करते और नैतिक स्तर कायम नहीं करते, तब तक स्थिति में सुधार होना बड़ा कठिन है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। विश्वविद्यालयों में इतनी अधिक छुट्टियां तथा लेजर मिलता है और जब तक इस खाली समय का सदुपयोग करने का कोई मार्ग न ढूंढा जाये, उसका इस्तेमाल बुरे मार्गों में होगा। इसलिये विद्यार्थियों के लिये रचनात्मक क्रियाकलापों की व्यवस्था करना जरूरी है।

कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें छात्रों का परामर्श लेने की आवश्यकता नहीं रहती है जैसे प्रश्न पत्र बनाना तथा परीक्षाओं की तिथियां आदि निश्चित करना। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जिनसे विद्यार्थियों का सीधा सम्बन्ध है जैसे छात्रों के कल्याण खेलकूद, कैन्टीन होस्टल आदि से संबंधित सुविधाएं और इन मामलों में उनसे अथवा उनकी यूनियनों से अवश्य विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। इसी प्रकार विद्यार्थियों की वास्तविक शिकायतों और कठिनाइयों के बारे में विचार किया जाना चाहिए न कि उन्हें ऐसे मामलों में दबाया जाना चाहिए। छात्र संघों को बाकायदा मान्यता दी जानी चाहिए और उनके कृत्यों की स्पष्ट रूप से परिभाषा दी जानी चाहिए और कालेज तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों को विद्यार्थियों के दृष्टिकोण पर समुचित रूप से विचार करना चाहिए क्योंकि छात्र और अध्यापक एक ही रथ के दो पहिये हैं और जिन्हें एक साथ काम करना जरूरी है और उनके बीच एक प्रकार के सहयोग का होना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों को केवल विश्वविद्यालयों से ही नहीं अपितु समूचे देश से सम्बन्धित मामलों में विचार-विमर्श करने का अवसर दिया जाना चाहिए। जब 21 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोगों को मतदान देने का अधिकार है, तो फिर कालेजों में अध्ययन करने वाले छात्रों को, जिनकी आयु इससे अधिक ही होती हैं, राजनीति से बिल्कुल अलग रखने का औचित्य क्या है। इसलिये छात्र संघों को ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए जिनसे छात्रों को राजनैतिक शिक्षा भी दी जा सके।

इन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए, विधेयक का स्वागत है और उसका समर्थन किया जाना चाहिए।

**Skri Jaipal Singh** (Khunti): On the basis of my personal experience as a teacher in Primary Schools and University, I strongly oppose this Bill. The Bill deals with the students' participation in the affairs of the Universities and Colleges only. Why it has not been made applicable in the case of all schools and colleges in the country? It is not correct to say that

discipline among students has altogether vanished and indiscipline is assuming a serious proportions. Many people talk of democracy but they do not know what it actually means.

[ श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
Shri Thirumal Rao in the Chair ]

प्रजातंत्र का मतलब है अल्प संख्यकों तक की बात सुनी जायेगी। मुझे वास्तव में कई विश्वविद्यालयों को देखने का मौका मिला है। लेकिन मैंने देखा कि छात्र चाहते हैं उन्हें बिना परीक्षा में बैठे अथवा लेक्चर एटैन्ड किये बिना डिग्रियां मिल जायें और इस प्रवृत्ति को हमारे भाई लोग जिसमें इस सभा के सदस्य शामिल हैं, बढ़ावा दे रहे हैं।

हमारी आदत हर बात के लिये अंग्रेजों को दोषी ठहराने की बन गई है। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने इस शिक्षा पद्धति को किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिये चालू किया था क्योंकि उन्हें शासन चलाने के लिये क्लर्कों तथा कुछ अन्य लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे बड़े-बड़े नेता यथा श्री टैगोर, श्री गांधी, श्री नेहरू, डा० राजेन्द्र प्रसाद आदि भी उसी प्रणाली की देन हैं।

प्रश्न यह है—इस प्रणाली की चिन्ता न करते हुए—क्या हमारा कोई चरित्र या व्यक्तित्व है ? क्या हम अपनी आवाज को नहीं उठा सकते हैं ? हम देखते हैं कि शिक्षकों को आज पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता है और वे प्राइवेट ट्यूशनों की तलाश में रहते हैं। वे विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जीवन में भाग नहीं लेते हैं। यही कारण है कि उसमें (शिक्षा प्रणाली में) दोष उत्पन्न हो गये हैं।

वास्तव में विद्यार्थियों की शिकायतें जायज हैं। लेक्चर-हाल के बाहर उनके मनोरंजन, खेल-कूद आदि के लिये पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु प्रस्तुत विधेयक से इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इसमें संकुचित दृष्टिकोण निहित है, इसमें वास्तविकता नहीं है। इससे छात्रों का कोई भला नहीं होगा। हम केवल विधान बनाने से स्थिति में सुधार नहीं कर सकते।

**श्री जयपाल सिंह** : कुछ समस्याओं को कानून से नहीं सुधारा जा सकता है। विद्यार्थियों की संस्थाओं को सुचारु रूप से काम नहीं करने दिया जाता है। क्योंकि उसके सभापति केवल प्रिंसिपल ही बनेंगे। इस तरह की मूर्खतापूर्ण बात मैंने कम से कम दिल्ली, रांची में नहीं देखी। विद्यार्थियों पर कोई चीज थोपी नहीं जानी चाहिए। दूसरे हमारे राजनीतिज्ञों ने विद्यार्थियों को भी राजनीतिज्ञ बना दिया है। उनकी संस्थाएं चलने नहीं पाती हैं। अतः मैं कई कारणों से इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक को पुरःस्थापित करने वाले भी शिक्षक नहीं हैं और वह समझते हैं कि कानून के दबाव से विद्यार्थियों को इसका उत्तरदायी बनायेंगे।

**श्री एस० कन्डप्पन** (मैटूर): श्रीमान जी, मेरे पूर्व वक्ता ने विधेयक का विरोध किया है। श्री मधु

लिमये द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक को सरकार ने सिद्धान्त रूप में तो मान लिया है। गृह-कार्य मंत्री महोदय ने बताया है कि विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग, उप-कुलपति तथा शिक्षा मंत्रालय इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्नशील हैं। विद्यार्थियों में शान्ति तथा अनुशासनहीनता के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार ने प्रो० हुमायूं कबीर तत्कालीन मंत्रिमण्डल के सदस्य की अध्यक्षता में इस समस्या पर विचार करने तथा इसके समाधान करने के लिए एक समिति की स्थापना की। उस समिति ने इस समस्या को कालिजों तथा विश्वविद्यालयों के कर्मचारी वर्ग, प्रोफेसरों तथा संकायों के सदस्यों की समस्या से सम्बद्ध किया है। अध्यापक वर्ग सामान्य शिक्षित नागरिक से ऊपर उठा हुआ नहीं है। समिति के सदस्यों ने इस दिशा में कई प्रकार की बातों का रहस्योद्घाटन किया है। उनको कोई सुविधायें नहीं दी जातीं। आवास और अध्ययन की उन्हें कोई सुविधायें नहीं हैं। उनके रहन-सहन का स्तर भी इतना ऊंचा नहीं है कि विद्यार्थी उनका आदर करें। कुछ समय उत्तर प्रदेश में असंख्य शिक्षकों को बन्दी बनाया गया। इस देश में उनके लिए इससे अधिक अपमानजनक और क्या स्थिति हो सकती है। कबीर समिति सरीखी दूसरी समितियों ने भी इस समस्या को सदा शिक्षक वर्ग की प्रतिष्ठा से जोड़ा है। परन्तु दुर्भाग्यवश हुआ कुछ भी नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी और अधिक आवासिक विश्वविद्यालयों तथा संकाय के समस्त सदस्यों के निवास आदि के प्रबंध के लिए निश्चय किया था। पर इस दिशा में हुआ कुछ भी नहीं। अब सरकार आवासिक विश्वविद्यालय खोलने की ओर झुक रही है।

सरकार इस समस्या के मूल कारण को न खोजने के बजाए तत्कालीन उपाय ही ढूंढ़ती है और समझती है कि उन पर कुछ चीजों को थोप देने मात्र से समस्या का समाधान हो जाएगा। परन्तु यह भूल है। साथ ही कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण यह अशांति तथा अनुशासनहीनता है। उदाहरण के लिए बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव के दौरान वहां के उपकुलपति के प्रोत्साहन के कारण एक विद्यार्थी ने छात्रसंघ के चुनाव को लड़ा, जिसके लिए वह योग्य भी नहीं था, परन्तु वह चुनाव न जीत सका। इसके पश्चात् उपकुलपति महोदय के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संकेत पर उसने विघ्न उत्पन्न किया। इसी छात्र को मध्यावधि चुनावों के दौरान एक अवैध पिस्तौल रखने के अभियोग में बन्दी किया गया तथा उसके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। जब विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों द्वारा ऐसे कार्य किए जाते हैं तो हम यह कैसे आशा करें कि विद्यार्थी वर्ग उनका आदर करे? इस प्रकार की घटनाएं राजनीतिक प्रभाव, साम्प्रदायिक विचारों तथा दूसरे कारणों से होती हैं। यह हमारे सामाजिक जीवन पर अभिशाप है। सरकार छात्र संस्थाओं में भाग लेती है और विभिन्न राज्य सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार भी दिखावे के लिए छात्रों का उपयोग करने का प्रयास करती है। सत्ताधारी दल भी छात्र संस्थानों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। अतः दूसरे राजनीतिक दल भी उन्हें अपने प्रभाव में लेने का प्रयत्न करते हैं।

इस प्रकार प्रत्येक राजनीतिक दल छात्र वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि वह प्रत्येक राजनीतिक दल के

साथ समझौता करे कि कोई भी राजनीतिक दल छात्र-वर्ग को प्रभावित नहीं करेगा। इस प्रकार देश में फैले हुए छात्र-असन्तोष को कुछ सीमा तक कम किया जा सकता है।

प्रो० वी० के० आर० वी० राव ने परिवहन तथा नौवहन मंत्री के रूप में सम्भवतः अपने लेख में कुछ विचार व्यक्त किए थे। आशा की जाती है कि इनके इस पद पर आने से वह इस समस्या को कुछ सीमा तक शान्त करेंगे। यदि गम्भीरता से देखा जाय तो इसका मूल कारण तो आर्थिक मामला है। शिक्षक वर्ग की आर्थिक दशा को और अधिक सुधारना चाहिए। छात्र असन्तोष के सम्बन्ध में पहले से ही किया गया विचार आज भी मानने योग्य है। आवासिक विश्वविद्यालय और अधिक होने चाहिए। शिक्षक वर्ग की सामाजिक अवस्था को और अधिक सुधारना चाहिए। और अधिक समितियों की नियुक्ति न करके यदि पहले से ही किए गए विचारों को लागू किया जाए और उन्हें गम्भीरता से कार्यान्वित किया जाए तो मैं समझता हूं कि वस्तु स्थिति में सुधार होगा। इस दिशा में मेरे दो सुझाव हैं। एक यह कि आवासिक विश्वविद्यालयों के लिए तथा उनके सुधार के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जाय। दूसरे यह कि शिक्षकों के रहन-सहन के स्तर को और अधिक अच्छा बनाने के लिए न्यूनतम सम्भव सुविधाएं दी जाएं। शिक्षक निर्धन है, यदि हम शिक्षकों को कम से कम आर्थिक सुविधाएं भी नहीं दे सकते तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। यदि हम अध्यापकों को छात्रों के आदर का अधिकार पाने के लिए उसे विशेषाधिकार युक्त गौरव प्रदान नहीं कर सकते तो देश में व्याप्त छात्र अनुशासनहीनता को नहीं रोका जा सकेगा। कई कारणों से उत्पन्न छात्रों में अनुशासनहीनता जो अधिकतर भाषा सम्बन्धी विषय को लेकर छात्रों में व्याप्त है और छात्र विघटन के कार्य कर रहे थे तब मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ शिक्षा संस्थानों के मुख्याध्यापकों का छात्रों में इस सीमा तक आदर सम्मान था कि दूसरे छात्रों के कहने पर भी वे अपनी कक्षाओं से बाहर ही नहीं निकले। यदि हम अध्यापकों को इस प्रकार का अधिकारपूर्ण गौरव प्रदान करें तो वे छात्रों को अनुशासन में रखने की पूरी शिक्षा देंगे; और यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वे इसका सामना करने के लिए आगे बढ़ आयेंगे। इस समस्या का यही समाधान है जिस पर सरकार को चाहिए कि गम्भीरता से विचार करे।

**Shrimati Tarkeshwari Sinha** (Barh) : We should not be afraid of this bill which has been presented by Shri Madhu Limaye. I am also of the view that there must be students unions not only in Uttar Pradesh, but also in all the Central Universities at least and every student should be member of the Union keeping in view this plausable suggestions and objects and reasons given by Mr. Limaye in his bill. I support the bill. This bill deals with the problem of the youths which faces them today. It is pity that we dont regard students as responsible persons. The right of franchise has also been denied to them. Their rights have been totally ignored. I therefore request that the peoples representation act should be amended suitably so that every one who has attained the age of 18, is authorised to cast his vote. This will make them atleast conscious of their problems and create some will to solve them. During students agitation in Delhi University, I asked the students not to indulge in such activities. At this I was told that they had been trying to approach the Hon. Minister

to explain to him their problems for the last month but they were not allowed to see the Minister even. The students complained that their problems are not even heard, for they have no right to vote. They are unable to affect their position during elections. When the students indulge in such like subversive activities, i.e. strike etc. Government should look into their problems. It is strange that youths between the ages 16 and 20 are graduates and post-graduates but have no righs of franchise but on the other hand an illiterate man after attaining the age of 21 years is entitled to cast his vote, he is considered to be responsible one. I shall request the Hon. Law Minister to amend the Peoples Representation Act with a view to giving a right to franchise to a youth who attains the age of 18 years in our country. If you see the statistics you will find that 75 per cent of the total population of the country is under 35 years of age and 50 per cent under 25 years. Therefore I support this Bill and request the Doctor to accept the demands of the students so that they may not think that they have no representation.

Secondly I want to say that increasing unemployment should be tackled and for this you will have to change the system of education of the country completely irrespective of the difficulties that might come in the way and this problem should not be kept hidden behind the curtain. I have seen Universities in Europe and found that the Universities there were the universe in itself. Survey job for any project is generally given to the Universities there ; they get 5 per cent amount of the total investment for the Survey job done by the Universities and this money goes to teachers and students. But here in India young graduates having B.A. and M. A. degrees remain unemployed for a pretty long time. What is the use of these degrees when the young man having these degrees do not get employment for years together. Government should take steps to solve this problem. You spend crores of rupees in planning for the projects like Bokaro Steel Plant. If you make a consortium of five or six Universities and entrust them job such as economic development work and give them financial assistance as in other countries this unemployment problem will be solved to a greater extent.

The other thing is we do not cooperate with the students. We have no programmes for them. The students say that politicians have no principles rather they play very damaging role among the students and violate the established principles and as such how can the politicians ask them to become disciplined students. The world is advancing rapidly and if we want that there should be no indiscipline and unrest among the students we shall have to go ahead with the students and shall have to share their miseries. We are their guardians in the field of education and that of politics and we shall have to embrace them even if they commit mistakes, because they do not commit mistakes knowingly but circumstances force them to commit mistakes. We should be broadminded towards students and we should try to reform them not by force but with love and cooperation.

**डा० म० संतोषम** (तिरुचेंडर) : इस विधेयक का उद्देश्य छात्र समस्या के समाधान के लिए छात्रों को कालिजों और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में भागीदार बनाना है ।

विधेयक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये प्रस्तुत किया गया है परन्तु कानून सबके लिये समान होना चाहिए ।

छात्र-संघ बनाकर तथा विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में छात्रों को भागीदार बनाकर छात्र-

समस्या का समाधान करना उचित नहीं। छात्रों को प्रबन्ध व्यवस्था में सम्मिलित करने से उन्हें चुनाव संघर्षों में जूझना पड़ेगा। उनके अध्ययन काल में चुनाव प्रक्रिया एक बड़ी बाधा होगी और इस प्रकार हम उनके लिए अनुशासनहीनता के नए पथ खोल देंगे। छात्रों के असंतोष का प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा समाप्ति के पश्चात् उन्हें बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ता है। वे अपने प्रवर साथियों को इस समस्या का सामना करते देखते हैं और उनकी निराशा बढ़ जाती है।

इसलिए हमें शिक्षित युवकों की बेरोजगारी की समस्या का इस प्रकार समाधान करना चाहिए कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते समय भी छात्र अंशकालीन अध्यवसायों द्वारा कुछ न कुछ धनार्जन कर पाया करें। यदि उन्हें सुविधाएं दी जायें तो वे अपने खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। सुझाव दिया गया है विश्वविद्यालयों के छात्र सर्वेक्षण कार्यों एवं सांख्यिकी आदि कार्यों को अच्छी प्रकार निभा सकते हैं। छात्रों के मन रचनात्मक कार्यों में रत होंगे तो अनुशासनहीनता का अवसर ही न आएगा। उन्हें शिक्षा और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जीवन की अपेक्षा शिक्षा के अतिरिक्त कार्यकलापों में अधिक रुचि लेनी चाहिए। उन्हें खेलों, विभिन्न कलाओं एवं छात्र-पत्रिकाओं के कार्य से सक्रियरूप से सम्बद्ध रहना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में छात्र-शिक्षक सहयोग द्वारा छात्रों में अनुशासन की भावना का उदय होगा।

यह सत्य है कि अध्यापकों एवं प्राध्यापकों को उनके पदों की गरिमा के अनुरूप वेतन नहीं मिलते और तब भी हम उन पर बड़ी-बड़ी आशाएं लगाये हुए हैं।

स्थिति ऐसी शोचनीय है कि पहनावे आदि के बारे में शिक्षक अपने को, छात्रों से अच्छी दशा में होने के स्थान पर, उनके समकक्ष भी नहीं पाते।

शिक्षकों एवं छात्रों के मध्य असमानता और भी बढ़ती जा रही है और इससे शिक्षकों का सम्मान घटता है।

रचनात्मक विकर्षण का अभाव छात्रों की अनुशासनहीनता के लिए एक मुख्य कारण है। बड़े नगरों में उनके लिए खेलों के मैदान नहीं तथा उनके बौद्धिक, शारीरिक विकास की सुविधाएं नहीं और न ही मनोरंजन के पर्याप्त साधन ही हैं। उन्हें चुनाव जैसे हानिकर विकर्षण के स्थान पर लाभदायक विकर्षण उपलब्ध होने चाहिए।

इसलिए मैं ऐसे छात्र-संघों के प्रस्ताव का पूर्णतः विरोध करता हूं जिसमें छात्र विभिन्न चुनावों में भाग लेते हुए अपने प्रतिनिधियों को विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध कार्यों में भागीदार बना सकें। उन्हें विश्वविद्यालयों के प्रशासनतंत्र में भागीदार बनाना उचित नहीं।

**Shri Shashi Bhushan** (Khargone) : This bill is most timely and I totally agree to its spirit.

There are crores of unemployed youngmen and the number is ever on the increase. The student unrest cannot end as long as their minds are upset.

Monopoly cannot go side-by-side with social welfare. We can set an ideal before the students only by doing away with monopoly and punishing the corrupt persons.

When the students of 18 can perform daring deeds, why cannot they be allowed to participate in the management of the universities ?

In England and various other countries the students acquired the right to vote at the age of 18. The students should not be discouraged in taking part in politics. If the students want to understand the problems of disparity in incomes and the like, who else will understand them ?

It is a pity that we are not giving ear to the problem of wages and houses of our thirty lakh teachers and we are thus deprived of their cooperation in the great task of nation building.

Our Ministers and big officials rarely go to villages. They only visit the district officers and teachers and students are never taken into confidence, our neighbour countries like Russia and China have associated the teachers even in their biggest councils and the result is that they have changed the economic status of their countries.

It is very necessary that we should seek the cooperation of 15 crores of students and 30 lakhs teachers in the task of bringing about a social change in our country.

The entire work of social welfare should come under the charge of the Hon. Minister and it should be got done through the teachers and the students. The social dealings and marriages with Harijans, inter-caste under inter-state marriages can contribute a lot in the social welfare and should therefore, be encouraged.

Today we favour nepotisms as we are to get votes from the people on the basis of castes. Our democratic structure has suffered heavily due to it.

We can maintain our religious and national integration by giving due regard to students and teachers, and also giving them their due rights.

Hon. Minister had been with the students and he may please give recognition to teachers and their unions.

I support this bill.

**Shri Jharkhande Rai** (Ghosi) : I welcome this bill, we do not have any national education policy and are following the aimless policy introduced by the British. Even after 21 years of independence no efforts have been made to bring about a total change in the system. Gandhiji introduced the system of basic education but we are not following that. There is at present no ideal before the students. There was a time when students had before them the ideals of Gandhiji, Sardar Bhagat Singh, Chander Shekhar Azad, Jai Prakash and Jawahar Lal Nehru. Today they have the ideals of actors and actresses of the film world.

The dissatisfaction and unrest among the students is not only in India but also in the rest of the world. It is to be found even in the communist countries. The problem cannot be solved by mere discussions in the Parliament. It is necessary that a solution be found by appointing a high power commission of eminent educationists, representatives of students and also of political parties.

Arrangements should be made for imparting highest education in the mother tongue and Hindi should be developed as a link language. In our education system we are still following the policy formed by Lord Macauley.

It is essential to have student unions at all levels.

There are very few residental universities in our country. Teachers having no ideals in life cannot infuse life among their students.

The Vice-Chancellor imposed on Varanasi University is a contemptible person and is not liked by the majority of the students.

**Shri Balraj Madhok** (South Delhi) : Shri A. C. Joshi is one of the most respected Vice-Chancellors and to call him like that is really deplorable.

**सभापति महोदय** : उन्हें ऐसे अप्रिय शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ।

**Shri Jharkhande Rai** : Our Education Minister is an eminent educationist and I hope he will look into the appointment of a high power commission to examine these matters.

**Shri Yamuna Prasad Mandal** (Samastipur) : In this context I may quote an ancient saying, 'like father, like son'. Similarly the teachers are our Nation Builders. It is the primary responsibility of the parents as well as teachers to build the character of the children from a very tender age. I feel that our Prime Minister has fully understood the acuteness of the problem as is apparent from the fact that she has added the words 'Youth Services' together, with Education Ministry. Three factors of democracy, viz; teachers, students and the parents go on side by side. It is not justified to deny the teachers the right to take part in politics.

Shri Madhu Limaye has laid emphasis on the circulation of this Bill but I think it will effect the situation adversely. In 1967 the students were agitated in manifold ways which led to firing incidents in Samastipur and Bihar. Several students and teachers were killed there. There we requested the Government that teachers and nation builder must not be deluded in this way but should be respected.

I want to appeal to the Hon. Education Minister that he should evolve certain ways and means in consultation with Shri Limaye, other educationists and with the representatives of the students to remove their grievances. He should also utilise the youth services. Mere circulation of this bill will not serve any purpose. I oppose this bill.

**Shri Raghuvir Singh Shastri** (Baghpat) : Mr. Speaker, Sir, our primitive universities were basically governed with the consciousness of familihood and, therefore, those institutions were called **'Gurukuls'**. The same consciousness should be instilled in our modern universities.

It is futile to think that by allowing the unions in the universities we would be able to eradicate the defects experienced in the working of the universities and mitigate the students unrest. The objects of this bill are undoubtedly good but it is ominous that the union are treated, now-a-days as a symbols of struggle and resentment should not be indulged in by these students' unions.

The main aim of a student should be to acquire knowledge and, therefore, he should not be digressed from this by political parties.

I am constrained to mention that any category of workers, whether labour or teacher might be behind but not the politicians. To-day political parties are busy strengthening themselves by exploiting the university students and the labour unions which is not justifiable. Therefore, certain provisions should be made in this bill to save the university campus from this unhealthy politics.

By way of forming unions in the universities the students will be well aware of their duties and obligations. Besides this, the unions should also take responsibility of any kind of sabotage and resentment likely to be shown by the students. It should be mentioned in the constitution of the union that the main aim of it is to create the sence of discipline and peace among the students.

We should also ensure that no money is spent in the election campaign of the unions. It is generally seen that during the political election various malpractices are resorted to. Hence we should specifically provide against all those malpractices.

It has also been observed that the politicians secure admissions of certain undesirable students who are not at all interested in studies. They are only interested in digressing other students from their studies and in creating such atmosphere in the university which may suit the political parties with whom they are associated. Therefore, provision should be made in the union's constitution that no such students would be allowed to hold the union as have failed once or twice. When a student is able to earn money even in the university life by such malpractices he would least bother for the good career outside the university campus. He will lead a luxurious life which is inhibited by our scriptures.

**Shri Sheo Narain** (Basti): Sir, the colleges and the universities are the training grounds for the students who are the cream of the society. The student unions are of much use for creating the sense of co-operation and unity among themselves. They are the leaders of to-morrow therefore it is our duty to make them good and efficient social workers.

I feel the language problem pervading whole country is the creation of our defective principles. We are after English language. We should realise the fact that if the education is imparted to our children through their mother tongue they will be able to follow it more conveniently and half of the time may be saved. The three language formula evolved by the former Education Minister is quite good and that should be implemented. The Urdu Language should also be given due regard.

I also want that the Mathematics should compulsorily be taught in the universities. If this is done students would hardly find time to enjoy cinema shows which has become a nuisance for the students.

If a child is obedient to his parents he will also be obedient to his teacher. Therefore, the relation between the parents and the children counts very much. I am sorry to state that the university professors remain busy in preparing their books ignoring the studies of the students.

The management of these educational institutions is very corrupt. The amount meant for the scholarship to the students is misappropriated by the managerial staff. Therefore, these institutions should be nationalized.

The unity and the development of our country can be achieved through the unions.

## **भारत में छात्र अशांति

## **STUDENTS' UNREST IN INDIA

**Shri Shri Chand Goel** (Chandigarh) : To-day students are found to be seized by frenzy and unrest, and several places the acts of arson and sabotage have been done by these students. The agitations are also launched in the other countries by the students but there students agitate for better ideals and causes as against the Indian students who fight for the trifling and flimsiest causes such as demand for exemptiom from examinations etc. Because of the failure of the Government to tackle the problems of the students properly the student's unrest has become more serious and disruptive.

The agitations of the students should be nipped in the bud by the Government. The Government should try to understand the extent of the genuinness of the demands of the students and these should be met before the students turn more violent.

The sense of indiscipline has been increasing in the society and this affects the students' community. It is, however, not possible to eradicate the general indiscipline but something can be done by adopting the following measures.

First of all we should try to instil the feeling of faith and respect among the students towards their teachers and likewise the teachers should also be imbibed with the feeling that they are real nation builders and true guides of their students. This can be done when the ardent scholars and deserving persons for the job are appointed in the colleges and universities. They should also be well-paid. Our education should be based on moral values if not stictly on religious lines because without a moral base the relations between teachers and the students cannot be said to be serene and abiding.

Secondly, the period of three hours-a-day was prescribed for a teacher for teaching students with the intention that during the rest of the day he will prepare himself and thus he was supposed to provide the students with the best of the knowledge available on the subject given to him. But according to the existing practices professors depend upon the readymade guide books available in the market on cheapest prices. This tendency should be curbed. The Teacher—Parents Association should be encouraged so that the problems of the students may be solved by both the guardians and teachers in collaboration.

In the end, after the college hours students also have enough time which should be utilized by assigning them certain items of work, such as public service. Most of the people of our country are illiterate and the students can help them. It has correctly been said that an empty mind is a devils workshop and therefore we should try to make them busy in social services.

I want the Government should set up a committee to reconsider these problems.

**Shri Beni Shanker Sharma** (Banka) : Sir, a high-powered commission should be appointed to go into the causes of the students' unrest. The formations of the unions in

---

**आधे घन्टे की चर्चा

**Half-an-hour discussion

universities and the colleges has created a sense of rivalry and party politics among the students who indulge in to **Ghiraos** and not refrain from humiliating the teachers and other respected persons.

May I know the measure proposed to be taken by the Hon. Minister to expel such students from the colleges and universities as have been failures for more than two or four years continuously and who are mainly interested in disrupting the atmosphere of these institutions and indulged in party politics?

**श्री ए० श्रीधरन** (बडागरा) : विद्यार्थी-गण हमारे समाज का सर्वाधिक भावुक अंग हैं तथा समाज में पैदा होने वाली किसी भी उदासीनता का उनके ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से शिक्षित लोगों की एक नई श्रेणी-सी बनती जा रही है। केवल अच्छी आय वाले धनाढ्य लोगों के बच्चों को ही विशेष स्कूलों में प्रवेश मिलते हैं और हमारे देश के स्कूलों में भी एक प्रकार की जातीयता का विकास है।

दूसरी बात यह है कि मैडिकल कालेजों में प्रवेश पाने के लिये भारी धनराशि घूस के रूप में देनी पड़ती है और इस प्रकार केवल धनी लोग ही इन कालेजों में अपने बच्चों को प्रवेश दिला सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि निर्धन छात्रों का भविष्य शिक्षा प्राप्त करने पर भी बड़ा अन्धकारमय रहता है। सेवा चयन मण्डलों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि चौथी योजना के दौरान निर्धन व्यक्तियों के बच्चों को प्रवेश दिलाने के बारे में, विशेष प्रकार के स्कूलों को समाप्त करने के बारे में तथा स्कूलों में प्रवेश सेवाओं में चुनाव के सम्बन्ध में घूसखोरी व काला बाजार को रोकने के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है?

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad): May I know whether it is a fact that in the context of building the nation, the Government believe in setting up projects and factories only and not in human-development in the field of education, and that is why they do not spend sufficient amount of money on this aspect?

Secondly, an atmosphere of communalism, casteism and linguism is pervading the city life and the children, whom you can otherwise develop into good citizen, have to breathe in that dirty atmosphere for 18 hours a day. Would the Government, therefore, like to set up residential type of schools where the children could get free education and equal facilities of boarding and lodging and of learning? This would eradicate communalisms, provincialism and linguism within ten years and then you will be able to build a good nation. The Government should introduce a "Gurukul" system in the educational field.

The third cause of frustration among students is the heavy load of many subjects put on them. May I know whether you would introduce a monthly test system so that the students continuously devote to their studies? Fourthly, moral science should be made a compulsory subject so as to build the character of the students.

**श्री वेदव्रत बरुआ** (कलियाबोर) : अपने मुख्य उत्तर द्वारा क्या मंत्री महोदय यह धारणा पैदा करना चाहते हैं कि बेरोजगारी के संदर्भ में शिक्षा मंत्रालय तो केवल अनुसंधान व अध्ययन की सुविधायें जुटा सकता है ? यह उचित नहीं है । बेरोजगारी की बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती । सरकार इस बात पर ध्यान दे कि शिक्षा प्राप्ति के बाद तो आदमी नौकरी हासिल करने योग्य भी कम ही रह जाता है ।

सरकार इस बात पर भी विचार करे कि शिक्षा प्रणाली भी अपनी कुछ त्रुटियों के कारण छात्रों में अशान्ति का कारण है तथा निम्न व उच्च दोनों स्तरों पर पाठ्यक्रमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए ।

**शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव)** : श्री गोयल तथा अन्य कई सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं जिन पर अवश्य ही विचार किया जायेगा । छात्रों में फैले असन्तोष के सभी कारणों को कोई एक मंत्रालय ही दूर नहीं कर सकता और न ही अकेला शिक्षा मंत्रालय । इस असन्तोष से अन्य कई दल भी सम्बन्धित हैं जैसा कि श्री मधुलिमये के प्रस्ताव पर बोलते हुए बताया गया था ।

हम लोग मन्त्रियों व राजनीतिज्ञों के बारे में चर्चा करते समय जिस भाषा और शब्दावली का प्रयोग करते हैं देश के शिक्षा शास्त्रियों, अध्यापकों, प्रोफेसरों आदि के लिये उसका प्रयोग करना वांछनीय नहीं है । उप-कुलपतियों के व्यक्तित्व पर कीचड़ उछालने से छात्र-अध्यापक के सम्बन्धों में विकार पैदा होता है । अतः ऐसे लोगों के बारे में बातचीत करते समय अपेक्षित भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

रोजगार, नैतिक शिक्षा, सार्वजनिक स्कूल, चयन समितियों में भाई-भतीजावाद आदि के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं । बेरोजगारी के बारे में यह धारणा रखना गलत है कि शिक्षा मंत्री का इससे कुछ सम्बन्ध नहीं है । परन्तु मैं इसके संदर्भ में अधिक कुछ नहीं कर सकता । मैं तो यह कर सकता हूं कि बेरोजगारी रोकने के लिये विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के प्रवेश में कमी कर दी जाये ताकि वहां से पास होकर उतने ही लोग बाहर आयें जितनों की बाहर आवश्यकता है जैसा कि हमने इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में किया है । इसमें हमें कुछ समय के लिए सफलता भी मिली परन्तु फिर मन्दी आ गई, मांग से अधिक सप्लाई हो गई और फिर कठिनाइयां खड़ी हो गईं ।

परन्तु आर्ट स्नातकों, मैट्रिक तथा इण्टरमीडियेट पास लोगों के बारे में जन-श्रम योजना बनाना कठिन है । इनकी मांगों को पूरा करना तथा इनके बारे में मांगों का पता लगाना बड़ा ही कठिन है । और यदि इसका पता लगा भी लिया जाये तो भी उनके लिए कालेजों में प्रवेशों पर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव है । अतः बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल शिक्षा शास्त्री अथवा शिक्षा मंत्रालय नहीं कर सकता । इस समस्या पर विचार आर्थिक विकास, सामाजिक तथा आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को देखते हुए ही किया जा सकता है ।

श्री गोयल द्वारा छात्र-अध्यापक के मध्य अच्छे सम्बन्धों, और अधिक आवास-स्कूलों तथा अच्छे अध्यापक पाने के लिये अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के बारे में दिये गये सुझाव बड़े अच्छे हैं परन्तु इन सभी बातों को पूरा करने के लिये धन-स्रोत कहां है ? चौथी पंचवर्षीय योजना में तथा वर्तमान बजट में भी शिक्षा के लिये बहुत कम धन नियत किया गया है । यदि आप ये सभी बातें चाहते हैं तो सारी सभा सरकार पर अपना प्रभाव डाल सकती है कि वह अपनी नीति को पूरी तरह बदले । अन्यथा शिक्षा के लिए अधिक धन प्राप्त करना बड़ा कठिन है ।

नैतिक शिक्षा के बारे में मैं माननीय सदस्यों से निश्चय ही सहमत हूं । बच्चों के चरित्र निर्माण और विकास के लिये नैतिक शिक्षा का होना बड़ा जरूरी है । परन्तु नैतिक शिक्षा को धर्म में डाल कर पढ़ाना बड़ा कठिन है क्योंकि संविधान के अनुसार हम किसी विशिष्ट धर्म का प्रचार नहीं कर सकते । यह तो हम सभी मानते हैं कि छात्रों के दिलों में नैतिक और आध्यात्मिक भावनाओं की वृद्धि की जानी चाहिए ; परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसे किस प्रकार हो ।

कुछ दिन हुए यही सोचा गया था कि कालेजों में एन०सी०सी० के स्थान पर राष्ट्रीय समाज सेवायें चालू की जायें । मैं चाहता हूं कि नैतिक तथा आध्यात्मिक बातों द्वारा विद्यार्थियों में तो यह भावना भरी जानी चाहिए । परन्तु कालेजों के छात्रों से यदि इस बारे में बात करो तो वे तुरन्त कह उठेंगे—मास्टर जी, पहले अपने आपको सुधारिये, फिर हमें सुधारने का प्रयत्न करना ।

मैं मानता हूं कि अभिभावकों व अध्यापकों के संयुक्त संघ होने चाहियें । मेरा मंत्रालय इसका पूरी तरह समर्थन करता है परन्तु धन प्रदान करने के बारे में हमारी सीमायें बड़ी संकीर्ण हैं ।

रचनात्मक कार्यों के बारे में मैं पहले ही सामाजिक सेवा कार्यक्रमों का जिक्र कर चुका हूं । इस संदर्भ में देश में बड़ा कार्य हुआ है । उदाहारणार्थ महाराष्ट्र के चन्दा जिले में बाबा अम्टे ने इस सम्बन्ध में अत्यन्त आश्चर्यजनक कार्य किया है । वह वहां कोढ़ियों की एक संस्था चला रहे हैं और अब वहां के कोढ़ी आत्मनिर्भर हो गये हैं । बाबा अम्टे ने कई राज्यों के छात्रों को एकत्रित किया जो कि 10-15 दिन तक वहां कार्य करके तथा सामाजिक भावना से ओत-प्रोत होकर वापस लौटे । इस वर्ष वह एक और कैम्प का आयोजन करना चाहते हैं । बाबा अम्टे की प्रार्थना पर मैंने उपकुलपतियों से कहा है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय से तीन या चार छात्रों को भेज दें । इस प्रकार हम स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता करते हैं तथा छात्रों की क्षमता का उपयोग करते हैं ।

जहां तक विशिष्ट प्रकार के स्कूलों को समाप्त करने का प्रश्न है सो ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे स्कूल अच्छा कार्य कर रहे हैं हालांकि मैं जानता हूं कि वहां धनी लोगों के बच्चे पढ़ने जाते हैं । वैसे मैं ऐसा प्रबन्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये स्कूल उन बच्चों को भी

प्रवेश दें जिनके माता-पिता वहां की ऊंची शुल्क देने में असमर्थ हैं। अभी हाल ही में हुए एक सम्मेलन में भारतीय पब्लिक स्कूलों ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है। वैसे यह कार्य वे लोग अपने किसी ढंग से निशुल्क विद्यार्थित्व और छात्रवृत्तियां आदि देकर करेंगे। सम्भव है सरकार भी उन्हें इस कार्य के लिये सहायता दे। आज इंग्लैंड में भी प्राय: 90 प्रतिशत छात्रवृतियां तथा निशुल्क विद्यार्थित्व पाकर अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिव्यक्ति शुल्क के बारे में मैडिकल तथा इन्जीनियरी कालेजों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई। फिर भी मैं इस मामले की और आगे जांच करूंगा।

**सभापति महोदय** : वे कालेज तो राज्य सरकारों के अधीन हैं, मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर सकती है।

**डा० वी० के० आर० वी० राव** : मैं पता लगाऊंगा। यदि हम कार्यवाही नहीं कर सकते तो कम से कम जनता की बात तो उन तक पहुंचा सकते हैं।

श्री श्रीधरन ने कहा है कि चयन समितियों में भाई-भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं यह नहीं कहता कि देश में भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार नहीं है परन्तु मैं अपने स्वयं के अनुभव से तथा उत्तरदायित्वपूर्ण होकर कह सकता हूं जितने भी पद प्रतियोगिताओं अथवा अन्य परीक्षाओं के आधार पर भरे जाते हैं उनमें केवल 10-12 तो शायद अनुचित ढंग से हों परन्तु शेष सभी योग्यता के आधार होते हैं। लोगों ने कुछ ऐसी धारणा बना ली है कि बिना सिफारिश कुछ प्राप्त नहीं होता। यह भी छात्रों के मध्य असंतोष का एक बड़ा कारण है। वह भी यही सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा पाकर भी नौकरी के लिये सिफारिश हेतु उन्हें किसी उद्योगपति, राजनीतिज्ञ या अन्य किसी के पास जाना पड़ेगा। इस भ्रष्टाचार को अवश्य दूर करने का भी हम प्रयत्न करेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे लोगों में यह धारणा न फैलायें कि सारे देश में भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार फैला हुआ है। यह बुराई देश में है यह मैं मानता हूं परन्तु इतनी नहीं कि देश इससे भरा पड़ा है। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि हमारे देश में अधिकतर कार्य भाई-भतीजावाद अथवा भ्रष्टाचार के आधार पर होते हैं। ऐसी बातों का प्रचार हमारी आने वाली पीढ़ी में अविश्वास और उदासीनता के भाव उत्पन्न करती है। यदि हम ऐसी कोई बात कहते हैं तो हमारी संतान पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अत: ऐसे मामलों में हमें सावधान रहना चाहिए।

युवकों के विकास तथा चरित्र-निर्माण के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। जहां तक आवास स्कूलों का प्रश्न है, सो इसमें धन की बात आती है। अधिक विषयों तथा भारी पाठ्यक्रमों के भार के बारे में मुझे यही कहना है कि मुझे तो विशेषज्ञों की सलाह से चलना होता है।

इसके बाद प्रश्न उठाया गया है कि कुछ छात्र राजनीति में भाग लेते हैं तथा हमें उनके

आचरण और व्यवहार की जांच करके उन्हें अलग करना चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं क्योंकि इससे यह समस्या हल नहीं होगी। इसके समाधान के लिये हमें छात्रों से मिल बैठकर बात करनी चाहिये। उन्हें विश्वास में लिया जाना चाहिए तथा विद्यार्थियों के व्यवहार पर दृष्टि रखने के लिये विद्यार्थियों को ही इस बात की देख भाल पर लगाया जाना चाहिए। यह बात वह भी स्वीकार कर लेंगे। छात्र संघों का ऐसे रूप में गठन किया जाना चाहिए कि उनके माध्यम से छात्रों को अपनी प्रतिभा का विकास करने का सुअवसर मिले तथा उन्हें इस तथाकथित राजनीति में पड़ने का अवसर न मिले। यह सब कुछ छात्रों के सहयोग तथा उनके ही स्वतन्त्र परामर्श से सम्भव है

एक सुझाव था कि छात्रों के मध्य असंतोष को समाप्त करने के उद्देश्य से शिक्षा-शास्त्रियों, संसत्सदस्यों आदि की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाये। मेरी धारणा है कि पिछले दस वर्षों में हमने अनेक समितियां गठित की हैं। इस समय भी कुछ अध्ययन चल रहा है। इस बारे में उपकुलपतियों का सम्मेलन, शिक्षा आयोग, डा० त्रिगुण सेन समिति तथा अन्य अनेक समितियां अब भी कार्य कर रही हैं। परन्तु इस बारे में हमें अधिक नहीं मालूम कि कुछ स्थानों पर छात्रों में असन्तोष के क्या कारण हैं हालांकि इस असन्तोष के अनेक कारणों को हम जानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है कि और अधिक समितियां गठित करने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं तो कुछ ठोस कार्यवाही करने के कार्यक्रम के पक्ष में हूं। हमने एक कार्यक्रम बनाया है। विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का एक सम्मेलन इस मास की 21 व 22 तारीख को हो रहा है। वहां अन्य बातों पर भी विचार होगा। परन्तु मैं तो उस सम्मेलन के सम्मुख यह समस्या रखना चाहता हूं कि छात्रों में असंतोष की समस्या को हल करने के लिये किस प्रकार की समाज-सेवा तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि विश्वविद्यालयों के सभी छात्रों तथा छात्र संघों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाकर इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही हमें युवक-संस्थाओं से भी बातचीत करनी चाहिए क्योंकि नवयुवक भी हमारी अल्पायु वाली पीढ़ी का एक प्रमुख अंग हैं।

मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि इस कार्य के सम्बन्ध में मैं कोई राजनैतिक अथवा दलीय विचारधारा नहीं अपनाऊंगा। मेरी रुचि तो केवल इस बात में है कि हमारे देश के युवक और छात्र एक साथ मिलकर देश की राष्ट्रीय एकता, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक चेतना के महत्व को समझें। इसी संदर्भ में मैं अपने साथी संसत्सदस्यों से भी विचार-विमर्श करूंगा। परन्तु इस समय मेरे लिए यह मानना सम्भव नहीं कि इस सम्बन्ध में कोई और समिति नियुक्त की जाये। मैं किसी भी माननीय सदस्य से किसी भी समय इस विषय पर विचार-विमर्श करने को तैयार हूं और अनेक किसी भी सुझाव का स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

**इसके पश्चात् लोक सभा शनिवार, 22 मार्च, 1969/1 चैत्र, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, March 22, 1969/Chaitra 1, 1891 (Saka).**



Tej Kumar Press, Lucknow. 17-7-69—600.